

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय-सिविल)
2020 की संख्या 10
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय-सिविल)
2020 की संख्या 10
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ)**

लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुति की तारीख.....

विषय सूची

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सार	vii
अध्याय I प्रस्तावना		
1.1	इस प्रतिवेदन के विषय में	1
1.2	लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1
1.3	लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन	2
1.4	बजट और व्यय	3
1.5	उपयोगिता प्रमाण पत्र	5
1.6	केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब	6
1.7	संसद के दोनों सदनों के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति में देरी	7
1.8	लेखापरीक्षा के प्रमाणन के परिणाम	8
1.9	लंबित एटीएन की स्थिति	8
1.10	ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालयों/ विभागों का उत्तर	9
अध्याय II वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट		
2.1	केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देशों का पालन न करना और लेखापरीक्षा के कहने पर उन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई	10
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण		
2.2	मैंग्रोव क्रेब प्रोजेक्ट में निष्फल व्यय	12

अध्याय III		
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग		
3.1	विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण में विफलता के कारण राजस्व की हानि	15
अध्याय IV		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट		
4.1	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट का कामकाज	17
अध्याय V		
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय		
5.1	परित्यक्त एनईएलपी ब्लॉकों में विभिन्न संविदाकारों से अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत की वसूली में असफलता	66
तेल उद्योग विकास बोर्ड		
5.2	अधिशेष निधियों के अविवेकपूर्ण निवेश के कारण ब्याज का नुकसान	80
अध्याय VI		
पोत परिवहन मंत्रालय		
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट		
6.1	कोलकाता पत्तन न्यास में ड्रेजिंग गतिविधियां	85
6.2	लाइसेंस फीस की वसूली न करने के कारण राजस्व की हानि	109
जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट		
6.3	ओवर टाईम भत्ते की गणना हेतु आवास किराया भत्ते को जोड़ने के कारण कर्मचारियों को अधिक भुगतान	112
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट		
6.4	टिपलिंग प्रभारों के कम निर्धारण के कारण राजस्व की हानि	114
6.5	लेखापरीक्षा में बताए जाने पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई	117
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट		
6.6	रीच स्टैकर की खरीद पर परिहार्य व्यय	118

अध्याय VII		
वस्त्र मंत्रालय		
केन्द्रीय रेशम बोर्ड		
7.1	सरकारी धन का धोखाधड़ी से आहरण	120
अध्याय VIII		
पर्यटन मंत्रालय		
इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एपलाइड न्युट्रिशन		
8.1	कार्यकारी विकास केन्द्र की अवसंरचना के सृजन पर निष्फल व्यय	122
	परिशिष्ट- I से XXXV	127

प्राक्कथन

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों, उनके संबंधित/ अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल किए गए हैं। भारत की समेकित निधि से दिए गए अनुदानों/ ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।
3. इस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट मामलें वह हैं जो 2018-19 की अवधि हेतु नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए और साथ ही वह जो पूर्व वर्षों में पाए गए थे परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके। 2018-19 के बाद की अवधि के मामले भी, जहां आवश्यक थे, शामिल किए गए हैं।
4. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार की गई है।

कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा निष्पादित आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों और उनके केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किए गए हैं।
2. इस प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों से संबंधित 14 पृथक अभ्युक्तियां शामिल हैं। ड्राफ्ट अभ्युक्तियों को संबंधित मंत्रालयों को भेजा गया था ताकि उन्हें प्रत्येक मामले में छः सप्ताह की अवधि में अपने उत्तर/ टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर मिले। पांच अभ्युक्तियों पर उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जबकि इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा था जैसे कि निम्नलिखित पैरा 3 में दर्शाया गया है।
3. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों और उनके केंद्रीय स्वायत्त निकायों से संबंधित हैं:

क्रम. सं.	मंत्रालय/ विभाग	पैराग्राफों की संख्या	उन पैराग्राफों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय/ विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था
1.	वाणिज्य एवं उद्यम	2	1
2.	आवासन और शहरी कार्य	1	1
3.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	1	0
4.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	2	1
5.	पोत परिवहन	6	1
6.	वस्त्र	1	0
7.	पर्यटन	1	1
	कुल	14	5

II प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा नए या मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्योगों को किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/या तीसरे पक्ष की गारन्टी के बिना दी गई क्रेडिट सुविधाओं

(आवधिक ऋण और/या कार्यशील पूंजी सहायता) के संबंध में गारन्टी देने के लिए और ऋणदात्री संस्थाओं पर गारन्टी फीस/ वार्षिक सेवा फीस/ अन्य प्रभारों के उद्ग्रहण हेतु 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारन्टी निधि ट्रस्ट' (सीजीटीएमएसई/ट्रस्ट) नामक ट्रस्ट की स्थापना की थी (जुलाई 2000)। सीजीटीएमएसई ने दो योजनाएं अर्थात् (क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएस-I, बैंकों और वित्तीय संस्थानों हेतु); और (ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएस-II) कार्यान्वित की थी। लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में 2015-16 से 2018-19 (30 सितंबर 2018) की अवधि के दौरान गारंटी योजनाओं (मुख्यतः सीजीएस-I) का निष्पादन शामिल था।

31 मार्च 2019 तक ट्रस्ट ने ₹1,51,484 करोड़ मूल्य के 29.79 लाख गारंटी कवर जारी किए थे। 31 मार्च 2019 को ट्रस्ट की समग्र निधि ₹6,914.91 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार का योगदान ₹6,414.91 करोड़ (92.77 प्रतिशत) और सिडबी का योगदान ₹500 करोड़ (7.23 प्रतिशत) था।

सीजीटीएमएसई/ सरकार ने अनुमोदित/ जारी गारंटियों की तुलना में ट्रस्ट के लिए न्यूनतम चल-निधि आवश्यकता, पूंजीगत पर्याप्तता, ऋण शोधन क्षमता आवश्यकताओं, विभिन्न प्रकार के सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के लिए जोखिम सीमा, पालन किए जाने वाले प्रकटन मानकों और लेखाकरण मानदंडों आदि के संबंध में कोई मानक/ बेंचमार्क निर्धारित नहीं किया था।

ट्रस्ट ने मंत्रालय के निर्देशों (जनवरी 2017) को कार्यान्वित नहीं किया और उन ऋणों के प्रति गारंटियाँ देना जारी रखा जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) की सूक्ष्म ईकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के अंतर्गत गारंटी कवर के लिए पात्र थे। सीजीटीएमएसई और सीजीएफएमयू (मुद्रा ऋण) के बीच एक ही प्रकार की व्यवसाय परियोजनाओं के प्रति ₹10 लाख तक के ऋणों से संबंधी कार्यों में अतिव्याप्ति थी।

ट्रस्ट ने गारंटी कवर मांगने के लिए आवेदन दायर करते समय सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर आधारित गारंटियों के प्रभाव (टर्नओवर, निर्यात और रोजगार के आकड़ों) का मापन किया। ट्रस्ट के पास टर्नओवर, निर्यात और रोजगार सृजन के कोई वास्तविक आकड़े नहीं थे। ट्रस्ट ने एमएसई द्वारा व्यवसाय शुरू करने के पश्चात एमएलआई से ब्यौरे नहीं मांगे थे या अपने पोर्टल में ब्यौरे अपलोड नहीं कराए थे।

ट्रस्ट ने एमएसई क्षेत्र हेतु गारंटी निमित्त के प्रभाव पर एमएलआई में अधिक विश्वास सृजित करने हेतु और अधिक अग्रान्त समर्थन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु तर्कसंगत आधार पर कॉर्पस निधि पर बेंचमार्क लीवरेज निर्धारित नहीं की।

गारंटियों के अनुमोदन की वर्तमान प्रणाली ने केवल एक आश्वासन दिया कि एमएलआई ने केवल उधारकर्ताओं के अनिवार्य ब्यौरे भरे थे। यहां तक कि प्रणाली/पोर्टल एमएलआई द्वारा भरे गए ब्यौरों की सटीकता की जांच करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा, योजना प्रणाली जोखिमों को रोकने के लिए ₹50 लाख से कम के प्रस्तावों की रेटिंग को प्रोत्साहित नहीं करती।

एनपीए को चिन्हित करने हेतु अगली तिमाही के अंत तक समयावधि देने की ट्रस्ट की नीति बैंको को जारी आरबीआई के निर्देशों के अनुसार नहीं थी।

निरीक्षण नियोजित नहीं थे क्योंकि एमएलआई के चयन, एमएलआई से संबंधित लक्ष्य और उपलब्धियों और शामिल किए जाने वाले लेखाओं तथा ध्यान केंद्रित किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था। निरीक्षण जारी की गई गारंटियों, सूचित एनपीए, एमएलआई द्वारा दायर किए गए दावों और निरीक्षण रिपोर्टों में देखी गई कमियों के अनुरूप नहीं थे।

एमएलआई ने गैर-अनिवार्य डेटा भरा नहीं था और इसके अलावा भरे गए डेटा की गुणवत्ता काफी खराब थी। एमएलआई द्वारा कई फील्ड खाली छोड़े गए थे या गलत डेटा भरा गया था।

एमएलआई ने एक ही आवेदन/क्रेडिट सुविधा के लिए एक से अधिक बार गारंटी कवर के लिए आवेदन किया था और ट्रस्ट ने भी एमएलआई को उनके आवेदन के अनुसार गारंटी कवर जारी कर दिया था। यह ट्रस्ट के वित्तीय हितों व व्यापार विवेक के खिलाफ था।

(पैरा 4.1)

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी) के पास ड्रेजिंग के लिए पालन हेतु व्यापक दिशानिर्देशों और उक्त हेतु समय-समय पर अपनाई जाने वाली रणनीतियों को बताते हुए ड्रेजिंग के लिए कोई निर्धारित नीतिगत ड्रेजिंग योजना नहीं थी। यद्यपि केओपीटी ने बार-बार लक्षित गहराई और ड्रेज की मात्रा निर्दिष्ट करते हुए ड्रेजिंग के लिए तदर्थ आधार पर वार्षिक योजनाए तैयार की थी, तदर्थ लक्ष्य ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) के साथ ड्रेजिंग संविदा में शामिल लक्षित गहराई से अधिक था। वांछित संरेखण के स्थिर चैनल की स्थापना हेतु निर्मित पर्वत स्कंधों का भी उचित रूप से रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल आकृतिक परिवर्तन हुए और जिससे निश्चिंतपुर

क्षेत्र के अन्य पर्वत स्कंधों को काफी क्षति हुई जहां पहले किसी पोषण कार्य की परिकल्पना नहीं की गई थी। डीसीआईएल के साथ ड्रेजिंग संविदा के कार्यान्वयन में कमियां थीं। ड्रेजिंग संविदाओं में लक्षित गहराई को मुख्यतः डीसीआईएल ड्रेजरों के कम निष्पादन के कारण वांछित/ अपेक्षित गहराई के संदर्भ में कम कर दिया गया था। डीसीआईएल द्वारा परिनियोजित ड्रेजरों का दैनिक किराया दर व्यवस्था के दौरान कम उपयोग किया गया जिसके लिए केओपीटी ने निष्फल व्यय किया। केओपीटी ने पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए डीसीआईएल को नामांकन आधार पर नियुक्त करना जारी रखा और अतिरिक्त ड्रेजिंग व्यय भी किया। केओपीटी द्वारा ईडन के संदर्भ में जेल्लिंगम में उच्चतर गहराई रखने के कारण ड्रेजिंग के प्रति निष्फल व्यय भी किया गया था। समय-समय पर विशेषज्ञों से सलाह के बावजूद केओपीटी द्वारा ड्रेज सामग्री के नदी तट पर निपटान का सहारा नहीं लिया गया। इसके बजाय, ड्रेज की गई सामग्रियों को नदी में ही डाला गया था। अंततः इसके परिणामस्वरूप नदी में डाली गई कम से कम 15 प्रतिशत ड्रेज्ड सामग्रियों का पुनः संचरण हो गया जिससे ड्रेजिंग के बावजूद नौवहन चैनल की गहराई में कमी आई जिससे ड्रेजिंग लागत बढ़ गई। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स पर आने वाले पोतों का टर्न राउंड समय नौवहन गहराई में कमी के कारण अधिक था जिसके परिणामस्वरूप पोतों की संव्यवहार लागत में वृद्धि हुई तथा इसलिए, पोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्ट आकर्षक नहीं रहा।

(पैरा 6.1)

भारत सरकार ने तेल और गैस के अन्वेषण के लिए नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति I से IX-क्रम के दौरान 254 ब्लॉक दिए थे। उत्पादन सहभाजन संविदाओं (पीएससी) की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, संविदाकारों से अपूर्ण न्यूनतम कार्यों के कार्यक्रम की लागत (सीओयूएमडब्ल्यूपी) का भुगतान करना अपेक्षित है, यदि ब्लॉक को सरकार द्वारा परित्यक्त या समाप्त किया जाता है। तथापि, 54 परित्यक्त ब्लॉकों के संविदाकार सीओयूएमडब्ल्यूपी का भुगतान करने में विफल रहे जैसा पीएससी में निर्दिष्ट था।

45 ब्लॉकों के संबंध में अपूर्ण न्यूनतम कार्यों के कार्यक्रम के आधार पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा अनुमोदित 664.67 मिलियन यूएस डॉलर (₹4,753.03 करोड़) की 77 प्रतिशत राशि 510.79 मिलियन यूएस डॉलर (₹3,652.64 करोड़) की सीओयूएमडब्ल्यूपी की अब तक (सितंबर 2019) वसूली नहीं हुई है। नौ ब्लॉकों के लिए सीओयूएमडब्ल्यूपी को अभी डीजीएच द्वारा संगणित/ एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

54 परित्यक्त/ समाप्त ब्लॉकों के मामलों में, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने सीओयूएमडब्ल्यूपी का निर्धारण/ गणना करने में 15 दिनों से 4,585 दिनों का समय लिया

जबकि एमओपीएनजी ने इसे अनुमोदित करने में 6 दिनों से 2,174 दिनों का समय लिया। विलंब केवल संविदाकार की तरफ से ही नहीं हुआ था अपितु एमओपीएनजी/ डीजीएच की तरफ से भी हुआ था। डीजीएच अब तक (सितंबर 2019) लागतों की बेंचमार्किंग की दरों को अंतिम रूप देने और डेटाबैंक बनाने में असमर्थ रहा। डीजीएच द्वारा लागत डेटा का रख-रखाव न करने, जो दिसंबर 2007 की सरकारी नीति के अनुसार अपेक्षित था, के परिणामस्वरूप डीजीएच द्वारा संविदाकारों से सूचना और डेटा मांगने/ एकत्रण के कई बार और लंबा पत्र व्यवहार हुआ।

डीजीएच/ एमओपीएनजी संबंधित संविदाकारों से सीओयूएमडब्ल्यूपी के अनुमोदन/ वसूली तक बैंक गारंटियों को वैध रखने में विफल रहा। चार ब्लॉकों के मामले में बैंक गारंटियों की वैधता भी समाप्त हो गई थी। पीएससी प्रावधानों (अनुच्छेद 33.1) में अनुबंध किया गया है कि असमाधित विवादों के मामलों को सामजस्य/ मध्यस्थता के लिए एकमात्र विशेषज्ञ को भेजा जाएगा। डीजीएच ने 17 एनईएलपी ब्लॉकों के संबंध में एमओपीएनजी को भारत सरकार की तरफ से एक मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। तथापि, सितंबर 2019 तक डीजीएच के अनुरोध पर कोई निर्णय अभिलेखों में नहीं पाया गया।

(पैरा 5.1)

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) ने नौ घंटा प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों (टाउनशिप में न रहने वाले) के ओवरटाइम भत्ते (ओटीए) की गणना के फॉर्मूला में आवास किराया भत्ता (एचआरए) शामिल किया। फॉर्मूला में एचआरए को शामिल करना सही नहीं था और 2013-14 से 2018-19 के दौरान इस कारण ओटीए का अधिक भुगतान ₹44.09 करोड़ था। पोत परिवहन मंत्रालय ने जेएनपीटी को सूचना दी (जून 2019) कि उन्होंने मामले को गंभीरता से देखा है और चूक के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जेएनपीटी को निर्देश दिया है। मंत्रालय के उत्तर के बाद जेएनपीटी ने एचआरए को हटाते हुए ओवरटाइम फॉर्मूला में संशोधन किया (सितंबर 2019) था। लेखापरीक्षा में पहले दिसंबर 2015 में अनियमितता के बारे में बताया गया था। यदि सुधारात्मक कार्रवाई शीघ्र की गई होती तो, दिसंबर 2015 से किए गए कम से कम ₹27.96 करोड़ के अधिक व्यय से बचा जा सकता था।

(पैरा 6.3)

थर्मल कोल पोतों के प्री-बर्थिंग अवरोधन में वृद्धि के कारण, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) ने लौह अयस्क प्रबंधन संयंत्र (आईओएचपी) के साथ अपने लौह अयस्क बर्थ (आईओबी) पर थर्मल कोयले के प्रबंधन की संभावना का पता लगाया क्योंकि आईओएचपी का कम उपयोग किया जा रहा था। पीपीटी के ट्रस्टी बोर्ड (बीओटी) ने आईओएचपी पर थर्मल कोयले के प्रबंधन हेतु नौवहन प्रभारों को ₹49.50 प्रति मि.ट. और टिपलिंग प्रभारों को

₹47.05 प्रति मि.ट. पर रखने का निर्णय लिया। महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) को नया दर मान (एसओआर) प्रस्तुत करते समय, पीपीटी ने बीओटी द्वारा अनुमोदित ₹47.05 प्रति मि.ट. की दर के बजाय आईओएचपी में थर्मल कोयले के प्रबंधन हेतु ₹20.40 प्रति मि.ट. की दर पर टिपलिंग प्रभारों का प्रस्ताव रखा। टीएएमपी ने दर मान को अनुमोदित कर दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईओएचपी पर ₹20.40 प्रति मि.ट. पर थर्मल कोयले के प्रबंधन हेतु टिपलिंग प्रभार शामिल थे। इस प्रकार, पीपीटी को टिपलिंग प्रभारों के कम निर्धारण के कारण जून 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹11.16 करोड़ के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

(पैरा 6.4)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) ने 7 अप्रैल 2016 से पांच वर्षों की अवधि के लिए सीमा शुल्क बाधित क्षेत्र में शेड/यार्ड के संबंध में लाइसेंस फीस सहित कोलकाता डॉक सिस्टम (केडीएस) और हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स (एचडीसी) पर पट्टे और लाइसेंसों के लिए किराए की अनुसूची (एसओआर) में संशोधन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था (मई 2017)। तथापि, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने केडीएस में सीमा शुल्क बाधित क्षेत्र में शेड/यार्डों के संबंध में 31 मई 2017 से उत्तरव्यापी प्रभाव से एसओआर कार्यान्वित किया था जिसके कारण केडीएस के सीमा शुल्क बाधित क्षेत्र में शेड/यार्डों के संबंध में ₹5.91 करोड़ मूल्य की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

(पैरा 6.2)

फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (एफडीडीआई) ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की नियमपुस्तिका का उल्लंघन करते हुए एक किश्त में निर्माण कार्य, आंतरिक साज-सज्जा कार्य और फर्नीचर कार्य के प्रति विभिन्न संविदाकारों को अक्टूबर 2012 से जुलाई 2016 के दौरान ₹45.13 करोड़ का ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम दिया था जिसके कारण ब्याज के प्रति ₹4.62 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

(पैरा 2.1)

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना ₹2.34 करोड़ की लागत पर एक रीच स्टेकर खरीदा था, जबकि पोर्ट के पास एक पुराना रीच स्टेकर था, जो आठ वर्षों के निर्धारित उपयोगिता काल प्रतिमानों के भीतर था। 2014-15 से 2018-19 के दौरान, पुराने रीच स्टेकर की उपयोगिता 17.97 प्रतिशत से 5.27 प्रतिशत के बीच थी और 2016-17 से 2018-19 के दौरान, नए रीच स्टेकर की उपयोगिता 8.40 प्रतिशत से

6.84 प्रतिशत के बीच थी। इस प्रकार, पोर्ट ने उचित तर्कसंगतता के बिना रीच स्टेकर की खरीद पर ₹2.34 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैरा 6.6)

केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा 1948 में रेशम उत्पादन की वृद्धि और विकास को बढ़ाने के लिए की गई थी। सीएसबी नियमावली, 1955 बैंक खातों के अनुरक्षण और परिचालन से संबंधित विभिन्न नियंत्रण उपायों को वर्णित करती है जिसमें एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैश बुक की पूर्ण जांच, सत्यापन करने के पश्चात इसे दैनिक रूप से बंद करना तथा प्रत्येक माह के अंत में प्रमाणपत्र देना सम्मिलित हैं।

दैनिक बही तथा समर्थन वाउचरों को कैश बुक प्रविष्टियों के साथ मिलान करने से निम्नलिखित का पता चला की:

- कैश बुक और दैनिक बही के आंकड़ों के साथ छेड़-छाड़ कि गयी थी;
- भुगतानों के लिए बैंक को जारी निर्देशों में जाली प्रविष्टियां की गई थी;
- उस अधिकारी द्वारा भुगतानों के लिए निर्देश जारी करने के मामले थे जो कैश बुक के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी था।

मई 2018 और अप्रैल 2019 के बीच, ₹85.13 लाख की राशि को आरओ, गोवाहाटी के बैंक खाते से ऐसे व्यक्तियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया था जिनका सीएसबी आरओ, गोवाहाटी से कोई कार्यालयी संव्यवहार नहीं था। ₹9.61 लाख की राशि वसूल करने के बाद, ₹75.52 लाख की राशि अभी भी वसूल की जानी है।

(पैरा 7.1)

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित सत्त्वों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं के संबंध में संव्यवहारों की जांच को संदर्भित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों और लागू कानूनों, सक्षम प्राधिकारणों द्वारा जारी नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों का पालन किया जा रहा है और अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, उपयुक्तता, विवेक और प्रभावकारिता को भी निर्धारित किया जा सके।

लेखापरीक्षाएं अनुमोदित लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की तरफ से की जाती हैं। इन मानदंडों में वे प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं जिनका लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा पालन करना अपेक्षित है और इसके अननुपालन के साथ-साथ उन कमजोरियों, जो लेखापरीक्षित सत्त्वों के वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में मौजूद हैं, के पृथक मामलों की सूचना देना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों/ अभ्युक्तियों से सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, नीतियों और प्रक्रियाओं को भी बनाने के लिए कार्यकारियों को सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा, जो बेहतर शासन को बढ़ावा देगा।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना एवं सीमा की व्याख्या के अलावा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों, जो कि **परिशिष्ट-I** में सूचीबद्ध किए गए हैं, के व्यय और उनके वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है। अध्याय II में VIII में आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों और उनके स्वायत्त निकायों¹ की अनुपालन लेखापरीक्षा से सृजित निष्कर्ष/ अभ्युक्तियां दी गई हैं।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा और संसद को रिपोर्टिंग का प्राधिकार क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से प्राप्त हुआ है। नियंत्रक एवं

¹ 31.03.2019 तक 64 सीएबी लेखापरीक्षा के दायरे में थे।

महालेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 13² और धारा 17³ के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करते हैं।

संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट प्रावधानों वाले निकायों को अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा हेतु सांविधिक रूप से लिया जाता है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसायटियों) की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत लोकहित में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इसके अलावा, भारत की संचित निधि से अनुदानों/ ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन

अनुपालन लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लागू किए गए लेखापरीक्षण मानदंडों में प्रतिपादित सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप से मंत्रालय/ विभाग तथा प्रत्येक इकाई के लिए किए गए व्यय, इसके कार्यकलापों के महत्व/ जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर और आंतरिक नियंत्रणों के मूल्यांकन तथा पणधारकों के मुद्दों के आधार पर जोखिम निर्धारण के साथ शुरू होती है। इस कार्य में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा का निर्णय लिया जाता है। इसके पश्चात, ऐसे जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है। चयनित/ नियोजित इकाईयों की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निर्दिष्ट करने वाली निरीक्षण रिपोर्ट इकाई के प्रमुख को जारी की जाती है। इकाई को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं तब लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु अगली कार्रवाई का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण रिपोर्टों से सृजित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट पैरा के रूप में अलग से जारी किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलन हेतु

² (i) भारत की संचित निधि से सभी व्यय, (ii) आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित सभी संव्यवहार और (iii) सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

³ संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे स्टोर और स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा और रिपोर्ट।

संसाधित किया जाता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.4 बजट और व्यय

16 आर्थिक और सेवा मंत्रालयों (विभाग वार जहां लागू है) तथा वित्त मंत्रालय के दो विभागों के संबंध में 2018-19 की रिपोर्टिंग अवधि और इसके पिछले वर्ष के दौरान बजट तथा व्यय की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/ विभागों का बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)
2018-19				2017-18				
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1,59,582.53	1,42,888.03	16,694.50	10.46	1,22,898.47	1,17,152.83	5,745.64	4.68
वित्त मंत्रालय								
वित्तीय सेवाएं विभाग	1,17,097.21	1,16,088.58	1,008.63	0.86	1,07,742.08	1,06,768.31	973.77	0.09
निवेश एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग	146.15	145.15	1.00	0.68	44.00	32.19	11.81	26.84
रसायन और उर्वरक मंत्रालय								
उर्वरक विभाग	73,487.40	73,477.41	9.99	0.01	94,797.23	89,788.57	5,008.66	5.28
रसायन और पेट्रोसायन विभाग	399.65	339.86	59.79	14.96	658.28	612.11	46.17	7.01
फार्मास्युटिकल्स विभाग	579.71	523.46	56.25	9.70	266.11	252.41	13.70	5.15
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय*								
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	34,422.95	32,620.99	1,801.96	5.23	36,860.59	33,192.11	3,668.48	9.95

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

विद्युत् मंत्रालय	20,233.67	19,850.10	383.57	1.90	17,966.44	15,017.90	2,948.54	16.41
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय								
व्यापार विभाग	6,215.32	6,159.52	55.80	0.90	5,664.01	5,586.45	77.56	1.37
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग**	6,156.61	6,020.57	136.04	2.21	6,134.48	4,053.64	2,080.84	33.92
नागर विमानन मंत्रालय								
नागर विमानन मंत्रालय	10,680.98	9,600.19	1,080.79	10.12	2,789.29	2,664.12	125.17	4.49
वस्त्र मंत्रालय	8,660.82	6,695.47	1,965.35	22.69	6,272.82	5,940.18	332.64	5.30
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	6,561.17	6,513.12	48.05	0.73	6,482.01	6,222.18	259.83	4.01
पोत परिवहन मंत्रालय	2,729.75	2,321.63	408.12	14.95	2,116.76	1,862.53	254.23	12.01
पर्यटन मंत्रालय	2,150.03	2,100.49	49.54	2.30	1,840.80	1,766.09	74.71	4.06
खान मंत्रालय	2,164.54	1,397.10	767.44	35.46	1,460.49	1,349.00	111.49	7.63
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय								
भारी उद्योग विभाग	1,286.66	1,035.02	251.64	19.56	2,600.03	1,104.62	1,495.41	57.52
लोक उद्यम विभाग	21.44	21.20	0.24	1.12	19.38	18.69	0.69	3.56
कोयला मंत्रालय								
कोयला मंत्रालय	781.85	708.34	73.51	9.40	1,445.11	1,411.19	33.92	2.35
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	643.98	610.41	33.57	5.21	588.85	526.42	62.43	10.60
इस्पात मंत्रालय	154.90	154.64	0.26	0.17	44.14	43.20	0.94	2.13
जोड़	5,04,411.79	4,70,145.54	34,266.25	6.79	4,65,985.16	4,35,971.20	30,013.96	6.44

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को 2017-18 के दौरान आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय (एमओएचयूए) बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2017-18 के आंकड़ों को तुलना के उद्देश्य के लिए एमओएचयूएके के अधीन क्लब किया गया था।

**तत्कालीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)

2018-19 के दौरान भारत सरकार के उपरोक्त मंत्रालयों/ विभागों का कुल व्यय, ₹4,70,145.54 करोड़ था, जबकि 2017-18 में ₹4,35,971.20 करोड़ था, यथा ₹34,174.34 करोड़ (7.84 प्रतिशत) की वृद्धि। 2018-19 के दौरान इन मंत्रालयों/ विभागों द्वारा किए गए ₹4,70,145.54 करोड़ के कुल व्यय में से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 30.39 प्रतिशत व्यय किया गया और उसके बाद वित्तीय सेवाएं विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा व्यय किया गया (क्रमशः 24.69 प्रतिशत और 15.63 प्रतिशत)।

2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान उपरोक्त मंत्रालयों/ विभागों के वास्तविक व्यय में वृद्धि और कमी की एक न्यूनतम से अधिकतम सीमा पर वास्तविक व्यय में

अन्तर (अर्थात् वृद्धि/ कमी) क्रमशः 0.66 प्रतिशत⁴ और 1.72 प्रतिशत⁵ से 350.92 प्रतिशत⁶ और 49.81 प्रतिशत⁷ था।

पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान वास्तविक व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले मंत्रालयों/ विभागों में नागर विमानन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), और फार्मास्यूटिकल्स विभाग थे। पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान कोयला मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग और उर्वरक विभाग में व्यय में उल्लेखनीय कमी देखी गई।

2018-19 के दौरान ₹5,04,411.79 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के संदर्भ में, मंत्रालयों/ विभागों के पास कुल ₹34,266.25 करोड़ का अव्ययित बजट था, जो 2017-18 के दौरान 6.44 प्रतिशत के अव्ययित बजट के प्रति कुल अनुदान/ विनियोजन का 6.79 प्रतिशत बनता था।

1.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/ संगठनों को जारी किए गए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकायो/ संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 महीने के अन्दर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। 5,660 की कुल संख्या के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), जिसमें 15 मंत्रालयों/ विभागों द्वारा मार्च 2018 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹18,616.49 करोड़ की राशि शामिल है जो अनुदान जारी किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीनों के बाद बकाया थे, की मंत्रालय/ विभाग-वार स्थिति (मार्च 2019 के अनुसार) का विवरण परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है। ₹18,616.49 करोड़ वाले इन 5,660 यूसी के संबंध में, कोई भी आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका कि यह राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई थी जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/ अधिकृत किया गया। उपयोगिता प्रमाणपत्रों का उच्च लम्बन निधियों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की काल-वार स्थिति नीचे तालिका 1.2 में संक्षेपित है:

⁴ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय: ₹((40874.26 करोड़- 40606.46 करोड़)/ 40606.46 करोड़)*100

⁵ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय: ₹((33192.11 करोड़ - 32620.99 करोड़)/ 33192.11 करोड़)*100

⁶ डीआईपीएएम: ₹((145.15 करोड़ - 32.19 करोड़)/ 32.19 करोड़)*100

⁷ कोयला मंत्रालय: ₹((1411.19 करोड़ - 708.34 करोड़)/ 1411.19 करोड़)*100

तालिका 1.2: बकाया यूसी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्षों की संख्या में देरी की सीमा	31 मार्च 2019 को बकाया यूसी	
	संख्या	राशि
0-1	1,633	10,114.49
1-5	2,942	8,118.37
5 से अधिक	1,085	383.63
जोड़	5,660	18,616.49

बकाया यूसी मुख्य रूप से छः मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित हैं। ये कुल बकाया यूसी के 95.62 प्रतिशत बनते हैं, जिसका मूल्य कुल बकाया राशि का 99.25 प्रतिशत है। मार्च 2019 तक छः मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मौद्रिक मूल्य के साथ बकाया यूसी की स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: 31 मार्च 2019 को बकाया यूसी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग	मार्च 2018 ⁸ तक	
		संख्या	राशि
1.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1,374	16,974.80
2.	वस्त्र मंत्रालय	3,608	871.66
3.	भारी उद्योग विभाग	46	185.52
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	328	165.26
5.	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	32	148.10
6.	वाणिज्य विभाग	24	132.02
	जोड़	5,412	18,477.36

1.6 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे गए पेपर्स पर समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट (1975-76) में सिफारिश की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय (एबी) को लेखांकन वर्ष (वित्तीय वर्ष) समाप्त होने के बाद तीन महीने के अन्दर अपने लेखाओं को अंतिम रूप देना/ तैयार

⁸ मार्च 2018 तक जारी किए गए अनुदानों के लिए

करना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 237 में भी निर्धारित किया गया है।

नीचे दी गई तालिका 1.4 में सीएबी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2017-18 के लिए लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब को दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: लेखाओं के प्रस्तुत करने में विलम्ब

	देरी की अवधि			
	1 महीने तक	1-3 महीने	3-6 महीने	6 महीने से अधिक
सीएबी की संख्या	11	8	7	12

सीएबी के विवरण जिनके लेखे मई 2020 तक तीन महीने से अधिक विलंबित थे, उन्हें परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है।

1.7 संसद के दोनों सदनों के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति में देरी

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि एबी के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष के समाप्त होने के नौ महीनों के भीतर अर्थात् अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक संसद के समक्ष रखा जाएगा।

मई 2020 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति तालिका 1.5 में उल्लिखित है:

तालिका 1.5: संसद के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की स्थिति

लेखा वर्ष	सीएबी की संख्या जिसके लिए लेखापरीक्षा किए गए लेखे जारी किए गए थे, परन्तु संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए	देय तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षित लेखाओं की संख्या
2012-13	1	1
2013-14	2	5
2014-15	2	4
2015-16	1	8
2016-17	1	18
2017-18	5	25

उन सीएबी, जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए अथवा देय तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए, के विवरण क्रमशः परिशिष्ट-IV और परिशिष्ट-V में दिए गए हैं।

1.8 लेखापरीक्षा के प्रमाणन के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) और 20 (1) के अधीन लेखापरीक्षित सीएबी के लिए अलग-अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, उन प्रमाणित अंतिम लेखाओं के साथ सलंगन किये जाते हैं, जो संसद के पटल पर संबंधित मंत्रालय द्वारा रखे जाते हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए, सीएबी के वार्षिक लेखाओं पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को परिशिष्ट-VI में दिया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए सीएबी के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ निम्नानुसार हैं:

- क) 17 सीएबी में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (परिशिष्ट-VII);
- ख) 21 सीएबी में, स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-VIII);
- ग) 10 सीएबी में, मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-IX);
- घ) तीन सीएबी में, प्राप्त/नकद आधार पर अनुदानों के लिए लेखांकन वित्त मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित लेखा के समान प्रारूप के साथ असंगत पाया गया (परिशिष्ट-X);
- ङ) पांच सीएबी में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-XI); और
- च) लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप छः सीएबी के लेखे को संशोधित किया गया (परिशिष्ट-XII)।

1.9 लंबित एटीएन की स्थिति

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी एक सौ और पांचवीं रिपोर्ट (दसवीं लोकसभा - 1995-96) जो 17 अगस्त 1995 को संसद में प्रस्तुत की गयी थी, में सिफारिश की थी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से 31 मार्च 1996 के बाद से शुरू होने वाले सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर समिति को प्रस्तुत किया जाना

चाहिए। इसके बाद, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी कक्ष बनाया गया, जिसे सभी मंत्रालयों/ विभागों से उन एटीएन के समन्वय और संग्रहण का काम सौंपा गया है, जो संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित हैं और उन्हें संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तारीख से चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पीएसी को दिया जाता है।

मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय) में शामिल पैराग्राफों पर एटीएन की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि संबंधित मंत्रालयों/ विभागों (नवंबर 2018) के साथ पत्राचार के विभिन्न चरणों के तहत छः एटीएन थे। छः एटीएन में से, पीएसी को चार प्रस्तुत किए गए थे, जबकि दो एटीएन अभी भी पत्राचार चरण (मई 2020) में हैं। बकाया एटीएन का विवरण **परिशिष्ट-XIII** में दर्शाया गया है।

1.10 ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालयों/ विभागों का उत्तर

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने पीएसी की सिफारिशों पर जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए कि, वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर छः सप्ताह के भीतर अपने उत्तर भेजें। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बनाये गये बनाये गये लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के पैरा 207 (1) के अधीन समय सीमा भी निर्धारित की गई है। ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए और छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए भेजा जाता है। इस प्रतिवेदन में 14 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं। आठ पैराग्राफों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के उत्तर प्राप्त हुए थे। प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है (मई 2020)।

अध्याय II: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट

2.1 केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देशों का पालन न करना और लेखापरीक्षा के कहने पर उन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई

फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट ने सीवीसी दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका के उल्लंघन में ठेकेदारों को ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम का भुगतान किया, जिससे ₹4.62 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (संस्थान) के नियंत्रण मंत्रालय ने जून 2012 और फरवरी 2014 के बीच देश भर के छः स्थानों¹ पर फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (एफडीडीआई) परिसरों की स्थापना को मंजूरी इस शर्त के साथ दी कि सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के सभी प्रासंगिक प्रावधानों और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देशों/ दिशानिर्देशों का संस्थान पालन करें। मंत्रालय ने जनवरी 2014 में, मौजूदा परिसरों में कैम्पस नेटवर्किंग सेंटर (सीएनसी) की स्थापना को मंजूरी दी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने समय-समय पर लामबंदी अग्रिम के लिए परिपत्र² जारी किए। परिपत्र निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं:

- निविदा दस्तावेज में ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम प्रदान करने का निर्णय संगठनों में बोर्ड के स्तर (वित्त की सहमति के साथ) पर निहित होना चाहिए।
- ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम का भुगतान हतोत्साहित किया जाना चाहिए, और यदि प्रबंधन को लगता है कि यह विशिष्ट मामलों में आवश्यक है, तो इसे स्पष्ट रूप से निविदा दस्तावेज में अनुबद्ध किया जाना चाहिए और इसकी वसूली समय आधारित होनी चाहिए और इसे कार्य की प्रगति से समबन्ध नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के अग्रिम के दुरुपयोग को कम किया जा सके।

¹ हैदराबाद (तेलंगाना), पटना (बिहार), अंकलेश्वर (गुजरात), चंडीगढ़, छिंडवाडा (मध्य प्रदेश) और गुना (मध्य प्रदेश)

² सीवीसी परिपत्र संख्या - 4सीसी-1-सीटीई2 दिनांक 10 अप्रैल 2007 और 5 फरवरी 2008

- लामबंदी अग्रिम के लिए ली गई बैंक गारंटी अग्रिम का कम से कम 110 प्रतिशत होनी चाहिए और लामबंदी अग्रिम का भुगतान कारण दर्ज करते हुए विशेष परिस्थितियों को छोड़कर दो किशतों से कम में नहीं किया जाना चाहिए।

इसी तरह, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) निर्माणकार्य नियमपुस्तिका में भी लामबंदी अग्रिम के भुगतान के लिए दिशानिर्देशों को निर्धारित किया गया है। सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका की धारा 32.5 के अनुसार, 10 प्रतिशत साधारण ब्याज पर निविदा की 10 प्रतिशत राशि तक सीमित लामबंदी अग्रिम, संविदा की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अनुरोध पर ठेकेदारों को मंजूर की जा सकती है और ऐसे अग्रिम दो से कम किशतों में जारी नहीं किए जाने चाहिए।

संस्थान ने सीपीडब्ल्यूडी दिशानिर्देशों और दिल्ली दर अनुसूची (डीएसआर) की नियमपुस्तिका के आधार पर अपने निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया। निविदा दस्तावेज के अनुसार, संविदा मूल्य पर 10 प्रतिशत के ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम का भुगतान किया जाना था। तदनुसार, एफडीडीआई ने अक्टूबर 2012 से जुलाई 2016 के दौरान निर्माण कार्यों, आंतरिक साज-सज्जा कार्यों का और एकल किशत में फर्नीचर कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों (जैसा कि परिशिष्ट-XIV में विवरण दिया गया है) को ₹45.13 करोड़ के लामबंदी अग्रिम का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि संस्थान ने सीवीसी के दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी निर्माणकार्य नियमपुस्तिका का अनुपालन नहीं किया, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है :

- ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम का भुगतान बोर्ड अर्थात् संस्थान की शासी परिषद के अनुमोदन के बिना किया गया था।
- दो किशतों कम नहीं के निर्धारित मानक के प्रति एकल किशत में लामबंदी अग्रिम का भुगतान किया गया था।
- समय आधारित वसूली के बजाय चालू बिलों के प्रति भुगतान से लामबंदी अग्रिम की वसूली की गई।
- संस्थान ने 110 प्रतिशत के निर्धारित मानक के प्रति लामबंदी अग्रिम के 100 प्रतिशत की बैंक गारंटी स्वीकार की।

इस प्रकार, सीवीसी दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका के गैर-अनुपालन के कारण संस्थान को ₹4.62 करोड़ के परिहार्य ब्याज की हानि हुई (चालू खाता बिलों से समायोजन के बाद बकाया शेष राशि पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर परिकलित)।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसंबर 2019) और कहा कि संस्थान ने लामबंदी अग्रिम देना बंद कर दिया था।

लेखापरीक्षा, प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करता है और भविष्य की लेखापरीक्षा के दौरान इसका सत्यापन किया जाएगा। तथापि, तथ्य यह है कि ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम प्रदान करते समय सीवीसी दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका का अनुपालन न करने के कारण ₹4.62 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

मंत्रालय को यह मामला जनवरी 2020 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2020)।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

2.2 मेंगोव क्रेब प्रोजेक्ट में निष्फल व्यय

मेंगोव क्रेब प्रोजेक्ट के अप्रभावी कार्यान्वयन और खराब निगरानी के परिणामस्वरूप ₹1.28 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट में उत्पादन क्षेत्रों में 'मुख्य धारा तटीय और समुद्री जैव विविधता संरक्षण' पर एक जीओआई-यूएनडीपी-जीईएफ³ परियोजना (यूएनडीपी द्वारा वित्त पोषित) को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), जो कि भारत में समुद्री खाद्य उद्योग के समग्र विकास के लिए नोडल एजेंसी है, के माध्यम से कार्यान्वित करने की योजना बनाई। ऐसी परियोजनाओं को लागू करने के लिए, एमपीईडीए के पास दो सोसायटी हैं अर्थात् नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग (नेटफिश) और राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर (आरजीसीए)। नेटफिश की भूमिका लाभार्थियों की पहचान, पर्यवेक्षण और निधि जारी करने की थी, जबकि आरजीसीए परियोजना के निष्पादन लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने/ प्रौद्योगिकी अंतरण करने और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी था।

परियोजना का उद्देश्य सिंधु दुर्ग के विभिन्न स्थलों से मेंगोव क्रेब के 18-20 मीट्रिक टन (एमटी) का उत्पादन करके, स्टॉक में वृद्धि के माध्यम से पारंपरिक मछुआरों की आजीविका में सुधार करना था। परियोजना की अवधि चार साल (दिसंबर 2013 से दिसंबर 2017) थी। परियोजना अवधि के दौरान, एमपीईडीए को जीओएम से ₹1.62 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, इसमें से, ₹1.51 करोड़ की राशि चार चरणों में, विभिन्न परियोजना गतिविधियों के लिए जारी की गई। परियोजना ने 5.76 मीट्रिक टन

³ भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा

क्रेब की पैदावार की और ₹0.23 करोड़ की आय अर्जित की, जिसे स्व-सहायता समूहों⁴ के बीच वितरित किया गया।

अभिलेखों की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 22 स्थानों पर चयनित साइट में उच्च ज्वारीय विविधताएं थीं, जो क्रेब की उच्च मृत्यु दर/ मृत्यु का कारण बनीं। इसके अलावा, विभिन्न आकार के क्रेबलेट का स्टॉक और सामयिक छिपाने की योजना न होने के कारण नरभक्षण हुआ था। इसके अलावा, अवैज्ञानिक फीडिंग, शिकारियों के प्रवेश और बड़े जाल के उपयोग के कारण क्रेब के बचाव के परिणामस्वरूप कम फसल हुई, जो लक्षित उत्पादन का केवल 30 प्रतिशत था। यूएनडीपी के प्रतिनिधियों ने परियोजना की समीक्षा की (दिसंबर 2015) और पाया कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निगरानी अपर्याप्त थी। यद्यपि इस परियोजना को विभिन्न चरणों में लागू किया गया था, लेकिन कार्यान्वयन एजेंसियां पहले के चरणों में देखी गई कमियों को दूर करने में विफल रहीं। परियोजना स्थलों में क्रेब का औसत उत्तरजीविता प्रतिशतता केवल 16.55 प्रतिशत थी जो इंगित करता है कि छोटे और बड़े क्रेब की छंटाई से संबंधित मछुआरों को क्रेब की वैज्ञानिक, समय पर और पर्याप्त फीडिंग क्लीनिंग फीड चेक ट्रे आदि का वांछित स्तर का प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं दिया गया था। इस प्रकार, यह परियोजना पूरी तरह से अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही।

एमपीईडीए ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) कि परियोजना ने ₹1.51 करोड़ के खर्च के मुकाबले ₹0.50 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था। एमपीईडीए ने आगे कहा कि एक प्रदर्शन परियोजना होने के नाते; इसे मछुआरों को अपने आर्थिक लाभ के लिए क्रेब की कल्चर को अपनाने हेतु उनको प्रेरित करने के लिए आयोजित किया गया था।

एमपीईडीए का उत्तर, ₹1.51 करोड़ खर्च करने के बावजूद 18-20 मीट्रिक टन मेंग्रोव क्रेब के उत्पादन के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफलता के कारणों को दिए बिना टालने वाला था। एमपीईडीए द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, परियोजना द्वारा उत्पन्न राजस्व केवल ₹0.23 करोड़ था। इसके अलावा, यह एक प्रदर्शन परियोजना नहीं थी क्योंकि एमपीईडीए की क्रेब की फार्मिंग में विशेषज्ञता है और आरजीसीए के माध्यम से वह मेंग्रोव क्रेब की फार्मिंग कर रहा है, जिसमें क्रेब हैचरी और फार्म है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एसएचजी के सदस्यों के बीच असहयोग के कारण क्रेब की खराब उत्तरजीविता/ वृद्धि और क्रेब की कम फसल थी। फीडिंग भी उचित

⁴ स्व-सहायता समूह स्थानीय मछुआरों के समूह हैं। इन समूहों को तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों/ सलाह के अनुसार परियोजना के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का निष्पादन करना था, जिसमें ग्रा-आउट पेन में क्रेबलेट्स को छोड़ना, क्रेब को खिलाना, शिकारियों/ प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश को रोकना आदि शामिल हो सकता है।

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

और तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार नहीं थी और वाच एंड वार्ड के रूप में नियुक्त किए गए एसएचजी सदस्यों द्वारा क्रेब की चोरी होने के उदाहरण थे।

मंत्रालय के जवाब को इन तथ्यों के प्रकाश में देखा जा सकता है कि एमपीईडीए समुचित प्रशिक्षण और आवश्यक निगरानी के माध्यम से परियोजना के प्रति एसएचजी को उन्मुख करने और बढ़ावा देने में विफल रहा। एसएचजी, तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों/ सलाह के अनुसार परियोजना के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन में विफल रहे, जिन्होंने परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने में परियोजना की विफलता में योगदान दिया। इसके अलावा, खराब निगरानी के कारण क्रेब की चोरी को परियोजना की विफलता के उचित कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार, परियोजना के अप्रभावी कार्यान्वयन और खराब निगरानी के परिणामस्वरूप ₹1.28 करोड़ (₹1.51 करोड़ - ₹0.23 करोड़) का निष्फल व्यय हुआ।

अध्याय III: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

3.1 विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण में विफलता के कारण राजस्व की हानि

निर्माणकार्य नियमपुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में सीपीडब्ल्यूडी, एनएसआईसी ऑफिस बिल्डिंग, कोलकाता के निर्माण के लिए विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹58.10 लाख के राजस्व की हानि हुई।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) निर्माणकार्य नियमपुस्तिका 2012 की धारा 12 में कहा गया है कि, पांच करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के लिए केंद्रीय वाणिज्यिक कनसर्न की ओर से निष्पादित कार्य पर सात प्रतिशत की दर पर विभागीय प्रभार (डीसी) लगाया जाना और वसूल किया जाना होता है।

रिकॉर्ड की जांच से, यह देखा गया कि सीपीडब्ल्यूडी ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के कार्यालय भवन¹ का निर्माण कार्य एक ठेकेदार² को ₹8.30 करोड़³ की अनुमानित लागत के प्रति ₹7.34 करोड़ के निविदा मूल्य पर सौंपा। निर्माण कार्य मई 2013 में शुरू हुआ और मार्च 2017 में ₹9.25 करोड़⁴ के खर्च के बाद पूरा हुआ। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीपीडब्ल्यूडी, एनएसआईसी से ₹58.10 लाख (₹8.30 करोड़ की अनुमानित लागत का 7 प्रतिशत) के विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण और वसूली करने में विफल रहा।

इकाई ने अपने उत्तर में (अगस्त 2018) कहा कि, एनएसआईसी पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक संगठन है और इसलिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीसी के किसी प्रावधान को प्रारंभिक अनुमान (पीई) में नहीं रखा गया था। सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनएसआईसी एक वाणिज्यिक उपक्रम है जो व्यावसायिक गतिविधियाँ करता है इसलिए एनएसआईसी से डीसी को वसूल किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, निर्माणकार्य नियमपुस्तिका के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए सीपीडब्ल्यूडी, एनएसआईसी कार्यालय बिल्डिंग, कोलकाता के निर्माण पर विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹58.10 लाख के राजस्व की हानि हुई।

¹ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड कार्यालय भवन (जी + 9), साल्ट लेक, कोलकाता में

² मैसर्स टिबेनी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता की करार सं.02/सीई/ईई/केसीडी-III/ 2013-14

³ सिविल लागत ₹7.97 करोड़ + विद्युत लागत ₹0.33 करोड़

⁴ ₹9.25 करोड़ = ₹8.71 करोड़ सिविल कार्य के संबंध में 27वें और अंतिम बिल + ₹0.54 करोड़, इलेक्ट्रिकल काम के संबंध में 4^{वें} और अंतिम बिल

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

मंत्रालय को यह मामला दिसंबर 2019 और मई 2020 में भी संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2020)।

अध्याय IV: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

4.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट का कामकाज

4.1.1 प्रस्तावना

4.1.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को वर्गीकृत किया गया है जैसा कि तालिका 4.1 में दिखाया गया है:

तालिका 4.1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा¹

उद्यम श्रेणी	विनिर्माण क्षेत्र (संयंत्र और मशीनरी में निवेश)	सेवा क्षेत्र (उपकरण में निवेश)
सूक्ष्म उद्यम	₹25 लाख से अधिक नहीं है	₹10 लाख से अधिक नहीं है
लघु उद्यम	₹25 लाख से अधिक है लेकिन ₹5 करोड़ से अधिक नहीं है	₹10 लाख से अधिक है लेकिन ₹2 करोड़ से अधिक नहीं है
मध्यम उद्यम	₹5 करोड़ से अधिक है लेकिन ₹10 करोड़ से अधिक नहीं है	₹2 करोड़ से अधिक है लेकिन ₹5 करोड़ से अधिक नहीं है

4.1.1.2 क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट की स्थापना

वित्तीय समावेशन, सभी अर्थव्यवस्थाओं में विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापक रूप से आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में मान्य है। आर्थिक विकास में इसके योगदान के बावजूद, लघु उद्योग क्षेत्र कुछ बाधाओं, विशेष रूप से औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से निधि की उपलब्धता, से घिर गया है। निधि प्रवाह की सुविधा के लिए, लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय (अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय), भारत सरकार (जीओआई) ने भारतीय

¹ एमएसएमई मंत्रालय ने 1 जून 2020 की अधिसूचना के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के मानदंडों को संशोधित किया है। हालाँकि, चूंकि अधिसूचना 1 जुलाई 2020 से लागू होगी, जबकि ऑडिट अवधि केवल मार्च 2019 तक सीमित है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की मौजूदा (पूर्व-संशोधित) परिभाषा को ही लेखा परीक्षा पैरा में माना गया है।

लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के परामर्श से लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना तैयार की (2000)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार और सिडबी ने नए और मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (विनिर्माण इकाईयाँ जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रिज या ऐसे अन्य उद्यम शामिल हैं जैसे भारत सरकार और सिडबी निर्धारित करें) को किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/ या तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा संस्वीकृत और संवितरित ऋण तथा अग्रिमों (आवधिक ऋण और/ या कार्यकारी पूंजी सहायता) की गारंटी देने के लिए तथा समय-समय पर निर्धारित गारंटी फीस/ वार्षिक सेवा फीस/ अन्य प्रभारों के उद्ग्रहण के लिए -सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट' (इसके बाद सीजीटीएमएसई/ ट्रस्ट कहा जाएगा) नामक ट्रस्ट की स्थापना की थी (27 जुलाई 2000)।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण के प्रति गारंटी देने का उद्देश्य निम्नलिखित दो योजनाओं का कार्यान्वयन करके (सितंबर 2018) लागू किया जा रहा था:

(क) सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएस-I, बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए)

सीजीएस-I के अधीन, ट्रस्ट सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्षेत्र में एकल पात्र उधारकर्ता के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा विस्तारित क्रेडिट सुविधाओं को शामिल करता है, जहाँ क्रेडिट सुविधा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति तथा/ या तृतीय पक्ष गारण्टी के बिना सांवधि ऋण तथा/ या कार्यशील पूंजी सुविधाओं के रूप में निम्न प्रकार से हो (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ लघु वित्तीय बैंकों के माध्यम से ₹50 लाख से अधिक नहीं तथा (ii) चयनित वित्तीय संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, के माध्यम से ₹200 लाख से अधिक नहीं।

(ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए क्रेडिट गारण्टी निधि योजना (सीजीएस-II)

सीजीएस-II को 25 जनवरी 2017 (1 अप्रैल 2018 में संशोधित) को पोर्टफोलियो आधार पर एमएसई क्षेत्र के अधीन पात्र उधारकर्ताओं को एनबीएफसी द्वारा स्वीकृत पात्र क्रेडिट सुविधा को कवर करने के लिए आरंभ किया गया था।

सीजीएस-I के महत्वपूर्ण प्रावधानों की **परिशिष्ट-XV** में सक्षिप्त रूप से व्याख्या की गई है तथा सीजीएस-I और सीजीएस-II के बीच अंतर के प्रमुख क्षेत्रों को **परिशिष्ट-XVI** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2019 तक, ट्रस्ट की कॉर्पस निधि ₹6,914.91 करोड़ थी, जिसमें से जीओआई ने ₹6414.91 करोड़ (92.77 प्रतिशत) का अंशदान दिया था जबकि सिडबी ने ₹500 करोड़ का अंशदान दिया था।

4.1.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा की गई थी कि:

- सीजीटीएमएसई ने सुनिश्चित किया कि गारण्टी योजनाओं के प्रावधानों का विधिवत पालन किया गया था तथा एमएसई की ओर निधि प्रवाह के बड़े उद्देश्य को प्राप्त किया गया था;
- सीजीटीएमएसई की कॉर्पस निधि अधिक लीवरेज्ड नहीं थी तथा गारण्टी दस्तावेज के प्रति एमएलआई के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिए दावा निपटान की प्रक्रिया सरल थी; तथा
- सीजीटीएमएसई ने अनुमोदन तथा गारण्टी जारी करने से पहले एमएलआई के गारण्टी आवेदनों की पर्याप्त जाँच की तथा करोबार के जोखिमों को कम करने के लिए एमएलआई द्वारा योजनाओं के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त थे।

4.1.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा मानदंड में निम्नलिखित शामिल थे:

- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006
- सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्रेडिट गारण्टी निधि योजना (सीजीएस-I) तथा एनबीएफसी के लिए क्रेडिट गारण्टी निधि योजना (सीजीएस-II)
- ट्रस्ट विलेख तथा समय-समय पर ट्रस्ट विलेख में संशोधन
- न्यास-मंडल तथा अन्य समितियों की बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त
- जीओआई, सिडबी, आरबीआई तथा ट्रस्ट द्वारा जारी परिपत्र/ दिशानिर्देश/ रिपोर्ट

4.1.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में 1 अप्रैल 2015 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान गारण्टी योजनाओं (मुख्य रूप से सीजीएस-1) का निष्पादन शामिल था। बेहतर प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए कुछ स्थानों पर पिछले वर्षों से संबंधित डेटा का भी उपयोग किया गया था। जहाँ भी डेटा उपलब्ध था, रिपोर्ट का 31 मार्च 2019 तक अद्यतन किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में सीजीटीएमएसई के प्रबंधन के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस, अभिलेखों की समीक्षा, बैक-एंड तथा अपफ्रंट डेटा का संग्रहण तथा विश्लेषण, 30 सितम्बर 2018 तक चालू गारण्टी के डेटा (12,10,061 आवेदन) का विश्लेषण, प्रबंधन को लेखापरीक्षा आपत्ति जारी करना तथा उसके उत्तर प्राप्त करना, समय समय पर प्रबंधन के साथ चर्चा, प्रबंधन (फरवरी 2019) तथा मंत्रालय (मई 2019) को मसौदा रिपोर्ट जारी करना, तथा सीजीटीएमएसई के प्रबंधन के साथ एग्जिट कान्फ्रेंस (अप्रैल 2019) शामिल थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा मसौदा रिपोर्ट का उत्तर प्रस्तुत किया (जनवरी 2019 तथा मार्च 2019)। मंत्रालय का उत्तर सितम्बर 2019 में प्राप्त हुआ। प्रबंधन तथा मंत्रालय के उत्तरों पर विचार करने तथा एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन के साथ चर्चा के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

4.1.1.6 लेखापरीक्षा परिसीमाएं

सीजीटीएमएसई के पोर्टल का डेटा हमेशा परिवर्तनशील रहता है तथा यह एक एमएसई यूनिट की कालानुक्रमिक प्रोफाइल अर्थात् एक विशेष तिथि तथा समय पर घटनाओं की अवरुद्ध स्थिति प्रदान नहीं करता। जैसे कि कुछ पिछली तिथि तथा घटनाओं के लिए वर्तमान तिथि तथा समय पर सिस्टम द्वारा उत्पन्न डेटा उस तिथि, जिसके लिए डेटा तैयार किया गया है, के बाद की घटनाओं सहित वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करता है। अवरुद्ध डेटा की अनुपस्थिति के कारण किसी खाते की सही स्थिति उपलब्ध नहीं होती जो एमएलआई द्वारा ऋणों की स्वीकृति तथा संवितरण के कालानुक्रमिक विवरण, बढ़ी हुई ऋण राशि के लिए गारण्टी के अनुमोदन, विशेष तिथि पर एक खाते की एनपीए स्थिति आदि के सम्बन्ध में है। इसके अलावा, सिस्टम किसी एमएसई यूनिट को जारी किए गए सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी गारण्टी की दो खातों के रूप में गणना करता है। आदर्शतः, सिस्टम को किसी विशेष यूनिट की सम्पूर्ण स्थिति दर्शाने के लिए एक एमएसई यूनिट को जारी की गई सभी प्रकार की गारण्टियों को एक खाते के रूप में गिनना चाहिए।

4.1.1.7 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा समय पर पूरा करने के लिए प्रबंधन तथा मंत्रालय द्वारा विस्तारित सहयोग के प्रति लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

4.1.2 ट्रस्ट का परिचालन ढांचा

4.1.2.1 सीजीटीएमएसई का कारोबार मॉडल

सीजीटीएमएसई के कारोबार मॉडल की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:

- क) कार्पस निधि में भारत सरकार तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जो भारत सरकार का एक उपक्रम भी है, द्वारा अंशदान किया जाता है।
- ख) सीजीटीएमएसई एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है तथा इसके संचालन जीओआई तथा सिडबी के बीच क्रियान्वित ट्रस्ट विलेख के प्रावधानों तक सीमित हैं। सीजीटीएमएसई अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) को निधि प्रवाह की सहायता करता है।
- ग) एमएसई को ऋणों की स्वीकृति तथा संवितरण वित्तीय संस्थाओं (एफआई) द्वारा किया जाता है। सीजीटीएमएसई तथा उधारकर्ता एमएसई के बीच कोई संबंध नहीं है। सीजीटीएमएसई किसी भी प्रकार से एफआई से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए एमएसई को सहायक सुविधाएं प्रदान नहीं करता है।
- घ) सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) के नाम से जाने वाले पात्र एफआई को एमएसई को दिए गए क्रेडिट के प्रति सीजीटीएमएसई से गारण्टी प्राप्त करने के लिए स्वयं को पंजीकृत करना होता है। इस उद्देश्य के लिए एमएलआई को सीजीटीएमएसई के साथ एक करार को निष्पादित करना होता है।
- ङ) एमएलआई ₹2 करोड़ तक के क्रेडिट के लिए सीजीटीएमएसई से गारण्टी कवर प्राप्त कर सकते हैं। सीजीटीएमएसई से गारण्टी प्राप्त करने के लिए क्रेडिट सुविधा को किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय पक्ष गारण्टी से मुक्त होना चाहिए।
- च) ऋण आवेदनों का मूल्यांकन या प्रस्तावित कारोबार का मूल्यांकन एमएलआई का एकमात्र उत्तरदायित्व है। ₹50 लाख से ऊपर के ऋण की क्रेडिट रेटिंग एमएलआई के लिए अनिवार्य है।
- छ) योजना मापदंडों के पूरा होने के पश्चात सीजीटीएमएसई गारण्टी को अनुमोदित करता है। सीजीटीएमएसई एमएलआई द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान पर गारण्टी जारी करता है।

ज) सीजीटीएमएसई का गारण्टी दस्तावेज ऋणराशि का 50/ 75/ 80/ 85 प्रतिशत (उत्पादों/ उद्यमियों/ क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार) कवर करता है।

4.1.2.2 अन्य (एशियाई) योजनाओं के साथ सीजीटीएमएसई के गारण्टी दस्तावेजों की तुलना

सीजीटीएमएसई 18 से अधिक वर्षों से गारण्टी दस्तावेज का संचालन कर रहा है। हालांकि, इसने दुनिया भर में अन्य देशों में संचालित ऐसी अन्य योजनाओं के साथ अपने गारण्टी दस्तावेज का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है, जिससे इस योजना को भारत में एसएसई क्षेत्र की आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को अपनाया जाए। जापान तथा दक्षिण कोरिया में संचालित गारण्टी क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं की तुलना में सीजीटीएमएसई बहुत सीमित तरीके से काम कर रहा है।

सीजीटीएमएसई के गारण्टी दस्तावेज की अन्य एशियायी गारण्टी योजनाओं जैसे कोरिया क्रेडिट गारण्टी निधि (केओडीआईटी), जापान फाइनेंस कॉरपोरेशन (जेएफसी), जापान फेडरेशन ऑफ क्रेडिट गारण्टी कॉर्पोरेशन (जेएफजी), क्रेडिट गारण्टी कॉर्पोरेशन मलेशिया (सीजीसीएम) तथा पेरूसाहान यूमूम जमिनान क्रेडिट इंडोनेशिया (पीयूजेकेआई) के साथ कुछ निश्चित मापदंडों जैसे कॉर्पस निधि में अंशदान, नियामक प्राधिकरण, गारण्टी के प्रकार, क्रेडिट निर्धारण, प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार, कवरेज का प्रतिशत, गारण्टी फीस, निधि आकार इत्यादि, पर तुलना परिशिष्ट-XVII में दर्शायी गई है।

जैसा कि परिशिष्ट-XVII में देखा जा सकता है, कि सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पर तुलना के लिए कोई सटीक समांतर दस्तावेज नहीं है। हालांकि, निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

- क) **निधि आकार:** सीजीटीएमएसई की कॉर्पस निधि (यूएस \$1.5 बिलियन) अन्य देशों जैसे जापान तथा दक्षिण कोरिया के निधि आकार से बहुत छोटी है।
- ख) **परिचालन तंत्र:** सीजीटीएमएसई वित्तीय संस्थाओं की उधार देने की गतिविधियों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है। यह एमएसई को सहायक सेवाएं जैसे परामर्शी तथा प्रबंधन सेवाएं प्रदान नहीं करता है। सीजीटीएमएसई तथा निधि की आवश्यकता वाली एमएसई यूनिट के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। एमएसई वित्तीय सहायता के लिए उधार देने वालों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं।
- ग) **संगठन संरचना तथा मानव संसाधनों की सीमा:** अन्य देशों के विपरीत, सीजीटीएमएसई बहुत सीमित कर्मचारियों के साथ केवल एक कार्यालय के माध्यम

से अखिल भारत में संचालन कर रहा है। सभी उच्च प्रबंधन कार्मिक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाप्रबंधक तथा उपमहाप्रबंधक) सिडबी से प्रतिनियुक्ति पर है जबकि शेष संविदा आधार पर है। इन कारकों ने एमएलआई के लिए सीजीटीएमएसई की प्रत्यक्ष पहुँच को कठिन बना दिया है तथा योजना के अकुशल प्रबंधन का जोखिम पैदा कर दिया है।

उपरोक्त तुलना संरचनात्मक आयामों में अंतर्दृष्टि को संभव बनाती है जिस पर सीजीटीएमएसई के क्रेडिट दस्तावेज को एमएसई के लिए क्रेडिट प्रवाह के समर्थन हेतु प्रभावी बनाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपरोक्त संदर्भ में यू.के. सिन्हा समिति² की सिफारिशें प्रासंगिक हैं। समिति ने सिफारिश की कि सीजीटीएमएसई अल्प हिस्से वाली सिडबी की धारिता के साथ मुख्य रूप से सरकार के स्वामित्व में है। यह आवश्यक है कि सीजीटीएमएसई का शीर्ष प्रबंधन व्यावसायिक रूप से दक्ष हो तथा एक व्यापक क्षेत्र से लिया गया हो। यह भी उचित होगा कि सिडबी स्वयं को दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन तथा सीजीटीएमएसई के बोर्ड से अलग करे।

4.1.2.3 नियामक ढांचे की अनुपस्थिति

सीजीटीएमएसई देश के वित्तीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह निपटानकर्ताओं के बीच क्रियान्वित (27 जुलाई 2000) ट्रस्ट की घोषणा के प्रावधानों तथा इसके बाद के संशोधनो द्वारा निर्देशित है। परिचालन सीजीएस-I तथा सीजीएस-II पर आधारित हैं जिन्हें न्यास मंडल तथा निपटानकर्ताओं द्वारा अनुमोदित किया गया है।

हालांकि, ट्रस्ट के पास कोई नियामक प्राधिकरण नहीं है, जैसे वित्तीय तथा स्टॉक मार्केट के संबंध में भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड तथा बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक है। जीओआई/ ट्रस्ट ने गारण्टी अनुमोदन/ जारी करने के संबंध में न्यूनतम चलनिधि आवश्यकताएं, पूंजी पर्याप्तता, ऋणशोधन क्षमता की आवश्यकताएं, विभिन्न प्रकार के एमएलआई के लिए एक्सपोजर कैप, प्रकटीकरण मानदंड तथा पालन किए जाने वाले लेखांकन मानक इत्यादि के लिए कोई मानदंड/ मानक तय नहीं किए हैं।

² श्री यू.के. सिन्हा ने जून 2019 में आरबीआई गवर्नर को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति की एक रिपोर्ट सौंपी थी। एमएसएमई क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने तथा कारकों को पहचानने तथा उनकी आर्थिक व वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक समाधान को प्रस्तावित करने के लिए श्री यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में आरबीआई द्वारा समिति का गठन किया गया था।

इसके अलावा, गैर-वित्तपोषित एमएसई को क्रेडिट की सुविधा देने में ट्रस्ट की कोई भागीदारी नहीं है क्योंकि अनुमोदित योजनाओं के अनुसार मूल्यांकन, स्वीकृति, संवितरण तथा वसूली कार्यवाई पूरी तरह से एमएलआई का उत्तरदायित्व है। ट्रस्ट के कई पहलुओं को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है, जैसे कि परिचालन का क्षेत्र, शासन, पूंजी और परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ राज्य के स्वामित्व वाली निधियों तक उनकी पहुँच। इसके अलावा, ट्रस्ट ने लेखापरीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, मानव संसाधन नीति इत्यादि की स्थापना नहीं की है/ नहीं बनाई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मुख्य जोखिम अधिकारी भी नहीं है कि कॉर्पस निधि के परिचालन तथा चलनिधि, क्रेडिट, बाजार, से संबंधित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रबंधन, निगरानी की जाए तथा वरिष्ठ प्रबंधन व बोर्ड को सूचित किया जाए।

न्यास मंडल (बीओटी) ने अपनी बावनवीं बैठक (नवम्बर 2015) में एक सलाहकार फर्म द्वारा ट्रस्ट के लिए विनियामक दिशानिर्देश को तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सलाहकार फर्म ने अपनी रिपोर्ट (मई 2017) में सीजीटीएमएसई के लिए लेखांकन ढांचा, न्यूनतम मानकों जैसे ऋण चुकाने की क्षमता तथा पूंजी पर्याप्तता का निर्धारण, निवेश मानदंड, लीवरेज अनुपात तथा ट्रस्ट के लिए विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने पर सुझाव शामिल किए। हालांकि, सलाहकार की रिपोर्ट को बीओटी के समक्ष नहीं रखा गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विनियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं, उपयुक्त ऋणशोधन क्षमता अनुपात तथा पारदर्शिता मानदंड स्थापित कर विशेष रूप से गारण्टी जारी करने के लिए वातावरण में सुधार कर सकते हैं। ऐसे नियंत्रण गारण्टी योजनाओं में बैंकिंग क्षेत्र के विश्वास को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं तथा खराब तरीके से जारी की गई गारण्टी से उत्पन्न किसी बड़े संकट को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, बाहरी पर्यवेक्षण गारण्टी सिस्टम पर एक सकारात्मक प्रभाव प्रदान करेगा, क्योंकि यह निधि कुप्रबंधन के जोखिम को कम करेगा। विनियम, योजनाओं की विश्वसनीयता में योगदान देते हैं तथा यदि योजना सार्वजनिक संसाधनों द्वारा समर्थित है, तो विनियामक उन संसाधनों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं।

यू.के. सिन्हा समिति ने हाल में (जून 2019) सिफारिश की कि “सभी क्रेडिट गारण्टी योजनाएं आरबीआई के विनियमन तथा पर्यवेक्षण के अधीन होनी चाहिए। ये दिशानिर्देश एसएमई के लिए सार्वजनिक क्रेडिट गारण्टी योजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से स्वीकृत सिद्धांत को प्रयोग कर सकते हैं जोकि विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित किए गए हैं।”

प्रबंधन (मार्च 2019) तथा मंत्रालय (सितम्बर 2019) ने कहा कि सीजीटीएमएसई की इसके परिचालनों, वित्तीय स्थिति, इत्यादि के संबंध में बोर्ड तथा निपटानकर्ताओं द्वारा जाँच की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि सीजीटीएमएसई ने कारोबार प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर) तथा उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे को अंजाम देने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया था, जो प्रक्रिया में था। लेखापरीक्षा सुझावों पर बीपीआर तथा ईआरएम प्रयोग के दौरान विचार करने के लिए सलाहकार के साथ चर्चा की गई तथा प्रयोग पूरा होने के पश्चात, सिफारिशों को बोर्ड/ निपटानकर्ताओं के विचार हेतु उनके सामने रखा जाएगा।

4.1.2.4 सीजीटीएमएसई तथा राष्ट्रीय क्रेडिट गारण्टी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की अतिव्यापी भूमिकाएं

राष्ट्रीय क्रेडिट गारण्टी ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) को विभिन्न क्रेडिट गारण्टी ट्रस्ट निधियों के प्रबंधन तथा परिचालन के लिए निगमित (28 मार्च 2014) किया गया था। 30 सितम्बर 2018 तक, एनसीजीटीसी पाँच³ निधियों का प्रबंधन कर रहा था। इन पाँच निधियों में से, सूक्ष्म ईकाईयों के लिए क्रेडिट गारण्टी निधि (सीजीएफएमयू), पात्र सूक्ष्म ईकाईयों को क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने वाले बैंको/ एनबीएफसी/ एमएफआई/ अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा स्वीकृत निर्दिष्ट सीमा (वर्तमान में ₹10 लाख) तक के ऋणों की गारण्टी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के अधीन स्वीकृत ₹5,000 की ऑवरड्राफ्ट ऋण राशि भी सीजीएफएमयू के अधीन कवर किए जाने के लिए पात्र है। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय (जीओआई) ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अधीन विस्तारित ऋणों को गारण्टी प्रदान करने के लिए सीजीएफएमयू को अधिसूचित किया (18 अप्रैल 2016)। सीजीएफएमयू ने 8 अप्रैल 2015 से स्वीकृत सूक्ष्म ऋणों को कवर किया।

बोर्ड ने अपनी इक्यावनवीं बैठक (5 अगस्त 2015) में निश्चय किया कि एनसीजीटीसी द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई/ मुद्रा) के अधीन गारण्टी योजना के संचालन के पश्चात ट्रस्ट अपनी एमएलआई को ₹10 लाख तक के ऋणों के लिए कोई नई गारण्टी अनुमोदित नहीं करेगा। यह निर्णय ₹10 लाख तक के ऋणों की गारण्टी की अतिव्याप्ति से बचने के लिए लिया गया ताकि सीजीटीएमएसई ₹10 लाख से अधिक और ₹100 लाख से कम के टिकट साइज लेनदेन पर फोकस कर सके, तथा इसकी

³ (i) कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारण्टी निधि, (ii) शिक्षा ऋणों के लिए क्रेडिट गारण्टी निधि, (iii) फैक्टरिंग के लिए क्रेडिट गारण्टी निधि, (iv) सूक्ष्म यूनिटों के लिए क्रेडिट गारण्टी निधि (सीजीएफएमयू) और (v) स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारण्टी निधि

योजना को ₹10 लाख से ऊपर के ऋणों तक सीमित करके एक अवधि में सीजीटीएमएसई के कॉर्पस की लीवरेज को कम किया जा सके।

ट्रस्ट ने निपटानकर्ताओं को बोर्ड का निर्णय भेजा (31 अगस्त 2015) तथा एमएसएमई मंत्रालय ने सूचित किया (16 नवम्बर 2015) कि वित्त मंत्रालय द्वारा पीएमएमवाई के अधीन गारण्टी योजना के अधिसूचित किए जाने तक सीजीटीएमएसई द्वारा ₹10 लाख तक के ऋणों के लिए गारण्टी कवर को रोकने को होल्ड पर रखें।

जबकि सरकार का निर्णय लंबित था, ट्रस्ट ने फैसला किया (अगस्त 2016) कि सीजीटीएमएसई तथा एनसीजीटीसी द्वारा संचालित गारण्टी योजना को चुनने का विकल्प, प्रस्ताव पर आखिरी निर्णय होने तक ₹10 लाख तक के पात्र ऋणों के गारण्टी कवर के लिए आवेदन करते समय एमएलआई पर छोड़ा जा सकता है। तदनुसार, ट्रस्ट ने आवेदन पत्र में एक अतिरिक्त फील्ड को प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2016) अर्थात् “कि क्या क्रेडिट सुविधा को पीएमएमवाई/ मुद्रा के अधीन कवर किया गया है: हाँ/ नहीं”। इसलिए, एमएलआई के पास ₹10 लाख तक के ऋणों के लिए सीजीटीएमएसई से या एनसीजीटीसी से गारण्टी कवर प्राप्त करने का विकल्प था।

मंत्रालय ने 5 जनवरी 2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त⁴ भेजे (6 जनवरी 2017), जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ₹10 लाख तक के ऋण को सीजीटीएमएसई के अधीन कवर नहीं किया जाना चाहिए तथा मुद्रा के अधीन कवर करना चाहिए। इसके अलावा, अन्य लक्षित विशिष्ट योजनाओं के अधीन पात्र ऋण जैसे स्टैंड-अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारण्टी निधि (सीजीएफएसआई), अनुसूचित जाति के लिए क्रेडिट संवर्धन गारण्टी योजना (सीईजीएसएस) को भी सीजीटीएमएसई के अधीन कवर नहीं करना चाहिए। हालांकि, सीजीएफएसआई तथा सीईजीएसएस के अधीन अपात्र ऋणों को क्रेडिट गारण्टी योजना के अधीन कवर करना चाहिए।


लेखापरीक्षा ने पाया कि ट्रस्ट ने मंत्रालय के निर्देशों को लागू नहीं किया था तथा एनसीजीटीसी के सीजीएफएमयू के अधीन गारण्टी कवर के लिए पात्र ऋणों के प्रति गारण्टी प्रदान करना जारी रखा था। इस प्रकार, एनसीजीटीसी तथा सीजीटीएमएसई दोनों एक ही प्रकार की परियोजनाओं/ कारोबार के लिए ₹10 लाख तक के ऋणों के प्रति गारण्टी जारी कर रहे थे।

⁴ 5 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में बैंको, सिडबी तथा सीजीटीएमएसई के अधिकारियों के साथ सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के समर्थन के लिए पैकेज - सीजीटीएमएसई के कॉर्पस की वृद्धि पर चर्चा करने, व उक्त पैकेज संबंधित एमएसएमई की चिंता पर प्रतिपुष्टि लेने के लिए बैठक की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो अलग-अलग सरकार समर्थित संस्थाओं से एक ही प्रकार की परियोजनाओं के लिए गारण्टी की सुविधा से न केवल संस्थाओं के कार्यों की अतिव्याप्ति होती है बल्कि एक ही उत्पाद को बढ़ावा देने में दोनों संस्थाओं के समय, श्रमबल तथा अन्य संसाधनों का निवेश करने से उनके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा, सीजीटीएमएसई को अधिक लीवरेज का भी जोखिम है क्योंकि एक विशेष ऋण सीजीटीएमएसई के साथ-साथ एनसीजीटीसी के गारण्टी कवर द्वारा भी कवर हो सकता है। उसके अलावा, एनसीजीटीसी तथा सीजीटीएमएसई की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न एमएलआई के बीच ऐसे मामलों को पहचानने तथा रोकने के लिए कोई तालमेल, नियंत्रण तथा समन्वय नहीं था जिनमें उधारकर्ताओं ने अलग-अलग एमएलआई से ऋण प्राप्त किए थे तथा एमएलआई ने सीजीटीएमएसई तथा एनसीजीटीसी दोनों से गारण्टी कवर प्राप्त किए थे। एमएलआई ने पारस्परिक अपवर्जन का उत्तरदायित्व नहीं लिया था। इसलिए, ऋण निधि केवल कुछ जागरूक उद्यमियों/ एमएलआई पर ही केन्द्रित हो सकती थी तथा ऋण प्रवाह का फैलाव समस्तरीय नहीं हो सकता था।

इस संबंध में, यू.के. सिन्हा कमेटी ने पाया कि जबकि सीजीटीएमएसई तथा एनसीजीटीसी दोनों क्रेडिट गारण्टी उत्पाद को प्रदान करती है, लेकिन गारण्टी संरचना तथा गुण अलग हैं। संरचनात्मक ढंग से, प्राथमिक अंतर यह था कि सीजीटीएमएसई एक व्यक्तिगत ऋण स्तर गारण्टी योजना है जबकि एनसीजीटीसी द्वारा संचालित मुद्रा ऋणों के लिए सीजीएफएमयू, एक पोर्टफोलियो स्तर गारण्टी योजना है। इसका मतलब है कि सीजीटीएमएसई के अधीन पे-आउट तब होते हैं जब योजना के अधीन कवर किए गए व्यक्तिगत ऋण में डिफाल्ट होना शुरू हो जाता है। इसके विपरीत, सीजीएफएमयू में पे-आउट तभी होता है जब पोर्टफोलियो की एनपीए स्तर की सीमा का उल्लंघन होता है।

चार्ट 4.1 ऋण मूल्यों के विभिन्न स्लैबों में सीजीटीएमएसई गारण्टी के वितरण को दर्शाता है। यह ध्यान दिया जाएगा कि गारण्टी का सबसे बड़ा अनुपात ₹10 लाख तक के ऋणों पर जाता है जिनका असुरक्षित होना अनिवार्य है। यह सीजीटीएमएसई तथा मुद्रा के बीच एक अतिव्याप्ति बनाता है।



मंत्रालय के निर्देशों का कार्यान्वयन नहीं करने से ट्रस्ट ने 6 जनवरी 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान ₹10 लाख तक के ऋणों के प्रति ₹10,743.65 करोड़ की राशि की 3,70,391 गारण्टियां जारी की थी, जिन्हें अन्यथा एनजीसीटीसी द्वारा जारी किया जाना चाहिए था।

प्रबंधन (मार्च 2019) तथा मंत्रालय (सितम्बर 2019) ने कहा कि बोर्ड द्वारा मंत्रालय के कार्यवृत्त पर विचार किया गया था (मार्च 2017) तथा यह महसूस किया गया कि चूंकि सीजीटीएमएसई द्वारा ₹10 लाख की गारण्टी कवर पर रोक सूक्ष्म उद्यमों की बड़ी संख्या को प्रभावित कर सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श वाछंनीय था। कई एमएलआई ने प्रतिक्रिया दी कि उन्होंने सीजीएफएमयू की बजाय सीजीटीएमएसई के गारण्टी कवर का समर्थन किया था तथा वे सीजीएमएफयू की कमियों का हल निकलने तक सीजीटीएमएसई योजना को जारी रखना चाहते थे। एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने कहा कि सीजीटीएमएसई तथा एनजीसीटीसी दोनों के द्वारा क्रेडिट गारण्टी प्रदान करना प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीटीएमएसई द्वारा की गई कार्यवाई उसके अपने संकल्प तथा एमएसएमई मंत्रालय के निर्णय का उल्लंघन था। सीजीटीएमएसई का यह विचार कि यह बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों को प्रभावित करेगा, तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि ₹10 लाख तक के ऋण के लिए गारण्टी सुविधा एनजीसीटीसी द्वारा प्रदान की जानी थी। दूसरी तरफ, यदि सीजीटीएमएसई से क्षेत्रीय निधि आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हो रही थी तथा एमएसएमई खंड का विस्तार दृश्य था, तो अतिव्यापी भूमिका के साथ एनजीसीटीसी की स्वयं की आवश्यकता अपने आप संदिग्ध हो जाती है। इस प्रकार, ₹10 लाख तक के ऋणों के लिए गारण्टी को जारी रखने के लिए जीओआई

से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था। प्रबंधन ने सीजीएफएमयू की कमियों या एनसीजीटीसी से गारण्टी कवर प्राप्त करने में एमएलआई के सामने आई समस्याओं के विवरण के साथ उनके उत्तर का समर्थन नहीं किया था। इसके अलावा, प्रबंधन का दावा कि एमएलआई सीजीटीएमएसई के कवर के पक्ष में थे, सही नहीं था क्योंकि सीजीएफएमयू के अधीन एनसीजीटीसी द्वारा जारी की गई गारण्टी 2016-17 में ₹3,156.66 करोड़ से 2018-19 में ₹37,328.66 करोड़ तक बढ़ (1082.54 प्रतिशत तक) गई थी।

4.1.2.5 सीजीटीएमएसई गारण्टी दस्तावेज का प्रभाव

ट्रस्ट ने सीजीटीएमएसई गारण्टी दस्तावेज के प्रभाव को मापा जैसा कि तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2: सीजीटीएमएसई गारण्टी दस्तावेज का प्रभाव

ब्यौरा	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
अनुमोदित संचयी गारण्टी (संख्या में)	30,29,948	27,72,744
संचयी ऋण राशि (एमएलआई द्वारा विस्तारित) (₹ करोड़)	1,46,829	1,28,787
गारण्टीकृत यूनिटों का अनुमानित टर्नओवर (₹ करोड़)	12,15,212	10,18,285
गारण्टीकृत यूनिटों द्वारा अनुमानित निर्यात (₹ करोड़)	8,593	7,762
अनुमानित रोजगार सृजन (संख्या लाख में)	100	90.61
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (कुल गारण्टी राशि का प्रतिशत)	3.81	3.86
महिला लाभार्थी (कुल गारण्टी राशि का प्रतिशत)	15.92	15.66
अल्पसंख्यक (कुल गारण्टी राशि का प्रतिशत)	4.14	4.30
पूर्वोत्तर क्षेत्र (प्रतिशत)	3.77	3.75

लेखापरीक्षा ने पाया कि गारण्टी कवर की माँग के लिए ट्रस्ट के पास आवेदन दर्ज करने के समय एमएलआई द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर टर्नओवर, निर्यात तथा रोजगार आकड़ों का अनुमान लगाया गया था तथा डेटा यर्थाथवादी या वास्तविक नहीं थे।

ट्रस्ट ने एमएसई द्वारा कारोबार को शुरू करने या डिफाल्ट होने के बाद एमएसई यूनिट को बंद करने के बाद भी विवरण प्राप्त करने के लिए न ही मांग की तथा न ही एमएलआई द्वारा विवरण को पोर्टल पर अपलोड करवाया।

एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा कि सैंपल के आधार पर गारण्टी के यथार्थ प्रभाव को मापने के लिए प्रयास किए जाएंगे। यह सत्यापित डेटा के साथ किया जाना चाहिए था, न केवल अनुमानित आकलन के आधार पर।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2019) कि टर्नओवर, निर्यात, रोजगार सृजन इत्यादि के संबंध में डेटा को गारण्टी कवर के लिए आवेदन करते समय समुचित सावधानी, मूल्यांकन तथा क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति के पश्चात एमएलआई द्वारा भरा जाता है। यह भी कहा गया था कि सीजीटीएमएसई ने एक पेशेवर एजेन्सी द्वारा अखिल भारत में प्रभाव आकलन अध्ययन की प्रक्रिया को शुरू किया था।

एमएलआई द्वारा भरे गए डेटा की गुणवत्ता में कमी को देखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि पैरा 4.1.6.1 में उल्लेख किया गया है जिसमें प्रबंधन तथा मंत्रालय ने कहा है कि सीजीटीएमएसई ने एक बाह्य सलाहकार को हायर किया था तथा वो डेटा अंतर को सही करने का प्रयास करेगा।

4.1.3 ट्रस्ट का निष्पादन


4.1.3.1 वित्तीय निष्पादन

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ट्रस्ट का वित्तीय निष्पादन **परिशिष्ट-XVIII** में दिया गया है। ट्रस्ट ने मार्च 2015 से मार्च 2019 को समाप्त वर्षों के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य क्रमशः (-) ₹179.08 करोड़, ₹7.85 करोड़, ₹26.28 करोड़, ₹45.20 तथा ₹83.36 करोड़ सूचित किया है। 2018-19 के दौरान व्यय व्यय की तुलना में आय के अधिक्य में वृद्धि मुख्यतः ₹62.47 करोड़ के आयकर के प्रतिदाय पर ब्याज के कारण थी।

हालांकि, यह देखा गया था कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान मुख्य⁵ गतिविधियों से आय दावों के लिए प्रावधानों और परिचालन तथा प्रशासनिक व्यय के प्रति

⁵ गारण्टी फीस, वार्षिक गारण्टी फीस, वार्षिक सेवा फीस तथा प्रदत्त दावा खातों पर एमएलआई द्वारा वसूली।

आवश्यकताओं का केवल 45 प्रतिशत, 58 प्रतिशत, 64 प्रतिशत, 63 प्रतिशत तथा 58 प्रतिशत थी, जैसा कि चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है।



हालांकि, कमी से दावों में कभी डिफाल्ट नहीं हुआ था क्योंकि उनकी क्रियाविधि में दावों के प्रति संवितरण में अंतराल अनुमत किया गया था। इसके अलावा, गैर-मुख्य गतिविधियों से आय (जैसे निवेश पर अर्जित ब्याज, म्यूचल फंडों से आय तथा आयकर के प्रतिदाय पर ब्याज) ने दावों के भुगतान में ट्रस्ट की ऋणशोधन क्षमता को संपूरक किया था।

4.1.3.1(क) ट्रस्ट का कॉर्पस फंड

जीओआई (एमएसएमई मंत्रालय) तथा सिडबी ने ₹ एक लाख के शुरुआती कॉर्पस फंड के साथ ट्रस्ट की स्थापना की (27 जुलाई 2000)। जीओआई तथा सिडबी ने 80:20 के अनुपात में अंशदान किया तथा ट्रस्ट विलेख के अनुसार, कॉर्पस में आगे के अंशदान भी उसी अनुपात में किए जाने थे। ट्रस्ट विलेख को संशोधित किया गया (28 जून 2007 तथा 3 जनवरी 2017) था तथा कॉर्पस फंड को ₹7,500 करोड़ करने का निर्णय लिया गया था। जीओआई तथा सिडबी का हिस्सा क्रमशः ₹7,000 करोड़ तथा ₹500 करोड़ करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि सिडबी कॉर्पस फंड में ₹500 करोड़ से ऊपर कोई अंशदान नहीं करेगा तथा अन्य कोई भी अंशदान केवल जीओआई द्वारा किया जाएगा।

31 मार्च 2019 तक, ट्रस्ट का कॉर्पस फंड ₹6,914.91 करोड़ था, जिसमें से जीओआई ने ₹6,414.91 करोड़ (92.77 प्रतिशत) का अंशदान दिया जबकि सिडबी ने अपने पूरे हिस्से यानि ₹500 करोड़ का अंशदान किया था। ₹6,414.91 करोड़ के अपने हिस्से में से,

जीओआई ने वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान कॉर्पस फंड में क्रमशः ₹3,699.90 करोड़ (57.68 प्रतिशत) तथा ₹715 करोड़ (11.15 प्रतिशत) का प्रमुख अंशदान दिया।

4.1.3.1 (ख) कॉर्पस फंड पर लीवरेज

बोर्ड ने अपनी छठी बैठक (9 जुलाई 2001) में निर्णय लिया कि सीजीटीएमएसई संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट गारंटी के लिए अपने कॉर्पस फंड के लगभग पाँच गुना लीवरेज रखेगा। लीवरेज को अस्थायी रूप से 10 गुना बढ़ा दिया गया था (36^{वीं} बैठक 24 दिसम्बर 2010)। 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान कॉर्पस फंड की स्थिति, बकाया गारण्टी, बकाया गारण्टी के प्रति निर्धारित देयता तथा वर्ष के अंत में बकाया गारण्टी के प्रति देयता पर आधारित कॉर्पस की लीवरेज को तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: सीजीटीएमएसई के कॉर्पस फंड की लीवरेज

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कॉर्पस फंड	31 मार्च तक बकाया गारण्टी	बकाया गारण्टी के प्रति देयता	बकाया गारण्टी के प्रति देयता पर आधारित कॉर्पस लीवरेज (गुना)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(2)
2015-16	2,431.54	62,318	45,271	18.62
2016-17	2,500.01	67,762	49,567	19.83
2017-18	6,199.91	70,310	50,660	8.17
2018-19	6,914.91	74,330	55,526	8.03

गारण्टी अनुमोदन के आधार पर लीवरेज बेंचमार्क सही स्थिति प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि सबसे बुरी स्थिति में ट्रस्ट केवल गारण्टी हिस्से (एमएलआई द्वारा साझा जोखिम के अनुपात को छोड़कर) के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, बकाया गारण्टी के प्रति देयता कॉर्पस फंड पर लीवरेज के निर्धारण के लिए एक सांकेतिक बेंचमार्क हैं। 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान लीवरेज में कमी 2017-18 (₹3,699.90 करोड़) तथा 2018-19 (₹715 करोड़) के दौरान निपटानकर्ताओं द्वारा निधियों के लगाने के कारण थी। हालांकि, 8.03 गुना की लीवरेज में वृद्धि गारण्टी के जारी करने की निरंतर प्रक्रिया के साथ जारी रहेगी।

हालांकि, विश्लेषण से पता चला कि ट्रस्ट ने तकनीकी कारणों (त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों तथा अन्य) से अस्वीकार किए गए पहले दावों तथा एमएलआई द्वारा किए जाने वाले प्रत्याशित दूसरे दावों के प्रति व्यय का अनुमान नहीं लगाया था। इस तरह से लीवरेज की गणना न

केवल स्वीकृत दावों बल्कि सम्पूर्ण प्रतिबद्धता (आस्थगित मामलों सहित) के आधार पर होनी चाहिए। इसके अलावा, अस्वीकृति के बजाय, प्रक्रिया को सरल बनाकर सही प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिए आईईसी⁶ होना चाहिए। यह गारण्टी दस्तावेज की प्रभाविकता पर एमएलआई का अधिक विश्वास बनाएगा तथा एमएसई क्षेत्र को बड़े अग्रान्त सहयोग के लिए प्रेरित करने का आश्वासन प्रदान करेगा।

प्रबंधन (मार्च 2019) तथा मंत्रालय (सितम्बर 2019) ने कहा कि सही स्थिति दर्शाने के लिए यथार्थवादी आधार पर लेवेरज के लिए बेंचमार्क नियत करना नोट किया गया था। हालांकि, उत्तर में कार्पस की पर्याप्तता के मामले को नहीं संबोधित किया गया, जिसके प्रति देयता गारण्टी जारी करने की चालू प्रक्रिया तथा गैर-अनुमानित दावों (तकनीकी कारणों से अस्वीकृत पहले तथा दूसरे दावे) के कारण लगातार बढ़ रही है। हालांकि, सरकारी निधि लगाने को समर्थन देने के लिए चूकों पर एमएलआई से बेहतर वसूली के साथ दायरे को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है।

4.1.3.1(ग) एमएसई को कुल बकाया क्रेडिट में सीजीटीएमएसई की भागीदारी

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय (जीओआई) ने एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय संरचना की जांच के लिए के.वी. कामथ कमेटी गठित की (सितम्बर 2014)। फरवरी 2015 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने सिफारिश की कि सीजीटीएमएसई के अधीन बकाया क्रेडिट गारण्टी (एमएसई के लिए) को गारण्टी के एक स्वीकार्य स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता है (वैश्विक अनुभव के अनुसार लगभग 25 प्रतिशत की तुलना में कुल एमएसएमई बैंकिंग क्रेडिट का लगभग 15 प्रतिशत)।

तालिका 4.4 वित्तीय वर्षों 2016-19 के अन्त में एमएसई के कुल बकाया क्रेडिट में सीजीटीएमएसई की भागीदारी दर्शाती है।

⁶ सूचना शिक्षा अभियान

तालिका 4.4: सीजीटीएमएसई द्वारा जारी की गई बकाया गारंटी की तुलना में एमएसई सेक्टर के लिए ऋण प्रवाह

वर्ष	बकाया राशि (₹100 करोड़ में)	समायोजित निवल बैंक क्रेडिट के प्रतिशत के रूप में एमएसई क्रेडिट	सीजीटीएमएसई की बकाया गारंटी (₹100 करोड़ में)	एमएसई की बकाया कुल राशि के प्रति सीजीटीएमएसई की बकाया गारंटी का प्रतिशत
2015-16	9,964.30	14.60	623.18	6.25
2016-17	10,701.30	14.30	677.62	6.33
2017-18	11,493.50	14.60	703.10	6.11
2018-19	13,132.30	15.05	743.30	5.66

यह देखा गया कि 31 मार्च 2019 तक एमएसई सेक्टर में कुल बकाया क्रेडिट में सीजीटीएमएसई की भागीदारी केवल 5.66 प्रतिशत थी, जो के.वी. कामथ समिति द्वारा की गई सिफारिश (लगभग 15 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम थी।

(i) भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एमएसई के लिए ऋण प्रवाहों की बकाया राशि (ii) कामथ समिति की सीजीटीएमएसई की 15 प्रतिशत तक की भागीदारी की सिफारिश और (iii) सीजीटीएमएसई की 10 गुना अनुशंसित लीवरेज को ध्यान में रखते हुए सीजीटीएमएसई को वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 की समाप्ति पर क्रमशः ₹12,514 करोड़, ₹13,551 करोड़, ₹11,040 करोड़ और ₹12,783 करोड़ का कॉर्पस घाटा होगा। उपलब्ध कॉर्पस निधि के साथ, चार वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के अंत में सीजीटीएमएसई की लेवरेज 61.46 गुना, 64.20 गुना, 27.81 गुना और 28.49 गुना तक होगी।

4.1.3.2 परिचालनात्मक निष्पादन

4.1.3.2(क) लक्ष्यों की प्राप्ति

ट्रस्ट ने वर्ष 2018-19 के लिए ₹40,387 करोड़ (सीजीएस-I के तहत ₹23,487 करोड़ और सीजीएस-II के तहत ₹16,900 करोड़) की राशि की गारंटी जारी करने के लिए एक आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किया। ट्रस्ट ने सीजीएस-I और सीजीएस-II के तहत क्रमशः ₹24,204.13 करोड़ और ₹5,964.44 करोड़ की गारंटी राशि अनुमोदित की। लक्ष्यों के निर्धारण में निधि का आकार कोई कारक नहीं था। वर्ष 2018-19 के दौरान गारंटी के मामले में वास्तविक उपलब्धि सीजीएस-I के तहत ₹15,241.57 करोड़ (1.79 लाख गारंटी की संख्या) और सीजीएस-II के तहत ₹5,964.44 करोड़ (0.64 लाख गारंटी की

संख्या) थी। वर्ष 2018-19 के दौरान लक्ष्यों के प्रति सीजीटीएमएसई की समग्र उपलब्धि⁷ केवल 53 प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीजीटीएमएसई का कारोबार मॉडल पूर्ण रूप से एमएलआई पर निर्भर है जो एमएसई को जारी किए गए संपार्श्विक मुक्त ऋणों के प्रति गारंटी कवर की मांग कर भी सकते हैं या नहीं भी। आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ विनियमावली के आधार पर एमएलआई के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के अपने स्वयं के लक्ष्य होते हैं। अतः सीजीटीएमएसई द्वारा निर्धारित आंतरिक लक्ष्यों का तब तक कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, जब तक उसे पंजीकृत एमएलआई के लक्ष्यों के साथ विधिवत जोड़ा न जाएं।

ऋण उपलब्धता बाजार की गतिशीलता और निधि की क्षेत्रीय आवश्यकता पर निर्भर करती है जो देश में संसाधनों एवं संस्कृति की विविध प्रादेशिक उपलब्धता के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती है। इसलिए सीजीटीएमएसई को निधि के आकार, निधि की क्षेत्रीय/ उद्योग विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर वास्तविक लक्ष्य तय करने की आवश्यकता है, जिसे उद्योग संघों, सीजीटीएमएसई या अन्य संस्थानों द्वारा स्वतंत्र अध्ययन, आर्थिक संगणना/ एमएसएमई संगणना, राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के पास उपलब्ध अन्य डेटा और राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार, सीजीटीएमएसई को एमएसई के संतुलित प्रादेशिक विकास और रोजगार के प्रादेशिक सृजन हेतु धन की उपलब्धता के लक्ष्यों एवं बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कारोबार मॉडल को सुधारने और एमएलआई को विश्वास में लेने की आवश्यकता है।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2019) कि एमएसई के लिए एमएलआई के अपने लक्ष्य हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना शामिल है और क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) एमएसई को ऋण प्रदान करवाने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार यह एमएलआई को उनके लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करती है और भारत सरकार के संतुलित प्रादेशिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्यों को पूरा करती है।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2019) कि सीजीटीएमएसई कारोबार के लिए एमएलआई पर निर्भर है और यह शायद अपने स्वयं के लक्षित दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं है।

⁷ सीजीएस-1 और सीजीएस-1A के तहत लक्ष्य के प्रति प्राप्ति क्रमशः 65 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत थी।


2020 की प्रतिवेदन सं. 10

अतः मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का समर्थन करता है परंतु सीजीटीएमएसई जैसे बढ़ते हुए संगठन को परक्षेत्रीय निष्पादन/ विस्तार और धन की सक्रिय उपलब्धता के लिए सूचना के तर्कसंगत विश्लेषण के आधार पर लक्ष्यों को तय करने पर विचार करना चाहिए ताकि आर्थिक वृद्धि एवं विकास के भारत सरकार के उद्देश्यों में योगदान दिया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विशुद्ध रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित गारंटी दस्तावेज के रूप में, ट्रस्ट एमएलआई की भूमिका के प्रति प्रतिक्रियाशील बनी रही। इस प्रकार ट्रस्ट में एमएलआई का आश्वासन एमएसई को वित्तीय सहायता को गति प्रदान कर सकता है। इसलिए, ट्रस्ट एमएलआई की योजना में योगदान कर सकता है ताकि राज्यों के अनिधिक एमएसई को फंड देने के लिए उचित प्रोत्साहन दिया जा सके जो इसे अपने स्वयं के कवरेज का विस्तार करने में भी सहायता करेगा।

4.1.3.2(ख) गारंटी कवर एवं गारंटीकृत धन में गिरावट

ट्रस्ट ने स्थापना (जुलाई 2000) से 31 मार्च 2019 तक ₹1,69,948.37 करोड़ की राशि के 33.96 लाख संचयी गारंटी प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। 33.96 लाख प्रस्तावों में से, ट्रस्ट के द्वारा 31 मार्च 2019 तक ₹1,51,483.96 करोड़ की राशि के लिए 29.79 लाख गारंटी कवर जारी किए गए थे। 2015-19 के दौरान जारी की गई गारंटी की संख्या एवं राशि की प्रवृत्ति चार्ट 4.3 में दर्शाई गई है:



यह देखा गया कि ट्रस्ट का कारोबार घटती प्रवृत्ति का था क्योंकि एमएसई सेक्टर को संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए एमएलआई को जारी किए गए गारंटी कवर की संख्या में 2016-19 के दौरान 4.63 लाख से 1.79 लाख तक की भारी कमी (61 प्रतिशत) हुई।

इस अवधि के दौरान जारी की गई गारंटी की राशि ₹18,416.62 करोड़ से घटकर (17 प्रतिशत) ₹15,241.57 करोड़ हो गई।

ट्रस्ट ने एमएलआई द्वारा प्राप्त गारंटी कवर में गिरावट के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनसीजीटीसी जो सीजीएफएमयू के तहत ₹10 लाख तक के ऋणों की गारंटी प्रदान करता है, के निगमन होने के परिणामस्वरूप ट्रस्ट के कारोबार में कमी हुई क्योंकि ₹10 लाख तक के ऋण की स्लैब-वार कवरेज 2015-16 में 4.77 लाख (₹9,994.11 करोड़) से घटकर 2017-18 में 2.25 लाख (₹6,450.28 करोड़) हो गई जैसा तालिका 4.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.5: ₹10 लाख तक के ऋण की स्लैब-वार कवरेज

सीमा	2015-16		2016-17		2017-18	
	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ ₹में)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ ₹में)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ ₹में)
₹1 लाख तक	2,44,943	1,155.62	1,75,554	952.59	74,283	447.43
₹1 से ₹2 लाख	90,867	1,503.97	97,181	1,615.62	54,204	908.35
₹2 से ₹5 लाख	87,557	3,254.71	86,484	3,288.85	57,884	2,166.72
₹5 से ₹10 लाख	53,712	4,079.81	58,105	4,529.72	38,451	2,927.78
कुल	4,77,079	9,994.11	4,17,324	10,386.78	2,24,822	6,450.28

सीजीटीएमएसई के व्यवसाय पर एनसीजीटीसी के प्रभाव को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि सीजीटीएमएसई के 90 प्रतिशत से अधिक के कारोबार में ₹10 लाख तक की गारंटी शामिल हैं। एनसीजीटीसी ने सीजीएफएमयू के तहत 2016-17 में ₹3,156.66 करोड़ (3,25,322 संख्या), 2017-18 में ₹36,725.10 करोड़ (26,12,777 संख्या) और 2018-19 में ₹37,328.66 करोड़ (17,74,036 संख्या) की गारंटी जारी की थी।

मंत्रालय एवं प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का कोई उत्तर नहीं दिया।

4.1.4 मूल्यांकन, क्रेडिट रेटिंग एवं गारंटी जारी करना

ट्रस्ट द्वारा बनाई गई क्रेडिट गारंटी योजनाएं उधारकर्ताओं के ऋण आवेदनों/परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु कोई भी तंत्र प्रदान नहीं करती है। मूल्यांकन की जिम्मेदारी एमएलआई के पास है। ऋण देने वाली संस्थाओं को विवेकपूर्ण बैंकिंग निर्णय का उपयोग करके ऋण के आवेदनों का मूल्यांकन करने और वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य प्रस्तावों का चयन करने में उनके व्यापारिक विवेक/ उचित सावधानी का उपयोग

करके एवं सामान्य बैंकिंग समझदारी के साथ उधारकर्ताओं के खाते (खातों) का प्रबंधन करना आवश्यक है।

4.1.4.1 गारंटी की मंजूरी हेतु अपर्याप्त प्रणाली

सीजीएस-1 के अनुसार ट्रस्ट से गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए एमएलआई को निर्धारित प्रारूप में उधारकर्ता की जानकारी अपलोड करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ट्रस्ट एमएलआई द्वारा दाखिल किए गए अनिवार्य ब्यौरे जैसे - गतिविधि के प्रकार, उद्योग की प्रकृति, बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर एवं ऋण की राशि, ऋण के प्रकार, उधारकर्ताओं/ एमएसई इकाई के विवरण आदि के आधार पर गारंटी को अनुमोदित/ जारी करती हैं। एमएलआई को ऋण के संवितरण के बाद उधारकर्ताओं के द्वारा निर्मित प्राथमिक प्रतिभूति के वित्तीय विवरण को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये ब्यौरे एनपीए को चिन्हित करते और प्रथम दावे दर्ज करते समय अपलोड किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्तमान प्रणाली केवल इस बात की पुष्टि करती है कि एमएलआई ने उधारकर्ताओं के अनिवार्य ब्यौरे दाखिल किए थे। इस आधार पर गारंटियों का अनुमोदन/ जारी करने में उधारकर्ता इकाई के प्रबंधन, परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और उधारकर्ता/ प्रमोटरों की वित्तीय क्षमता को ध्यान में नहीं रखा गया। यहां तक कि सिस्टम/ पोर्टल एमएलआई द्वारा भरे गए ब्यौरों की सटीकता की जांच करने हेतु पर्याप्त नहीं है जैसा पैरा 4.1.6.1 में इंगित किया गया है। एमएलआई द्वारा उल्लेखित खातों के एनपीए होने के कारणों में मंदी और कुप्रबंधन के कारण कम आय सृजन, व्यापार की विफलता/ बंद होना, निधियों का विपथन, बाजार में प्रतिस्पर्धा में व्यवसाय का सक्षम न होना, अक्षम प्रबंधन आदि शामिल हैं। ये कारण एमएलआई द्वारा परियोजनाओं के अपर्याप्त मूल्यांकन के साथ-साथ गारंटियों को अनुमोदित/ जारी करने से पूर्व आवेदनों के उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने में ट्रस्ट की विफलता का संकेत देते हैं।

एमएलआई की निरीक्षण रिपोर्ट ने उधारकर्ता की क्रेडिट इफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) रिपोर्ट का गैर-सत्यापन, अतिदेय को दर्शाती हुई सीआईबीआईएल रिपोर्ट परंतु एमएलआई द्वारा इसका संज्ञान न लेना, अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन नोट पर हस्ताक्षर न करना, एमएलआई के पास पूर्व-अनुमोदन रिपोर्ट की अनुपलब्धता, स्वीकृति से पूर्व समुचित सावधानी के उचित प्रयास न करना, उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट की अनुपलब्धता, आदि विसंगतियों को दर्शाया। इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट

ने एमएलआई के निरीक्षण के दौरान (2016-18) धाखाधड़ी वाले ऋणों (12 मामलों) का पता लगाया गया था।

उक्त कमियां ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण से पूर्व ऋण आवेदनों के मूल्यांकन में एमएलआई की जिम्मेदारी और जवाबदेही की कमी को निर्दिष्ट करती हैं। इस प्रकार, ट्रस्ट को उपरोक्त कारणों की वजह से व्यावहारिक जोखिम एवं एनपीए को कम करने के लिए गारंटी जारी करने से पूर्व मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंड से युक्त एक उपयुक्त नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

गारंटियों के अनुमोदन की अपर्याप्त प्रणाली ने ट्रस्ट के वित्तीय हितों एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता को जोखिम में डाल दिया था जैसाकि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि मूल व्यावसायिक गतिविधियों से आय दावों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप दावों का आस्थगन हुआ (पैरा 4.1.3.1) और अधिक स्तर के एनपीए हुए। यह देखा जा सकता है कि ट्रस्ट चूक की राशि के बड़े हिस्से की गारंटी देता है (गारंटी दी गई ऋण की राशि का 50 प्रतिशत से 85 प्रतिशत) जो उक्त कारणों के आधार पर एनपीए और दावों को कम करने के लिए पर्याप्त प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2019) कि सीजीटीएमएसई ने गारंटी के अनुमोदन के समय कुछ प्रमुख मापदंडों पर ₹1 करोड़ से अधिक के गारंटी आवेदनों की मूलभूत संवीक्षा की व्यवस्था लागू की है। इसके अलावा, ट्रस्ट ने हाल ही में गारंटी राशि के टिकट आकार के आधार पर गारंटी आवेदन में यथा-परिचालन आय, कर के बाद लाभ (पीएटी), ऋण इक्विटी अनुपात, निवल संपत्ति, चालु अनुपात, मुख्य प्रमोटरों का सीआईबीआईएल स्कोर, कुल परिसंपत्तियां आदि वित्तीय आंकड़ों की ऑनलाइन कैप्चरिंग के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। एमएलआई की ओर से उचित प्रयास करने में विलंब के कारण ऋण की संस्वीकृति से पूर्व मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भिन्नता के मामले में, ट्रस्ट ऐसे खातों के संबंध में चूक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2019) कि सीजीटीएमएसई ने 18 वर्षों में सफल परिचालन द्वारा अपनी व्यवहार्यता प्रमाणित की है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद प्रबंधन द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देश प्रस्तावित किए गए (13 नवम्बर 2018) और 1 दिसम्बर 2018 से लागू किए गए थे। प्रबंधन द्वारा उल्लिखित ब्यौरे ₹10 लाख तक के ऋण के लिए लागू नहीं थे जबकि इस टिकट आकार में लगभग 90 प्रतिशत तक का कारोबार था। इसके अतिरिक्त, एकत्र की

गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं थे। इसके अलावा, ऑनलाइन मॉड्यूल इन ब्यौरों के आधार पर निर्णय लेने के लिए कोई प्लेटफार्म प्रदान नहीं करता। एमएलआई द्वारा मूल्यांकन में चूक के कारण दावों की अस्वीकृति के संबंध में, ट्रस्ट द्वारा किए गए निरीक्षण एमएलआई की ओर से चूकों का पता लगाने के लिए कम थे।

मंत्रालय का उत्तर एमएलआई के निरीक्षण के दौरान ट्रस्ट द्वारा स्वयं दर्शाई गई कमियों के परिपेक्ष में सही नहीं है।

4.1.4.2 उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया में कमियां

सीजीएस-1 का खंड 9 निर्धारित करता है कि ₹50 लाख से अधिक एवं ₹200 लाख तक की क्रेडिट सुविधाओं के लिए गारंटी की मंजूरी के सभी प्रस्तावों की आंतरिक रूप से एमएलआई द्वारा रेटिंग की जानी चाहिए और यह निवेश ग्रेड की होनी चाहिए। इसके अलावा, गारंटी प्रारंभिकीकरण के लिए ट्रस्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप में बताया गया है कि यदि रेटिंग उपलब्ध नहीं है तो एमएलआई ₹50 लाख तक की ऋण सुविधा हेतु 'एनए' का संकेत दे सकते हैं।

हालांकि, ट्रस्ट/स्कीम ने 'निवेश ग्रेड' शब्द को परिभाषित नहीं किया था और इसलिए, एमएलआई अपने विचारों के अनुसार किसी प्रस्ताव को निवेश ग्रेड का मान लेने के लिए अनुमत थे।

लाईव आवेदनों (30 सितम्बर 2018 को) के विश्लेषण से पता चला कि कुल 12.10 लाख आवेदनों में से 10.92 लाख मामलों (90 प्रतिशत) में आंतरिक रेटिंग का संकेत देने वाले कॉलम या तो एमएलआई द्वारा रिक्त छोड़ दिए गए थे या कॉलम लागू नहीं एवं वर्ण जैसे शून्य,~,आदि दर्शा रहे थे। इनमें 4,495 ऐसे मामले सम्मिलित हैं जहां ₹50 लाख से अधिक की गारंटी राशि थी। शेष 1.18 लाख मामलों में, एमएलआई ने प्रतीक जैसे ए,बी,बी+,बी++,बीबी+,बीबीबी, अंक, प्रतिशत आदि निर्दिष्ट किए। केवल 567 मामलों में, रेटिंग में एमएसएमई-1, एमएसएमई-II, एसएमई-1 एसएमई-2 जैसे प्रतीकों को निर्दिष्ट किया गया जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग योजना के तहत निर्धारित रेटिंग का संकेत देते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना प्रस्तावों की रेटिंग को प्रोत्साहित नहीं करती, क्योंकि ₹50 लाख तक के क्रेडिट प्रस्तावों के लिए रेटिंग की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न रेटिंग एजेंसियों की तरह कोई रेटिंग निर्धारित नहीं की गई थी।

इसलिए प्रणाली ने एमएलआई को किसी भी वर्ण/ अंक/ प्रतीक को आंतरिक रेटिंग कॉलम में डालने की अनुमति दी। ट्रस्ट द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लिए बिना आवेदन को संसाधित किया गया था कि संस्वीकृति एवं संविरतण से पूर्व एमएलआई द्वारा वास्तव में परियोजना की रेटिंग दी गई थी अथवा नहीं। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि प्रणाली ने लागू नहीं, *लागू नहीं,, -----, आदि जैसे अक्षरों को उन मामलों में भी स्वीकार कर लिया, जहां ऋण सुविधा ₹50 लाख से अधिक थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि एक समान रेटिंग संरचना पर योजना में कुछ भी न बताए जाने के बावजूद ट्रस्ट ने एमएलआई द्वारा की गई रेटिंग की पर्याप्तता के मूल्यांकन एवं निर्धारण के लिए तंत्र नहीं बनाया था क्योंकि भौतिक दस्तावेजों को सिस्टम में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं थी। ट्रस्ट के निरीक्षण दलों ने किसी भी निर्धारित एकसमान रेटिंग संरचना के अभाव में एमएलआई द्वारा की गई रेटिंग की सटीकता और पर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं की। निरीक्षण दलों ने केवल इस पर विचार किया कि क्या एमएलआई ने आंतरिक रेटिंग की है या नहीं।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि एमएलआई को 25 मई 2016 तक ऑनलाइन प्रणाली में प्रस्तावों की रेटिंग को इंगित करने की आवश्यकता थी। ट्रस्ट ने आंतरिक रेटिंग और निवेश ग्रेड के कॉलम में एमएलआई को केवल 'हां'या 'नहीं' दर्शाने की अनुमति देकर मौजूदा प्रणाली को कमजोर कर दिया। इसके कारण ऋण की संस्वीकृति से पूर्व समुचित सावधानी के बजाए एमएलआई को बाद के चरण में या दावों की प्रस्तुतीकरण के समय रेटिंग रिपोर्ट सृजित करने का अवसर मिल सकता है, जैसा कि ट्रस्ट के निरीक्षण दलों द्वारा भी बताया गया।

प्रबंधन (मार्च 2019) और मंत्रालय (सितम्बर 2019) ने बताया कि सभी एमएलआई आरबीआई द्वारा विनियमित थे और उनको आरबीआई द्वारा निर्धारित जोखिम प्रबंधन दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक था। तदनुसार, एमएलआई के पास संस्वीकृति के समय (उसकी आंतरिक नीतियों के अनुसार, जोखिम के एक निश्चित स्तर पर) उधारकर्ता इकाइयों की रेटिंग हेतु अपने आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के साधन थे। इसके अलावा, निवेश ग्रेड एमएलआई द्वारा उनकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार परिभाषित किए गए हैं। एकमात्र सीजीटीएमएसई में रेटिंग रिपोर्ट की जांच करना गुणों में वृद्धि नहीं करेगा। यह भी बताया गया कि एक वर्ष के दौरान एक लाख से अधिक उधारकर्ताओं के मूल्यांकन, समुचित सावधानी, रेटिंग, प्रतिभूति सृजन की जांच, आदि की जिम्मेदारी संभालने के स्थान पर बेहतर क्रेडिट पोर्टफोलियो और पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड वाले एमएलआई को गारंटी प्रदान करना अधिक व्यवहारिक है।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि ट्रस्ट एमएलआई से यह आश्वासन प्राप्त करने में विफल रहा कि परियोजनाओं/ इकाइयों की रेटिंग/ मूल्यांकन आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, व्यावहारिक जोखिम की समस्याओं से बचने के लिए ट्रस्ट को केवल उन प्रस्तावों के लिए गारंटी जारी करने की आवश्यकता थी, जिनकी एमएलआई द्वारा उचित रूप से रेटिंग की गई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इसकी रिपोर्ट⁸ (2015) में आरबीआई अवलोकन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें बताया गया था कि “ऐसी योजनाओं में निहित वास्तविक व्यावहारिक जोखिम के कारण और सीजीटीएमएसई से एक मजबूत निगरानी तंत्र के अभाव में, वर्तमान योजना ऐसी हो गई है जो बैंको द्वारा शिथिल ऋण प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करती है एवं उधारकर्ताओं की ओर से ऋण अनुशासन को कम करती है। इस समस्या से हमारी वित्तीय प्रणाली के नष्ट होने की संभावना है और इसे प्राथमिकता के आधार पर सीजीटीएमएसई द्वारा सम्बोधित किया जाना चाहिए”।

इसलिए, एमएलआई को पूर्ण रूप से आश्वासन की जिम्मेदारी हस्तांतरित करने के बजाए, सीजीटीएमएसई को बेहतर एमएलआई-सीजीटीएमएसई इंटरफेस के माध्यम से निधियों के अंतिम उपयोग की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए।

4.1.4.3 प्राथमिक प्रतिभूति के सृजन के बिना उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर गारंटी जारी करना

ट्रस्ट के लिए आवश्यक है कि ऋणदाता को परियोजना व्यवहार्यता को महत्व देना चाहिए एवं वित्तपोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक प्रतिभूति पर पूरी तरह से ऋण सुविधा को सुरक्षित करना चाहिए। योजना के खंड 7(iii) में बेहतर एवं प्रवर्तनीय स्थिति में क्रेडिट सुविधा के संबंध में उधारकर्ता से प्राप्त की गई प्राथमिक प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखना अपेक्षित है। इसके अलावा, गारंटी प्रारंभिकीकरण फॉर्म में उल्लेख किया गया है कि यह योजना उधारकर्ता को प्रदान किये गए ऋण/ क्रेडिट से प्राथमिक प्रतिभूति के सृजन की परिकल्पना करती है।

बोर्ड ने अपनी 43वीं बैठक (सितम्बर 2013) में निर्णय लिया कि गारंटी कवर प्रदान करने के लिए प्राथमिक प्रतिभूति का सृजन योजना में परिकल्पित था और इसीलिए वे

⁸ सीजीटीएमएसई की कार्यप्रणाली और भारत में ऋण गारंटी प्रणाली पर रिपोर्ट, जो कि भारत सरकार (एमएसएमई प्रभाग) और आरबीआई द्वारा गठित (2015-16) तीन सदस्य दल द्वारा प्रस्तुत की गई।

ऋण सुविधाएं जो परिसंपत्तियों के सृजन की परिकल्पना नहीं करती, योजना के तहत पात्र नहीं होंगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ट्रस्ट ने ऑनलाइन प्रणाली में यह सुनिश्चित करने के लिए जांच नहीं की कि एमएलआई द्वारा विस्तारित की गई ऋण सुविधा ने उधारकर्ता को दी गई क्रेडिट सुविधा से प्राथमिक प्रतिभूति सृजित की। ऑनलाइन प्रणाली में सम्बंधित कॉलम अर्थात 'ऐप_इज_प्राइमरी_सिक्योरिटी' को एमएलआई द्वारा 100 प्रतिशत मामलों में रिक्त छोड़ दिया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ट्रस्ट को दिनांक 28 जनवरी 2009 को ई-मेल के माध्यम से प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में व्यक्तिगत गारंटी की स्वीकृति पर ट्रस्ट द्वारा की गई चर्चा और पुष्टि के आधार पर, प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में व्यक्तिगत गारंटी की स्वीकृति के विषय में दिनांक 8 मार्च 2017 को ड्यूश बैंक एजी (डीबीएजी) से एक पत्र प्राप्त हुआ। डीबीएजी ने यह भी बताया कि इसने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी को स्वीकार किया, जिसमें (i) एमएसई ने पहले ही सभी स्टॉक और बुक ऋणों को अपने मुख्य बैंकर के पास बंधक रख दिया हो (ii) एमएसई द्वारा विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में कोई प्राथमिक प्रतिभूति सृजित नहीं की गई थी और एक नया कार्यालय खोलने के लिए धन की आवश्यक थी, जिसमें वेतन, किराया, आदि जैसे मुख्य खर्चों का भुगतान किया जाना आवश्यक था।

ट्रस्ट ने डीबीएजी को सूचित किया (12 अप्रैल 2017) कि ट्रस्ट उन ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए गारंटी के प्रति निर्गत किसी भी दावों यदि कोई हो, का भुगतान करेगा, जिसे जनवरी 2009 में ई-मेल पुष्टिकरण के आधार पर स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में गारंटी कवर पहले से ही दिया गया हो। हालांकि, ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि, भविष्य में कोई गारंटी कवर नहीं दिया जाएगा, जहां प्राथमिक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं थी और प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर क्रेडिट सुविधाएं पूर्ण रूप से विस्तारित कर दी गई थी। ट्रस्ट ने डीबीएजी को सहायता जारी रखने के लिए सीजीटीएमएसई को सक्षम बनाने हेतु अपने व्यापार मॉड्यूल में परिवर्तन करने का सुझाव दिया।

बोर्ड ने विशेष रूप से निजी एवं विदेशी बैंको द्वारा दिए गए प्रतिभूति-रहित ऋण/ गौण ऋण/ जोखिम पूंजी के महत्व पर विचार किया (19 जुलाई 2017) जो एमएसई के लिए

महत्वपूर्ण थे और यह अनुमोदित किया कि व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर विस्तारित ऋण हेतु गारंटी कवर कुछ शर्तों⁹ के तहत प्रदान किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ट्रस्ट ने योजना का उल्लंघन कर तथा बीओटी के किसी अनुमोदन के बिना अप्रैल 2017 तक डीबीएजी को गारंटियां जारी की क्योंकि प्राथमिक प्रतिभूति सृजन करना योजना के तहत गारंटी कवर का लाभ उठाने की पूर्व शर्त थी। इसके अलावा, निजी गारंटी की अनुमति देने का बोर्ड का निर्णय भी निपटानकर्ताओं द्वारा अनुमोदित योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार नहीं था।

यह उल्लेख करना उचित है कि डीबीएजी द्वारा प्राप्त की गई सम्पूर्ण गारंटी कवर प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी पर आधारित थी जो इंगित करती है कि यह इसके लिए लाभकारी शर्तों पर क्रेडिट सुविधा प्रदान कर रहा था। 31 मार्च 2019 तक, ट्रस्ट ने प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर डीबीएजी को ₹2,203.62 करोड़ के 7,217 गारंटी कवर¹⁰ जारी किए हैं; जिनमें से 908 मामले (₹265.10 करोड़) को एनपीए के रूप में चिन्हित किया गया था। ट्रस्ट ने एनपीए के रूप में चिन्हित में से 451 दावों (₹47.22 करोड़) का निपटान किया है।

एक अन्य विदेशी एमएलआई (स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक) ने भी कुछ मामलों में प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर गारंटी कवर की अनुमति देने के ट्रस्ट के निर्णय के बाद क्रेडिट सुविधाएं जारी करना प्रारंभ किया (जनवरी 2018)। इस एमएलआई ने 23 जनवरी 2018 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान ट्रस्ट से ₹72.13 करोड़ की राशि के लिए 102 गारंटी कवर प्राप्त किए। सभी गारंटी कवर प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी पर प्राप्त किए गए थे जो यह दर्शाते हैं कि इसने उन ऋण सुविधाओं का विस्तार करना बंद कर दिया था जिसमें प्राथमिक परिसंपत्तियों के सृजन की परिकल्पना की गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर नहीं दिया। हालांकि, प्रबंधन ने बताया (मार्च 2019) कि योजना में स्पष्टता की कमी को देखते हुए कुछ एमएलआई ने केवल उधारकर्ता की व्यक्तिगत गारंटी के साथ बहुत कम मामले कवर किए। कवर किए गए पोर्टफोलियो, एनपीए प्रतिशत और इस प्रकार की कवरेज हेतु दर्ज अदायगी के संतोषजनक निष्पादन के मद्देनजर इसे बोर्ड को सूचित किया गया एवं बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। प्रबंधन ने यह भी बताया कि ये क्रेडिट सुविधाएं एमएसई के नियमित

⁹ (i) केवल ₹50 लाख तक के कारोबार ऋण (प्रति उधारकर्ता का समय जोखिम), (ii) अनुमोदित की जाने वाली संचयी गारंटी पर प्रत्येक एमएलआई की ऋण जोखिम कैप का निर्धारण और (iii) संचयी गारंटी के अधिकतम तीन प्रतिशत तक की दावा अदायगी का प्रतिबंध

¹⁰ ट्रस्ट को जारी की गई गारंटी के प्रति ₹52.80 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ है।

बैंकरो से मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं के पूरक हैं और एमएसई के लिए नकदी, आर्डरों को पूरा करने के लिए वित्त पोषण, शीघ्र ऋण सुपुर्दगी, आदि जैसे महत्वपूर्ण है। प्राथमिक प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण गारंटी कवर से एमएसई को वंचित करना इकाई की व्यवहार्यता को प्रभावित करेगा और एमएसई के लिए ऋण की उपलब्धता को रोकेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना के खंड 7 में स्पष्ट रूप से प्राथमिक प्रतिभूति के सृजन के संबंध में अनुबंध किया गया है। व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर गारंटी कवर का विस्तार करने का बोर्ड का निर्णय निपटानकर्ताओं द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार नहीं था। योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी पर स्वीकृत ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में ट्रस्ट द्वारा विदेशी बैंकों को गारंटी के विस्तार की जांच होनी चाहिए व इसकी ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

4.1.4.4 सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के द्वारा संपार्श्विक एवं तीसरे पक्ष की गारंटी की गैर-स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की कमी

निपटानकर्ताओं द्वारा ट्रस्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के द्वारा सुरक्षित न किये गए ऋणों के प्रति गारंटी प्रदान करना था। योजना के खंड 4 में यह भी अनुबंधित किया गया है कि ट्रस्ट किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/ या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना ऋण सुविधाओं (आवधिक ऋण और/ या कार्यशील पूंजी) के लिए एमएसई क्षेत्र में एकल पात्र उधारकर्ता हेतु एमएलआई द्वारा विस्तारित ऋण सुविधाओं को कवर करेगा।

गारंटी कवर हेतु आवेदन करते समय एमएलआई को 'संपार्श्विक प्रतिभूति ली गई' और 'तीसरे पक्ष की गारंटी' का संकेत देने वाले कॉलम में 'हाँ' या 'नहीं' विकल्प को चिन्हित करना था। 'संपार्श्विक प्रतिभूति ली गई' का संकेत देने वाला कॉलम एक अनिवार्य क्षेत्र था जबकि 'तीसरे पक्ष से गारंटी ली गई' का संकेत देने वाला कॉलम अनिवार्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था भले ही योजना में तीसरे पक्ष की गारंटी की स्वीकार्यता की अनुमति नहीं दी गई थी।

ट्रस्ट ने एक 'हाइब्रिड प्रतिभूति' उत्पाद प्रारंभ किया (28 फरवरी 2018), जिसमें एमएलआई को ऋण सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी जबकि क्रेडिट सुविधा के शेष भाग को अधिकतम ₹200 लाख तक योजना के तहत कवर किया जा सकता था। तदनुसार, ऑनलाइन पोर्टल में 'एप्लीकेशन अंडर हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल' नाम से एक नया क्षेत्र अन्तर्निविष्ट किया गया था।

हाइब्रिड प्रतिभूति मॉडल के तहत गारंटी कवर प्राप्त करने वाले एमएलआई को इस कॉलम में 'हाँ' या 'नहीं' पर क्लिक करना होगा।

चालू गारंटी (28 फरवरी 2018 से पूर्व प्रारंभ की गई गारंटी) के डेटा की समीक्षा से पता चला कि एमएलआई ने 314 मामलों (₹42.50 करोड़) में उधारकर्ताओं से संपार्श्विक प्रतिभूति, 391 मामलो (₹45.59 करोड़) में तीसरे पक्ष की गारंटी तथा 28 मामलों (₹3.68 करोड़) में दोनों संपार्श्विक एवं तीसरे पक्ष की गारंटी प्राप्त की। ट्रस्ट ने उपरोक्त मामलों में से एचडीएफसी बैंक के तीन¹¹ संस्वीकृति पत्र प्रदान किए। संस्वीकृति पत्रों में 'शून्य' संपार्श्विक प्रतिभूति का उल्लेख है, परंतु तीसरे पक्ष की गारंटी का कोई उल्लेख ही नहीं था।

इस प्रकार ट्रस्ट ने प्रणाली में प्रथम दृष्टि में उन आवेदनों को अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त जांच कार्यान्वित नहीं की, जिसमें एमएलआई ने उधारकर्ताओं से संपार्श्विक एवं तीसरे पक्ष की गारंटी की स्वीकृति का संकेत दिया था। इसके अलावा, गारंटी आवेदनों के अनुमोदनकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की थी। यह इंगित करता है कि एमएलआई ने संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी स्वीकार करके अपने आप को दोहरी सुरक्षा प्रदान की क्योंकि सीजीटीएमएसई को इन एमएलआई के लिए गारंटी कवर जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जहां उनके द्वारा एमएसई से संपार्श्विक और तीसरे पक्ष की गारंटी स्वीकार की गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का उत्तर नहीं दिया। हालांकि, प्रबंधन ने बताया (मार्च 2019) कि 'हाँ' या 'नहीं' के विकल्प के साथ 'संपार्श्विक प्रतिभूति' और तीसरे पक्ष की गारंटी की स्थिति को भरना एमएलआई के लिए अनिवार्य था। यदि एमएलआई संपार्श्विक प्रतिभूति या तीसरे पक्ष की गारंटी के लिए 'हाँ' पर क्लिक करता है, तो सिस्टम इस आवेदन को अस्वीकृत कर देता है। 'हाइब्रिड सुरक्षा' की शुरुआत के बाद इन फील्डों को वैकल्पिक बनाया गया था।

उपरोक्त दर्शाए गए मामलों को ध्यान में रखते हुए उत्तर सही नहीं है। उपरोक्त उल्लिखित सभी मामले 'हाइब्रिड सुरक्षा' शुरुआत से पूर्व की अवधि से संबंधित हैं।

¹¹ (i) कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए अनुमोदन की तिथि 19 जुलाई 2007, (ii) संयुक्त ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए संस्वीकृति की तिथि 11 मई 2015 और (iii) संयुक्त ऋण सुविधाओं के नवीकरण और विस्तार के लिए अनुमोदन की तिथि 19 जून 2017

4.1.4.5 एमएलआई द्वारा आवेदन जमा करने में विलंब के बावजूद गारंटी जारी करना

सीजीएस-I के खण्ड 4 के अनुसार, आगामी तिमाही अर्थात् जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर, जनवरी-मार्च और अप्रैल-जून के समाप्त होने से पूर्व, क्रमशः अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर और जनवरी-मार्च तिमाही में संस्वीकृत ऋण प्रस्तावों के संबंध में एमएलआई को गारंटी कवर प्राप्त करना होता है।

ट्रस्ट ने 1 अप्रैल 2015 से 30 सितम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान विभिन्न एमएलआई को ऋण सुविधाओं के प्रति 9.56 लाख गारंटी जारी की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 39,456 मामलों में एमएलआई ने जिस तिमाही में ऋण संस्वीकृत किया गया था उसकी अगली तिमाही के समाप्त होने के बाद भी गारंटी कवर हेतु आवेदन किया था। गारंटी कवर के लिए आवेदन जमा करने में विलंब 39,456 मामलों में (₹1,260.92 करोड़ की राशि की गारंटी) 3,809 दिनों तक का था। लेखापरीक्षा ने संस्वीकृति की तिथि और गारंटी कवर हेतु आवेदन की तिथि के बीच की अवधि के 180 दिनों (जो गारंटी कवर प्राप्त करने हेतु एमएलआई के लिए अधिकतम उपलब्ध समय है) को बाहर रखा। जब प्रत्येक मामले के आधार पर संगणना की जाएगी तो मामलों की संख्या और विलंब की अवधि अधिक होगी। आगामी तिमाही की समाप्ति के अतिरिक्त 39,456 मामलों में विलंब की सीमा तालिका 4.6 से दर्शाई गई है:

तालिका 4.6: एमएलआई द्वारा गारंटी कवर के लिए आवेदन करने में विलंब की सीमा

विलंब की सीमा (दिनों में)	मामलों की संख्या	गारंटी दी गई राशि (₹ करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिनों में)	मामलों की संख्या	गारंटी दी गई राशि (₹ करोड़ में)
181 से 270	38,164	1,230.46	601 से 700	127	1.75
271 से 300	262	9.71	701 से 1000	196	3.54
301 से 330	255	3.92	1001 से 2000	64	2.81
331 से 450	191	5.27	2001 से 3809	5	0.34
451 से 600	192	3.12			
कुल				39,456	1,260.92

दूसरी ओर, 17 मामलों में (₹1.31 करोड़ राशि की गारंटी), संस्वीकृति की तिथि गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए एमएलआई द्वारा आवेदन जमा करने की तिथि के बाद की थी (परिशिष्ट-XIX)। संस्वीकृति की तिथि और आवेदन जमा करने की तिथि के बीच अंतर

1 दिन और 3,573 दिनों के बीच था। यह दर्शाता है कि एमएलआई ने ऑनलाइन प्रणाली में गलत तिथि प्रदान की थी, परंतु अपर्याप्त जांच के कारण प्रणाली ने इसको मान्यता नहीं दी और इसलिए संस्वीकृति की आगामी तिथि को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आवेदन को मंजूर करने वाले ने गारंटी जारी करते समय संस्वीकृति की तिथि पर विचार नहीं किया। सिस्टम को ऐसे मामलों में एमएलआई को आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

39,456 मामलों में से, ट्रस्ट ने 703 मामलों में प्रथम दावों (अर्थात् कुल दावा की गई राशि का 75 प्रतिशत) के प्रति ₹11.93 करोड़ की राशि का निपटान किया था। ट्रस्ट ने इन 703 मामलों में ₹0.27 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शक्तियों के प्रत्यायोजन ने प्राधिकारी एवं उप महाप्रबंधक (महाप्रबंधक/ सीईओ को सूचित किए जाने के लिए) को गारंटी कवर के लिए आवेदन के मामले में क्रमशः एक व तीन महीनों तक के विलंब होने पर छूट को अनुमोदित करने की अनुमति दी थी। हालांकि, ट्रस्ट ने एमएलआई के अनुरोध पर तीन अतिरिक्त महीनों की समय अवधि प्रदान की (जुलाई 2018); बशर्ते आवेदन की तिथि पर खाता मानक (विशेष उल्लेख खाता नहीं) था। इस प्रकार, सभी एमएलआई को गारंटी कवर के लिए आवेदन जमा करने के लिए तीन महीने के अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई थी। प्रबंधन द्वारा तीन महीने के अतिरिक्त समय की अनुमति देने का निर्णय योजना के प्रावधानों का उल्लंघन था और यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित भी नहीं था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का उत्तर नहीं दिया। हालांकि, प्रबंधन ने बताया (मार्च 2019) कि अधिकांश एमएलआई ने सीजीटीएमएसई के सामने प्रतिनिधित्व किया कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों अर्थात् प्राकृतिक आपदाएं, एमएलआई का समामेलन, तकनीकी त्रुटियां आदि के कारण आवेदन दर्ज नहीं किए जा सके। सीजीटीएमएसई ने एमएलआई के अनुरोध पर विलंब को नियमित किया।

हालांकि, तथ्य यह है कि एमएलआई द्वारा आवेदनों को जमा करने में अत्यधिक विलंब और ट्रस्ट द्वारा बाद में गारंटी की मंजूरी निपटानकर्ताओं द्वारा अनुमोदित योजना का उल्लंघन थी।

4.1.4.6 सूक्ष्म/ लघु श्रेणी के अंतर्गत न आने वाली इकाईयों को गारंटी जारी करना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को विनिर्माण और सेवा उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी में

निवेश और उपकरण में निवेश के आधार पर वर्गीकृत करता है जैसा तालिका 4.7 में बताया गया है:

तालिका 4.7: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का वर्गीकरण

क्षेत्र	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम
विनिर्माण	संयंत्र एवं मशीनरी में किया गया निवेश ₹25 लाख से अधिक नहीं है।	संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश ₹25 लाख से अधिक परंतु ₹5 करोड़ से अधिक नहीं है।
सेवा	उपकरणों में निवेश ₹10 लाख से अधिक नहीं है	उपकरण में निवेश ₹10 लाख से अधिक परंतु ₹2 करोड़ से अधिक नहीं हैं

संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की संगणना करते समय, प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक सुरक्षा उपकरणों और ऐसी अन्य मदों की लागत, जिनको अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, को छोड़ा जाएगा।

30 सितम्बर 2018 तक चालू गारंटी के डेटा की समीक्षा से पता चला कि 3,055 आवधिक ऋण मामले (₹1,467.88 करोड़ राशि की गारंटी) में, उद्यम को एक सूक्ष्म इकाई के रूप में चिन्हित किया गया था, परंतु एमएलआई द्वारा विस्तारित आवधिक ऋण एवं ट्रस्ट द्वारा जारी गारंटी ₹25 लाख से अधिक एवं ₹2 करोड़ तक थी। अधिनियम की परिभाषा के अनुसार, इन इकाइयों को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण में निवेश ₹25 लाख की सीमा से अधिक है।

इसके अलावा, स्वीकृत टर्म क्रेडिट/ जारी गारंटी में प्रमोटरों के योगदान को जोड़ने के बाद, सेवा क्षेत्र के तहत 15 मामलों में उपकरणों में निवेश दो करोड़ (₹25.10 करोड़ की गारंटी राशि) से अधिक किया गया। क्योंकि अधिनियम में सेवा क्षेत्र में उपकरण में निवेश की सीमा ₹10 लाख (सूक्ष्म) तथा ₹2 करोड़ (लघु) निर्धारित की गई थी, इन 15 मामलों को एमएसई के अंतर्गत नहीं माना जा सकता क्योंकि उपकरणों में निवेश ₹2 करोड़ की सीमा से बढ़ गया था। इसलिए इन 15 मामलों में गारंटी जारी करने की ट्रस्ट को आवश्यकता नहीं थी।

इसके अलावा, ट्रस्ट ने गारंटी फीस की गणना उस 'फ्लैग' के आधार पर की कि इकाई सूक्ष्म उद्यम थी अथवा नहीं और इसलिए, 3,055 मामलों में मानक दर तथा जोखिम

प्रीमियम के 0.15 प्रतिशत से 0.25¹² प्रतिशत की सीमा तक गारंटी फीस कम वसूल की गयी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का उत्तर नहीं दिया। तथापि, प्रबंधन ने बताया (मार्च 2019) कि सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अन्तर्गत उधारकर्ताओं का श्रेणीकरण एमएलआई की परिधि के अंतर्गत आता है। ट्रस्ट ने एमएलआई द्वारा प्रेषित डेटा को स्वीकार किया तथा एमएलआई के साथ की गई वचनबद्धता के अनुसार गारंटीयां जारी कीं। एमएलआई आरबीआई द्वारा विनियमित की गई थी और उनके द्वारा सरकार को आवधिक डेटा भेजा जा रहा था।

उत्तर की इस संदर्भ में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है कि ट्रस्ट द्वारा वसूली गयी गारंटी फीस श्रेणीकरण (सूक्ष्म अथवा लघु उद्योगो) पर आधारित थी तथा इसलिए इसे फीस की सही वसूली तथा गारंटी कवर के सम्बन्धित मुद्दों के लिए ट्रस्ट द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह उनकी राजस्व प्राप्तियों को सीधे प्रभावित कर सकता था।

4.1.5 सदस्य ऋणदाता संस्थाओं से परिसंपत्ति, दावों, निरीक्षण तथा वसूलियों का गैर निष्पादन

आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड पर आरबीआई का मास्टर परिपत्र (1 जुलाई 2015) किसी परिसंपत्ति को तब गैर निष्पादित परिभाषित करता है जब यह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देता है। एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) ऋण अथवा अग्रिम है जहां (i) सावधि ऋण के संबंध में मूलधन का ब्याज तथा/ अथवा किश्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो (ii) ओवरड्राफ्ट/ केश क्रेडिट के संबंध में खाता अव्यस्थित बना रहें (iii) खरीद तथा छूट आदि दिए गए बिलों के मामलों में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए बिल बकाया रहें।

4.1.5.1 एनपीए का वर्गीकरण

आरबीआई के मास्टर परिपत्र में यह प्रावधान किया गया कि बैंकों को एनपीए की उचित तथा समय पर पहचान के लिए उचित आंतरिक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए तथा प्रणाली यह सुनिश्चित करें कि किसी कारण से परिसंपत्ति के वर्गीकरण में संदेहों को उस तारीख से एक माह के अन्दर निर्दिष्ट आंतरिक चैनलों के माध्यम से दूर किया जाए जिससे

¹² 1 जनवरी 2013 को या इसके बाद संस्वीकृत गारंटियों के लिए लागू फीस संरचना के अनुसार

लेखाओं को विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया होता। तदनुसार, एमएलआई को अपनी स्वयं की प्रणाली में एनपीए के रूप में एक बार वर्गीकृत होने के एक माह के अन्दर सीजीटीएमएसई के पोर्टल में एनपीए के रूप में लेखा को मार्क करना चाहिए। यह प्रणाली में एनपीए तथा इस के कारण संभावित दावों की सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए सीजीटीएमएसई को समर्थ बनाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि ट्रस्ट ने एक कैलेंडर तिमाही में एनपीए आगामी तिमाही के अन्त तक मार्क करने के लिए एमएलआई को स्वीकृत किया (नवम्बर 2009) जो कि आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, एमएलआई ने योजना के अनुसार भी एनपीए को मार्क नहीं किया और देरी को ट्रस्ट द्वारा माफ कर दिया गया था।

प्रबंधन (मार्च 2019) तथा मंत्रालय (सितम्बर 2019) ने बताया कि एमएलआई को एनपीए तिथि से आगामी तिमाही के अंत तक सीजीटीएमएसई पोर्टल में एनपीए मार्क करने के लिए समय दिया गया था क्योंकि यह लेखा के एनपीए में बदलने के बाद एक आगामी गतिविधि थी। कई लेखा छोटी अवधि के लिए एनपीए ही बने रहते हैं और अतिदेय के निपटान के बाद मानक बन जाते हैं। इसमें आगे बताया कि एनपीए की मार्किंग में देरी को माफ कर दिया गया था जब एमएलआई से अनुरोध बड़ी संख्या में प्राप्त हुए थे। इसके अलावा विमुद्रीकरण चरण के दौरान एमएलआई पश्य विमुद्रीकरण कार्य भार तथा तनाव के कारण एनपीए को मार्क नहीं कर सका।

1 अप्रैल 2015 से 30 सितम्बर 2018 के दौरान एमएलआई द्वारा एनपीए के रूप में मार्क किए गये मामलों में लेखापरीक्षा के विश्लेषण को तालिका 4.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.8: एमएलआई द्वारा एनपीए मार्क करने में लिया गया समय

दिनों की संख्या	0-10	11-20	21 -30	31-60	61-90	91-180	181-365	कुल
गारंटी के शुरु होने की तिथि से एनपीए बनने वाले मामलों की संख्या	567	494	592	2,113	3,210	13,756	43,018	63,750
गारंटी कवर की राशि (₹ करोड़ में)	19.29	15.17	13.91	62.50	89.33	441.8	1,718.36	2,360.36
उन मामलों की संख्या जहां प्रथम दावे का भुगतान किया गया था	7	9	7	42	87	3,820	13,815	17,787

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

दावे की राशि (₹ करोड़ में)	0.34	0.28	0.09	0.29	1.01	72.33	317.46	391.80
वास्तविक एनपीए तिथि से एनपीए मार्क करने में लगा समय	1 से 2,408	2 से 1,858	1 से 1,766	0 से 2,201	1 से 2,519	0 से 3,185	0 से 3,352	

यह देखा जा सकता है कि:

- एमएलआई ने गारंटी शुरू करने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर एनपीए के रूप में 1,653 मामले (₹48.37 करोड़ की गारंटी) मार्क किए तथा ट्रस्ट ने ₹71 लाख तक की राशि वाले 23 मामलों में प्रथम दावों का भुगतान किया। एमएलआई ने सीजीटीएमएसई पोर्टल में एनपीए के रूप में इन मामलों के मार्किंग करने में 1 दिन से 2,408 दिनों की अवधि का समय लिया।
- एमएलआई ने गारंटी शुरू करने की तिथि से 31 दिनों से 90 दिनों के अन्दर एनपीए के रूप में 5,323 मामलों (₹151.83 करोड़ की गारंटी) मार्क किए जिनमें ₹1.30 करोड़ की राशि वाले 129 मामलों में प्रथम दावे का निपटान किया गया था। एमएलआई ने इन मामलों को एनपीए के रूप में मार्क करने में 2,519 दिनों तक की अवधि का समय लिया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 348 मामलों (₹19.23 करोड़ की गारंटी) में, वास्तविक एनपीए तिथि या तो गारंटी के शुरू होने की तिथि थी या गारंटी के शुरू होने से पहले की तिथि थी। ट्रस्ट ने ₹75.36 लाख की राशि वाले ऐसे चार मामलों में दावे का भुगतान किया। इसके अलावा 71 मामलों (₹6.42 करोड़ की गारंटी) में एनपीए मार्क करने की तिथि वास्तविक एनपीए की तिथि से पहले की थी। ट्रस्ट ने ऐसे 32 मामलों में ₹1.59 करोड़ के प्रथम दावों को निपटाया।

लेखाओं का बहुत कम अवधि के अन्दर एनपीए बनना एमएलआई द्वारा मूल्यांकन की कमी को दर्शाता है तथा ट्रस्ट के अन्दर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तथा जांचों की कमी को भी दर्शाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अच्छे और योग्य मामलों को गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए एमएलआई द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

प्रबंधन (मार्च 2019) तथा मंत्रालय (सितम्बर 2019) ने बताया कि यह उन मामलों के अध्ययन के लिए व्यवस्था करेगा जहां गारंटी जारी होने के 90 दिनों के अन्दर लेखा

एनपीए बने और प्रथम दावे जारी किए गए। प्रणाली में आवश्यक सुधारों पर विचार किया जाएगा। वास्तविक एनपीए की तिथि से पहले मार्क किए गए एनपीए की तिथि के संबंध में, यह कहा गया था कि कुछ एमएलआई ने त्रुटिपूर्वक एनपीए की गलत तिथि दर्ज की थी।

4.1.5.2 सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के निरीक्षण तथा वसूली

सीजीएस-I का खंड 7 (i), (ii), (vii) तथा 13 ट्रस्ट के लिए मंजूरी, निगरानी तथा वसूलियों के प्रेषण के संबंध में एमएलआई की जिम्मेदारी तथा जवाबदेही निर्धारित करता है। खंडों में प्रावधान था कि ऋणदात्री संस्था विवेकपूर्ण बैंकिंग निर्णय करके क्रेडिट आवेदनों का मूल्यांकन करेगी तथा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों के चयन में कारोबार विवेक/ उचित सावधानी का प्रयोग करेगी तथा सामान्य बैंकिंग सावधानी के साथ ऋणी के लेखाओं का संचालन करेगी।

योजना के खंड 15 (ii) में प्रावधान है कि ट्रस्ट को ऋणदात्री संस्था की तथा ऋणदात्री संस्था से किसी ऋणी की लेखा बहियों तथा अन्य अभिलेखों (निर्देशों की किताब अथवा मैनुअल अथवा अग्रिम के संचालन के संबंध में सामान्य निर्देशों को कवर करने वाले परिपत्र सहित) का निरीक्षण करने अथवा प्रतियों को मांगने का अधिकार है। ऋणदाता संस्था के प्रत्येक अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी अथवा ऋणी जो ऐसा करने की स्थिति में है, ट्रस्ट के अधिकारी अथवा सिडबी अथवा निरीक्षण के लिए नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को लेखा बाहियों तथा अन्य अभिलेखों तथा जानकारी, जो उनके अधिकार में है, को उपलब्ध कराएगा।

2015-16 से 2017-18 के दौरान ट्रस्ट ने 1,749 लेखाओं के संबंध में निरीक्षण किए जिन्हें तालिका 4.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: सीजीटीएमएसई द्वारा किए गए एलएलआई के निरीक्षण

वर्ष	शामिल एमएलआई की संख्या	शामिल एमएलआई के जोन/ क्षेत्रों की संख्या	शामिल लेखाओं की संख्या
2015-16	15	26	237
2016-17	13	44	829
2017-18	12	20	683
कुल			1,749

लेखापरीक्षा ने देखा कि ट्रस्ट ने निरीक्षण की कोई योजना नहीं बनाई क्योंकि एमएलआई के चयन, एमएलआई के सम्बन्ध में लक्ष्यों, उपलब्धियों तथा कवर किए जाने वाले लेखाओं तथा क्षेत्रों के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं थे। 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान ट्रस्ट ने नमूना आधार पर निरीक्षण किया जहां दावे ₹10 लाख से अधिक पर निपटाए गये थे। इसके अलावा निरीक्षण को यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एमएलआई द्वारा पश्य दावा निपटान की वसूली की गयी राशि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार विभाजित है और शेष को सीजीटीएमएसई को प्रेषित किया गया है। इस प्रकार उन लेखाओं के संबंध में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था जहां दावे एमएलआई द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गये थे।

निरीक्षण रिपोर्टों की संवीक्षा से गंभीर कमियों को प्रकट किया गया अर्थात (i) एमएलआई को स्टॉक स्टेटमेंट का ऋणी द्वारा समय पर प्रस्तुत न करना (ii) एमएलआई की आन्तरिक रिपोर्ट जिसमें ऋणी जानबूझकर चूककर्ता के रूप में दर्शाया गया किन्तु आरबीआई को सूचित नहीं किया गया, (iii) कर्मचारी जवाबदेही रिपोर्ट की अनुपलब्धता, (iv) एमएलआई द्वारा किया गया एक बार निपटान लेकिन वसूलियाँ ट्रस्ट को प्रेषित न करना (v) निधियों की अन्तिम उपयोग रिपोर्ट की अनुपलब्धता (vi) दावा प्रस्तुत करने के बाद एमएलआई द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई (vii) दावा प्रपत्र में एमएलआई द्वारा उल्लेख न की गयी पश्य एनपीए तिथि की वसूलियां (viii) ट्रस्ट द्वारा दावे के भुगतान के बाद ट्रस्ट को वसूलियों को प्रेषित न करना (ix) मानदंडों के अनुसार एमएलआई द्वारा न किए गए निरीक्षण (x) वास्तविक अभिलेख के साथ सीजीटीएमएसई पोर्टल में दर्ज एनपीए तिथि का बेमेल होना (xi) स्टाफ जवाबदेही रिपोर्ट के अनुसार एमएलआई स्टाफ की ओर से गंभीर चूकें (xii) निधियों के अन्तिम उपयोग का संतोषप्रद नहीं पाया जाना (xiii) एमएलआई द्वारा स्वीकृति से पहले यथोचित सावधानी का न बरता जाना (xiv) परियोजना वित्त तथा अनुमान तथा बिक्रीकर रिटर्न को ऋणी से नहीं लेना (xv) स्वीकृति के समय ऋणी द्वारा केवाईसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करना (xvi) स्वीकृति पूर्व रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले ऋण की मंजूरी (xvii) ऋणी द्वारा प्रस्तुत किया गया जाली तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण आदि।

परियोजना के खंड 10(v) में प्रावधान था कि ऋणदात्री संस्था प्रचलित बैंक दर से ऊपर चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्तिक ब्याज के साथ-साथ ट्रस्ट द्वारा जारी दावों के प्रतिदाय के लिए उत्तरदायी होगा यदि क्रेडिट सुविधा के मूल्यांकन/ नवीकरण/ अनुवर्तन देने के मामले में गंभीर कमियां होने की स्थिति में ट्रस्ट द्वारा पुनः मांग की गयी है

अथवा जहां दावों के निपटान के लिए ऋणदात्री संस्थाओं की ओर से किसी भौतिक जानकारी को छुपाया गया हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निरीक्षण रिपोर्टों ने 1,749 लेखाओं में से 507 (29 प्रतिशत) में ₹71.41 करोड़ की वसूलियों को बताया। एमएलआई ने 4 दिनों तथा 722 दिनों के बीच की देरी के बाद 203 मामलों में ₹23.76 करोड़ जमा किये। तथापि ट्रस्ट से राशि को प्रेषित करने में हुई देरी पर ब्याज प्रभारित नहीं किया। मार्च 2018 को 368 मामलों (कुछ मामलों में एमएलआई द्वारा अगामी वसूली के कारण निरीक्षण के दौरान बताई गयी से प्रेषित राशि अधिक थी तथा कुछ मामलों में आंशिक प्रेषण किए गये थे) में वसूली के लिए ₹48.96 करोड़ लम्बित थे।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि ट्रस्ट द्वारा किए गए निरीक्षण जारी की गई गारंटीयों, सूचित एनपीए, एमएलआई द्वारा प्रस्तुत किए गये दावों तथा निरीक्षण रिपोर्ट में देखी गई कमियों के अनुरूप नहीं थे। निरीक्षण रिपोर्ट में बताई गई कमियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि एमएलआई योजना के निबंधन एवं शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। निबंधन एवं शर्तों का अननुपालन ट्रस्ट के वित्तीय हितों को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसके अलावा, क्रेडिट को मंजूर करने में उचित सावधानी का अभाव तथा वसूलियों को जमा न करना ऋण की धोखाधड़ी-पूर्ण स्वीकृति तथा कपटपूर्ण आशय के साथ राजकोषीय धन का प्रतिधारण दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि एमएलआई ने ट्रस्ट को धन प्रेषित नहीं किया होता यदि इन्हें ट्रस्ट की निरीक्षण टीम द्वारा नहीं बताया गया होता। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ट्रस्ट ने धोखाधड़ी-पूर्ण ऋण तथा सरकारी धन के गैर प्रेषण को कम करने के लिए किसी भी एमएलआई पर योजना के खंड 10(v) में यथा उल्लेखित शास्तिक प्रावधानों का प्रयोग नहीं किया था।

आरबीआई ने इस संबंध में कई सुझाव दिये (2015) जिसमें अन्य के साथ साथ ये शामिल थे (i) संपार्श्विक समर्थित ऋणों के मामले के समान संपार्श्विक मुक्त ऋणों में सख्त क्रेडिट अनुशासन और पश्य संवितरण अनुवर्तन को शुरू करने के लिए एमएलआई को समर्थ करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन तथा शास्ति के फ्रेमवर्क को रखना तथा (ii) ऋण राशि के बावजूद सभी संपार्श्विक मुक्त ऋण की अनिवार्य आंतरिक रेटिंग (iii) एक मजबूत डेटा विश्लेषण टीम तथा एमएलआई पर एक मजबूत निरीक्षण तंत्र का रखना (iv) आईटी बुनियादी ढांचे का सुधार करना आदि।


तथापि, ट्रस्ट ने आरबीआई द्वारा बताए गए सुझावों तथा सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया था।

प्रबंधन (मार्च 2019) तथा मंत्रालय (सितम्बर 2019) ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि नीति के भाग के रूप में ट्रस्ट निरीक्षण की प्रभाविकता में सुधार के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण को रखा जायेगा।

4.1.5.3 दावों के पश्य-निपटान पर एमएलआई से वसूलियां

योजना का खंड 7 (v) यह प्रावधान करता है कि ऋणदात्री संस्था को ट्रस्ट द्वारा गारंटी दावे के भुगतान को ऋणी से क्रेडिट की सम्पूर्ण बकाया राशि को वसूल करने के लिए ऋणदात्री संस्था की जिम्मेदारी से किसी भी प्रकार से दूर नहीं करता। इसके अलावा, योजना के खंड 13 में एमएलआई द्वारा की हुई वसूली की विधि लागत समायोजित करने के बाद ट्रस्ट के साथ दावों के पश्य निपटान से वसूले गये धन को जमा करने के लिए ऋणदात्री संस्था से अपेक्षा की गयी है। ट्रस्ट को लंबित वार्षिक सेवा फीस/ वार्षिक गारंटी फीस, शास्तिक ब्याज, और ट्रस्ट के प्रति अन्य प्रभार, यदि कोई हों, उस क्रेडिट सुविधा के संबंध में, जिसके प्रति ऋणदाता संस्थाओं द्वारा राशि की वसूली की गयी है, के प्रति पहले वसूलियों को विनियोजित करने की आवश्यकता है तथा शेष राशि यदि कोई हो, को इस तरह से विनियोजित किया जाएगा ताकि ट्रस्ट और ऋणदात्री संस्था के बीच क्रेडिट सुविधा की वसूली में घाटे के कारण हानियाँ जोखिम के अनुपात में बांटी जा सके।

2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान प्रदत्त दावे की तुलना में दावों के पश्य-निपटान पर एमएलआई से वसूलियों को नीचे चार्ट-4.4 में दर्शाया गया है:



यह देखा जा सकता है कि दावों के पश्च निपटान पर एमएलआई से वसूलियों में वर्ष 2014-15 से वृद्धि की प्रवृत्ति थी। तथापि, वर्ष के दौरान वसूली तथा प्रदत्त दावों के बीच हमेशा बड़ा अन्तर रहा।

ट्रस्ट ने निरीक्षण रिपोर्टों से पाया कि एमएलआई दावों के पश्य निपटान की उनके द्वारा की गई वसूलियों को प्रेषित नहीं कर रहे थे। अतः, ट्रस्ट ने सांविधिक लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एमएलआई को यह कहते हुए निर्देश दिया (मार्च 2014) कि सीजीएस के अन्तर्गत कवर की गई गारंटी के संबंध में सीजीटीएमएसई द्वारा दावों के पश्य निपटान पर एमएलआई द्वारा की गई वसूलियों को सीजीएस के प्रावधानों के अनुसार सीजीटीएमएसई को विधिवत पारित कर दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र आगामी वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाना था।

तथापि, केवल कुछ एमएलआई (लगभग 10) ने सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इसके अलावा एमएलआई द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र में अस्पष्ट भाषा है। ट्रस्ट ने सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया तथा दावों के दायर करने से पहले एमएलआई से ऑनलाईन घोषणा तथा वचनबद्धता लेना आरंभ कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र में ट्रस्ट के वित्तीय हितों के बचाव के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र का प्रावधान था कि दावों के पश्च-निपटान पर एमएलआई ने वसूल किया गया पूरा धन कानूनी खर्चों की कटौती के बाद ट्रस्ट को प्रेषित कर दिया है। हालांकि, ट्रस्ट ने ऑनलाईन घोषणा तथा वचनबद्धता को अनुमत करके पुनः सरकारी खजाने को प्रतिधारित करने के लिए एमएलआई को एक अवसर प्रदान किया क्योंकि प्रमाणपत्रों में सांविधिक लेखापरीक्षकों पर कर्तव्य के पूरा करने के लिए कानूनी बाध्यता उत्पन्न हुई थी जबकि एमएलआई वचनबद्धता देने के बाद भी यह कहते हुए अपने उत्तरदायित्व से बच सकते थे कि प्रेषण अनजाने में छोड़ा गया था अथवा स्टाफ को इसका ज्ञान नहीं था जोकि निरीक्षण रिपोर्टों से स्पष्ट है। यह उल्लेख करना उचित है कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट (2015) में योजना में निहित नैतिक खतरों के बारे में विस्तृत उल्लेख किया है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का उत्तर नहीं दिया। हालांकि प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2019) तथा बताया कि अधिकांश एमएलआई ने सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र प्राप्त करना बहुत मुश्किल पाया क्योंकि शाखा स्तर पर संव्यवहारों को सत्यापित करना लेखापरीक्षकों के लिए संभव नहीं था। इसलिए,

सीजीटीएमएसई ने एमएलआई से आनलाईन घोषणा तथा वचनबद्धता को स्वीकार करना शुरू कर दिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ट्रस्ट को एक बढ़िया नियंत्रण/ निगरानी तंत्र प्रारम्भ करना चाहिए था, जिसके द्वारा ट्रस्ट का वित्तीय हित सुरक्षित हो सके।

4.1.6 आन्तरिक नियंत्रण

4.1.6.1 एमएलआई द्वारा भरे गये डेटा की गुणवत्ता

एमएलआई को सीजीटीएमएसई के पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में गारंटी कवर की माँग के लिए आवेदनों के डेटा को भरने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि एमएलआई ने गैर-अनिवार्य डेटा को भरा नहीं था तथा इसके अलावा भरे गये डेटा की गुणवत्ता काफी खराब थी। कई क्षेत्रों (उदाहरण निम्न तालिका में दिए गए हैं) को एमएलआई द्वारा खाली छोड़ा गया था अथवा गलत डेटा भरा था। लाईव आवेदनों (12.10 लाख मामले) के डेटा के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा में कतिपय कमियों को प्रकट किया गया जिन्हें तालिका 4.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.10: सीजीटीएमएसई पोर्टल पर एमएलआई द्वारा भरे गये डेटा में कमियां

क्षेत्र	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
पीएमआर_चीफ_लीगल_आईडी तथा पीएमआर_चीफ_लीगल_टाईप	एमएसई इकाई के मुख्य प्रमोटर की कानूनी आईडी तथा टाईप के बारे में सूचना का 99.84 प्रतिशत मामलों में उल्लेख नहीं किया गया था।
पीएमआर_चीफ_डीओबी	मुख्य प्रमोटर की जन्मतिथि 36.13 प्रतिशत मामलों में रिक्त छोड़ी गयी थी। इसके अलावा, कई मामलों में जन्म के वर्ष का डेटा काफी पहले का दर्शाया गया है, जैसे 1794, 1657, 1690, 1653 1904 आदि।
पीएमआर_चीफ_सोशल_केटेगरी	सामाजिक श्रेणी 46.81 प्रतिशत मामलों में रिक्त थी।
एपीपी_आईएस_प्राइमरी_सिक्योरिटी	100 प्रतिशत रिक्त।
टीआरएम_अमाउंट_सेंक्शन_डीटी	सावधि क्रेडिट के स्वीकृति के वर्षों का उल्लेख किया गया है- 2020, 2021 2022, 2097, 2098, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत थे।
एसएसआई_सिटी	सिटी, जिसमें एमएसई इकाई को स्थापित किया गया था, तीन मामलों में रिक्त छोड़ दी गयी थी। इसके अलावा ऐसे

	अनेक मामले थे जहाँ सिटी के नाम के बजाय कुछ अंकों का उल्लेख किया गया था।
एसएसआई_पिनकोड	एमएसई इकाई की लोकेशन के पिनकोड का 871 मामलों में '000000' के रूप में उल्लेख किया गया था। ऐसे मामले थे जहाँ पिनकोड 9 की संख्या से आरंभ हुए थे लेकिन वे सही नहीं थे क्योंकि सभी पिनकोड जो 90 से 99 तक की शुरुआत के हैं वे सेना डाक सेवा के लिए चिन्हित किए गये हैं।
एसएसआई_आईटी_पैन	सीजीटीएमएसई द्वारा जारी निर्देशों की बुकलेट में प्रावधान था कि एक ऋणी को पात्र एमएलआई से क्रेडिट सुविधा को प्राप्त करने से पहले आईटी पैन संख्या प्राप्त करना अपेक्षित है। आईटी पैन संख्या आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार ₹10/ ₹5 लाख से ऊपर की क्रेडिट सुविधा के संबंध में दर्शाया जाना होता है। इसके अलावा, सीजीटीएमएसई ने गारंटी कवर को प्राप्त करने के समय ₹10 लाख (2015-16 तक) तथा ₹5 लाख (2017 के बाद) तक के ऋणों के संबंध में आईटी पैन के लिए जोर नहीं दिया था। ₹10/ ₹5 लाख से अधिक की गारंटी के मामलों में आईटी पैन संख्या का उल्लेख करने के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था। 10.43 लाख (86.22 प्रतिशत) मामलों में एमएसई इकाई की आईटी पैन संख्या डेटा में नहीं थी। इन मामलों में क्षेत्र या तो रिक्त थे अथवा '0' थे अथवा कुछ नाम, केरेक्टर, संख्या अथवा एक संख्या थी जो आईटी पैन संख्या के फार्मेट के अनुरूप नहीं थे।
एसएसआई_नम्बर_आफ इम्पलायेज़	1,852 मामलों में उल्लेखित कर्मचारियों की संख्या या तो शून्य थी अथवा कॉलम को रिक्त छोड़ा गया था।
एसएसआई_प्रोजेक्टेड_सेल्स_टर्नओवर	6,007 मामलों में अनुमानित बिक्री टर्नओवर या तो '0' था अथवा रिक्त था अथवा टर्नओवर को केवल ₹1000 तक दर्शाया गया था।
टीआरएम_इंटरैस्ट_रेट	सावधि क्रेडिट की ब्याज दर 4,324 मामलों में 0, 1, 2, 3 तथा 4 प्रतिशत थी जोकि एमएलआई द्वारा दी गई ऋण सुविधा की जाँच करने की आवश्यकता दर्शाती है क्योंकि प्रचलित दरों की तुलना में ब्याज दरें काफी कम थी।

डब्ल्यूसीपी_इंटरैस्ट	कार्यशील पूंजी ब्याज की दर (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) को 929 मामलों में 0, 1, 2, 3 तथा 4 प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया था, साथ ही ऐसे मामले थे जहां ब्याज की दर 70 तथा 95 प्रतिशत थी।
चीफ_प्रोमोटर_मोबाइल	मुख्य प्रोमोटर का मोबाइल नम्बर या तो उल्लेखित नहीं किया गया था अथवा 94 प्रतिशत से अधिक मामलों में गलत था।
एसएसआई_डिस्ट्रिक्ट_नाम	एमएसआई इकाई के जिले का नाम दो मामलों में रिक्त छोड़ा था।

उपरोक्त उदाहरण दृष्टांत है तथा व्यापक नहीं है जो सीजीटीएमएसई में प्रचलित खराब प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है। आनलाईन प्रणाली को गलत डेटा स्वीकार नहीं करना चाहिए अथवा यदि निरर्थक/ गलत डेटा प्रणाली द्वारा स्वीकार किया गया तो इसे गारंटी के अनुमोदनकर्ता के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

प्रबंधन (मार्च 2019) तथा मंत्रालय (सितम्बर 2019) ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि ट्रस्ट बाह्य सलाहकार लगाकर बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग कार्य कर रहा था तथा इसे डेटा में अंतर को संबोधित करने के प्रयासों को करना होगा। उत्तर में एमएलआई द्वारा भरे गये डेटा की गुणवत्ता से उत्पन्न होने वाली चिन्ता का सम्बोधित नहीं किया गया जो एमएलआई द्वारा खराब मूल्यांकन को दर्शाता है। इन चिन्ताओं को गारंटी जारी होने से पहले ट्रस्ट द्वारा सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है।

4.1.6.2 उसी आवेदन पर एक से अधिक बार गारंटी कवर जारी करना

प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, एमएलआई, एमएसई को उनके द्वारा दी गई पात्र क्रेडिट सुविधा के प्रति गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में सीजीटीएमएसई पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करता है। आनलाईन योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए गारंटी आवेदनों का आनलाईन अनुमोदन किया जाता है तथा सीजीपीएन¹³ जनरेट किया जाता है जोकि क्रेडिट सुविधा (सावधि ऋण/ कार्यशील पूंजी) के लिए विशिष्ट है। डिमांड एडवाइस (सीजीडीएन¹⁴) जनरेट किया जाता है और लागू दर के अनुसार दिन के अन्त तक मांग की जाती है जोकि भुगतानों को सुकर बनाने के लिए एमएलआई को आनलाईन दिखाई देता है। वार्षिक गारंटी फीस (एजीएफ) का भुगतान

¹³ सीजीपीएन गारंटी आवेदनों के संबंध में आवेदन पहचान संख्या को दर्शाता है।

¹⁴ सीजीडीएन गारंटी फीस के दावे के लिए जनरेट किए गए डिमांड एडवाइस सन्दर्भ को दर्शाता है।

मांग के जनरेट होने के 30 दिनों के अन्दर अथवा एमएलआई द्वारा ऋण के प्रथम संवितरण, जो भी बाद में हो, पर किया जाना होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएलआई ने उसी आवेदन/ क्रेडिट सुविधा के लिए एक से अधिक बार गारंटी कवर के लिए आवेदन किया तथा ट्रस्ट ने उनके आवेदन के अनुसार एमएलआई को गारंटी कवर भी प्रदान किया। इस प्रक्रिया में प्रणाली ने पहले से ही कवर की गई सुविधा के लिए नए सीजीपीएन को जनरेट किया। इसलिए आनलाईन प्रणाली अलर्ट जनरेट करने में सक्षम नहीं थी जब गारंटी कवर के लिए एमएलआई द्वारा उसी आवेदन को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, गारंटी आवेदनों के अनुमोदनकर्ता ने भी फर्जी अभिलेखों को सत्यापित नहीं किया और भले ही कुछ अलर्ट फर्जी अभिलेखों के लिए प्रणाली द्वारा किए गए थे फिर भी अलर्ट का संज्ञान नहीं लिया।

ट्रस्ट द्वारा दी गई सूचना में 122 मामलों को दर्शाया गया जहां एमएलआई ने एक से अधिक बार गारंटी कवर के लिए उसी आवेदन को प्रस्तुत किया। इन मामलों में ट्रस्ट ने ₹17.15 करोड़ की राशि वाली गारंटियाँ जारी कीं। ये संख्याएं केवल संकेत हैं तथा पूरे मामलों को नहीं दर्शाती जहाँ प्रणाली द्वारा फर्जी सीजीपीएन जनरेट किए गए थे। उन्हीं आवेदनों पर फर्जी गारंटी का जारी होना ट्रस्ट की जानकारी में केवल तब आया जब एमएलआई ने इस आधार पर इसके द्वारा जमा की गयी फीस के प्रतिदाय के लिए अनुरोध किया कि आवेदन अनजाने में दोबारा दायर किया गया था। ट्रस्ट ने सत्यापन के बाद फर्जी गारंटी को रद्द कर दिया तथा सभी मामलों में, जहां एमएलआई ने ऐसे अनुरोध किए थे, फीस का प्रतिदाय दिया था।

पहले से ही कवर किए गये मामलो के लिए फर्जी गारंटी को जारी करने से ऑनलाईन प्रणाली की क्षमता पर प्रश्न उठता है और गारंटी के जारी करने में उचित आंतरिक नियंत्रणों के अभाव को दर्शाता है। फर्जी गारंटियां जारी करके ट्रस्ट ने ना केवल अपने वित्तीय हितों के साथ समझौता किया था बल्कि कारोबार विवेक का अभाव भी दिखाया और जाली आवेदनों को दायर करने के लिए एमएलआई को अवसर दिया। यह ट्रस्ट के हितों के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकता था क्योंकि दावों के अनुमोदन सहित सभी गतिविधियां किसी भी दस्तावेजी अभिलेख के अंतरण के बिना आनलाईन की जा रही हैं।

प्रबंधन (मार्च 2019) और मंत्रालय (सितम्बर 2019) ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि करीब सभी मामलों में फर्जी गारंटियों को एमएलआई द्वारा अनजाने में की

गई त्रुटियों के कारण जारी किया गया था। फर्जी गारंटियों को एमएलआई के अनुरोध पर रद्द किया गया था।

प्रबंधन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं के न होने को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य योजना अथवा प्रस्ताव नहीं दिया।

4.1.7 निष्कर्ष

- (i) ट्रस्ट ने ₹10 लाख तक के ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी के प्रदान किए जाने को जारी रखा यद्यपि मंत्रालय ने उन्हें बन्द करने का निर्देश दिया था, क्योंकि ये गारंटियां एनसीजीटीसी द्वारा कवर की गई थी।
- (ii) ट्रस्ट के पास कोई नियामक प्राधिकरण नहीं था तथा ट्रस्ट के कई पहलुओं को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं था जैसे इसके परिचालनों का कार्यक्षेत्र, शासकीय, पूंजी तथा परिचालन आवश्यकताएं, साथ ही साथ राज्य के स्वामित्व वाली निधि तक पहुँच।
- (iii) सीजीटीएमएसई के प्रभाव से सम्बंधित एमएसई के टर्नओवर, निर्यात तथा रोजगार के आंकड़े सभी अनुमानित थे जो कि गारंटी कवर की माँग करने के लिए आवेदन दायर करते समय एमएलआई द्वारा प्रेषित सूचना पर आधारित थे।
- (iv) ट्रस्ट ने गारंटी दस्तावेज की प्रभावोत्पादकता पर एमएलआई में अधिक विश्वास जगाने तथा एमएसई क्षेत्रों के लिए बड़ी सीमा तक सहयोग के लिए उन्हें प्रेरित करने हेतु आश्वासन के लिए उचित आधार पर कार्पस निधि पर बेंचमार्क लीवरेज को निर्धारित नहीं किया था।
- (v) गारंटी के अनुमोदन की मौजूदा प्रणाली में केवल यह आश्वासन प्रदान किया गया कि एमएलआई ने ऋणी के केवल अनिवार्य विवरणों को भरा था। यहां तक कि प्रणाली/ पोर्टल भी एमएलआई द्वारा भरे गए गई विवरणों की परिशुद्धता को सत्यापित करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा, योजना प्रस्तावों की रेटिंग को प्रोत्साहित नहीं करती थी क्योंकि रेटिंग ₹50 लाख तक के क्रेडिट प्रस्तावों के लिए आवश्यक नहीं थी।
- (vi) ट्रस्ट ने प्राथमिक प्रतिभूति के सृजन के बिना ऋणी की व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर गारंटियां जारी कीं जो अनुमोदित योजना दिशानर्दिशों के विपरित था।

- (vii) एमएलआई ने उस तिमाही के बाद की आगामी तिमाही की समाप्ति के बाद भी गारंटी कवर के लिए आवेदन किया था जिसमें ऋण को स्वीकृत किया गया था।
- (viii) उद्यम को सूक्ष्म इकाई के रूप में चिन्हित किया गया था लेकिन एमएलआई द्वारा प्रदान किया गया सावधि क्रेडिट और ट्रस्ट द्वारा जारी की गई गारंटियां ₹25 लाख से अधिक तथा ₹2 करोड़ तक थी। अधिनियम की परिभाषा के अनुसार, इन इकाइयों को सूक्ष्म उद्यम नहीं माना जा सकता था क्योंकि संयंत्र मशीनरी/ उपकरण में निवेश ₹25 लाख की सीमा से अधिक हो गये हैं।
- (ix) एनपीए चिन्हित करने के लिए आगामी तिमाही की समाप्ति तक की अवधि के समय को अनुमत करने की ट्रस्ट की नीति बैंको को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।
- (x) ट्रस्ट ने एमएलआई के निरीक्षण की योजना नहीं बनाई क्योंकि एमएलआई के चयन, एमएलआई के संबंध में लक्ष्य तथा उपलब्धियों और कवर किए जाने वाले लेखाओं और ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं थे। 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान, ट्रस्ट ने नमूना आधार पर निरीक्षण किए जहां निपटान किए गए दावे ₹10 लाख से अधिक के थे। निरीक्षण जारी की गयी गारंटियों, सूचित किए गए एनपीए, एमएलआई द्वारा दायर दावों तथा निरीक्षण रिपोर्टों में पाई गई कमियों के अनुरूप नहीं थे।
- (xi) एमएलआई दावों के पश्य निपटान पर उनके द्वारा की गई वसूलियों को प्रेषित नहीं कर रही थी।
- (xii) एमएलआई ने गैर-अनिवार्य डेटा को नहीं भरा तथा इसके अलावा भरे गये डेटा की गुणवत्ता बहुत ही खराब थी। बहुत से क्षेत्रों को एमएलआई द्वारा रिक्त छोड़ा गया था अथवा गलत डेटा भरा गया था।
- (xiii) एमएलआई ने उसी आवेदन/ क्रेडिट सुविधा के लिए एक से अधिक बार गारंटी कवर के लिए आवेदन किया तथा ट्रस्ट ने भी उनके आवेदनों के अनुसार एमएलआई को गारंटी कवर जारी किये जो कि वित्तीय हितों, कारोबार विवेक के विपरीत था और जो खराब आन्तरिक नियंत्रण को दर्शाता था।

4.1.8 सिफारिशें

- (i) सरकार ₹10 लाख तक के ऋण की गारंटी देने के संबंध में सीजीटीएमएसई और एनसीजीटीसी दोनों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को निर्धारित करे।
- (ii) सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ सुगमता से निधि की उपलब्धता के उद्देश्य के सन्तुलन को सक्षम करने के लिए तथा नीचे के स्तर की उद्यमी गतिविधियों के व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करते हुए ट्रस्ट के कार्यों को उचित नियामक प्राधिकरण के अन्तर्गत लाए।
- (iii) ट्रस्ट एमएलआई के साथ वास्तविक डेटा इंटरफेस के आधार पर आर्थिक वृद्धि पर सीजीटीएमएसई के प्रभाव को मापने पर विचार करे।
- (iv) ट्रस्ट को तकनीकी आधार पर अस्वीकृत दावों तथा पुनः दायर होने की संभावना वाले और अनुमानित द्वितीय दावों की बकाया गारंटी पर विचार करते हुए ट्रस्ट की कार्पस निधि पर लीवरेज की सही स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए उचित बेंचमार्क अपनाने की आवश्यकता है।
- (v) ट्रस्ट को एमएलआई द्वारा प्रस्तुत गारंटी आवेदनों के लिए ठोस मूल्यांकन मॉडल को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ट्रस्ट को एमएसई के लिए निधि के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी क्रेडिट प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग सुनिश्चित करना चाहिए।
- (vi) ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अनुमोदित योजना दिशानिर्देशों का पालन करते हुए केवल प्राथमिक प्रतिभूति के प्रति गारंटियों को प्रदान किया जाए। योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी पर स्वीकृत ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में ट्रस्ट द्वारा विदेशी बैंकों को गारंटी के विस्तार की जांच होनी चाहिए व इसकी ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
- (vii) ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएलआई आवेदनों को स्वीकृति अथवा ऋण के संवितरण के पश्चात समय पर दायर करें।
- (viii) ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गारंटियां केवल उन उद्यमों/ इकाईयों को जारी की जा रही हैं जो अधिनियम में निर्धारित एमएसई की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं।

- (ix) ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एमएलआई उसी समय सीजीटीएमएसई के पोर्टल में एनपीए मार्क करें जब कभी लेखा उनकी प्रणाली में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाए।
- (x) ट्रस्ट को मुख्य मापदंडों जैसे जारी की गई गारंटियों, एनपीए का स्तर, दावों आदि के आधार पर एमएलआई के निरीक्षण की योजना बनाने की आवश्यकता है।
- (xi) ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली को स्थापित करने की आवश्यकता है कि एमएलआई द्वारा की गई वसूलियों को उचित समय पर ट्रस्ट को प्रेषित किया गया है।
- (xii) ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएलआई सीजीटीएमएसई के पोर्टल पर सभी अपेक्षित डेटा को सही ढंग से भर रहा है।
- (xiii) ट्रस्ट को प्रणाली में पर्याप्त आंतरिक तथा वैधीकरण जाचों को स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि फर्जी गारंटियां जारी न की जाएं।

अध्याय V: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय

5.1 परित्यक्त एनईएलपी ब्लॉकों में विभिन्न संविदाकारों से अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत की वसूली में असफलता

संविदाकार(रों) ने 54 एनईएलपी ब्लॉकों का परित्याग कर दिया जिनमें अन्वेषण अवधि के खत्म होने पर/ समाप्ति पर किए गए विस्तारों को सम्मिलित करके प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम निर्धारित समय-सीमा में अपूर्ण रहा। 45 ब्लॉकों के संबंध में स्वीकृत की गई 664.67 मिलियन यूएस डॉलर (₹4,753.03 करोड़) की धनराशि के प्रति अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (यूएमडब्ल्यूपी) पर 510.79 मिलियन यूएस डॉलर (₹3,652.64 करोड़¹) की अभी तक (सितंबर 2019) वसूली नहीं की गई थी। डीजीएच ने यूएमडब्ल्यूपी के लागत का निर्धारण करने में 15 दिन से 2,808 दिन लिए जबकि एमओपीएनजी ने उसे स्वीकृत करने में 25 दिन से 1,837 दिन लिए। नौ परित्यक्त ब्लॉकों के लिए यूएमडब्ल्यूपी का लागत निर्धारण डीजीएच द्वारा अभी भी किया जाना है/ एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदन अभी भी किया जाना है।

5.1.1 पृष्ठभूमि

नई अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी), जो कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा 1997 में घोषित की गई एवं 1999 में अधिसूचित की गई, भारत में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई क्योंकि राष्ट्रीय तेल कंपनियों जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड को इएंडपी लाइसेंस नामांकन आधार पर प्राप्त करने की बजाय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी। इस नीति का उद्देश्य न केवल निजी पूंजी को ईएंडपी क्षेत्र की ओर आकर्षित करना था बल्कि इस क्षेत्र की वैश्विक कंपनियों की तकनीकी विशेषज्ञता एवं दक्षता को समाविष्ट करना भी था। भारत सरकार एवं संविदाकार(रों)² के बीच संविदात्मक संबंध का

¹ ₹ 3,652.64 करोड़ (510.79 मिलियन यूएस डॉलर @ ₹ 71.5096) 31 जनवरी 2020 को आरबीआई के अनुसार

² संविदाकार; संविदाकारों का अर्थ है कंपनी(याँ) और कंपनी संविदाओं के लिए पार्टी है (अर्थात् पीएससी) और जहाँ संविदा में एक से अधिक कंपनी पार्टी हैं, शब्द कंपनियों का अर्थ सामूहिक रूप से ऐसी सभी कम्पनियाँ होंगी जिसमें उनके संबंधित अनुवर्तियों एवं अनुज्ञत नियुक्तियों को शामिल किया गया है।

आधार उत्पादन साझाकरण संविदा (पीएससी) है जिसमें सभी पार्टियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व तथा अन्वेषण, विकास और उत्पादन के विभिन्न चरणों में पालन की जाने वाली विस्तृत क्रियाविधियों का निर्धारण किया गया। पीएससी के अनुसार, अन्वेषण जोखिम अर्थात् खोज की निश्चितता के बिना तेल एवं प्राकृतिक गैस को खोजने में आने वाली लागत, संविदाकारों द्वारा वहन की जानी थी।

तदनुसार, सरकार ने 1999 से 2010 तक एनईएलपी के अंतर्गत नौ दौर की बोलियों का आयोजन किया था और केवल 254 ब्लॉक (360 ब्लॉकों में से) विभिन्न संविदाकारों (भारतीय व विदेशी दोनों) यथा ओएनजीसी, आईओसी, एचपीसीएल, जीएसपीसी, गेल, रिलाइंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (आरआईएल), जीओ ग्लोबल रिसोर्सेज, एनएएफटीओजीएजेड, वेलस्पन, एनआईकेओ आदि को दिए गए थे। 30 सितंबर 2019 को 254 ब्लॉकों की स्थिति तालिका 5.1 में दर्शाए गए के अनुसार थी :

तालिका 5.1: 30 सितंबर 2019 को 254 ब्लॉकों की स्थिति

क्र. सं.	स्थिति	ब्लॉकों की संख्या
1.	एमडब्ल्यूपी अपूर्ण छोड़े गए	54
2.	एमडब्ल्यूपी पूर्णकर छोड़े गए	139
3.	प्रचालित	61
कुल ब्लॉक		254

इस प्रकार 30 सितंबर 2019 को 254 दिए गए ब्लॉकों में से केवल 61 ब्लॉक प्रचालन³ में थे और 54 ब्लॉकों⁴ के संबंध में संविदाकार न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) पूर्ण करने में विफल रहे थे जिसके लिए संविदाकार अपूर्ण एमडब्ल्यूपी की लागत का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं जैसा कि पीएससी में निर्दिष्ट था।

भारत सरकार ने राजस्व साझेदारी मॉडल पर 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) को प्रारंभ किया जिसके अनुसार सरकार संविदाकार के पास एकत्रित होने वाले राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त करेगी। एचईएलपी में लागत वसूली का कोई सिद्धांत नहीं है, जबकि लाभ साझेदारी मॉडल में संविदाकार पीएससी में सहमत

³ संचालित ब्लॉक वे ब्लॉक हैं जिनका संविदाकारों द्वारा परित्याग नहीं किया गया है क्योंकि इन ब्लॉकों में पीएससी के अंतर्गत पेट्रोलियम संचालन जारी थे।

⁴

एनईएल पी दौर	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	कुल
ब्लॉकों की संख्या	5	8	8	3	5	16	3	3	3	54

निबंधन और शर्तों के अनुसार लागत वसूली के हकदार थे। एनईएलपी दौरों के दौरान हस्ताक्षरित पीएससी, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई संबद्ध नीतियां या दिशानिर्देश आदि अभी भी अस्तित्व में हैं।

5.1.2 न्यूनतम कार्य कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए पीएससी प्रावधान

पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार संविदाकार(रों) द्वारा एमडब्ल्यूपी को पूर्ण करना अपेक्षित था और संबद्ध अन्वेषण चरण की समाप्ति तक या सरकार द्वारा किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो संविदा की जल्दी समाप्ति पर उक्त एमडब्ल्यूपी को पूर्ण करने में असफल होने की स्थिति में संविदाकार को गठित करने वाली प्रत्येक कंपनी संबद्ध अन्वेषण चरण के समाप्ति या संविदा की पूर्व समाप्ति से 60 दिनों के भीतर उक्त एमडब्ल्यूपी को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित राशि के बराबर राशि का भुगतान सरकार को करेगी। इस राशि के अवधारण के लिए बजट एवं आधुनिक तेल क्षेत्र और पेट्रोलियम इंडस्ट्री की कार्यप्रणालियों को समाविष्ट करते हुए उपलब्ध संबद्ध सूचना को ध्यान में रखा जाना था। इस राशि को अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत (सीओयूएमडब्ल्यूपी) के रूप में भी जाना जाता है।

5.1.3 अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत के अवधारण के लिए नीति

भारत सरकार ने पूर्व-एनईएलपी एवं एनईएलपी संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण ब्लॉकों के लिए यूएमडब्ल्यूपी की लागत अवधारण करने के लिए एक नीति को तैयार किया (दिसंबर 2007)। नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि संविदाकारों द्वारा सरकार को शेष भुगतान (अर्थात् विभेदक राशि), राशि की अधिसूचनाओं से 15 दिन के भीतर करना होगा।

नीति में यह भी प्रावधान था कि अन्वेषण कुओं के संबंध में यूएमडब्ल्यूपी की लागत सूखा कुँआ सिद्धांत⁵ पर अवधारित की जाएगी और असमाप्त कुँए की लागत की गणना करने के उद्देश्य के लिए कंपनियों द्वारा एमडब्ल्यूपी के अंतर्गत संकल्पित कुँए की गहराई को ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि यह बोलियों के मूल्यांकन एवं ब्लॉकों को सौंपने के लिए मानदंड रहा है। नीति के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) से वर्तमान में प्रचलित बाजार स्थिति के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों/ अंचलों के लिए पृथक रूप से प्रत्येक अन्वेषण गतिविधियों के लिए लागत डेटा अनुरक्षित करना अपेक्षित था

⁵ सूखा कुँआ सिद्धांत: यदि खोदा गया कुँआ बिना किसी हाइड्रोकार्बन के पाया जाता है तो यह सूखा कुँआ कहलाता है और अतः उत्पादन परीक्षण को समाहित करते हुए बाद वाली गतिविधियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सूखा कुँआ सिद्धांत के अंतर्गत, यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना के उद्देश्य से खुदाई में लगने वाले दिनों एवं केवल खुदाई तक आए खर्चों पर विचार किया जाता है।

जो प्रत्येक छः माह में सरकार के अनुमोदन से संशोधित किए जाएंगे। यदि संविदाकार द्वारा अपूर्ण कार्य कार्यक्रम की संगणित दरें डीजीएच द्वारा अनुरक्षित लागत डेटा बैंक से कम हैं तो कंपनियों से अपूर्ण कार्य कार्यक्रम हेतु राशि डीजीएच के लागत डेटा के आधार पर वसूली जाएगी।

एनईएलपी VIII एवं IX के पीएससी में अन्य बातों के साथ-साथ 2डी एवं 3डी भूकंपीय डेटा की दरें निर्दिष्ट होने के अतिरिक्त अभितटीय/ उथले/ गहरे समुद्री ब्लॉकों के प्रति कुओं के लिए यूएमडब्ल्यूपी की लागत क्रमशः एक मिलियन/ तीन मिलियन/ छः मिलियन यूएस डॉलर की दर से एक निश्चित राशि के लिए प्रावधान था। यह प्रावधान एनईएलपी I से VII तक के पीएससी में नहीं था।

5.1.4 लेखापरीक्षा आपत्तियां

पीएससी के अनुसार बिना एमडब्ल्यूपी के पूर्ण हुए परित्यक्त/ समाप्त 54 ब्लॉकों में से, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने विभिन्न संविदाकारों के 45 ब्लॉकों के संबंध में यूएमडब्ल्यूपी की लागत अनुमोदित कर दी थी और शेष नौ ब्लॉकों के संबंध में डीजीएच द्वारा यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना/ एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदन अभी भी किया जाना है।

5.1.4.1 45 ब्लॉकों में यूएमडब्ल्यूपी की लागत 664.67 मिलियन यूएस डॉलर की गैर-वसूली

एमओपीएनजी ने विभिन्न संविदाकारों के 45 परित्यक्त/ समाप्त ब्लॉकों के संबंध में 664.67 मिलियन⁶ यूएस डॉलर को यूएमडब्ल्यूपी की लागत के रूप में अनुमोदित किया था (नवम्बर 2009 से अगस्त 2019)। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 510.79 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि 77% था, की वसूली सितंबर 2019 तक सरकार द्वारा नहीं की गई थी जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(क) छः ब्लॉकों में यूएमडब्ल्यूपी के 19.68 मिलियन यूएस डॉलर की विभेदक लागत की गैर-वसूली

एमओपीएनजी ने 10 परित्यक्त ब्लॉकों (प्रचालक: ओएनजीसी - छः ब्लॉकों और आरआईएल - चार ब्लॉकों) के संबंध में डीजीएच को परस्पर सहमत पूर्व-अनुमानित

⁶ 45 ब्लॉकों की यूएमडब्ल्यूपी की लागत: 664.67 मिलियन यूएस डॉलर {53.56 मिलियन यूएस डॉलर (पैरा 5.1.4.1 का उप-पैरा (क)) + 565.16 मिलियन यूएस डॉलर (पैरा 5.1.4.1 का उप-पैरा (ख)) + 45.95 मिलियन यूएस डॉलर (पैरा 5.1.4.1 का उप-पैरा (ग))}

निर्णीत हर्जानों (अर्थात् यूएमडब्ल्यूपी की लागत) की राशि की गणना एवं वसूली करने के लिए निर्देशित किया था (अप्रैल/ अगस्त 2006)। कोई नीति या सरकारी दिशानिर्देश मौजूद न होने से, यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना, सूखा कुँआ सिद्धांत पर, पीएससी के अनुसार कुँ के आधार तल⁷ तक ली गई गहराई को आधार मानते हुए की गई और खुदाई के दिनों की गणना उसी/ सदृश/ निकटवर्ती ब्लॉक की भेदन दर के आधार पर की गई।

ओएनजीसी के छः ब्लॉकों एवं आरआईएल के चार ब्लॉकों के संबंध में यूएमडब्ल्यूपी की परस्पर सहमत लागत 33.88 मिलियन यूएस डॉलर एवं 19.81 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान ओएनजीसी एवं आरआईएल के साथ संघ के अन्य भागीदारों द्वारा कर दिया गया था। हालांकि, दिसंबर 2007 में नीति जारी होने और एमओपीएनजी के निर्देश (अप्रैल 2008) पर, डीजीएच ने इन 10 ब्लॉकों के संबंध में यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना को संशोधित कर दिया एवं एमओपीएनजी को यह कहते हुए सूचित किया (जून 2008) कि नीति दिशानिर्देशों के अंतर्गत वांछित प्रत्येक अन्वेषण गतिविधि के लागत डेटा के आधार पर राशि का बेंचमार्किंग संभव हो सकता था, यदि संगत आँकड़ों को एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय होता। ओएनजीसी एवं आरआईएल के 10 ब्लॉकों के संबंध में अपूर्ण कार्य कार्यक्रम की पूर्व में वसूली गई एवं नए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित की गई अनुमानित लागत **परिशिष्ट-XX** में है।

एमओपीएनजी ने संशोधित राशि⁸ को अनुमोदित (जनवरी 2010) किया और कहा कि दिसंबर 2007 की नीति के अनुसार लागतों की बेंचमार्किंग की दरों को अंतिम रूप देने और डेटा बैंक का निर्माण लंबित होने के कारण संशोधित राशि को अनंतिम माना जाए और डीजीएच से अनुरोध किया कि संघ भागीदारों⁹ से 28.27 मिलियन¹⁰ यूएस डॉलर की विभेदक राशि की ब्याज सहित वसूली पीएससी प्रावधानों के अनुसार तत्काल की जाए। इसके अलावा एमओपीएनजी ने डीजीएच को 15 फरवरी 2010 तक लागत की बेंचमार्किंग की अंतिम दरों को प्रस्तुत करने और डेटा बैंक तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि :

⁷ आधार तल: आधार तल का अर्थ है कोई आग्नेय या कायान्तरित चट्टान जिसने और जिसके नीचे के भौगोलिक संरचना में वाणिज्यिक मात्रा में पेट्रोलियम के एकत्रिकरण के लिए आवश्यक गुण धर्म नहीं होते हैं एवं जो ऐसी अधिकतम गहराई को दर्शाता है जहाँ किसी ऐसे एकत्रिकरण की तार्किक रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

⁸ ओएनजीसी: 53.56 मिलियन यूएस डॉलर एवं आरआईएल 28.40 मिलियन यूएस डॉलर

⁹ उत्पादन साझेदारी संविदा के लिए पार्टि

¹⁰ आरआईएल: 8.59 मिलियन यूएस डॉलर एवं ओएनजीसी 19.68 मिलियन यूएस डॉलर

- आरआईएल ने 8.59 मिलियन यूएस डॉलर की विभेदक लागत एमओपीएनजी के अनुमोदन की तारीख से 532 दिनों के पश्चात् बिना किसी शास्तिक ब्याज के जमा की थी। ओएनजीसी ने संघ भागीदारों के साथ 19.68 मिलियन यूएस डॉलर की विभेदक लागत का भुगतान अभी तक नहीं किया जबकि फरवरी 2010 से लेकर 10 वर्ष बीत चुके हैं।
- डीजीएच अभी तक (सितंबर 2019) लागत की बेंचमार्किंग की दरों को अंतिम रूप देने एवं डेटा बैंक तैयार करने में सफल नहीं हो पाया है।

(ख) 33 ब्लॉकों में 448.85 मिलियन यूएस डॉलर की यूएमडब्ल्यूपी की अनुमोदित लागत की गैर-वसूली

2007 की विद्यमान नीति के अनुसार, डीजीएच से चालू प्रचलित बाजार स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों/ अंचलों के लिए पृथक रूप से प्रत्येक अन्वेषण गतिविधियों के लिए लागत डेटा अनुरक्षित करना अपेक्षित था जिसे प्रत्येक छः माह में सरकार के अनुमोदन से संशोधित किया जाना था। यदि संविदाकार द्वारा अपूर्ण कार्य कार्यक्रम की संगणित दरें डीजीएच द्वारा अनुरक्षित लागत डेटा बैंक से कम हैं तो संविदाकारों से अपूर्ण कार्य कार्यक्रम हेतु राशि डीजीएच के लागत डेटा के आधार पर वसूली जाएगी। चूंकि डीजीएच द्वारा कोई लागत डेटा अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे, इसने लागत की गणना संविदाकारों द्वारा उसी ब्लॉक में संदर्भ कुँए¹¹ की खुदाई या समान भू-वैज्ञानिक स्थिति वाले समीपस्थ ब्लॉक में किसी कुँए की खुदाई में आने वाली वास्तविक लागत के आधार पर की। तदनुसार, एमओपीएनजी ने 33 ब्लॉकों (एनईएलपी दौर I से VII तक से संबंधित) के संबंध में 565.16 मिलियन यूएस डॉलर अनुमोदित (नवंबर 2009 से अगस्त 2019) किए जिसके प्रति 448.85 मिलियन यूएस डॉलर¹² (सरकारी कंपनियाँ: 89.99 मिलियन यूएस डॉलर और निजी कंपनियाँ 358.86 मिलियन यूएस डॉलर) की वसूली अभी तक (सितंबर 2019) संविदाकारों से की जानी है (परिशिष्ट-XXI)। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- पीएससी के प्रावधानों के बावजूद जिनमें संविदाकारों को यूएमडब्ल्यूपी की लागत का भुगतान अन्वेषण अवधि/ संविदा की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर करना

¹¹ संदर्भ कुँआ से आशय है उसी ब्लॉक या सटे हुए ब्लॉक में खोदा गया कुँआ और इस कुँए के लागत मानदंडों को न खोदे गए कुँए की यूएमडब्ल्यूपी की लागत के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है।

¹² सरकारी कंपनियाँ: ओएनजीसी, आईओसी, ओआईएल, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल एवं एनटीपीसी; निजी कंपनियाँ: आरआईएल, एनआईकेओ, बीपीईएल, एचईपीआई, जीपीआई, ब्राउन स्टोन, सीआरएल, जियो ग्लोबल, हालवर्दी, नितिनफायर, वसुंधरा रिसोर्सेस, बीईआई, सिटेक्स ऑयल एंड गैस, पीपीसीएल एंड एबीजीईएल।

अपेक्षित था, आरआईएल द्वारा संचालित चार ब्लॉकों के संबंध में प्राप्त हुए आंशिक भुगतान को छोड़कर 33 ब्लॉकों के संबंध में किसी भी संविदाकार ने अनुबंधित अवधि के अंदर भुगतान नहीं किया।

- किसी आंतरिक समयसीमा के अभाव में डीजीएच ने यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना में 130 दिन से 2,808 दिन लिए जबकि एमओपीएनजी ने यूएमडब्ल्यूपी की लागत के अनुमोदन में 49 दिन से 1,837 दिन लिए (परिशिष्ट-XXII)। इस प्रकार यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना एवं अनुमोदन में लिए गए अधिक समय के कारण सरकार को राशि की उगाही में विलम्ब हुआ है।
- डीजीएच द्वारा यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना एवं एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदन वास्तव में दिसंबर 2007 की नीति के अनुसार नहीं है क्योंकि उस की गणना लागत डेटा के अनुरक्षण एवं इसके आवधिक संशोधन के बिना की गई थी।

सरकारी कंपनियों के मामले में 16 ब्लॉकों के संबंध में 77.40 मिलियन यूएस डॉलर के यूएमडब्ल्यूपी की लागत के साथ ओएनजीसी मुख्य चूककर्ता थी। निजी कंपनियों के मामले में 14 ब्लॉकों के संबंध में 206.30 मिलियन यूएस डॉलर के यूएमडब्ल्यूपी की लागत के साथ आरआईएल मुख्य चूककर्ता थी।

(ग) छः ब्लॉकों में 42.26 मिलियन यूएस डॉलर के यूएमडब्ल्यूपी की अनुमोदित लागत की गैर-वसूली

एनईएलपी VIII और IX के पीएससी में अन्य बातों के साथ-साथ 2डी एवं 3डी भूकंपीय डेटा की दरें निर्दिष्ट होने के अतिरिक्त अभितटीय/ उथले/ गहरे समुद्री ब्लॉकों में प्रति कुआं के लिए यूएमडब्ल्यूपी की लागत क्रमशः एक मिलियन/ तीन मिलियन/ छः मिलियन यूएस डॉलर की दर से एक निश्चित राशि के लिए प्रावधान था। हालांकि, डीजीएच ने छः ब्लॉकों के संबंध में यूएमडब्ल्यूपी के लागत के अवधारण में 15 दिन से 762 दिन का समय लिया एवं एमओपीएनजी ने लागत के अनुमोदन में 25 दिन से 661 दिन लिए (परिशिष्ट-XXII) जबकि ये ब्लॉक एनईएलपी VIII और IX दौर में दिए गए थे जहाँ यूएमडब्ल्यूपी की लागत निश्चित थी। इसके अलावा, 45.95 मिलियन यूएस डॉलर की अनुमोदित राशि के प्रति अभी तक केवल 3.69 मिलियन यूएस डॉलर (8 प्रतिशत) की वसूली की गई है। इस प्रकार 42.26 मिलियन यूएस डॉलर (निजी कंपनियों से) वसूली के लिए बचा हुआ (सितंबर 2019) था (परिशिष्ट-XXIII)। यूएमडब्ल्यूपी की लागत निर्धारण/ अनुमोदन में लिए गए अत्यधिक समय ने वचनबद्ध

कार्य कार्यक्रम की विभिन्न ईकाइयों के लिए दरों को नियत रखने के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को विफल कर दिया।

5.1.4.2 नौ ब्लॉकों में यूएमडब्ल्यूपी की लागत का गैर अवधारण एवं अनुमोदन

ऊपर उल्लिखित 45 ब्लॉकों के अतिरिक्त, नौ परित्यक्त/ समाप्त ब्लॉकों में प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम असमाप्त रहे थे और तत्पश्चात् इन ब्लॉकों के संविदाकार यूएमडब्ल्यूपी की लागत के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- सात ब्लॉकों के मामले में डीजीएच की अनुशंसा प्राप्त होने से 7 दिन से 2,174 दिन (परिशिष्ट-XXIV) बीत जाने के बावजूद भी एमओपीएनजी ने यूएमडब्ल्यूपी की लागत को स्वीकृत नहीं किया था। डीजीएच ने स्वयं ही यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना में 264 दिन से 3,786 दिन लिए थे। यह देरी डीजीएच/ एमओपीएनजी एवम संबंधित संविदाकारों के मध्य मामलों (i) अन्वेषण चरण की पुनरचना के कारण क्षम्य विलम्ब (ii) चरण I एवं II का विलयन (iii) रिंग मरम्मत के कारण अप्रत्याक्षित स्थिति (iv) संदर्भित कुँआ इत्यादि से संबंधित थी।
- दो ब्लॉकों के संबंध में, 30 सितंबर 2019 तक अनुबंधों के परित्याग/ समाप्ति से 4,585 दिन (परिशिष्ट-XXV) बीत जाने के बावजूद डीजीएच ने एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए यूएमडब्ल्यूपी की लागत का निर्धारण नहीं किया था। ब्लॉकों की स्थिति, यूएमडब्ल्यूपी की लागत निर्धारण के लिए सूचना एवं आँकड़ों के संबंध में डीजीएच/ एमओपीएनजी और संबंधित संविदाकारों के बीच कई पत्र व्यवहार हुए थे। डीजीएच/ एमओपीएनजी तथा संबंधित संविदाकारों के बीच मामले अनिर्णित रहे जिसके परिणामस्वरूप यूएमडब्ल्यूपी की लागत 4,585 दिनों तक अगणित रही।

5.1.4.3 यूएमडब्ल्यूपी की लागत के अवधारण/ अनुमोदन/ भुगतान में विलम्ब के लिए कारण

डीजीएच एवं एमओपीएनजी द्वारा इन प्रक्रियाओं में समय लेने तथा संविदाकारों द्वारा भुगतान में विलम्ब होने के मुख्य कारण निम्नवत थे:

- डीजीएच और संविदाकारों के बीच, अपूर्ण कार्य कार्यक्रम की लागत के निर्धारण के संबंध में डेटा/ सूचना एकत्र करने के लिए और मंत्रालय से अनुमोदन के पूर्व डीजीएच एवं एमओपीएनजी के बीच स्पष्टीकरण के लिए अनेक और दीर्घकालीन पत्र व्यवहार थे।

- अनेक दृष्टान्त ऐसे थे जिनमें संविदाकारों ने भुगतान करने की बजाय अनुमोदित लागत के सापेक्ष एमओपीएनजी/ डीजीएच को अभ्यावेदन दिया था। इन अभ्यावेदनों के निपटान ने वसूली के प्रयासों को विलंबित किया।
- डीजीएच द्वारा लागत डेटा का अनुरक्षण न किया जाना, जो दिसंबर 2007 की सरकारी नीति के अनुसार अपेक्षित था, जिसके परिणामस्वरूप डीजीएच द्वारा संविदाकारों से सूचना एवं डेटा माँगे/ एकत्र किए गए।
- डीजीएच द्वारा स्वीकृत लागत की वसूली के लिए नियमित अनुवर्तन नहीं किया गया।

5.1.4.4 अपर्याप्त/ निरंक बैंक गारंटी

संबंधित पीएससी के अनुच्छेद 29.1 और अनुच्छेद 29.2 में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि कंपनी के कुल प्राक्कलित वार्षिक व्यय के भागीदारी हिस्सों के 35 प्रतिशत के बराबर राशि बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में संविदाकार द्वारा एमडब्ल्यूपी के लिए जमा की जानी है। इसके अलावा, एनईएलपी के दौर I से V तक की पीएससी के बैंक प्रत्याभूति से संबंधित अनुच्छेद 29.1 (डी) में अन्य बातों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के एंटरप्राइस और कंपनियों जिनकी निवल संपत्ति 1 बिलियन यूएस डॉलर या अधिक (गहरे समुद्री ब्लॉकों)/ 500 मिलियन यूएस डॉलर या अधिक (स्थलीय/ उथले समुद्री ब्लॉकों) है, को उनके एमडब्ल्यूपी के संबंध में बीजी प्रस्तुत करने से छूट का प्रावधान था जैसा कि अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट था। हालांकि, बीजी प्रस्तुत न करने के इस अनुबंध को एनईएलपी के छठे दौर से हटा दिया गया था। डीजीएच ने सूचित (दिसम्बर 2018) किया कि पीएससी में बीजी अभिमंत्रित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, ऐसे मामलों में जब संविदाकार समय सीमा के अंतर्गत यूएमडब्ल्यूपी की लागत की अनुमोदित राशि का भुगतान नहीं करता है, संविदात्मक बाध्यताओं के गैर-निष्पादन के संबंध में बीजी अभिमंत्रित किया जाता है और तत्पश्चात् शेष राशि की ब्याज सहित भुगतान के लिए मांग की जाती है। प्राप्त/ अभिमंत्रित बीजी का विवरण तालिका 5.2 में निर्दिष्ट है:

तालिका 5.2: प्राप्त/ अभिमंत्रित बीजी का विवरण

क्र.सं.	विवरण	ब्लॉकों की संख्या
1.	एनईएलपी I से V तक की पीएस के अनुच्छेद 29.1 (डी) के संबंध में बीजी अपेक्षित नहीं थे	22
2.	एमडब्ल्यूपी के पूर्ण न होने के कारण 15.79 मिलियन यूएस डॉलर राशि के बीजी अभिमंत्रित किए गए	7
3.	बीजी अभिमंत्रित करना अपेक्षित नहीं था क्योंकि संविदाकारों ने आंशिक भुगतान कर दिया था।	5
4.	संविदा समाप्त कर दी गई थी क्योंकि संविदाकारों द्वारा बीजी प्रस्तुत नहीं की गई थी।	3
5.	बीजी अभिमंत्रित नहीं की गई क्योंकि यूएमडब्ल्यूपी की संशोधित लागत के अनुमोदन की प्रक्रिया जारी थी।	3
6.	बीजी अभिमंत्रित नहीं की गई क्योंकि संविदा समाप्ति की प्रक्रिया जारी थी।	1
7.	बीजी की वैधता यूएमडब्ल्यूपी की लागत की स्वीकृति से पूर्व समाप्त हो गई थी।	4
कुल ब्लॉक		45

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है कि चार ब्लॉकों के मामलों में बीजी की वैधता समाप्त हो गई थी; तीन ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के द्वारा प्रचालित थे एवं एक ब्लॉक बंगाल एनर्जी इंटरनेशनल द्वारा प्रचालित था। डीजीएच/ एमओपीएनजी इन बीजी को अनुमोदन/ संबद्ध संविदाकारों से यूएमडब्ल्यूपी की लागत की वसूली तक वैध रखने में असफल रहा। यहां यह उल्लिखित करना प्रासंगिक है कि डीजीएच/ एमओपीएनजी ने उपर्युक्त चार ब्लॉकों के यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना/ अनुमोदन के लिए अन्वेषण चरण/ संविदा की समाप्ति की तिथि से 637 दिन से 790 दिन लिए।

5.1.4.5 वसूली करने के लिए अन्य विकल्प

पीएससी के अनुच्छेद 33.1 के अनुसार, निपटान न किए विवाद के मामलों को सुलह/ मध्यस्थता के लिए विषय विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। तदनुसार, डीजीएच ने प्रस्ताव दिया कि 17 एनईएलपी ब्लॉकों के संबंध में भारत सरकार की ओर से एमओपीएनजी द्वारा किसी मध्यस्थ को नियुक्त किया जाए। हालांकि, सितम्बर 2019 तक डीजीएच के अनुरोध पर कोई निर्णय अभिलेखों में नहीं पाया गया।

5.1.5 मंत्रालय ने कहा कि (फरवरी 2019/ जनवरी 2020):

- पीएससी के अनुच्छेद 5.7 के अनुसार संविदाकार से असमाप्त कार्य कार्यक्रम की राशि की गणना तथा राशि का प्रेषण अपेक्षित था। अतः मुख्य उत्तरदायित्व संविदाकार का है तथा इसकी समीक्षा तथा सत्यापन डीजीएच द्वारा किया जाता है। एमओपीएनजी ने इस के अलावा कहा कि विलंब संचालक/ संविदाकार द्वारा दिए गए गलत या अपर्याप्त डेटा एवं उनके अभ्यावेदनों के कारण हुआ।
- एचईएलपी (हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंस नीति) के अंतर्गत, लागत वसूली का कोई सिद्धांत नहीं है और एनईएलपी के आठवें दौर और उसके बाद की पीएससी के मामलों में भी यूएमडब्ल्यूपी की लागत के रूप में एक निर्धारित राशि तय की गई है। अतः बहुत कम मामले ही ऐसे बचे हैं, जहां यूएमडब्ल्यूपी की लागत अवधारित नहीं है। अतः लागत डेटा का अनुरक्षण जो व्यावहारिक समस्याओं के कारण पूर्व में भी डीजीएच द्वारा अनुरक्षित नहीं किया जा सका था, लागत के अवधारण के लिए व्यावहारिक विकल्प नहीं होगा।
- संविदाकारों को भुगतान के लिए आवधिक आधार पर डीजीएच एवं एमओपीएनजी द्वारा स्मरण कराया गया है। भुगतान में विलम्ब पर शास्तिक ब्याज लगेगा। इसके अलावा, वसूली की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए 'सीपीएसई में परस्पर एवं सीपीएसई और सरकारी विभागों/ संस्थाओं के मध्य वाणिज्यिक विवादों का निपटान-सीपीएसई विवादों के निपटान के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया (एएमआरसीडी) के संबंध में 22 मई 2018 के डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ-साथ भारत सरकार ने एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विवाद निपटान समिति का गठन (दिसम्बर 2019) किया। भारत में अन्वेषण ब्लॉकों/ क्षेत्रों से संबंधित संविदाओं से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद या विरोध इस समिति के सम्मुख रखा जा सकता है, यदि संविदा के दोनों पक्ष लिखित में समझौते या सूलह के लिए सहमत हो और इस बात के लिए भी सहमत हो कि इसके पश्चात् वो मध्यस्थता प्रक्रियाओं को लागू नहीं करेंगे।
- यूएमडब्ल्यूपी की लागत का अवधारण करने के लिए नीति दिसम्बर 2007 में यह अवलोकन करने के बाद बनाई गई कि कुछ संविदाकारों ने यूएमडब्ल्यूपी के लिए धनराशि, जिसकी गणना व भुगतान विभिन्न मानदंडों के विषय में कुछ निश्चित पूर्व धारणाओं के आधार पर किया गया था, का भुगतान करके ब्लॉकों का परित्याग कर दिया। नीति का प्रतिपादन डीजीएच के विचारों को ध्यान में रखते हुए किया गया एवं डीजीएच से सभी पुराने मामलों की समीक्षा कर अपूर्ण समाप्त

न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत (सीओयूएमडब्ल्यूपी) का निर्धारण करना अपेक्षित था। हालांकि, डीजीएच सामना की गयी व्यवहारिक समस्याओं के कारण प्रक्रिया को सम्पन्न नहीं कर सका।

- एनईएलपी के आठवें और नौवें दौर में दिए गए ब्लॉकों में यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना पीएससी के अनुसार 2डी/ 3डी सर्वेक्षणों के लिए अपेक्षित है। हालांकि, पीएससी में लागत की गणना के लिए नियत दरों का प्रावधान है, कई अन्य ऐसे मामले थे जिन पर यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना से पहले विचार करना था एवं उनका निराकरण करना था।
- सात मामलों में बीजी अभिमंत्रित कर दिए गए हैं और 12 मामलों में विभिन्न कारणों की वजह से इसे अभिमंत्रित नहीं किया जा सका। शेष चार ब्लॉकों के संदर्भ में आरआईएल द्वारा प्रचालित तीन ब्लॉकों में संचालक ने बीजी का नवीनीकरण नहीं किया और उसके स्थान पर परित्याग के लिए प्रस्ताव दिया। इसी प्रकार बीईआईएल द्वारा संचालित ब्लॉक में संचालक ने बीजी का नवीनीकरण नहीं किया और कहा कि उन्होंने एमडब्ल्यूपी की राशि का भुगतान कर दिया है।
- विवरण जैसे कि खुदाई किए गए कुओं के लाग्स, खुदाई के डेटा के लिए ड्रीलिंग संविदाकारों के अंतरराष्ट्रीय संघ का प्रतिवेदन और मात्रा निर्धारण के लिए वास्तविक 2डी/ 3डी डेटा संचालकों द्वारा समय-समय पर दिए गए विवरणों को सत्यापित करने के लिए प्राप्त करने होते हैं। अतः डीजीएच के पास सम्पूर्ण डेटा उपलब्ध नहीं हैं।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत, डीजीएच को प्रचालन मुद्दों को हल करने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्यों के साथ और अधिक सशक्त किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत, डीजीएच ने भविष्य में विभिन्न प्रक्रियाओं में इस तरह के विवादों से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तथा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, डीजीएच विभिन्न प्रक्रियाओं में तीव्रता लाने के लिए वेब आधारित सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम विकसित कर रहा है। इन पहलों के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होंगे और एसओपी/ दिशानिर्देश, जहां लागू हों, लंबित मामलों के निपटान के लिए प्रयोग किए जाएंगे।

5.1.6 मंत्रालय के जवाब को निम्नांकित के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है:

- डीजीएच सांतर तरीके से सूचनाएं मांगता रहा एवं प्राप्त सूचनाएं तीव्रता से संसाधित नहीं की गई। इसके अलावा, उन ब्लॉकों में जिनमें एमडब्ल्यूपी पूर्ण कर लिया गया था, कुओं की खुदाई से संबंधित सभी विवरण डीजीएच के पास दैनिक एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध रहे होंगे। इसके अतिरिक्त संविदाकारों ने उनके द्वारा किए गए कामों पर होने वाली तिमाही/ अर्द्धवार्षिक बैठकों के दौरान डीजीएच को सूचित किया था। इस प्रकार डीजीएच पूरी तरह से संविदाकारों पर निर्भर होने के स्थान पर उपलब्ध डेटा पर विचार कर सकता था।
- हालांकि, दो ब्लॉकों (एमएन-डीडब्ल्यूएन 2004/3 तथा एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/4) के संबंध में यूएमडब्ल्यूपी की लागत के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव डीजीएच द्वारा नवम्बर 2013 में भेजे गए थे, यह एक वर्ष से अधिक तक अर्थात् जनवरी 2015 तक, एमओपीएनजी में बिना किसी कार्रवाई के पड़े रहे। सचिव, एमओपीएनजी ने एक वर्ष से अधिक तक कार्रवाई प्रारंभ न करने के लिए जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव दिया था।
- संविदाकारों ने यूएमडब्ल्यूपी की लागत के अनुमोदन से पहले और बाद में अभ्यावेदन दिए जिससे अनुमोदित राशि की उगाही में अत्यधिक विलंब हुआ। एक ब्लॉक (एएन-डीडब्ल्यूएन-2003/1) के मामले में अभ्यावेदन 19 माह बाद अंततः रद्द कर दिया गया। ओएनजीसी ने पुनर्विचार के लिए पुनः अभ्यावेदन (मई 2018) किया जो राशि की उगाही करने के लिए डीजीएच को निर्देश देने के साथ अंततः अगस्त 2018 में रद्द कर दिया गया। इस तरह के अभ्यावेदन 30 ब्लॉकों के संबंध में प्राप्त हुए थे।
- हालांकि, भारत सरकार ने 2016 में एचईएलपी को प्रारंभ किया था, तथ्य यह है कि एनईएलपी दौरों के दौरान हस्ताक्षरित पीएससी, एनईएलपी ब्लॉक के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी की गई प्रासंगिक नीतियां या दिशानिर्देश इत्यादि, उन पीएससी के लिए अभी तक अस्तित्व में हैं। लागत डेटा अनुरक्षण के संबंध में, हालांकि, एचईएलपी के अंतर्गत हस्ताक्षरित संविदाओं में लागत वसूली का कोई सिद्धांत नहीं है, डीजीएच द्वारा दिसम्बर 2007 की नीति के अनुसार लागत डेटा का अनुरक्षण अपेक्षित था। डीजीएच द्वारा लागत डेटा के अनुरक्षण में व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद विषय नीति में परिवर्तन/ संशोधन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यूएमडब्ल्यूपी की लागत की राशि निश्चित होने के बावजूद एनईएलपी VIII और IX के अंतर्गत दिए गए छः

ब्लॉकों के संबंध में लागत की गणना करने में डीजीएच ने 15 दिन से 762 दिन लिए और एमओपीएनजी ने अनुमोदन के लिए 25 दिन से 661 दिन लिए।

- पीएससी के प्रावधान (अनुच्छेद 26.3 एवं 26.8) संविदाकारों द्वारा डेटा एवं अपटैड को समयानुसार जमा करने पर बल देते हैं। हालांकि, न ही संविदाकार ने इन प्रावधानों का अनुपालन किया और न ही डीजीएच/ एमओपीएनजी द्वारा इनका पालन किया गया।
- एनईएलपी VIII एवं IX की पीएससी 2डी/ 3डी भूकंपीय डेटा के लिए यूएमडब्ल्यूपी के लागत के संबंध में निश्चित राशि का प्रावधान भी करती थीं। इसके अतिरिक्त डीजीएच/ एमओपीएनजी को विशेष रूप से ऐसे ब्लॉकों में जहां संविदाकार वचनबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने में विफल हो गए थे, मामलों (जैसे क्षमा योग्य विलम्ब, आपातकालीन परिस्थितियों आदि) को सम्बोधित करना चाहिए था।
- डीजीएच/ एमओपीएनजी का यह मुख्य उत्तरदायित्व था कि वे अनुमोदन/ संबंधित संविदाकारों से यूएमडब्ल्यूपी की लागत की वसूली तक बैंक गारंटियों (बीजी) को वैध रखें। हालांकि, वे बीजी की वैधता सुनिश्चित करने एवं संविदाकारों द्वारा पीएससी के प्रावधानों की पूर्णता तक उन्हें नवीनीकृत रखने में असफल रहे।
- चूंकि डीजीएच के पास ब्लॉकों की गतिविधियों के संबंध में संचालकों के साथ नियमित रूप से की जाने वाली तिमाही/ छमाही बैठकों के अतिरिक्त दैनिक/ मासिक प्रगति रिपोर्टें थीं, ड्रीलिंग डेटा के लिए आईएडीसी रिपोर्ट एवं मात्रा निर्धारण के लिए वास्तविक 2डी एवं 3डी डेटा प्राप्त करने का तर्क सही नहीं है। यदि कुछ अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता थी जैसा कि उत्तर में उल्लेख किया गया था तो उसे विभिन्न संचालकों द्वारा नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली रिपोर्टों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए था।
- लगभग 20 माह बीत जाने के उपरान्त भी 'सीपीएसई में परस्पर एवं सीपीएसई और सरकारी विभागों/ संगठनों के मध्य वाणिज्यिक विवादों का निपटान - एएमआरसीडी' के संबंध में डीपीई के दिनांक 22 मई 2018 के दिशानिर्देशों पर की गई कार्रवाई में कोई प्रगति नहीं हुई है।
- हालांकि एमओपीएनजी/ डीजीएच ने विवाद निपटान समिति का गठन एवं एएमआरसीडी के साथ-साथ विभिन्न नई पहलें लागू की हैं, तथ्य यह है कि

अभी भी विभिन्न संविदाकारों से बहुत बड़ी राशि प्रयोज्य ब्याज के साथ वसूली जानी है।

5.1.7 निष्कर्ष

इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट था कि विभिन्न संविदाकार अवधि विस्तार सहित निर्धारित समय सीमा में, वचनबद्ध कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने में असफल रहे और तदनुसार ब्लॉकों का या तो संविदाकारों द्वारा परित्याग कर दिया गया या सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप पीएससी के अनुसार, संविदाकार यूएमडब्ल्यूपी की लागत की राशि जो कि 664.67 मिलियन यूएस डॉलर (₹4,753.03 करोड़) थी और उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी थे। इसमें से केवल 153.88 मिलियन यूएस डॉलर (23 प्रतिशत) की वसूली की जा सकी एवं शेष 510.79 मिलियन यूएस डॉलर (₹3,652.64 करोड़) संविदाकारों से वसूला नहीं जा सका था (सितम्बर 2019)। डीजीएच द्वारा गणना की गई एवं एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित राशि मुख्यतः डीजीएच के असमाप्त न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत की गणना के लिए अपेक्षित लागत डेटा के अनुरक्षण में असफल रहने के कारण तत्कालीन नीति के अनुसार नहीं थी। यूएमडब्ल्यूपी की लागत की गणना एवं अनुमोदन में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप इस संबंध में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय पीएससी प्रावधानों के बावजूद सरकार ₹3,652.64 करोड़ की भुगतान न की गई राशि एवं उस पर ब्याज के भुगतान से वंचित रही। आगे, डीजीएच/एमओपीएनजी के कारण हुए अत्यधिक विलम्ब की अवधि के लिए भुगतान न की गई राशि पर सरकार को ब्याज मिलने की संभावना नहीं थी।

तेल उद्योग विकास बोर्ड

5.2 अधिशेष निधियों के अविवेकपूर्ण निवेश के कारण ब्याज का नुकसान

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने अधिशेष निधियों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में कम ब्याज दरों पर सावधिजमा में निवेश किया और ₹1.22 करोड़ के ब्याज का नुकसान उठाया जो विवेकपूर्ण निवेश निर्णय के द्वारा रोका जा सकता था।

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी), ऑयल इंडस्ट्री (डेवलपमेंट) एक्ट, 1974 के अधिनियमन होने के बाद 1975 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को अनुदान या लोन देकर सहायता प्रदान करने, आयल इंडस्ट्री प्रतिष्ठानों के संबंधित विलम्बित भुगतानों एवं लोन पर गारंटी प्रदान करने, ऑयल इंडस्ट्री प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बांड्स एवं डिबेनचर्स के लिए हामीदारी या अभिदान करने के लिए अधिदेशित

किया गया है। भारत सरकार देश के भीतर उत्पन्न प्रत्येक टन कच्चे तेल पर उपकर इस उद्देश्य के साथ एकत्रित करती है कि इस प्रकार एकत्रित राशि को भारत में ऑयल इंडस्ट्री के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा। भारत सरकार ने 31 मार्च 2019 तक एकत्रित ₹2,07,776 करोड़ में से ₹902.40 करोड़ की राशि ओआईडीबी को विप्रेषित की (1991-92 तक; तत्पश्चात् कोई विप्रेषण नहीं)। बोर्ड का राजस्व मुख्यतः ऑयल कंपनियों को दिए गए लोन पर ब्याज एवं विभिन्न बैंकों में सावधिजमाओं पर मिलने वाले ब्याज से आता है। ओआईडीबी नियमावली, 1975 का नियम 32 ओआईडीबी को अधिशेष निधियों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियोजन एवं तरीके के निर्धारण का अधिकार देता है। तदनुसार, ओआईडीबी ने कम अवधि की जमाओं में अधिशेष निधियों का निवेश करने के लिए एक आंतरिक निवेश समिति का गठन किया। ओआईडीबी ने मामले पर विचार विमर्श किया तथा जमा में अधिशेष निधियों के निवेश पर सर्वाधिक प्रतिफल को बढ़ाने के लिए विद्यमान बैंकरो को समाहित करते हुए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नाभिकायन को अनुमोदित किया। यह भी निर्णय लिया गया कि अधिशेष निधियों के निवेश के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्ड रेट प्राप्त किए जाएंगे। उपरोक्त दिशानिर्देशों/ निर्णयों के अनुसार, निवेश के लिए नियत की गई अधिशेष निधियां समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको में जमा की जा रही हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नगदी आवश्यकताओं के अनुपयुक्त पूर्वानुमान के कारण ओआईडीबी अधिशेष निधियों को अधिक प्राप्ति के विकल्पों में निवेश करने में असफल रहा एवं ₹1.22 करोड़ के ब्याज का नुकसान उठाया, जिसके विवरण की चर्चा नीचे की गई है:

- 4 अप्रैल 2016 को बोर्ड के पास ₹397.09 करोड़ की निधि उपलब्ध थी और बैंकों से ₹408 करोड़ तक की निधियों के निवेश के लिए ब्याज दरें मांगी गईं। इसके प्रतिउत्तर में तीन बैंकों यथा (i) एसबीआई, (ii) कॉरपोरेशन बैंक और (iii) इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अपनी ब्याज दरें प्रस्तुत की। कॉरपोरेशन बैंक द्वारा दी गई 91-180 दिनों के लिए 7.40 प्रतिशत की दरें सर्वाधिक थीं। हालांकि, ओआईडीबी ने ₹390 करोड़¹³ 30 दिनों के लिए 6 प्रतिशत पर कॉरपोरेशन बैंक में निवेश किए (5 अप्रैल 2016) जबकि वही धनराशि उसी बैंक में 91 से ज्यादा दिनों के लिए 7.40 प्रतिशत की दर से निवेश की जा सकती थी। 30 दिनों के पश्चात अवधि

¹³ ₹7.09 करोड़ की शेष निधियां दैनिक खर्चों के लिए बचत बैंक खातों में रखी गई थी।

पूर्ण होने पर बोर्ड ने उसी निधि को 6.50 प्रतिशत की दर पर 91 दिनों के लिए निवेश किया और ₹1.03 करोड़¹⁴ के ब्याज का नुकसान उठाया।

- ओआईडीबी ने 29/ 30 अप्रैल 2016 को तेल पीएसयू द्वारा लोन की अदायगी से ₹295.62 करोड़ की राशि प्राप्त की। तीन बैंकों जैसे कॉर्पोरेशन बैंक, एसबीआई एवं आईओबी से सावधि जमा में निवेश के लिए ब्याज दरें 3 मई 2016 को मांगी गईं। इसके प्रतिउत्तर में कॉर्पोरेशन बैंक ने 6.50 प्रतिशत की सर्वाधिक ब्याज दर प्रस्तुत की जो कि 91-270 दिनों के लिए थी। ओआईडीबी ने ₹295.62 करोड़ एसबीआई एवं कॉर्पोरेशन बैंक में 46 दिनों के लिए छः प्रतिशत पर निवेश किए (मई 2016) जबकि निधि 90 दिनों से अधिक के निवेश के लिए उपलब्ध थी एवं कॉर्पोरेशन बैंक में 6.50 प्रतिशत पर निवेश की जा सकती थी। इसके परिणामस्वरूप ₹0.19 करोड़¹⁵ की ब्याज की राशि का नुकसान हुआ। यहां यह उल्लेख करना तर्कसंगत है कि ओआईडीबी ने अवधि पूर्ण होने के पश्चात् (46 दिनों के पश्चात्) इन निधियों को 17 जून 2016 को 91 दिनों के लिए निवेश किया।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि:

- ₹390 करोड़ का निवेश 91-180 दिनों के लिए 7.40 प्रतिशत ब्याज की अधिक दर के स्थान पर 30 दिनों के लिए छः प्रतिशत की दर पर व्यय वित्त समिति, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन पर किया गया था क्योंकि नेशनल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम (एनजीएचपी) एक्पीडीशन-2 के लिए होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किसी भी समय पर अपेक्षित थी। जबकि 3 मई 2019 को उक्त सावधि जमा की परिपक्वता राशि का पुर्ननिवेश करते हुए यह पाया गया कि लोन की किश्तों की पुनः वापसी एवं सावधि जमा की परिपक्वता राशि के कारण जून 2016 में ₹767.58 करोड़ की राशि की निधियों का अंतरप्रवाह होना था जो एनजीएचपी एक्पीडीशन-2 के संबंध में ओएनजीसी को किए जाने वाले भुगतान के लिए पर्याप्त था। अतः पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के कारण 3 मई 2019 को 91 दिनों के लिए पुनर्निवेश का निर्णय लिया गया जो उपरोक्त बताई गई परिस्थितियों के अंतर्गत सर्वाधिक संभाव्य व्यवस्था थी।

¹⁴ ₹1.03 करोड़ (₹390 करोड़ x 1.4 प्रतिशत x 30/365 = ₹0.45 करोड़ + ₹390 करोड़ x 0.90 प्रतिशत x 61/365 = ₹0.58 करोड़)

¹⁵ ₹0.19 करोड़ (₹295.62 करोड़ x 0.5 प्रतिशत x 46/365)

- 3 मई 2016 को 46 दिनों के लिए किए गए ₹295.62 करोड़ के निवेश के संबंध में यह आशय था कि एनजीएचपी एक्पीडीशन-2 के लिए ओएनजीसी को भुगतान के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना था।
- अधिदेश के अनुसार ओआईडीबी का मुख्य उद्देश्य ऑयल इंडस्ट्री से संबंधित परियोजनाओं/ कार्यों के लिए वित्त पोषण करना है और यदि अधिशेष/ निरूपयोगी निधि उपलब्ध है तो उसे निधि के उपयोग के लिए अगले सर्वोत्तम विकल्प के रूप में निवेश के लिए रखा जाता है। ओआईडीबी स्वयं में एक वित्तीय संस्था नहीं है।

अधोलिखित को देखते हुए प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- ओआईडीबी ने अप्रैल 2016 माह के लिए वास्तविक अंतरर्वाही निधियों का निर्धारण नहीं किया था क्योंकि तेल एवं गैस पीएसयू से ऋण के पुनर्भुगतान से निधियों की प्राप्ति होनी निर्धारित थी। ओआईडीबी ने 17 अप्रैल से 30 अप्रैल 2016 की अवधि में ₹352.92 करोड़ की राशि प्राप्त की। इस प्रकार ₹390 करोड़ की राशि की निधि 30 दिनों के लिए 6.50 प्रतिशत के स्थान पर 91 दिनों के लिए 7.4 प्रतिशत की दर से निवेश की जानी चाहिए थी। ओएनजीसी को भुगतान के लिए आवश्यक निधियां पीएसयू द्वारा किए जाने वाले निर्धारित किशतों के भुगतान से प्राप्त की जा सकती थी।
- ओआईडीबी ने 9 मई से 31 मई 2016 की अवधि के दौरान लोन की निर्धारित पुनः वापसी राशि ₹220.67 करोड़ प्राप्त की। साथ ही ओआईडीबी को 1 जून से 10 जून 2016 की अवधि के दौरान सावधि जमा की परिपक्वता के कारण ₹187.62 करोड़ की राशि प्राप्त होना निर्धारित था। इस प्रकार ओआईडीबी के पास ओएनजीसी को भुगतान के लिए पर्याप्त निधि थी। यहां यह उल्लेख करना तर्कसंगत है कि ओआईडीबी ने 3 जून 2016 को ₹170 करोड़ और 18 जून 2016 को ₹138.48 करोड़ का भुगतान एनजीएचपी के लिए ओएनजीसी को किया। इस प्रकार ओआईडीबी को ₹295.62 करोड़ का निवेश 46 दिनों के लिए छः प्रतिशत के स्थान पर 91 दिनों के लिए 6.50 प्रतिशत पर करना चाहिए था।
- हालांकि, ओआईडीबी स्वयं में एक वित्तीय संस्था नहीं है, पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ओआईडीबी को 1991-92 से सरकार से उपकर के रूप में निधि नहीं प्राप्त हो रही है उसे अपनी अधिशेष निधि का निवेश विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 का नियम 229 (पूर्ववर्ती जीएफआर 2005 का नियम 208) अन्य बातों के साथ-साथ

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

यह भी अनुबद्ध करता है कि सभी स्वायत्त संगठनों को अधिकतम आंतरिक संसाधनों के उत्पन्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए एवं अंततः आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए।

इस प्रकार ओआईडीबी ने ₹685.62 करोड़ की निधियों का निवेश नगदी प्रवाह के अनुपयुक्त पूर्वानुमान के कारण कम ब्याज दरों पर किया और ₹1.22 करोड़ की ब्याज राशि का नुकसान सहा।

मंत्रालय को यह मामला दिसम्बर 2019 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2020)।

अध्याय VI: पोत परिवहन मंत्रालय

कोलकाता पत्तन न्यास

6.1 कोलकाता पत्तन न्यास में ड्रेजिंग गतिविधियां

6.1.1 प्रस्तावना

6.1.1.1 कोलकाता पत्तन न्यास की रूपरेखा


देश में कोलकाता पत्तन एकमात्र नदीमुख पत्तन है जिसमें दो डॉक अर्थात् कोलकाता डॉक प्रणाली (केडीएस)¹ तथा हल्दिया डॉक परिसर (एचडीसी)² हैं जो कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है तथा पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) को रिपोर्ट करते हैं। केओपीटी बड़े परिक्षेत्र के लिए कार्य करता है जिसमें अन्य राज्यों³ सहित सम्पूर्ण पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सीमा से जुड़े दो भूमिबद्ध पड़ोसी देश अर्थात् नेपाल और भूटान शामिल हैं। सैंडहेड्स से उद्भूत दो अलग-अलग पोत परिवहन चैनल थे, अर्थात् हल्दिया चैनल (निचला ऑकलैंड-अपर ऑकलैंड-जेल्लिंगम-हल्दिया के द्वारा) से एचडीसी तक तथा कोलकाता चैनल (मारागोलिया क्रॉसिंग-सिल्वर ट्री-डायमंड बंदरगाह-कोलकाता) से केडीएस तक। हालांकि, ईडन चैनल के खुलने (मार्च 2016) के बाद, पोत परिवहन चैनल ईडन-अपर ऑकलैंड-जेल्लिंगम हल्दिया से होते हुए एचडीसी तक पहुंचा। उपरोक्त चैनलों का रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण रेखाचित्र 6.1 में नीचे दर्शाया गया है:

¹ केडीएस, 1870 से 1929 के दौरान स्थापित, हुगली नदी के बाएं तट पर एवं सैंडहेड्स से 232 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित था।

² एचडीसी, 1977 से संचालित, हुगली नदी के दाएं तट पर एवं सैंडहेड्स से 125 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित था।

³ पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान

रेखाचित्र 6.1: केओपीटी के पोत परिवहन चैनल



6.1.1.2 ड्रेजिंग गतिविधियां

कोलकाता पत्तन भारी गाद से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप नौपरिवहन चैनल में अवरोध होता है। इस कारण केओपीटी द्वारा केडीसी एवं एचडीसी जाने वाले दोनों चैनलों की रखरखाव ड्रेजिंग गतिविधियां कराई जाती हैं। केओपीटी द्वारा ड्रेजिंग पर किए गए व्यय के एक बड़े हिस्से की प्रतिपूर्ति भारत सरकार (जीओआई) द्वारा की गई है। वर्ष 2018-19 को समाप्त गत छः वर्षों के लिए केओपीटी द्वारा वहन किए गए ड्रेजिंग व्यय एवं भारत सरकार द्वारा की गई/ करने योग्य प्रतिपूर्ति का विवरण तालिका 6.1 में दिया गया है:

तालिका 6.1: ड्रेजिंग व्यय एवं भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की प्रवृत्ति

अवधि	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
केओपीटी की कुल संचालन लागत (₹ करोड़ में)	1,297.85	1,388.89	1,398.59	1,396.74	1,532.32	1,651.11
ड्रेजिंग गतिविधियों पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)	431.39	483.79	427.27	330.20	354.22	388.82
भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई/ प्रतिपूर्ति योग्य राशि (वार्षिक लेखा के अनुसार) (₹ करोड़ में)	380.99	360.18	340.17	264.00	244.90	241.68
कुल संचालन व्यय में ड्रेजिंग व्यय की प्रतिशतता	33.24	34.83	30.55	23.64	23.12	23.55

6.1.1.3 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2002 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल) में 'कोलकाता पत्तन न्यास के ड्रेजिंग संचालन' पर पुनरीक्षण को समाविष्ट किया गया था। उपरोक्त प्रतिवेदन में मुख्य रूप से दर्शाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नवत थे:

- केओपीटी ने ड्रेजिंग ठेकेदारों की नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक बोली से करने संबंधी एमओएस के अनुदेशों का पालन नहीं किया था।
- ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) के साथ प्रतिदिन भाड़ा दर संविदाओं में उठाई जाने वाली ड्रेज्ड सामग्री की मात्रा एवं प्रतिदिन लिए जाने वाले ड्रेजिंग लोड की संख्या नहीं थी। डीसीआईएल द्वारा नियुक्त किए ड्रेजर्स की कार्यात्मक अनियमिताएं थी एवं डीसीआईएल का निष्पादन संतोषजनक नहीं था एवं उन्हें नियुक्त करने की लागत बहुत ज्यादा थी।
- ड्रेज्ड सामग्री को नदी में डालने के परिणामस्वरूप उसका पुनर्चक्रण होता था एवं जेल्लिंधम की गहराई में अवनति की प्रवृत्ति दिखाई देती थी।
- विभिन्न विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के बावजूद केओपीटी ने ड्रेज्ड सामग्री के पुनर्चक्रण को रोकने के लिए नयाचार द्वीप पर तटीय निपटान प्रणाली को लागू नहीं किया था।

6.1.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा में केओपीटी की 2013-14 से 2018-19 की अवधि के दौरान ड्रेजिंग गतिविधियों के निष्पादन को समाविष्ट किया गया था। हालांकि, पूर्व अवधि से संबंधित मुद्दे भी जो 2013-14 के पश्चात् भी जारी थे जहां तर्कसंगत थे, समाविष्ट किए गए हैं। लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- ड्रेजिंग गतिविधियों के संपादन के लिए कोई नीतिगत योजना थी;
- ड्रेजिंग गतिविधियां किफायती तरीके से, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित की गई थी;
- ड्रेज की गई सामग्री का निपटान दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से किया गया था;
- समुद्री पोतों का दक्षतापूर्ण संचालन था; और
- ड्रेजिंग गतिविधियों के निरीक्षण का निगरानी तंत्र मजबूत था।

6.1.2.1 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नांकित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, दिशानिर्देश।
- संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन एवं अंतर मंत्रालयी समूह प्रतिवेदन
- केओपीटी द्वारा बनाए गए विभिन्न सर्वेक्षण दस्तावेज।
- केओपीटी के न्यास बोर्ड के बैठक की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त।
- ड्रेजिंग गतिविधि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया।
- संविदा देने के लिए दिशानिर्देश।
- ड्रेजिंग गतिविधियों से संबंधित कार्य के लिए निविदा दस्तावेज।
- दैनिक ड्रेजिंग प्रतिवेदन।
- विशेषज्ञों/ परामर्शदाताओं के अध्ययन प्रतिवेदन।

6.1.3 लेखापरीक्षा आपत्तियां

6.1.3.1 ड्रेजिंग के लिए नीतिगत योजना

केओपीटी के नौचालन चैनल में भारी मात्रा में गाद भरी हुई है। इसके कारण नौचालन चैनल अवरुद्ध होता है जिससे आवधिक रखरखाव ड्रेजिंग की आवश्यकता पड़ती है। अतः, चैनल की नौचालन योग्य गहराई में कमी का सामना करने के लिए केओपीटी द्वारा ड्रेजिंग गतिविधि के लिए दीर्घावधि की नीतिगत योजना की अत्यंत आवश्यकता थी। हालांकि, केओपीटी ने पर्वत-स्कंध एवं नदी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतराल, उक्त सर्वेक्षण के आधार पर कार्रवाई करने के लिए समयसीमा, पोत परिवहन चैनल का संरेखण एवं पुनः संरेखण, अवांछित परिस्थितियों जैसे किसी विशिष्ट रोधिका की गहराई में अचानक अवनति से मुकाबला करने के लिए चरणों आदि के लिए दिशानिर्देश देते हुए दीर्घावधि की नीतिगत योजना एवं तदनुसार उक्त के लिए समय-समय पर अंगीकृत किए जाने वाली रणनीतियों का निर्माण नहीं किया था। केओपीटी द्वारा न ही ड्रेजिंग के लिए नीतिगत योजना के आधार पर किसी दीर्घावधि योजना का निर्माण किया गया था। इस संबंध में, यह नोट करना तर्कसंगत है कि एचडीसी पर ड्रेजिंग का आरंभ 6.4 मीटर की गहराई के लक्ष्य के साथ किया गया था। हालांकि, केओपीटी गहराई के लक्ष्य का निर्धारण डीसीआईएल द्वारा प्राप्त करने योग्य गहराई के आधार पर कर रहा है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केओपीटी के पास लक्षित गहराई को बढ़ा कर 6.4 मीटर के बराबर करने के प्रयास के लिए कोई दीर्घावधि दृष्टिकोण नहीं था।

हालांकि, केओपीटी ने रोधिका अनुसार लक्षित गहराई एवं ड्रेज की जाने वाली मात्रा का समावेश करते हुए ड्रेजिंग के लिए तदर्थ आधार पर वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त तदर्थ लक्ष्य डीसीआईएल के साथ हुए ड्रेजिंग ठेके में समाविष्ट लक्षित गहराई से ज्यादा था। आगे, यह देखा गया कि पत्तन प्रक्रियाओं जैसे नौभार प्रबंधन, टर्नअराउंड समय, पहुँचे पोतों की संख्या आदि के मासिक निष्पादन को न्यास बोर्ड (बीओटी) के सम्मुख रखा गया था लेकिन बीओटी को ड्रेजिंग के निष्पादन से अवगत नहीं कराया गया था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2019) कि हल्दिया चैनल के लिए ड्रेजिंग संविदा समय-समय पर एमओएस द्वारा परिसंचारित ड्रेजिंग नीतियों के अनुसार नामांकन पर डीसीआईएल को दिया गया था। यह भी कहा गया कि वार्षिक ड्रेजिंग निष्पादन केओपीटी के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में संकलित था एवं उसे प्रत्येक वर्ष बीओटी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था।

उपरोक्त तर्क तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने कभी भी किसी ड्रेजिंग योजना/ नीति का निर्माण/ परिसंचरण नहीं किया था। वास्तव में, एमओएस ने समय-समय पर केवल विभिन्न तरीकों जैसे ड्रेजिंग ठेकों के लिए प्रक्रिया, अपनाई जाने वाली भुगतान पद्धति आदि के लिए अनुदेश केओपीटी को डीसीआईएल के साथ ड्रेजिंग ठेकों के कार्यान्वयन के लिए जारी किए थे। इसके अलावा, केओपीटी का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन किसी विशिष्ट वर्ष में हुई ड्रेजिंग को समाविष्ट करते हुए विभिन्न पत्तन गतिविधियों के संबंध में सांख्यिकीय आँकड़ों को दर्शाता है। इसमें निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कोई निष्पादन विश्लेषण एवं उससे विचलन के साथ-साथ सुधारात्मक उपायों हेतु लिए जाने वाले कदम नहीं थे। एक वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, बीओटी के आवर्ती मूल्यांकन एवं ड्रेजिंग निष्पादन के बारे में उनके दिशानिर्देशों के लिए स्थानापन्न नहीं हो सकता है जिस पर अन्य पत्तन प्रक्रियाओं की सफलता निर्भर थी।

प्रबंधन के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसंबर 2019) कि प्रत्येक पत्तन को तकनीकी समिति की सलाह से ड्रेजिंग योजना का निर्माण करना चाहिए।

नीतिगत योजना की कमी पर्वत-स्कंध रखरखाव के लिए संरचित प्रतिक्रिया के अभाव से भी स्पष्ट होती है। पर्वत-स्कंध रखरखाव स्थिर चैनलों की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। हालांकि, फरवरी 2020 तक यह नहीं किया गया था। आगे,

मोयापुर पर्वत-स्कंध के पोषण कार्य के लिए 2014 में प्रस्ताव दिया गया था परंतु उक्त को 2018 में किया गया, जब केडीएस को जाने वाले चैनल में अवस्थित मोयापुर रोधिका की गहराई में अचानक कमी आई। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि केओपीटी ऐसी निर्धारित रणनीति जिसमें सुरक्षात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक कार्रवाईयाँ समाविष्ट हों, के स्थान पर केवल उन्हीं परिस्थितियों में प्रतिक्रिया दे रहा था जो बदतर हो गई थी। पर्वत-स्कंधों की महत्ता एवं फिर भी रखरखाव की कमी की अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

6.1.3.2 पर्वत-स्कंधो का अनुपयुक्त रखरखाव

पर्वत-स्कंधों का निर्माण नदी के किनारों से बहते हुए जल को विक्षेपित करने के लिए ताकि नदी के किनारों के समीप के संकटपूर्ण क्षेत्रों में प्रवाह वेग को कम किया जा सके एवं उससे किनारे के क्षरण को रोकने एवं वांछित संरक्षण के स्थिर चैनल की स्थापना के लिए किया जाता है। हुगली नदी की ऊपरी एवं निचले भाग के विभिन्न स्थानों पर क्रमशः 13 मुख्य पर्वत-स्कंधों एवं 154 की संख्या में छोटे पर्वत-स्कंधों का निर्माण 1970 के शुरुआती दशक में किया गया। उन छोटे पर्वत-स्कंधों में से पांच पर्वत-स्कंध बह गए थे और उनमें से बहुतों को हल्दिया-बलारी चैनल की उत्तरोत्तर अवनति के कारण पोषण की आवश्यकता थी।

चित्र 6.1 पर्वत-स्कंध का निर्माण



इस कारण, केओपीटी ने चैनल की स्थिरता की पुनः स्थापना के लिए उन पर्वत-स्कंधों के चरणबद्ध पोषण/ पुर्ननिर्माण कार्यों के कार्यान्वयन का निर्णय लिया (अक्टूबर 2008)। तदनुसार, निश्चिंतपुर एवं घोरमरा क्षेत्र में दिसंबर 2008 से जून 2010 की अवधि के दौरान 22 छोटे पर्वत-स्कंधों का पोषण किया गया। आगे, निश्चिंतपुर क्षेत्र के 13 अन्य छोटे पर्वत-स्कंधों के लिए ₹16.58 करोड़ की कुल लागत से पोषण/ पुर्ननिर्माण का निर्णय लिया गया (जून 2012)। हालांकि, निश्चिंतपुर क्षेत्र के पर्वत-स्कंधों का यह पोषण/ पुर्नस्थापना नहीं की गई (अगस्त 2019) जिससे वह मुख्य उद्देश्य जिसके लिए पर्वत-स्कंध का निर्माण किया गया था, असफल रहा एवं नौचालन चैनल की गहराई को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इसी दौरान, केओपीटी ने उक्त कार्य की लागत में

लगभग ₹30 से ₹35 करोड़ तक की वृद्धि का आकलन किया। यह दर्शाता था कि पोषण/ पुर्नस्थापना योजनाएँ बिना संसाधनों की यथोचित प्रतिबद्धता के एवं उनकी पूर्णता के लिए बिना किन्हीं स्पष्ट लक्ष्यों के तदर्थ तरीके से एवं टुकड़ों में परिकल्पित की गई थी।

इस संबंध में यह अंकित करने योग्य है कि हुगली नदी के ऊपरी भाग में अवस्थित मोयापुर पर्वत-स्कंध के पोषण का कार्य 2014 में प्रस्तावित किया गया था परंतु उक्त को 2018 में किया गया था, जब केडीएस को जाने वाले चैनल में अवस्थित मोयापुर रोधिका की गहराई में अचानक अवनति हुई थी। यह दर्शाता था कि केओपीटी कार्रवाई के लिए बाध्य था क्योंकि परिस्थितियां बदतर हो गई थीं।

प्रबंधन ने तर्क (सितंबर 2019) दिया कि उपरोक्त पर्वत-स्कंधों के पोषण/ पुर्ननिर्माण से संबंधित कार्य भारत सरकार द्वारा ड्रेजिंग सब्सिडी देने में विलम्ब के कारण हुई आंतरिक संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण नहीं कराया गया था। प्रबंधन का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान केओपीटी के पास ₹397.08 करोड़ से ₹733.40 करोड़ की पर्याप्त निधियाँ पूँजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन/ पुनउर्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए सांविधिक आरक्षित निधियों के रूप में उपलब्ध थीं जिनका उपयोग पर्वत-स्कंधों के उपरोक्त पोषण/ पुर्ननिर्माण कार्य के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा, निश्चिंतपुर क्षेत्र के पर्वत-स्कंधों के पोषण/ पुर्ननिर्माण कार्य न किए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा ड्रेजिंग सब्सिडी दी जाने में हुई देरी का तर्क किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है क्योंकि केओपीटी द्वारा, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली ड्रेजिंग सब्सिडी के मिले बिना ही, डीसीआईएल को भुगतान, जो कि कुल ड्रेजिंग व्यय का लगभग 80 प्रतिशत है, किया गया है।

हालांकि प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2019) कि उक्त गतिविधियाँ 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान दो चरणों में की जाएँगी, उक्त को फरवरी 2020 तक नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने तर्क दिया (दिसंबर 2019) कि कुछ पर्वत-स्कंधों की मरम्मत/ पोषण में विलम्ब ने न तो परिसीमा स्थितियों को प्रभावित किया और न ही इसके परिणामस्वरूप किनारों का क्षरण हुआ। मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य हाइड्रॉलिक अभियन्ता, कोओपीटी ने व्यक्त किया (मार्च 2019) कि पर्वत-स्कंधों के पोषण/ पुर्ननिर्माण कार्यों को किए जाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप प्रतिकूल आकृतिक परिवर्तन हुए जिसके कारण निश्चिंतपुर में जहाँ कोई पोषण कार्य पूर्व में परिकल्पित नहीं था, अन्य पर्वत-स्कंधों (पर्वत स्कंध नं. 137 एवं 138) में विचारणीय नुकसान हुआ तथा इसका प्रभाव नौचालन चैनल के स्थायित्व पर पड़ सकता था। इस संबंध में तकनीकी

सलाहकार समिति⁴ ने केओपीटी को पहले ही चेतावनी दी थी (अक्टूबर 2014) कि निश्चिंतपुर में पर्वत-स्कंधों के लंबित पोषण/ पुर्ननिर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब जून 2010 में पूर्ण किए गए पूर्व पर्वत-स्कंध रखरखाव कार्यों से प्राप्त लाभों को निष्प्रभावी कर देगा। हालांकि, केओपीटी ने उपरोक्त पर कोई ध्यान नहीं दिया।

6.1.4 ड्रेजिंग कार्यों का कार्यान्वयन

अपलेंड डिसचार्ज एवं ज्वारीय प्रभाव के कारण, एचडीसी को जाने वाले चैनल के भारी गाद से ग्रस्त होने की संभावना होती है जिसके फलस्वरूप नौचालन चैनल अवरुद्ध होता है। अतः केओपीटी को पोत परिवहन चैनल के नौपरिवहन को अनुरक्षित करने के लिए सतत आधार पर ड्रेजिंग करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में केओपीटी का व्यवसाय, पोत परिवहन चैनल को बाधा रहित करने के लिए प्रभावी ड्रेजिंग पर निर्भर करता है। केओपीटी ने ड्रेजिंग गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए डीसीआईएल को नियुक्त किया था।

6.1.4.1 डीसीआईएल का असंतोषजनक निष्पादन


हल्दिया चैनल की ड्रेजिंग प्रारंभ होने से ही डीसीआईएल हल्दिया तक जाने वाले चैनल की ड्रेजिंग में इसके अनुकूलतम उपयोग के लिए जेल्लिंघम में 6.4 मीटर की लक्षित गहराई के लिए कार्यरत था। डीएसआईएल द्वारा मार्च 2002 तक प्राप्त की गई गहराई 4.8 मीटर थी। इस गहराई के साथ एचडीसी के नौभार पोतों की वहन क्षमता का उपयोग उनके 2002-2003 में कुल टन भार (डीडब्ल्यूटी) का 48.54 प्रतिशत था। हालांकि, प्रबंधन ने एचडीसी के पोतों के लिए पाँच मीटर की गहराई को पर्याप्त गहराई माना था। केओपीटी ने हल्दिया चैनल के रखरखाव ड्रेजिंग के लिए नामांकन आधार पर डीसीआईएल को पुनः नियुक्त किया था एवं मार्च 2002 में जेल्लिंघम में पाँच मीटर की परिकल्पित लक्षित गहराई के लिए डीसीआईएल से करार किया था।

डीसीआईएल ने शायद ही कभी मार्च 2002 में कार्यान्वित संविदा के अनुसार पाँच मीटर की लक्षित गहराई को अनुरक्षित किया था। तत्पश्चात्, जनवरी 2009 एवं अप्रैल 2011 में पूर्व संविदाओं में निष्पादन या डीसीआईएल द्वारा प्राप्य गहराई के आधार पर जेल्लिंघम में क्रमशः 4.50 मीटर एवं चार मीटर की परस्पर सहमत लक्षित गहराई के लिए दो अनुबंध किए गए थे। हालांकि, डीसीआईएल ने मार्च 2002 से दिसंबर 2016 की

⁴ टीएसी में विकास सलाहकार (पत्तन), एमओएस, निदेशक, केंद्रीय जल और बिजली अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस), पोत परिवहन मंत्रालय के लिए नॉटिकल सलाहकार, डॉ. एल.के.घोश, पूर्व-अतिरिक्त निदेशक, सीडब्ल्यूपीआरएस, डॉ. एस. डे, प्रोफेसर, आईआईटी खड़गपुर तथा केओपीटी के अधिकारी शामिल थे।

अवधि के दौरान इस घटी हुई लक्षित गहराई को प्राप्त नहीं किया जैसा कि चार्ट 6.1 में दर्शाया गया है।


चार्ट 6.1: जेल्लिंगम में गहराई का लक्ष्य एवं प्राप्ति



तत्पश्चात्, केओपीटी ने ड्रेजिंग गतिविधियों के लिए तीन बार असफल खुली निविदाएं आमंत्रित कीं (पैरा 6.1.4.3 का संदर्भ लें) और अंततः चौथी बार एकल निविदा आधार पर (जनवरी 2017) डीसीआईएल को निविदा दी गई जिसके लिए लक्षित गहराई 4.1 मीटर डीसीआईएल को साइट सौंपते हुए उपलब्ध गहराई के आधार पर निर्धारित की गई थी। उपरोक्त संविदा में 4.1 मीटर से 4.3 मीटर तक की लक्षित गहराई के संदर्भ में वास्तविक प्राप्त की गई गहराई धीरे-धीरे बढ़कर 5.3 मीटर हो गई थी। यह मूलतः अनुबंध में नई भुगतान शर्तों, जैसे लक्षित गहराई की प्राप्ति के साथ ड्रेजर्स द्वारा ड्रेज की गई मात्रा के आधार पर, को समाविष्ट करने के कारण हुआ था।

हालांकि, मार्च 2019 तक प्राप्त की गई औसत लक्षित गहराई 4.80 मीटर थी जो अभी भी पांच मीटर की परिकल्पित पर्याप्त गहराई एवं 6.4 मीटर की आदर्श लक्षित गहराई से कम थी। परिणामस्वरूप, पोतों की वहन क्षमता में हालांकि थोड़ी वृद्धि हुई लेकिन यह पाँच मीटर की लक्षित गहराई के साथ 2002-03 में वहन क्षमता की तुलना में बहुत कम थी। 2002-03 में पोतों की वहन क्षमता के सापेक्ष लेखापरीक्षा की अवधि में पोतों की वहन क्षमता को चार्ट 6.2 में दर्शाया गया है।

चाट 6.2: पोतों की वहन क्षमता की तुलना



जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है 2002-03 के दौरान एचडीसी के नौभार पोतों की वहन क्षमताओं का उपयोग पोतों की डीडब्ल्यूटी के 48.54 प्रतिशत से घट कर 2014-15 में 38.53 प्रतिशत हो गया था और बाद में 2018-19 में 40.84 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

अतः लेखापरीक्षा ने अनुमान किया कि केओपीटी ने अपने ट्रैफिक को नौभार पोतों की वहन क्षमता के उपयोग में कमी के कारण उक्त अवधि में 1,419.70 करोड़ (परिशिष्ट-XXVI) के मूल्य के 45.27 मिलियन मिट्रिक टन के कार्गो को बढ़ाने का अवसर खो दिया।

छः ड्रेजर्स की नियुक्ति के लिए मार्च 2014 तक की अवधि हेतु दैनिक भाड़ा के आधार पर डीसीआईएल के साथ निष्पादित संविदा (जून 2011) समान नियम एवं शर्तों के साथ दिसंबर 2016 तक के लिए बढ़ा दी गई थी।

लक्षित गहराई की अप्राप्ति के अतिरिक्त, अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान डीसीआईएल द्वारा कार्यान्वित की गई ड्रेजिंग गतिविधियों संबंधी दस्तावेजों की संवीक्षा ने निम्नलिखित दर्शाया:

- डीसीआईएल ने संविदा की शर्तों के अनुसार ड्रेजिंग गतिविधियों में एक समय पर छः ड्रेजर्स बेड़ों की नियुक्ति भी नहीं की।
- इसके अतिरिक्त डीसीआईएल द्वारा कार्यरत ड्रेजर्स बार-बार खराब हो रहे थे।
- समझौते (जून 2011) के अनुसार, 3,770 घन मीटर की हॉपर क्षमता वाले पुराने ड्रेजर्स यथा ड्रेज-V एवं VI को 4,500 घन मीटर की अधिक हॉपर क्षमता वाले नए ड्रेजर्स से प्रतिस्थापित किया जाना था। हालांकि, उन्हें 35 महीनों के विलम्ब के बाद मार्च/ अप्रैल 2014 में प्रतिस्थापित किया गया। इसके परिणामस्वरूप,

आवश्यक अधिक हॉपर क्षमता के ड्रेजर्स के स्थान पर कम हॉपर क्षमता वाले ड्रेजर्स की लगातार तैनाती के कारण 35 महीनों के दौरान ड्रेजिंग कम हुई।

- चूंकि दिसंबर 2016 तक के ड्रेजिंग ठेकों की भुगतान शर्तें ड्रेज की गई मात्रा के साथ संबद्ध नहीं थी, ड्रेजर्स को उनके 100 प्रतिशत उपयोग के बिना ही भुगतान किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2019) कि केओपीटी द्वारा निर्धारित समझौता की गई लक्षित गहराई डीसीआईएल के ड्रेजिंग निष्पादन के आधार पर नहीं थी, बल्कि यह व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्राप्त की गई गहराई, मौजूदा सीमा के विशिष्ट संदर्भ में क्षेत्रों के आस-पास की गहराई स्थिति एवं पोत चैनल में सभी संबद्ध दशाओं पर आधारित थी। प्रबंधन का उपरोक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लक्षित गहराई को केओपीटी एवं डीसीआईएल द्वारा पारस्परिक रूप से प्रत्येक ठेके में घटाया गया था। इसके अतिरिक्त, केओपीटी ने जनवरी 2017 से प्रभावी ठेके में, 4.1 मीटर की लक्षित गहराई का समावेश किया था जो कि डीसीआईएल द्वारा दिसंबर 2016 में प्राप्त की गई गहराई के आधार पर था। अतः, केओपीटी ने स्वयं ही पांच मीटर की परिकल्पित गहराई के साथ समझौता किया जो कि सुचारू पोत संचालन के लिए आवश्यक थी।

प्रबंधन ने आगे तर्क दिया कि पर्याप्त उपलब्ध संसाधनों के बावजूद डीसीआईएल अन्य मुद्दों जैसे नदी संरचना, नदी प्रशिक्षण कार्यक्रम, अपलैंड डिस्चार्ज आदि के कारण अधिकांशतः लक्षित गहराई को प्राप्त नहीं कर सका था। यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर की गई अवधि के दौरान, डीसीआईएल ने न ही आवश्यक संख्या में ड्रेजर्स उपलब्ध कराए और न ही नियुक्त ड्रेजर्स ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया। इसके अतिरिक्त, अनुबंध में मात्रा के आधार पर भुगतान शर्तों के समावेशन के पश्चात् उसी डीसीआईएल ने अनुबंध के प्रारंभ से ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया एवं मार्च 2019 तक परस्पर सहमत लक्षित गहराई से अधिक गहराई प्राप्त की (अर्थात् 4.3 मीटर के सापेक्ष 4.8 मीटर)। कई अवसरों पर केओपीटी ने डीसीआईएल के निष्पादन के संबंध में एमओएस के साथ-साथ डीसीआईएल से अपनी असंतुष्टि व्यक्त की थी।

प्रबंधन के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए मंत्रालय ने तर्क दिया कि 2013 एवं 2015 के बीच की अवधि के दौरान जेल्लिंधम में कम गहराई की तुलना में बाद में हुए सुधार का काफी हद तक कारण भाटा प्रवाह, जिसमें अधिक गाद होती है, को रोकते हुए हल्दिया के ऊपर निर्मित हुआ द्वीप था। मंत्रालय का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हल्दिया के ऊपर निर्मित उपरोक्त द्वीप 1997 से अस्तित्व में था और यदि 2015 में

हल्दिया में द्वीप का निर्माण गहराई के सुधार के लिए उत्तरदायी था तो नए अनुबंध में गहराई का लक्ष्य निर्धारित करते समय इसका विचार किया जाना चाहिए था।

6.1.4.2 ड्रेजर्स की हॉपर क्षमता का कम उपयोग

ड्रेज की गई सामग्री ड्रेजर्स के हॉपर में लादी जाती है। अतः हॉपर की क्षमता का उपयोग एक ड्रेजर के निष्पादन को दर्शाता है। अप्रैल 2014 से 2016 तक के ड्रेजर के उपयोग से संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा ने दर्शाया कि अधिकांश लोड डीसीआईएल ड्रेजर्स द्वारा कम उपयोग की गई हॉपर क्षमता के साथ ले जाया गया। अप्रैल 2014 से दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान लगाए गए ड्रेजर्स के कम उपयोग का विवरण तालिका 6.2 में दिया गया है:-

तालिका 6.2: ड्रेजर क्रम में हॉपर क्षमता का उपयोग

ड्रेजर का नाम	हॉपर क्षमता (मी ³ में)	लाए गए कुल लोड की संख्या ⁵	हॉपर क्षमता जिसका उपयोग ⁶ करना था (मी ³ में)	उपयोग की गई हॉपर क्षमता (मी ³ में)	कम उपयोग की गई हॉपर क्षमता (मी ³ में)	औसत कम उपयोग (कुल क्षमता का प्रतिशत)
(अ)	(ब)	(स)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी) = (एफ/डी)x100
ड्रेज -XVII	7,400	825	61,05,000	45,03,050	16,01,950	26.24
ड्रेज -XVI	7,400	130	9,62,000	6,33,699	3,28,301	34.13
ड्रेज - XXI	5,500	11,108	2,75,49,500	2,44,45,129	31,04,371	11.27
ड्रेज - XX	5,500	3,567	1,96,18,500	1,74,99,262	21,19,238	10.80
ड्रेज -XIX	5,500	3,720	2,04,60,000	1,84,88,924	19,71,076	9.63
ड्रेज -XIV	4,500	3,612	1,62,54,000	1,56,19,588	6,34,412	3.90
ड्रेज -XII	4,500	3,122	72,54,000	70,37,160	2,16,840	2.99

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश लाए गए लोड में ड्रेजर्स का कम उपयोग हॉपर क्षमता के कम उपयोग जो 2.99 प्रतिशत से 34.13 प्रतिशत के बीच है, के कारण था। उपरोक्त ड्रेजर्स को भाड़ा व्यय का भुगतान उनके वास्तविक उपयोग को

⁵ अप्रैल 2014 से दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान लाए गए कुल लोड की संख्या

⁶ चिह्नित किए गए लोड की संख्या में उठाए जा सकने वाली ड्रेजिंग सामग्री की अधिकतम मात्रा जैसा कि कॉलम (सी) में दर्शाया गया है।

ध्यान में न रखते हुए दैनिक भाड़ा दर के आधार पर किया गया था। अतः लेखापरीक्षा ने आंकलित किया कि उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त ड्रेजर्स के हॉपर क्षमता के न्यून उपयोग के कारण उपरोक्त ड्रेजर्स के भाड़े के लिए केओपीटी द्वारा किए गए ₹83.82 करोड़ की राशि (परिशिष्ट-XXVII) के भुगतान का कोई परिणाम नहीं निकला। यह डीसीआईएल द्वारा संचालित ड्रेजिंग संचालनों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कमी को दर्शाता था।

प्रबंधन ने तर्क दिया (सितम्बर 2019) कि विशेष रूप से पोत परिवहन चैनल की गहराई के संबंध में ड्राफ्ट बाध्यताओं, ज्वारीय दशाओं आदि के कारण मध्यम/ बड़े आकार के ड्रेजर की हॉपर क्षमता का 100 प्रतिशत उपयोग हमेशा संभव नहीं था।

प्रबंधन का यह तर्क तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीसीआईएल के ड्रेजर्स के दस्तावेजों की संवीक्षा पर यह देखा गया कि प्रबंधन द्वारा संदर्भित, नदी में ड्राफ्ट बाध्यताओं के साथ भी ड्रेजर्स द्वारा हॉपर क्षमता के 100 प्रतिशत उपयोग की घटनायें थीं। अपेक्षित गहराई डीसीआईएल के खराब निष्पादन के कारण बनाई नहीं रखी गई थी और इसके सोपानी प्रभाव के कारण डीसीआईएल के ड्रेजर्स की हॉपर क्षमता का बेहतर उपयोग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे दृष्टांत भी थे जहाँ किसी विशेष स्थान में ड्रेजर्स की क्षमता का उपयोग प्रतिकूल ज्वारीय दशा में अधिक था जबकि वही अनुकूल ज्वारीय दशाओं के दौरान कम था।

ड्रेजर्स की क्षमता के कम उपयोग को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2019) कि ड्रेजिंग संचालनों में कम निष्पादन नए ड्रेजर्स की अनुपलब्धता के कारण था। यह भी तर्क दिया गया कि हॉपर का आंशिक लोड ड्रेजर्स के डंपिंग क्षेत्रों तक सुरक्षापूर्वक संचालन के लिए था।

मंत्रालय के उपरोक्त तर्क स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि ड्रेजिंग संचालन के लिए डीसीआईएल द्वारा तीन नए ड्रेजर्स यथा ड्रेज XIX, XX एवं XXI तैनात किए गए थे (मार्च 2014 एवं अप्रैल 2014)। इसके अतिरिक्त, कई ऐसे अवसर थे जब निर्दिष्ट क्षेत्रों में ड्रेज की गई सामग्री की डंपिंग के साथ ड्रेजर्स की क्षमता का उपयोग प्रतिकूल ज्वारीय दशाओं एवं ड्राफ्ट बाध्यता के अंतर्गत अधिक था।

6.1.4.3 ड्रेजिंग के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब

एमओएस ने (जून 2002) केओपीटी को ड्रेजिंग ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली अपनाने का निर्देश दिया था क्योंकि नामांकन आधार पर

डीसीआईएल का निष्पादन संतोषजनक नहीं था। उक्त को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपनी 2002 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल) में भी दर्शाया गया था। डीसीआईएल के असंतोषजनक निष्पादन का मुद्दा एवं खुली निविदा का प्रस्ताव बीओटी के सम्मुख रखा गया था (दिसंबर 2003)। हालांकि, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। डीसीआईएल के असंतोषजनक निष्पादन के बावजूद, केओपीटी ने ड्रेजिंग ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए खुली निविदा के विकल्प को नहीं चुना एवं डीसीआईएल को लगातार नामांकन आधार पर नियुक्त करती रही।

एमओएस ने केओपीटी को मौजूदा संविदा के समाप्त होने (मार्च 2014) के पश्चात् ड्रेजिंग ठेकेदारों की नियुक्ति खुली निविदा प्रक्रिया से करने के निर्देश दिए थे (दिसंबर 2013)। तदनुसार, केओपीटी ने फरवरी 2014 में दैनिक भाड़ा दर के आधार पर जेल्लिंगम और ऑकलैंड में ड्रेजिंग रखरखाव के लिए निविदा जारी की। हालांकि, उसे निरस्त कर दिया गया क्योंकि निविदा में निर्धारित की गई लक्षित गहराई मौजूदा संविदा से कम थी एवं बोलीकर्ताओं द्वारा लगाई गई बोलियाँ अधिक थीं।

उपरोक्त चैनलों के लिए अगस्त 2015 में दैनिक भाड़ा दर के आधार पर एक नई निविदा जारी की गई। तत्पश्चात् उसे तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया। पुनः केवल जेल्लिंगम में रखरखाव ड्रेजिंग के लिए दैनिक भाड़ा दर के आधार पर नवंबर 2015 में निविदा जारी की गई। उक्त निविदा एमओएस की हल्दिया को जाने वाले सब चैनलों को समाविष्ट करने की सलाह पर निरस्त कर दी गई।

इसके पश्चात्, जुलाई 2016 में ड्रेज की गई मात्रा के आधार पर हल्दिया बंदरगाह, जेल्लिंगम, ईडन एवं ऑकलैंड में रखरखाव ड्रेजिंग को समाहित करते हुए एक नई निविदा जारी की गई एवं अंततः जनवरी 2017 में पाँच वर्षों के लिए संविदा एकल निविदा आधार पर डीसीआईएल को दी गई।

इस प्रकार, एमओएस के निर्देशों का उल्लंघन कर नामांकन आधार पर ड्रेजिंग संविदाओं के जारी रहने से ड्रेजिंग संविदाओं को अंतिम रूप से आवंटित करने में 33 महीनों (अप्रैल 2014 से दिसंबर 2016) के अत्यधिक विलम्ब ने न केवल डीसीआईएल को उसके व्यापार के एकाधिकार में सहयोग किया बल्कि डीसीआईएल के खराब निष्पादन के कारण एचडीसी तक विस्तृत चैनल की गहराई को भी अवरुद्ध किया। अतः लेखापरीक्षा ने आकलित किया कि 33 महीनों की विस्तारित अवधि के दौरान दैनिक भाड़ा दर के आधार पर ड्रेज की गई मात्रा को यदि ड्रेज किए गए प्रति टन की लागत के आधार पर किया गया होता तो केओपीटी ₹119.49 करोड़ (परिशिष्ट-XXVIII) बचा सकता था। इस

प्रकार, केओपीटी ने ड्रेजिंग ठेके के आबंटन में विलम्ब के कारण ₹119.49 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त ड्रेजिंग व्यय वहन किया।

प्रबंधन ने तर्क दिया (सितंबर 2019) कि निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब निम्नलिखित आधारों पर अपरिहार्य था:

- फरवरी 2014 की निविदा को उसमें गहराई के कम मानदंड एवं बोलीकर्ताओं द्वारा अधिक बोली लगाए जाने के कारण अंतिम रूप नहीं दिया गया था।
- इसके अतिरिक्त, अगस्त 2015 की निविदा को भी एमओएस के सलाहकार के द्वारा निविदा के कार्यक्षेत्र में ड्रेज की गई सामग्री के निपटान के तौर तरीकों में बदलाव की सलाह के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।
- इसी प्रकार नवंबर 2015 की निविदा को ड्रेज किए जाने वाले क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में बदलाव की एमओएस की सलाह के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

उपरोक्त तर्क निम्नलिखित दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है:

- फरवरी 2014 की नई निविदा में गहराई के मानदंड का समुचित रूप से निर्धारण किया जाना प्रबंधन की ओर से कमी थी।
- प्रबंधन ने महसूस किया था कि दैनिक भाड़ा दर व्यवस्था के दौरान डीसीआईएल को ड्रेजर्स की वास्तविक क्षमता के उपयोग पर ध्यान दिए बिना ही उन्हें पूरे भाड़ा व्यय का भुगतान किया गया था। इसलिए, हल्दिया चैनल में ड्रेजिंग गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सबसे किफायती एवं प्रभावी तरीका मात्रा आधारित ड्रेजिंग एवं उसके लिए भुगतान था। यह तथ्यों से प्रमाणित है कि डीसीआईएल के साथ 2017 के ड्रेजिंग ठेके में ऐसी भुगतान शर्तों के समावेश के पश्चात् हल्दिया को जाने वाले चैनल की नौचालन गहराई में वृद्धि के दृष्टान्त थे। हालांकि, प्रबंधन ने फरवरी 2014 में नई निविदा जारी करते हुए मात्रा आधारित ड्रेजिंग की भुगतान शर्तों पर विचार नहीं किया।
- प्रबंधन ड्रेजिंग गतिविधियों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों के जोखिम को अच्छी तरह जानता था एवं नई निविदा जारी करते समय इन्हें कार्य के कार्य क्षेत्र में विस्तारपूर्वक परिभाषित किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त के मद्देजनर, ड्रेजिंग ठेके को अंतिम रूप देने में 33 महीने का विलम्ब परिहार्य था और निविदा दस्तावेज में प्रक्रियात्मक कमी के कारण ड्रेजिंग ठेके के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जा सका।

प्रबंधन के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, मंत्रालय ने आगे कहा कि उसने केओपीटी को दिशानिर्देश जारी किए (मार्च 2001) एवं शर्त रखी कि ड्रेजिंग के लिए भुगतान न तो दैनिक मजदूरी और न ही विस्तृत घनत्व के आधार पर बल्कि प्रत्याभूत न्यूनतम गहराई के आधार पर होना चाहिए और इसका पालन केओपीटी द्वारा तत्पश्चात् निर्मित सभी ठेकों में अनिवार्य रूप से किया गया था।

हालांकि, तथ्य यह है कि मंत्रालय द्वारा निश्चित न्यूनतम गहराई के साथ ड्रेजिंग संविदा में ड्रेज की गई मात्रा के आधार पर भुगतान शर्तों के समावेशन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। उक्त भुगतान शर्तें जनवरी 2017 से प्रभावी ड्रेजिंग ठेकों में उक्त के समावेशन के पश्चात् लाभकारी सिद्ध हुई थीं।

6.1.4.4 जेल्लिंगम में अप्रभावी ड्रेजिंग

एचडीसी की तरफ जाने वाले एक पोत को पहले ईडन चैनल फिर ऊपरी ऑकलैंड और अंततः जेल्लिंगम से होकर गुजरना पड़ता था। अतः पोत के सुचारू संचलन के लिए नौपरिवहन चैनल के इन क्षेत्रों में उपलब्ध गहराई में समता होनी चाहिए। केओपीटी ने योजना तैयार की कि जेल्लिंगम की गहराई ईडन से कम होनी चाहिए एवं इस संबंध में गहराई का अंतर 0.5 मीटर या अधिक होना चाहिए। यह पाया गया कि जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक, जेल्लिंगम एवं ईडन चैनल के बीच गहराई का अंतर 0.5 मीटर से कम था जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि में जेल्लिंगम में आवश्यकता से अधिक गहराई की ड्रेजिंग के लिए केओपीटी द्वारा ₹41.19 करोड़ (परिशिष्ट-XXIX) का निष्फल व्यय वहन किया गया क्योंकि उक्त का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने तर्क दिया (सितंबर 2019/ दिसंबर 2019) कि लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण ड्रेजिंग पश्च परिणाम पर आधारित था, जो न तो परिकल्पित किये जा सकते थे और न ही अप्रत्याशित नदी दशाओं में गतिशील परिदृश्य में हमेशा व्यवहारिक थे।

प्रबंधन/ मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेल्लिंगम की अपेक्षित गहराई ड्रेजिंग की प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई थी और इसलिए ड्रेजिंग कार्य की उचित निगरानी तथा पर्यवेक्षण द्वारा ऐसी गहराई का ध्यान रखा जाना चाहिए था।

6.1.4.5 पोतों के टर्न राउंड समय⁷ में वृद्धि

एचडीसी को जाने वाले पोत पहले सैंडहैड पर पहुंचते थे और इसके बाद 125 कि.मी लंबे नौकायन चैनल से यात्रा करनी पड़ती थी। कार्गो पोत, जो एचडीसी में प्रवेश करने में सक्षम थे परंतु गहराई बाधा के कारण इसमें प्रवेश नहीं कर सके, को विभिन्न लाईटरेज स्थानों पर लाईटरेज⁸ किया जाना था। पोर्ट उपयोक्ताओं की ओर से लाईटरेजिंग प्रचालनों में अधिक लोजिस्टिकल लागत और समय की आवश्यकता थी। यह अवलोकन किया गया था कि एचडीसी जाने वाले कार्गो पोत का टर्न राउंड समय (टीआरटी) 2013-14 से 2018-19 की अवधि के दौरान केडीएस जाने वाले से अधिक था यद्यपि एचडीसी के नौकायन चैनल की लंबाई (125 कि.मी) केडीएस (232 कि.मी) से कम थी। एचडीसी का टीआरटी 5.97 दिनों से 8.48 दिनों के बीच था जबकि केडीएस का टीआरटी उपरोक्त अवधि (परिशिष्ट-XXX) के दौरान 4.34 दिनों से 5.1 दिनों के बीच था। एचडीसी के उपयुक्त टीआरटी में केवल उन कार्गो पोतों का लाईटरेजिंग समय शामिल था जो प्रत्यक्ष रूप से लाईटरेजिंग के बिना एचडीसी में प्रवेश कर सकते थे, यदि एचडीसी को जाने वाले चैनल में कोई गहराई संबंधी बाधा नहीं होती। यह भी पाया गया कि एचडीसी के टीआरटी की बढ़ती प्रवृत्ति मुख्यतः कार्गो पोत के उपरोक्त श्रेणी के लाईटरेज प्रचालनों की बढ़ती हुई टीआरटी के कारण थी। इसके अतिरिक्त, यह बताना भी अर्थपूर्ण है कि 2018-19 के दौरान, एचडीसी का टीआरटी लाईटरेजिंग प्रचालन के लिए मुख्यतः तैरने वाली क्रेन शुरू करने के कारण 6.45 दिनों तक कम हो गया।

इसलिए, केओपीटी के उपभोक्ताओं को टीआरटी में वृद्धि के कारण विलंब के लिए पोत मालिकों द्वारा उद्ग्रहित विलंब शुल्क प्रभार/ अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था। पोर्ट उपयोक्ताओं ने बढ़ते हुए टीआरटी पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और उक्त को कम करने के लिए केओपीटी से अनुरोध किया था।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2019) कि सक्रिय और विकासशील हुगली मुहाने ने न्यूनतम नौ-परिवहन रखरखाव के लिए शिपिंग चैनल की बार-बार सतत शिफ्टिंग और पुनः संरेखण को आवश्यक बना दिया। यह भी कहा गया कि केओपीटी अपने गहरे बंदरगाहों में कार्गो के लाईटरेज को बढ़ावा दे रहा था और इसलिए पोर्ट में पूर्णतः लदे हुये बड़े पोतों को सीधे प्रवेश अनुमति देने की कोई गुंजाईश नहीं थी।

⁷ टर्न राउंड टाइम (टीआरटी) रिपोर्टिंग स्टेशन पर आगमन से रिपोर्टिंग स्टेशन से अपने प्रस्थान तक पोर्ट पर जहाज द्वारा बिताया गया कुल समय है।

⁸ यह पोर्ट फेसिलिटी में प्रवेश करने के लिए शिप के ड्राफ्ट को कम करने के लिए है जो सागर में जाने वाले बहुत बड़े जहाजों को स्वीकृति नहीं दे सकता।

उपरोक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गहराई संबंधी बाधाओं के कारण डॉक में सीधे प्रवेश करने के लिए पोतों की अक्षमता को खत्म करने के लिए लाईटरेज प्रचालन का सहारा लिया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने केवल उन कार्गो पोतों के लाईटरेज प्रचालनों की टीआरटी पर विचार किया जो कि एचडीसी में प्रवेश करने में सक्षम थे, यदि एचडीसी में जाने वाले चैनल में कोई गहराई संबंधी बाधाएं नहीं होती।

इसके अतिरिक्त, प्रबंधन का तर्क कि केडीसी और एचडीसी दोनों की टीआरटी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई टीआरटी से काफी कम थी, भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने लाईटरेज प्रचालनों से उत्पन्न टीआरटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था।

प्रबंधन के उत्तर का समर्थन करते हुए, आगे मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2019) कि अतिरिक्त लागत के बावजूद प्रचालन अभी भी सस्ता था और पास की पोर्ट पर कार्गो को उतारने तथा सड़क या रेल से स्थानांतरण की अपेक्षा अभी भी व्यापार के लिए बेहतर था।

मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति केओपीटी में टीआरटी में वृद्धि से संबंधित थी। टीआरटी पोर्ट प्रचालनों की कुशलता को दर्शाता था और पोर्ट उपयोक्ताओं को अंततः कम टीआरटी से लाभ प्राप्त होगा क्योंकि इसमें कम लागत शामिल है। लेखापरीक्षा ने पास की पोर्ट के साथ केओपीटी की परिवहन लागत की तुलना नहीं की थी जैसा कि मंत्रालय द्वारा उत्तर दिया गया था।

6.1.4.6 ड्रेजिंग के निगरानी कार्य में ₹2.71 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

एमओएस के निर्देशानुसार, केओपीटी ने पांच वर्षों की अवधि हेतु हुगली मुहाने में एचडीसी को जाने वाले शिपिंग चैनल में रखरखाव ड्रेजिंग के लिए डीसीआईएल को एक संविदा प्रदान की (जनवरी 2017)। संविदा के अनुसार, डीसीआईएल द्वारा किये गये ड्रेजिंग की मात्रा के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए। केओपीटी ने 54 महीनों की अवधि हेतु ₹21.76 करोड़ के मूल्य पर कथित ड्रेजिंग कार्य के लेखापरीक्षण के लिए वैपकॉस को नियुक्त किया (जून 2017)। उपर्युक्त निगरानी संविदा को अंतिम रूप देने से पहले, प्रबंधन ने पाया कि परिणाम उन्मुख ड्रेजिंग कार्य के लिए उपरोक्त का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक था। तथापि, निगरानी संविदा को अंतिम रूप देते समय इसको ध्यान में नहीं रखा गया। अंततः, प्रबंधन ने जनवरी 2019 में निगरानी कार्य के कार्यक्षेत्र और कवरेज को संशोधित किया था और संविदा मूल्य 40 प्रतिशत तक कम कर दिया था।

इस प्रकार, ड्रेजिंग संविदा के अनुसार निगरानी कार्य के कार्यक्षेत्र को संशोधित करने में विलंब हुआ जिसके कारण केओपीटी को जुलाई 2017 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान ₹2.71 करोड़ (परिशिष्ट-XXXI) का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2019/ दिसंबर 2019) कि इस अवधि के दौरान उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है और आगे लागत में बचत करने के साथ गुणवत्ता से समझौता न करते हुए कुछ आपूर्ति को कम किया गया है।

उपरोक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगरानी संविदा को अंतिम रूप देने से पहले इसे उक्त के कार्यक्षेत्र के विस्तार के बारे में जानकारी थी परंतु निगरानी संविदा के कार्यक्षेत्र का संशोधन जनवरी 2019 अर्थात 18 महीनों के विलंब के बाद किया गया था जो न्यायसंगत नहीं था।

6.1.5 ड्रेज्ड सामग्री का निपटान

एचडीसी को जाने वाले चैनल में अधिक गाद भरता है जिसके कारण नौपरिवहन चैनल में अवरोध पैदा होता है। इसलिए केओपीटी के शिपिंग चैनल की नौकायन क्षमता को बनाये रखने के लिए सतत आधार पर ड्रेजिंग कार्य करना पड़ता है। प्रभावी ड्रेजिंग ड्रेज्ड सामग्री के उचित निपटान पर आधारित होती है। ड्रेज्ड सामग्री के निपटान के मुख्यतः दो तरीके अर्थात तट पर निस्तारण और नदी में निस्तारण अपनाये जाते हैं। तट निस्तारण प्रक्रिया में ड्रेज्ड सामग्री को पाइपलाइन या बार्ज के माध्यम से तट पर निस्तारित किया जाता है। नदी में निस्तारण में, ड्रेज्ड सामग्री को स्वयं नदी के निश्चित क्षेत्र में या नदी की संरचना को ध्यान में रखते हुए साईड कास्टिंग द्वारा निस्तारित किया जाता है। लगभग 10 से 20 घन मिमी प्रति वर्ष की ड्रेज्ड सामग्री का निपटान केओपीटी के लिए एक मुख्य बाधा बन गई है। केओपीटी ने ड्रेज्ड सामग्री का मुख्यतः नदी के गहरे भागों में और उक्त के बहुत कम हिस्से का साईड कास्ट तरीके द्वारा निस्तारण का कार्य किया। तट पर निपटान मुख्य और सबसे प्रभावी तरीका है जिसे फरवरी 2020 तक केओपीटी द्वारा आरंभ नहीं किया गया था।

6.1.5.1 नदी में डंपिंग और तट पर निस्तारण

ड्रेजिंग पर मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, डंपिंग ग्राउंड की गहराई 20 मीटर से अधिक होनी चाहिए। तथापि, ड्रेजिंग रखरखाव के कारण निकली सामग्री की डंपिंग के लिए 2.5 मीटर से 6.5 मीटर के बीच की गहराई वाले केवल तीन डंपिंग

ग्राऊंड⁹ ही प्रचालन में थे। उपरोक्त डंपिंग ग्राऊंड में ड्रैज्ड सामग्री के लगातार और अधिक डंपिंग के कारण पॉकेट की अपर्याप्त गहराई होने के कारण शिपिंग चैनल में काफी अधिक मात्रा में ड्रैज्ड सामग्री का पुनः संचरण हुआ।

केओपीटी द्वारा नियुक्त किये गये विभिन्न विशेषज्ञों ने नदी में ड्रैज्ड सामग्री की डंपिंग को रोकने और तट पर निस्तारण पद्धति चालू करने के लिए सिफारिश भी की थी। तट पर निस्तारण प्रणाली को लागू न करने के कारण लगभग 22 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नदी में ड्रैज्ड सामग्री के निपटान हेतु निस्तारण क्षेत्र तक लाने के लिए ड्रेजर को 18 घंटे प्रतिदिन से 19 घंटे प्रतिदिन का औसत यात्रा समय लगता था जबकि ड्रेजर की प्रभावी ड्रेजिंग पांच घंटे से छः घंटे प्रतिदिन तक ही सीमित थी।

प्रबंधन ने कहा कि तट पर निस्तारण उचित भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरंभ नहीं किया जा सका जिसके लिए वे राज्य सरकार से बातचीत कर रहे थे।

प्रबंधन नयाचार द्वीप पर पर मिट्टी के तटबंध बनाकर ड्रैज्ड सामग्री के निपटान के उद्देश्य हेतु वहां निर्धारित भूमि के 1500 एकड़ के अनुमत अधिग्रहण की अनुमति हेतु पश्चिम बंगाल सरकार (जीओडब्ल्यूबी) के साथ पत्राचार कर रहा था। अंतिम पत्र जून 2019 में जीओडब्ल्यूबी को लिखा गया था। प्रबंधन द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये जैसा कि जीओडब्ल्यूबी द्वारा बताया गया था। उपरोक्त से इंगित होता है कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया था।

तथापि, तथ्य यह है कि कम गहराई के डंपिंग ग्राऊंड में ड्रैज्ड सामग्री की डंपिंग जारी रही जिसके कारण शिपिंग चैनल में उसका पुनः संचरण लगातार हो रहा था।

6.1.5.1 (क) ड्रैज्ड सामग्री का पुनः संचरण

हुगली नदी में तलछट की गतिशीलता पर किये गये एक अध्ययन (जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक) के आधार पर, भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी) ने सूचित किया कि नदी में डाली गई ड्रैज्ड सामग्री शिपिंग चैनल की तरफ जा रही थी। बीएआरसी ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि डंपिंग यार्ड के रूप में प्रयुक्त साईट ड्रैज्ड सामग्री की डंपिंग के लिए उपयुक्त नहीं थी। एमओएस ने भी तथ्य की पुष्टि करते हुए इंगित किया (मई 2014) कि ड्रैज्ड सामग्री 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक डंपिंग ग्राऊंड से वापस शिपिंग चैनल में आ रही थी।

⁹ 1) निचला सागर डंपिंग 2) इए-II और 3) ईडन डंपिंग

यह देखा गया था कि 2013-14 से 2018-19 की अवधि के दौरान ₹1,857.37 करोड़ व्यय से कुल 81.68 घन मिमी ड्रेज किया गया था और उक्त को नदी में अलग-अलग डंपिंग ग्राउंड में डंप किया गया था। कम से कम 15 प्रतिशत के पुनः संचरण की दर को ध्यान में रखते हुए, शिपिंग चैनल में ड्रेज सामग्री की 12.25 घन मिमी की मात्रा वापस आ चुकी थी। इस प्रकार तट पर निस्तारण पद्धति को अपनाकर, शिपिंग चैनल में 12.25 घन मिमी ड्रेज सामग्री के पुनः संचरण से बचने की संभावना थी और इसलिए उपरोक्त अवधि के दौरान केओपीटी द्वारा ₹278.61 करोड़ (परिशिष्ट-XXXII) की बचत की जा सकती थी।

प्रबंधन/ मंत्रालय का तर्क था (सितंबर 2019/ दिसंबर 2019) कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था कि सागर डंपिंग बोय/ निचले सागर डंपिंग बोय-में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत डंप की गई ड्रेज सामग्री हल्दिया चैनल में पुनः संचरित हो गई थी।

यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति उक्त की नदी में डंपिंग किये जाने के कारण शिपिंग चैनल में ड्रेज सामग्री के पुनः संचरण के संबंध में एमओएस के निर्धारण पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त, डंपिंग कार्य निचले सागर डंपिंग बोय सहित तीन डंपिंग ग्राउंड में किया गया था। सागर डंपिंग बोय में डंपिंग 2004 में बंद की गई थी।

6.1.5.1 (ख) निचले ईडन में ड्रेजिंग

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटीएम) ने अगले 12 महीनों के लिए ईडन डंपिंग ग्राउंड में जेल्लिंगम और ईडन की ड्रेज सामग्री के निपटान की सिफारिश (अप्रैल 2017) की, और इस अवधि में सिल्ट ट्रेप निपटान प्रणाली के क्रियान्वयन को पूरा करके तट निस्तारण के लिए नयाचार तटबंध का निर्माण किया जाना था। चूंकि, आईआईटी, मद्रास द्वारा सिल्ट ट्रेप निपटान प्रणाली के लिए पहला प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है, केओपीटी के पास केवल तट निस्तारण का विकल्प रह गया है। तथापि, केओपीटी तट निस्तारण सुविधा स्थापित करने के स्थान पर निर्धारित समय अवधि के बाद ईडन डंपिंग ग्राउंड में जेल्लिंगम/ ईडन में ड्रेजिंग से मिलने वाली ड्रेज सामग्री को डंप करती रही। दूसरी ओर, यह देखा गया कि केओपीटी ने निचले ईडन चैनल की रोधिकाओं, जहां पर पहले ड्रेजिंग कार्य नहीं किया गया था, पर ड्रेजिंग गतिविधि आरंभ की। इस प्रकार, ईडन डंपिंग ग्राउंड में ड्रेज सामग्री की लगातार डंपिंग के परिणामस्वरूप चैनल में नौकायन करने के लिए निचले ईडन चैनल में ड्रेजिंग के कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2019) कि तट निस्तारण सुविधा उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण तैयार नहीं की जा सकी। तथापि, तथ्य यह है कि एचडीसी को जाने वाले चैनल की ड्रैज सामग्री के निपटान हेतु तट निस्तारण ही एक मात्र समाधान है और प्रबंधन को उक्त हेतु उपयुक्त भूमि की उपलब्धता हेतु राज्य सरकार/ संबंधित प्राधिकारियों से सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए।

मंत्रालय ने तर्क दिया (दिसंबर 2019) कि जेल्लिंघम और ऊपरी ईडन में अधिक गहराई का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए निचले ईडन में ड्रैजिंग आवश्यक थी।

इस तथ्य के मद्देनजर मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है कि निर्धारित अवधि के बाद भी जेल्लिंघम और ईडन के ड्रैज सामग्री की लगातार डंपिंग के कारण निचले ईडन की ड्रैजिंग आवश्यक थी।

6.1.5.1 (ग) हल्दिया बंदरगाह की नौकायन चौड़ाई का कम होना

हल्दिया के पास हुगली नदी में रेडियोट्रेसर परीक्षण पर अपनी रिपोर्ट में बीएआरसी ने इंगित किया (सितंबर 1993) कि हल्दिया चैनल के पूर्वी भाग पर नयाचार द्वीप के उथले भाग पर तलछट जमा हुआ पाया जाता था, चाहे डंपिंग ज्वार के दौरान की गई हो या भाटे के दौरान की गई हो। केओपीटी ने यह भी कहा (अप्रैल 1996) कि नदी में गहरे स्थानों पर ड्रैज सामग्री की खुली डंपिंग के कारण नयाचार द्वीप पर संचयन हुआ जिसके परिणामस्वरूप हल्दिया बंदरगाह के पास चैनल की नौकायन चौड़ाई कम हो गई। हल्दी नदी के संगम पर हल्दिया बंदरगाह में 2006 तक धीरे-धीरे यह बदलाव देखा गया जिसके परिणामतः पश्चिमी दिशा से चैनल में रेत का जमाव हुआ और पूर्वी दिशा में नयाचार द्वीप का विस्तार हुआ जिससे चैनल सिकुड़ता गया। हल्दिया बंदरगाह की नौकायन चौड़ाई लगातार घटती हुई देखी गई जोकि 2006 में लगभग 900 मीटर से 345 मीटर (मई 2016) तक पुनः संरेखित की गई थी। यह देखा गया था कि, चैनल की चौड़ाई को बनाये रखने के लिए हल्दिया बंदरगाह पर केवल 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान कुल 4.156 घन मिमी ड्रैज किया गया था जो पहले आपेक्षित नहीं था।

प्रबंधन/ मंत्रालय का यह तर्क (सितंबर 2019/ दिसंबर 2019) स्वीकार्य नहीं कि चार मीटर घेराव के बीच चौड़ाई के साथ-साथ हल्दिया बंदरगाह की नौकायन गहराई 2016 से बढ़ी है, क्योंकि प्रबंधन ने चैनल की नौकायन चौड़ाई को ध्यान में न रखते हुये हल्दिया बंदरगाह की कुल चौड़ाई पर विचार किया था। तथापि, तथ्य यह है कि पोतों के चलने के लिए मई 2016 तक पुनः संरेखण किये जाने के कारण नौकायन चौड़ाई 345 मीटर थी और उक्त को बढ़ाया नहीं गया था।

6.1.5.2 साईड कास्टिंग

डीसीआईएल द्वारा दो प्रकार की ड्रेजिंग गतिविधियां अर्थात् पारंपरिक ड्रेजिंग और साईड कास्टिंग की जा रही थीं। पारंपरिक ड्रेजिंग में, ड्रेजिंग सामग्री की खुदाई की जाती थी और नदी में निर्धारित डंपिंग स्थान पर उक्त को डालने के लिए ड्रेजर की होपर में लोड किया जाता था। साईड कास्टिंग में, ड्रेजिंग सामग्री की खुदाई की जाती थी और नदी में ही दूरस्थ स्थान पर घोल रूप में उक्त को फेंककर उसका निस्तारण किया जाता था।

6.1.5.2 (क) ड्रेजिंग संविदा में साईड कास्टिंग की कम दर को शामिल न करना

जनवरी 2017 की संविदा में, यह अनुबंध किया गया था कि हल्दिया बंदरगाह और जेल्लिंघम के लिए निर्धारित की गई कुल ड्रेजिंग मात्रा में से, अधिकतम एक घन मिमी प्रति वर्ष साईड कास्टिंग द्वारा की जानी थी। यह जानने के बावजूद (मई 2015) कि साईड कास्टिंग ड्रेजिंग की दर पारंपरिक ड्रेजिंग से कम थी, प्रबंधन ने संविदा में साईड कास्टिंग ड्रेजिंग के लिए दर शामिल नहीं की थी। जनवरी 2017 से मार्च 2019 के अवधि के दौरान, कुल 1.01¹⁰ घन मिमी को साईड कास्टिंग द्वारा ड्रेज किया गया था। तथापि उक्त के लिए भुगतान पारंपरिक ड्रेजिंग के लिए लागू दर के आधार पर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के दौरान ड्रेजिंग की लागत के प्रति ₹10.19 करोड़ (परिशिष्ट-XXXIII) का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, केओपीटी ने संविदा (दिसंबर 2021 तक) की शेष अवधि के दौरान ₹12.74 करोड़ (परिशिष्ट-XXXIV) की बचत का अवसर खो दिया।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2019) कि वे साईड कास्टिंग की मात्रा के बारे में विश्वस्त नहीं थे कि किसी वर्ष में किस समय पर यह आवश्यक हो सकती है और इसलिए डीसीआईएल से अलग दरे नहीं मांगी जा सकी। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीसीआईएल के साथ संविदा में यह निर्दिष्ट था कि साईड कास्टिंग की अधिकतम मात्रा एक घन मिमी प्रति वर्ष होगी और इसलिए उक्त की कम दर को ध्यान में रखते हुए साईड कास्टिंग के लिए अलग दर को ड्रेजिंग संविदा में जोड़ा जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने तर्क दिया कि यदि केओपीटी ने साईड-कास्टिंग हेतु अलग दरें ली होती तो पारंपरिक ड्रेजिंग के लिए दर अलग हो सकती थी।

¹⁰ में, वैपकोस द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित फार्मूले के आधार पर

मंत्रालय का उपरोक्त विचार स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डीसीआईएल के साथ संविदा में पारंपरिक ड्रेजिंग के साथ-साथ साईड कास्टिंग के लिए अलग मात्राएं निर्दिष्ट की गई थी और इसलिए उपरोक्त हेतु दरें संविदा में अलग से जोड़ी जानी चाहिए थी।

6.1.5.2 (ख) उत्पादन मीटर का संस्थापन न करना

साईड कास्टिंग द्वारा ड्रैज की गई वास्तविक मात्रा के मापन के लिए डीसीआईएल के ड्रेजरो में कोई उपयुक्त मापन यंत्र नहीं लगाये गये थे जैसा कि संविदा के अनुसार अपेक्षित था। पूर्वोक्त के अभाव में, केओपीटी के पास साईड कास्ट की गई सामग्री की मात्रा के मापन के लिए कोई उपकरण नहीं था इस प्रकार भुगतान पारंपरिक ड्रेजिंग हेतु लागू दर पर निर्धारित फार्मुले के आधार पर किया गया था।

इस संबंध में प्रबंधन/मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की।

6.1.6 निष्कर्ष

केओपीटी में ड्रेजिंग हेतु पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों और उक्त हेतु समय-समय पर अपनाई गई नीतियों को बताते हुए अपने बीओटी द्वारा अनुमोदित की गई ड्रेजिंग के लिए कोई निर्धारित नीतिगत ड्रेजिंग योजना नहीं थी। यद्यपि, ड्रेजिंग के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी उनको अनुमोदन हेतु बीओटी के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया था। यहाँ तक कि, कमियों और इनके कारणों सहित ऐसी योजनाओं के प्रति वास्तविक उपलब्धियां तैयार नहीं की गई थी और उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए बीओटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। अपेक्षित संरेखण के स्थाई चैनल बनाने के लिए निर्मित पर्वत-स्कंध भी उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किये गये थे। डीसीआईएल के साथ ड्रेजिंग संविदा के क्रियान्वयन में कमियां थीं। ड्रेजिंग संविदाओं में लक्षित गहराई मुख्यतः डीसीआईएल ड्रेजरो के कम निष्पादन के कारण अपेक्षित/आवश्यक गहराई के संदर्भ में कम की गई थी। डीसीआईएल द्वारा तैनात किये गये ड्रेजरो का दैनिक भाड़ा दर व्यवस्था के दौरान कम-उपयोग किया गया जिसके लिए केओपीटी ने निष्फल व्यय किया। केओपीटी ने नामांकन आधार और दैनिक भाड़ा दर आधार पर डीसीआईएल के साथ संविदा जारी रखने के कारण अतिरिक्त ड्रेजिंग व्यय भी किया था। ईडन के संदर्भानुसार जेल्लिंधम पर अधिक गहराई बनाये रखने के कारण केओपीटी द्वारा ड्रेजिंग के प्रति निष्फल व्यय भी किया गया था। केओपीटी द्वारा ड्रैज सामग्री का तट निस्तारण/डंपिंग नहीं किया गया। इसके विपरीत, नदी में ही ड्रैज सामग्री को डंप किया गया था। अंततः इसके परिणामस्वरूप नदी में डंप की गई ड्रैज सामग्री के कम से कम 15 प्रतिशत को पुनः संचरण हुआ जिसके कारण ड्रेजिंग के बावजूद नौकायन चैनल की

गहराई में कमी आई। एचडीसी की ओर जाते हुये पोतों का टीआरटी नौकायन गहराई में कमी के कारण अधिक था जिसके परिणामस्वरूप पोत की संव्यवहार लागत में वृद्धि हुई और जिसके कारण पोर्ट उपयोक्ताओं के लिए आकर्षक नहीं रहा।

6.1.7 सिफारिशें

- i) केओपीटी को दीर्घावधि में शिपिंग चैनल की गहराई में वृद्धि के दृष्टिकोण के साथ ड्रेजिंग से संबंधित दीर्घावधि नीतिगत ड्रेजिंग योजना सभी गतिविधियों के विस्तृत दिशा-निर्देश के साथ तैयार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, डीसीआईएल द्वारा गहराई की प्राप्ति का लक्ष्य केओपीटी द्वारा तैयार की गई वार्षिक ड्रेजिंग योजना के अनुसार होना चाहिए।
- ii) केओपीटी को सहज शिपिंग के लिए सरल/ आवश्यक गहराई को ध्यान में रखते हुये डीसीआईएल के साथ संविदा में लक्षित गहराई निश्चित करनी चाहिए।
- iii) केओपीटी को डीसीआईएल द्वारा तैनात किये गये ड्रैजर्स की होपर क्षमता की अधिकतम उपयोगिता के लिए डीसीआईएल के ड्रेजिंग कार्य का कुशलतापूर्वक निरीक्षण करना चाहिए।
- iv) ड्रेजिंग संविदा की भुगतान शर्तें कार्य के कार्यक्षेत्र के अनुसार तैयार की जानी चाहिए।
- v) केओपीटी को हल्दिया से संबंधित पोतों के टर्न राउंड टाइम को कम करने के लिए शिपिंग चैनल की नौवहन गहराई में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- vi) केओपीटी को ड्रेज्ड सामग्री की डंपिंग के लिए शीघ्रातिशीघ्र तट निस्तारण सुविधा क्रियान्वित करनी चाहिए।

6.2 लाइसेंस फीस की वसूली न करने के कारण राजस्व की हानि

कोलकाता डॉक सिस्टम में सीमा शुल्क बाधित क्षेत्र में शेड/ यार्ड के संबंध में किराए की अनुसूची के पूर्व-प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के आदेश की अननुपालना के कारण कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को ₹5.91 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी) ने कोलकाता डॉक सिस्टम (केडीएस) और हल्दिया डॉक कांप्लेक्स (एचडीसी) में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएमपी) द्वारा निर्धारित किये गये एसओआर में निर्दिष्ट दरों के आधार पर पोर्ट उपभोक्ताओं को लाइसेंस/ पट्टा किराया पर भूमि और संरचनाओं को आबंटित किया। केओपीटी ने 7 अप्रैल 2011 से 6 अप्रैल

2016 तक की अवधि हेतु प्रभावी मौजूदा किराया अनुसूची (एसओआर) के समाप्त होने पर, 7 अप्रैल 2016 से 6 अप्रैल 2021 की अवधि हेतु केडीएस और एचडीसी में केओपीटी की भूमि और संरचनाओं हेतु एसओआर में संशोधन के लिए टीएएमपी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितंबर 2016)। टीएएमपी ने 7 अप्रैल 2016 से पूर्व-प्रभाव के साथ पांच वर्षों की उपर्युक्त अवधि के लिए एसओआर में संशोधन के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया (मई 2017)। उपरोक्त अनुमोदित एसओआर में केडीएस और एचडीसी में अनुमत किये गये पट्टा और लाइसेंस सहित केडीएस के सीमा शुल्क बाधित क्षेत्र के अंदर शेड/ यार्ड के संबंध में लाइसेंस फीस शामिल हैं।

केओपीटी के न्यासी मंडल (बीओटी) ने 7 अप्रैल 2016 से पूर्व-प्रभावी ढंग से संशोधित एसओआर लागू करने का निर्णय लिया (दिसंबर 2017)। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि केडीएस और एचडीसी में सीमाशुल्क बाधित क्षेत्र में शेड/ यार्ड की संशोधित लाइसेंस फीस निम्नलिखित आधार पर 31 मई 2017 से लागू की जानी थी:

- किराया गणना की पद्धति में परिवर्तन के कारण केडीएस में सीमाशुल्क बाधित क्षेत्र में शेड हेतु लागू किराया निर्धारण में विलंब।
- एक बार प्रेषण की सुपूर्दगी होने के बाद आयातक/ निर्यातक से अतिरिक्त रेंट प्रभार की वसूली करना लाइसेंस धारक के लिए कठिन था।
- लाइसेंस देने के आवंटन पत्र में लाइसेंस फीस के पूर्व-प्रभावी संशोधन हेतु कोई प्रावधान नहीं था।
- मुख्य पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, बीओटी इस संबंध में किसी भी सीमा तक उद्ग्राह्य किसी दर के भुगतान से किसी माल या पोत या माल या पोत की श्रेणी को पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट देने के लिए सशक्त था।

केडीएस में सीमाशुल्क बाधित क्षेत्र में शेड/ यार्ड के संबंध में 31 मई 2017 से उत्तरव्यापी प्रभाव से संशोधित एसओआर के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त कारण निम्नलिखित आधार पर न्यायसंगत नहीं थे:

- टीएएमपी को एसओआर के संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजने से पहले टीएएमपी द्वारा जारी किये गये (जनवरी 2014) भूमि नीति दिशानिर्देश 2014 में निर्दिष्ट किराए/ लाइसेंस फीस की गणना की परिवर्तित पद्धति से प्रबंधन अवगत था।
- केओपीटी ने 7 अप्रैल 2016 से पूर्व-प्रभावी ढंग से भूमि और भवनों की अन्य श्रेणियों के लिए संशोधित एसओआर लागू किया था। इस प्रकार, सीमा शुल्क

बाधित क्षेत्रों में शेड/ यार्ड के लिए उक्त क्रियान्वयन के प्रति छूट केओपीटी के वित्तीय हित में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस धारकों से एसओआर के संशोधन के कारण प्राप्य अतिरिक्त लाइसेंस फीस की वसूली की पूरी गुंजाइश थी क्योंकि बकाया देय की वसूली हेतु उनके द्वारा दी गई प्रतिभूति जमा राशि केओपीटी के पास थी।

- यह आबंटन पत्र में विशेष रूप से निर्दिष्ट था कि लाइसेंस फीस आदि में वृद्धि का संशोधन लाइसेंस धारक द्वारा देय होना था।
- अधिनियम की धारा 53 के अनुसार, बीओटी किसी माल या पोत या उनकी श्रेणी के संबंध में उद्ग्राह्य किसी दर/ प्रभार के भुगतान को माफ करने के लिए सशक्त थी, न कि भूमि और भवनों की लाइसेंस फीस/ किराए हेतु एसओआर के संबंध में सशक्त थी।
- प्रबंधन द्वारा देखी गई पूर्व-प्रभावी संग्रहण में समस्याएँ एचडीसी के लिए भी लागू थी परंतु एचडीसी ने अपने सीमाशुल्क बाधित क्षेत्र हेतु पूर्व-प्रभावी एसओआर क्रियान्वित और संग्रहित किया।

इस प्रकार, 7 अप्रैल 2016 से पूर्व-प्रभावी ढंग से संशोधित एसओआर का क्रियान्वयन न करने के कारण केडीएस के सीमाशुल्क बाधित क्षेत्र में शेड/ यार्ड के संबंध में ₹5.91 करोड़ की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई थी।

प्रबंधन ने तर्क दिया (दिसंबर 2019) कि बेहतर व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए तथा मुकद्दमेबाजी से बचने के लिए केडीएस और एचडीसी के सीमाशुल्क बाधित क्षेत्रों के संबंध में 31 मई 2017 से उत्तर-व्यापी प्रभाव से संशोधित एसओआर लागू किया गया था।

प्रबंधन का उपरोक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टीएएमपी द्वारा अनुमोदित एसओआर का समग्र रूप से क्रियान्वयन मुख्य पोर्टों का सांविधिक दायित्व था और प्रबंधन ने सीमाशुल्क बाधित क्षेत्र में शेड/ यार्ड में एचडीसी में पूर्व-प्रभावी संशोधित एसओआर लागू की थी। इसके अतिरिक्त, मुकद्दमेबाजी से बचने का तर्क भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आबंटन पत्रों में विशेष रूप से यह निर्दिष्ट था कि लाइसेंस फीस आदि में कोई भी वृद्धि संबंधी संशोधन लाइसेंसधारक द्वारा देय होना था।

इस प्रकार, 7 अप्रैल 2016 से पूर्व-प्रभावी ढंग से संशोधित एसओआर का क्रियान्वयन न करने के कारण केडीएस के सीमाशुल्क बाधित क्षेत्र में शेड/ यार्ड के संबंध में ₹5.91 करोड़ की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई थी। ऐसे क्रियान्वयन न करने हेतु उचित तर्क की कमी के कारण केडीएस के सीमाशुल्क बाधित क्षेत्र में शेड/ यार्ड के लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ भी मिला।

मंत्रालय को यह मामला जनवरी 2020 में संदर्भित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2020)।

जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट

6.3 ओवर टाईम भत्ते की गणना हेतु आवास किराया भत्ते को जोड़ने के कारण कर्मचारियों को अधिक भुगतान

जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने ओवरटाईम भत्ते की गणना हेतु फॉर्मूले में आवास किराया भत्ते को जोड़ने के कारण ओवर टाईम भत्ते का अधिक भुगतान किया और पोत परिवहन मंत्रालय ने मामले में कार्रवाई करने में अनुचित रूप से लंबा समय लिया।

जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) कर्मचारियों की अनुसूची (1 अप्रैल 1997 तक) में निर्दिष्ट अग्रलिखित फार्मूले के अनुसार निर्धारित कार्य घंटों के बाद कार्य कर रहे अपने कर्मचारियों को ओवरटाईम भत्ता दे रही थी:

- नौ घंटे प्रतिदिन और सप्ताह के 48 घंटों तक ओवरटाईम के लिए;

बेसिक पे + डीए	या	बेसिक पे x 1.5 गुना	
-----		-----	जो भी लाभप्रद हो
240		240	

- नौ घंटों प्रतिदिन और सप्ताह के 48 घंटों से अधिक ओवरटाईम:

बेसिक पे + डीए	या	बेसिक पे + डीए + एचआरए	
-----		-----	
120		120	
(टाउनशिप में रहने वाले)		(टाउनशिप में न रहने वाले और एचआरए प्राप्त करने वाले)	

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2015) कि जेएनपीटी के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते नियमावली, 1997 (सितंबर 1997 में जारी की गई) में ओवरटाईम भत्ते (ओटीए) के भुगतान के लिए या गणना की पद्धति हेतु कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, जेएनपीटी ने ओवरटाईम भुगतान के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (पोत परिवहन मंत्रालय) से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2015) कि उपरोक्त निर्दिष्ट फार्मूले में आवास किराया भत्ता (एचआरए) को जोड़ना नियमानुसार नहीं था।

ओटीए के अनियमित भुगतान 2013-14 से 2014-15 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा द्वारा ₹16.13 करोड़ इंगित किये गये।

जेएनपीटी ने कहा (फरवरी 2016) कि न्यासी मंडल ने जेएनपीटी कर्मचारियों की अनुसूची को अनुमोदित किया था जिसमें नौ घंटे प्रतिदिन से अधिक के ओवरटाइम की गणना हेतु आवास किराया भत्ते को जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा ने ओटीए के उद्देश्य के लिए एचआरए को जोड़ने के लिए मंत्रालय से विशिष्ट अनुमोदन लेने के लिए जेएनपीटी को सलाह दी (मार्च 2016)। तदनुसार, जेएनपीटी ने ओटीए में एचआरए को जोड़ने के लिए मंत्रालय के अनुमोदन के लिए अनुरोध (जनवरी 2017) किया। चूंकि मामले में कोई प्रगति नहीं थी, लेखापरीक्षा ने स्थिति को अद्यतित किया और पाया (अक्टूबर 2017) कि 2016-17 के अंत तक ₹31.05 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया था। तथापि, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर प्रतिक्रिया नहीं दी और जेएनपीटी ओटीए का अनियमित भुगतान करता रहा। जब जेएनपीटी ने ओटीए की गणना के समय एचआरए जोड़ने के लिए उनके अनुमोदन के लिए मंत्रालय से दोबारा बातचीत की (जनवरी 2019), तब मंत्रालय ने जेएनपीटी को भविष्य में ऐसी चूक जो पोर्ट को वित्तीय हानि पहुंचा सकती है, से बचने के लिए और ऐसी चूक करने के उत्तरदायी संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करने का निर्देश दिया (जून 2019)।

प्रतिक्रिया में, जेएनपीटी ने यह कहते हुए दिनांक 15 जुलाई 2019 को आंतरिक परिपत्र जारी किया कि ओटीए की गणना हेतु एचआरए को नहीं जोड़ा जाएगा और एचआरए को जोड़ने के कारण कर्मचारियों को अदा किया गया अधिक भुगतान उनके वेतन से वसूल किया जाएगा। 2013-14 से 2018-19 के दौरान अपने कर्मचारियों को जेएनपीटी द्वारा भुगतान किया गया कुल ओटीए ₹274.97 करोड़ था जिसमें एचआरए को जोड़ने के कारण ₹44.09 करोड़ का अधिक ओटीए शामिल था।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 9-ए के अनुसार, किसी पारंपरिक छूट या सुविधा की वापसी या उपयोग में परिवर्तन के लिए 21 दिनों का नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता है। इस विधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जेएनपीटी ने 19 अगस्त 2019 को नोटिस जारी किया और इसके अनुसार ओवरटाइम की गणना के लिए एचआरए को छोड़ दिया गया था और 9 सितंबर 2019 से मंत्रालय का निर्देश लागू किया गया था। इस स्थिति के मद्देनजर, पिछले भुगतानों की वसूली की संभावना समाप्त हो गई।

तथापि, जेएनपीटी ने मंत्रालय के निर्देशानुसार गलती करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए न तो कोई कार्रवाई आरंभ की और न ही की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय को जानकारी थी कि न्यासी मंडल द्वारा निर्णय किया गया था और इस प्रकार, मंत्रालय को उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी।

ओटीए में एचआरए को अनियमित रूप से जोड़े जाने को लेखापरीक्षा में दिसंबर 2015 से इंगित किया जा रहा है। तथापि, ओटीए में एचआरए को जोड़ने की स्वीकार्यता या अन्यथा पर निर्णय के लिए मंत्रालय/ जेएनपीटी ने लगभग चार वर्षों का समय लिया। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती तो दिसंबर 2015 से खर्च हुए कम से कम ₹27.96 करोड़ के व्यय से बचा जा सकता था।

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

6.4 टिपलिंग प्रभारों के कम निर्धारण के कारण राजस्व की हानि

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को जून 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र में थर्मल कोयले के प्रहस्तन के लिए टिपलिंग प्रभारों की कम वसूली के कारण ₹11.16 करोड़ की हानि हुई।

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में यांत्रिकीकृत कोयला प्रहस्तन प्रणाली/ संयंत्र (एमसीएचपी) द्वारा कोयला बर्थ पर कोयले का निर्यात किया गया था। तथापि, थर्मल कोयले की मांग में वृद्धि के कारण, पारादीप पत्तन में थर्मल कोयले के निर्यात¹¹ के लिए पोत का आवागमन बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप थर्मल कोयला पोत की पूर्व-बर्थिंग अवरोधन में वृद्धि हुई क्योंकि दोनों कोयला बर्थ लगातार प्रयुक्त हो रहे थे। इसलिए, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) ने लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) के साथ अपने लौह अयस्क बर्थ (आईओबी) में थर्मल कोयले के प्रहस्तन की संभावना खोजी, क्योंकि आईओएचपी लौह अयस्क की मांग में कमी के कारण कम प्रयुक्त किया जा रहा था। विद्युत क्षेत्र कंपनियों, जोकि पारादीप पोर्ट से थर्मल कोयला ला रहे थे, ने पोत की बर्थिंग के प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए आईओबी में अपने पोतों के प्रहस्तन की ईच्छा भी व्यक्त की थी (मई 2014)।

¹¹ भारत की कोयला कंपनियों से पारादीप पत्तन के द्वारा दक्षिण भारत के विद्युत स्टेशनों तक थर्मल कोयले का परिवहन

पीपीटी ने आईओएचपी में यांत्रिक रूप से थर्मल कोयले के प्रहस्तन के लिए ₹54.07 प्रति मि. ट. की दर से नौवहन प्रभार और ₹47.05 प्रति मि. ट. की दर से टिपलिंग प्रभार¹² का अनुमान लगाया, चूंकि पीपीटी के दर मान में आईओएचपी में थर्मल कोयला के प्रहस्तन के लिए कोई दरें शामिल नहीं की गईं, क्योंकि पीपीटी द्वारा पहले ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था। उक्त को पीपीटी अध्यक्ष के अनुमोदन (मई 2015) के साथ पीपीटी के न्यासी मंडल (बीओटी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (मई 2015)। तथापि, बीओटी ने विद्युत क्षेत्र कंपनियों के अनुरोध पर ₹49.50 प्रति मि.ट. पर नौवहन प्रभारों को बनाये रखने का निर्णय लिया (मई 2015) और प्रस्तावित अनुसार टिपलिंग प्रभार अनुमोदित किये गये।

तथापि, पीपीटी ने आईओएचपी में थर्मल कोयले के प्रहस्तन हेतु ₹49.50 प्रति मि.ट. की दर पर नौवहन प्रभार तथा ₹20.40 प्रति मि.ट. दर पर टिपलिंग प्रभार के लिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) को नए एसओआर का प्रस्ताव किया (मई 2017)। पीपीटी ने टीएएमपी को स्पष्टीकरण भी दिया कि प्रस्तावित नौवहन और टिपलिंग प्रभार बीओटी द्वारा अनुमोदित किये गये थे। यह तथ्य पर आधारित नहीं था क्योंकि बीओटी ने आईओएचपी में थर्मल कोयले के प्रहस्तन के लिए टिपलिंग प्रभार में ₹20.40 प्रति मि.ट. तक की कमी को कभी अनुमोदित नहीं किया था। टीएएमपी ने एसओआर को अनुमोदित किया (नवंबर 2017) जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ आईओएचपी में थर्मल कोयले के प्रहस्तन के लिए नौवहन प्रभार और टिपलिंग प्रभारों में क्रमशः ₹49.50 मि.ट. और ₹20.40 प्रति मि.ट. शामिल थे। इस प्रकार, आईओएचपी में थर्मल कोयले के प्रहस्तन के लिए टिपलिंग प्रभार के लिए एसओआर ₹26.65¹³ प्रति मि.ट. से कम निर्धारित किया गया था।

इस प्रकार, पीपीटी को टिपलिंग प्रभारों के कम निर्धारण के कारण जून 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹11.16 करोड़ (परिशिष्ट-XXXV) की राजस्व हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2019) कि आईओएचपी में थर्मल कोयले के प्रहस्तन हेतु ₹47.05 प्रति मि.ट. के टिपलिंग प्रभार बीओटी के समक्ष नहीं रखे गये थे क्योंकि थर्मल कोयले को हस्त्य रूप से उतारा जाना था और तब उसे आईओएचपी में यांत्रिक रूप से जहाजों पर लादा जाना था। प्रबंधन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईओएचपी में यांत्रिकी रूप से थर्मल कोयले के प्रहस्तन के संबंध में ₹47.05 प्रति मि.ट. के टिपलिंग

¹² उक्त के निर्यात हेतु रेल वैगन से ड्राई बल्क कार्गो की यांत्रिकी टिपलिंग के लिए प्रभार

¹³ (₹47.05 प्रति मि.ट. - ₹20.40 प्रति मि.ट.) = ₹26.65 प्रति मि.ट.

प्रभार को मई 2015¹⁴ में बीओटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसा टिपलिंग कार्य आरंभ से यांत्रिकी रूप से किया गया था, जिसके लिए उपरोक्त दर अनुमोदित की गई थी। तथापि, बीओटी द्वारा आईओएचपी में थर्मल कोयले के प्रहस्तन के लिए टिपलिंग प्रभारों में ₹47.50 प्रति मि.ट. से ₹20.40 प्रति मि.ट तक की कमी कभी अनुमोदित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त प्रबंधन ने तर्क दिया कि लागत लाभ विश्लेषण ₹20.40 प्रति मि.ट के टिपलिंग प्रभारों को ध्यान में रखकर किया गया था और पोर्ट उपयोक्ता भी पोर्ट उपयोक्ताओं को ₹140.40 प्रति मि.ट की कुल लागत के साथ ₹120 प्रति मि.ट के श्रम उपकर सहित उक्त के लिए सहमत हो गये थे।

मंत्रालय ने भी प्रबंधन के उपरोक्त विचारों को स्वीकार करते हुए कहा (दिसंबर 2019) कि ₹20.40 प्रति मि.ट. से अधिक टिपलिंग प्रभार लगाना थर्मल कोयला निर्यातकों के दृष्टिकोण से व्यवहार्य नहीं होगा। मंत्रालय/ प्रबंधन का उपरोक्त तर्क तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि थर्मल कोयला निर्यातकों से कोई वार्तालाप नहीं हुआ था कि ₹47.05 प्रति मि.ट के टिपलिंग प्रभारों को लागू करना उनके लिए व्यवहार्य नहीं होगा। वास्तव में, आईओएचपी में कोयला प्रहस्तन की लागत एमसीपीएच जहां यह ₹427 प्रति मि.ट थी, की तुलना में केवल ₹274 मि.ट, (₹47.05 की दर पर टिपलिंग प्रभार और ₹120 प्रति मि.ट की दर पर श्रम उपकर सहित) थी। इसलिए, ₹47.05 प्रति मि.ट की लागू दर और ₹120 प्रति मि.ट के उपकर द्वारा भी निर्यातकों को समय की बचत करने के अतिरिक्त एमसीपीएच में अदा किये गये प्रभारों की तुलना में ₹153 प्रति मि.ट तक लाभ प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा ₹47.05 प्रति मि.ट संवर्धन के व्यवहार्य न होने का तर्क पूर्णतः अस्वीकार्य है।

इस प्रकार, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को जून 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र में थर्मल कोयले के प्रहस्तन हेतु टिपलिंग प्रभार की कम वसूली के कारण ₹11.16 करोड़ की हानि हुई। यह आवर्ती हानि होगी तब तक जब तक कि एसओआर में टिपलिंग प्रभार में सुधार नहीं किया जाता।

¹⁴ 29 मई 2015 को हुई पीपीटी की बीओटी की बोर्ड बैठक संख्या 01/2015-16 का एजेंडा मद संख्या 26(01) / 2015-16।

6.5 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने अपनी कुल कर योग्य आय में कर मुक्त ब्याज आय को जोड़ने के कारण 2014-15 और 2015-16 के निर्धारण वर्षों में ₹1.43 करोड़ का अधिक आयकर अदा किया। लेखापरीक्षा द्वारा आय कर के अधिक भुगतान को इंगित किये जाने के बाद, प्रबंधन ने प्रतिदाय के लिए सीबीडीटी के समक्ष मामले को उठाया।

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) ने 6.97 प्रतिशत से 7.01 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच ब्याज दर वहन करते हुए एनोर पोर्ट लिमिटेड (इपीएल) और ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) द्वारा जारी किये गये कर मुक्त, सुरक्षित, पुनः प्राप्य, गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड में क्रमशः ₹20 करोड़ और ₹10 करोड़ का निवेश किया (मार्च 2013)। ऐसे बॉन्ड से प्राप्त ब्याज आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(15)(iv)(एच) के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त थी और यह निर्धारिती की कुल कर योग्य आय का भाग नहीं होनी चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि विगत वर्ष 2013-14 और 2014-15 (क्रमशः निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16) हेतु अपनी कुल कर योग्य आय की गणना करते समय पीपीटी ने इपीएल और डीसीआईएल के उपरोक्त कर मुक्त बॉन्ड से ₹4.20 करोड़¹⁵ के अर्जित ब्याज को कर योग्य आय के रूप में माना और तदनुसार आयकर का भुगतान किया।

इसलिए, पीपीटी ने निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए अपनी कुल कर योग्य आय में कर मुक्त ब्याज आय को जोड़ने के कारण ₹1.43¹⁶ करोड़ के आयकर का अधिक भुगतान किया।

लेखापरीक्षा द्वारा आयकर के अधिक भुगतान किये जाने को इंगित करने के बाद (मई 2019), प्रबंधन ने 2014-15 और 2015-16 निर्धारण वर्षों के लिए अदा किये गये आयकर के ₹1.43 करोड़ की अधिक राशि के प्रतिदाय के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए (जुलाई 2019)।

इस प्रकार, पीपीटी ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद सुधारात्मक कार्रवाई की।

¹⁵ $[(₹20 \text{ करोड़} \times 7.01 \text{ प्रतिशत}) + (₹10 \text{ करोड़} \times 6.97 \text{ प्रतिशत})] \times 2 \text{ वर्ष} = ₹2.10 \text{ करोड़} \times 2 \text{ वर्ष} = ₹4.20 \text{ करोड़ (लगभग)}$

¹⁶ $₹4.20 \text{ करोड़} \times 33.99 \text{ प्रतिशत} = ₹1.43 \text{ करोड़}$

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट

6.6 रीच स्टैकर की खरीद पर परिहार्य व्यय

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के बिना रीच स्टैकर की खरीद पर ₹2.34 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (पोर्ट) ने निर्यात आयात (एग्जिम) कंटेनरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी) की सहायता के लिए वेलिंगडन द्वीप, कोच्चि पर अपने कंटेनर मालभाड़ा स्टेशन (सीएफएस) को संवर्धित किया। सीएफएस में कार्गो कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए पोर्ट ने 2011 में एक रीच स्टैकर¹⁷ खरीदा।

भारत सरकार ने निर्यातों के विकास और वृद्धि के लिए उपयुक्त अवसंरचना के सृजन के उद्देश्य के साथ राज्यों की सहायता के लिए निर्यात अवसंरचना और संबद्ध गतिविधियों के विकास (एसआईडी) की योजना स्थापित की। इस योजना के अंतर्गत, पोर्ट ने 'कंटेनर मालभाड़ा स्टेशन के सुधार' के लिए दो समान किशतों में ₹4.04 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया। पोर्ट ने अनुदान राशि का उपयोग करते हुए एक नया रीच स्टैकर खरीदने का निर्णय लिया (फरवरी 2016) जिसके लिए दो बोलीदाताओं¹⁸ ने प्रतिक्रिया दी। प्रस्तुत उद्धरण के मूल्यांकन के बाद, पोर्ट ने ₹2.34 करोड़ की लागत पर एक रीच स्टैकर के लिए मै. टीआईएल लि. को एक खरीद आदेश दिया (अप्रैल 2016)। नया रीच स्टैकर जुलाई 2016 में सुपुर्द किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 2014-15 से 2018-19 के दौरान, पुराने रीच स्टैकर की उपयोगिता इसकी निश्चित क्षमता से केवल 17.97 प्रतिशत से 5.27 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त, कोई बड़ी खराबी नहीं थी और रीच स्टैकर आठ वर्षों के निर्धारित वित्तीय कार्यावधि प्रतिमानों के अंतर्गत ही था। यद्यपि, मौजूदा मशीन की पर्याप्त उपयोगिता के लिए और भी गुंजाईश थी, पोर्ट ने बिना किसी औचित्य के एक नया रीच स्टैकर खरीद लिया। इसके अतिरिक्त, 2016-17 से 2018-19 के दौरान नए रीच स्टैकर की उपयोगिता भी केवल 8.40 प्रतिशत से 6.84 प्रतिशत के बीच थी।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त/ दिसंबर 2019) कि नए रीच स्टैकर की खरीद के समय पर, पुराने रीच स्टैकर ने आठ वर्षों की अपनी सामान्य कार्यावधि में से पांच वर्ष पूरे कर लिये थे और खराब होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने

¹⁷ रीच स्टैकर टर्मिनलों या पोर्टों में इंटरमोडल कार्गो कंटेनरों के प्रहस्तन हेतु उपयोग किया जाने वाला वाहन है।

¹⁸ मै. टीआईएल, चेन्नई और मै. कार्गोटैक, मुंबई

कहा कि इसके बड़े भागों में खराबी हो सकती थी जिसके कारण सीएफएस के कार्य लंबे समय तक लंबित रह सकते थे। इसलिए नया रीच स्टैकर पास के सीएफएस की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए और बाधारहित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्गो के प्रहस्तन के लिए आवश्यक था। उपयोगिता को बढ़ाने के उद्देश्य से, पोर्ट ने उपकरण की उच्च भाड़ा दरें निर्धारित करने के लिए कार्रवाई की ताकि रीच स्टैकर को व्यापार/ निजी उपयोक्ताओं को अधिक दरों पर किराये पर दिया जा सके। पोर्ट ने रीच स्टैकर को किराये पर देने के लिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएमपी) से अनुमोदन प्राप्त किया जिससे उपयोगिता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, पोर्ट और आईसीटीटी के बीच रो.रो सुविधा¹⁹ के बंद होने से स्टैकर की उपयोगिता प्रभावित हुई।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर इस तथ्य के प्रति देखे जाने चाहिए कि मौजूदा रीच स्टैकर केवल एक बार खराब (मार्च 2014) हुआ था तथा पूरे पांच वर्षों की कार्यावधि के दौरान केवल तीन दिनों के लिए चालू नहीं था। यहां तक कि 2016-17 के दौरान जब, रो.रो सुविधा उपलब्ध थी, पुराने और नये रीच स्टैकर की उपयोगिता क्रमशः केवल 11.77 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत थी। इसलिए रो.रो सुविधा का बंद होना इनकी कम उपयोगिता का कारण नहीं माना जा सकता। पोर्ट ने रीच स्टैकर की खरीद के लिए निर्णय करते समय उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा था और वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना ही केवल अनुदान का उपयोग करने के लिए उपकरण की खरीद की थी।

इस प्रकार, पोर्ट ने उपयुक्त तर्कसंगतता के बिना रीच स्टैकर की खरीद कर ₹2.34 करोड़ का परिहार्य व्यय किया था।

¹⁹ रोल-ऑन रोल-ऑफ

अध्याय VII: वस्त्र मंत्रालय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

7.1 सरकारी धन का धोखाधड़ी से आहरण

अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की वजह से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के गुवाहटी के क्षेत्रीय कार्यालय के बैंक खाते से ₹85.13 लाख तक निधियों का कपटपूर्ण आहरण हुआ, जिसमें से ₹75.52 लाख की वसूली नहीं हुई।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 1948 में हुई थी। यह देश में रेशम उत्पादन की वृद्धि तथा विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है।

सीएसबी का गुवाहटी क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) रेशम उत्पादन विभाग, पूर्वोत्तर राज्यों, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय/ संपर्क रखता है, राज्यों में रेशम उद्यम के समग्र विकास हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता की व्यवस्था करता है, प्रशिक्षण का आयोजन करता है और केन्द्र सरकार से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की निगरानी करता है। यह उक्त गतिविधियों को करने के लिए विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों से प्रशासनिक लागत के प्रति निधियां प्राप्त करता है।

सीएसबी नियमावली, 1955 का नियम 35 सीएसबी के बैंक खातों के अनुरक्षण तथा परिचालन से संबंधित विभिन्न नियंत्रण उपायों को वर्णित करता है जिसमें एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैश बुक की पूर्ण जांच तथा सत्यापन के बाद इसे दैनिक रूप से बंद करना तथा इस प्रभाव हेतु एक दिनांकित प्रमाण-पत्र के साथ प्रत्येक माह के अन्त में भी इसे बंद करना सम्मिलित है। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 का नियम 21 लोक निधि से व्यय करने वाले अथवा व्यय को प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को संबंधित वित्तीय नियमावली और विनियमावली का पूर्ण रूप से अनुपालन करने वाले वित्तीय स्वामित्व के उच्च मानकों, वित्तीय आदेशों तथा कठोर आर्थिक व्यवस्था से मार्गदर्शन लेने की आज्ञा देता है।

आरओ के अभिलेखों की नमूना जांच से यह पता चला (अप्रैल 2019) कि मई 2018 तथा अप्रैल 2019 के बीच, ₹73.43 लाख की राशि को आरओ के बैंक खाते से, आरओ

के साथ कोई कार्यालयी संव्यवहार न रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया था। इसके अलावा, दैनिक बही खाते तथा समर्थन वाउचरों के साथ कैश बुक प्रविष्टियों के मिलान से यह पता चला कि कैश बुक तथा दैनिक बही के आंकड़े के साथ छेड़छाड़ की गई थी तथा उसी अवधि के दौरान ₹10,000 से ₹7,00,000 के बीच भुगतानों हेतु बैंक को जारी निर्देशों में फर्जी प्रविष्टियां की गई थी। ऐसे मामले भी देखे गए जहां एक अधिकारी, जो कैश बुक के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी था, ने बैंक को भुगतान के निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा, प्रबंधन सीएसबी नियमावली के तहत अपेक्षित अनुसार कैश बुक के लिए मासिक सत्यापन प्रमाणपत्र प्रदान करने में विफल रहा। (सितम्बर 2019)।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि आगे की गयी जांच में पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाये गये ₹73.43 लाख के विरुद्ध, कपटपूर्ण तरीके से कुल ₹85.13 लाख हस्तांतरित किये गये जिसमें से ₹9.61 लाख की राशि की वसूली की गई, ₹75.52 लाख शेष थे, जिसकी वसूली लंबित थी। भविष्य में ऐसी कपटपूर्ण गतिविधियों की अनावृत्ति सुनिश्चित करने के लिए संगठन में मौजूद आन्तरिक नियंत्रण/ आन्तरिक जांच प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कार्रवाई की गई थी। कर्तव्यों में लापरवाही/ गैर-जिम्मेदारी के मामले पर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया, एफआईआर दर्ज की गई थी तथा एक अधिकारी को निलंबित किया गया। इसके अलावा, बैंकों को खातों को फ्रीज करने के लिए को पत्र जारी किए गए जहां राशि को हस्तांतरित किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में प्रबंधन के मतों की पुष्टि की।

इस प्रकार, अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र के परिणामस्वरूप ₹85.13 लाख तक सरकारी धन का कपटपूर्ण आहरण हुआ जिसमें से ₹75.52 लाख की वसूली नहीं हुई।

अध्याय VIII: पर्यटन मंत्रालय

इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एपलाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर

8.1 कार्यकारी विकास केन्द्र की अवसंरचना के सृजन पर निष्फल व्यय

इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एपलाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर द्वारा निर्मित कार्यकारी विकास केंद्र अपने पूर्ण होने के बाद से अधिकतर निष्क्रिय रहा तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हुआ।

इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एपलाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर (आईएचएम) ने आईएचएम, ग्वालियर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने तथा संस्थान के लिए अधिशेष राजस्व सृजित करने के उद्देश्य से 2013-14 के दौरान अपने परिसर में एक कार्यकारी विकास केन्द्र (ईडीसी) का निर्माण किया था। इस संबंध में, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद (एनसीएचएम) द्वारा फरवरी 2005 में ईडीसी हेतु योजना प्रस्तुत की गई तथा पर्यटन मंत्रालय (एनओटी) ने ₹3.00 करोड़ जिसे ₹3.90 करोड़ तक संशोधित किया गया (नवम्बर 2009), की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सहित एक प्रशासनिक संस्वीकृति ईडीसी की स्थापना हेतु जारी की गई (30 मार्च 2007) जिसमें संस्थान के विद्यार्थियों को ऑन-हैंड प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 20 कमरे बनाने की योजना बनाई गई थी।

संस्थान ने मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एमपीएसटीडीसी) के माध्यम से ईडीसी का निर्माण कार्य किया (अप्रैल 2010 से मार्च 2014) तथा आईएचएम को सितम्बर 2013 से मार्च 2014 के दौरान ईडीसी सौंप दिया गया। ₹3.60 करोड़ के अनुदान तथा इस पर अर्जित ब्याज (₹0.34 करोड़) में से, आईएचएम ने एमपीएसटीडीसी के विभागीय प्रभारों सहित अप्रैल 2010 से मई 2013 के दौरान निर्माण लागत के प्रति ₹3.65 करोड़ व्यय किए तथा शेष ₹0.29 करोड़ की निधि अगस्त 2014 में एमओटी को अभ्यर्पित कर दी। इसके अलावा, संस्थान ने ईडीसी के लिए फर्नीचर तथा उपकरण की

अधिप्राप्ति के प्रति ₹0.67¹ करोड़ का अन्य व्यय किया था। इस प्रकार, संस्थान द्वारा ईडीसी के लिए कुल ₹4.32 करोड़ का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा ने परियोजना की योजना तथा क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां पाईं:

- ईडीसी को आरंभ में 30 वर्षों के लिए निर्माण, परिचालन तथा हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर कुछ प्रतिष्ठित होटल श्रृंखला द्वारा परिचालित किया जाना प्रस्तावित था (सितम्बर 2005)। तथापि, सलाहकार (मै. आकृति कंसल्टेंसी) की रिपोर्ट जो यह बताती है कि परियोजना बीओटी आधार पर व्यवहार्य नहीं हो सकती, पर विचार करते हुए, संस्थान ने स्वयं ईडीसी का निर्माण करने के लिए संस्थान को अनुमति देने हेतु एनसीएचएम से सम्पर्क किया (अक्टूबर 2005) जिसे एमओटी द्वारा अनुमति दी गई थी (मार्च 2007)। तथापि, निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व स्व-वहनीय आधार पर परियोजना की व्यावहारिता निर्धारित करने के लिए संस्थान द्वारा कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया। ऐसा केवल नवम्बर 2012 (अर्थात् निर्माण कार्य देने के 34 माह पश्चात) हुआ था जब संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक व्यवसायिक एजेंसी द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन करवाने के लिए संस्थान के प्रमुख को निर्देश दिया। तथापि, व्यवहार्यता अध्ययन के विचार को बाद में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत बहुत ज्यादा दरों के संदर्भ में बोर्ड द्वारा छोड़ दिया गया था।
- अगस्त 2014 में, एमओटी से ईडीसी के लिए परिचालनात्मक सहायता (अर्थात् बिक्री तथा विपणन) मांगते समय, संस्थान ने स्वयं स्वीकार किया कि यदि असंभव नहीं है, तो भी ईडीसी का संपोषण करना बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह शहर के बाहरी इलाके में स्थित है तथा उचित विपणन के बिना मेहमानों को

¹ यह व्यय एमओटी से फर्नीचर तथा उपकरण हेतु ₹1.09 करोड़ की मंजूरी (जुलाई 2012) के प्रति ₹2.32 लाख की सीमा तक व्यय किया गया था। अनंतिम अनुदान के प्रति 2017-18 के दौरान ₹64.47 लाख का व्यय किया गया था जिसे आईएचएम की बहियों में भारत सरकार, एमओटी से ऋण के रूप में परिलक्षित किया गया था।

आकर्षित नहीं कर सकता जो दर्शाता है कि ईडीसी के परिचालनात्मक होने की संभावना आरंभिक चरण से ही कम थी।

- ईडीसी को अभी पूर्ण रूप से परिचालनात्मक होना था क्योंकि एमओटी से उपकरणों एवं फर्नीचर हेतु मांगी गई ₹1.33 करोड़ की वित्तीय सहायता अभी लंबित थी। इसके अलावा, ईडीसी पर सुरक्षा, गार्डनिंग, विद्युत/ डीजी सेट/ हाउसकीपिंग/ जल प्रभार, निगम कर आदि पर आवर्ती व्यय था। संस्थान ने सुरक्षा, गार्डनिंग के प्रति अप्रैल 2014 से जुलाई 2019 के दौरान ₹0.28 करोड़ का व्यय किया तथा शेष व्यय को पृथक रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि इसे संस्थान द्वारा संपूर्ण रूप में संगणित किया गया था।
- लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि संस्थान द्वारा 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान योजनित प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं थे क्योंकि इन दोनों वर्षों में प्रत्येक के दौरान कुल 50 प्रतिभागियों के लिए केवल दो बैच की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा, 2016-17 के बाद से किसी प्रशिक्षण की योजना नहीं बनाई गई तथा ईडीसी अधिकतर निष्क्रिय रहा।

संस्थान ने अपने उत्तर (जुलाई 2019) तथा आगामी स्पष्टीकरणों (अगस्त 2019) में यह स्वीकृत किया कि परियोजना को आरंभ करने से पूर्व परियोजना की व्यावहारिकता निर्धारित करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया। संस्थान ने आगे कहा कि उन्होंने एमपीएसटीडीसी, जिन्जर हाटेलायर्स, ओवाईओ, ट्रीबों आदि जैसे होटलों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रयास किए थे तथा उन्होंने सरकारी/ निजी संस्थानों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, संगठनों से उनके समारोह तथा कार्यक्रमों को प्रबंधित करने के लिए सम्पर्क किया। उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थियों को दैनिक दिनचर्या के अनुसार ईडीसी के गृह व्यवस्था के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है।

तथ्य यह है कि ईडीसी का निर्माण प्रशिक्षण देने तथा संस्थान के लिए अधिशेष राजस्व सृजित करने के लिए इसकी व्यवहारिकता हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹4.32 करोड़ की लागत से निर्मित ईडीसी अपने पूर्ण होने के बाद से अधिकतर निष्क्रिय रहा तथा तत्पश्चात संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हुआ।

मंत्रालय को यह मामला दिसम्बर 2019 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2020)।

नई दिल्ली
दिनांक: 4 अगस्त 2020



(शुभा कुमार)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)
तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 5 अगस्त 2020



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट- I

(पैरा 1.1 में संदर्भित)

आर्थिक तथा सेवा मंत्रालय/ विभाग

क्र. सं.	आर्थिक तथा सेवा मंत्रालय
1.	रसायन और उर्वरक
2.	नागर विमानन
3.	कोयला
4.	वाणिज्य और उद्योग
5.	कॉरपोरेट कार्य
6.	भारी उद्योग और लोक उद्यम
7.	आवासन और शहरी कार्य
8.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
9.	खान
10.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
11.	विद्युत
12.	सड़क परिवहन और राजमार्ग
13.	पोत परिवहन
14.	इस्पात
15.	वस्त्र
16.	पर्यटन
	वित्त मंत्रालय के विभाग
1.	वित्तीय सेवाएं विभाग
2.	निवेश एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग

परिशिष्ट- II
(पैरा 1.5 में संदर्भित)

बकाया यूसी

मंत्रालय/ विभाग	वह अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2018 तक जारी अनुदान)	बकाया यूसी जो मार्च 2018 तक जारी अनुदानों के संदर्भ में 31.03.2019 तक देय थे	
		लंबित यूसी की संख्या	राशि (₹ लाख में)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1985-86 से 2012-13	223	29,180.93
	2013-14	28	6,994.82
	2014-15	119	1,49,432.17
	2015-16	110	57,757.32
	2016-17	345	4,94,909.38
	2017-18	549	9,59,205.02
	कुल	1,374	16,97,479.64
वस्त्र मंत्रालय	1978-79 से 2012-13	708	1227.18
	2013-14	100	34.70
	2014-15	355	1,882.84
	2015-16	780	19,774.87
	2016-17	796	58,632.18
	2017-18	869	5,614.72
	कुल	3,608	87,166.49
भारी उद्योग विभाग	2003-04	1	20.00
	2013-14	1	743.00
	2015-16	3	873.87
	2016-17	14	1,263.09
	2017-18	27	15,651.62
	कुल	46	18,551.58

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2006-07 से 2012-13	96	1,097.68
	2013-14	36	880.92
	2014-15	43	360.54
	2015-16	53	545.94
	2016-17	1	80.00
	2017-18	99	13,561.34
	कुल	328	16,526.42
उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	2014-15	1	1748.00
	2015-16	3	2306.40
	2016-17	15	1945.86
	2017-18	13	8810.15
	कुल	32	14810.41
वाणिज्य विभाग	2008-09 एवं 2012-13	7	5,025.33
	2015-16	1	200.00
	2016-17	3	1,961.00
	2017-18	13	6,015.50
	कुल	24	13,201.83
पर्यटन मंत्रालय	2010-11	2	400.00
	2012-13	2	80.00
	2013-14	4	293.60
	2014-15	10	1,957.00
	2015-16	2	310.80
	2016-17	14	2,639.00
	2017-18	12	823.60
	कुल	46	6,504.00

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	2009-10 एवं 2011-12	4	8.00
	2014-15	2	755.00
	2015-16	3	192.00
	2016-17	11	1,623.00
	2017-18	0	0
	कुल	20	2,578.00
औषध विभाग	2009-10 एवं 2010-11	4	1,283.80
	2014-15	1	684.00
	2017-18	7	18.00
	कुल	12	1,985.80
इस्पात मंत्रालय	2015-16	1	139.89
	2016-17	5	154.79
	2017-18	3	941.96
	कुल	9	1,236.64
लोक उद्यम विभाग	2012-13	9	27.00
	2013-14	7	62.93
	2014-15	3	16.95
	2015-16	39	356.21
	2016-17	1	10.00
	2017-18	0	0
	कुल	59	473.09
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	2004-05 से 2008-09	23	11.72
	2017-18	3	390.00
	कुल	26	401.72

पोत परिवहन मंत्रालय	2015-16	10	72.60
	2016-17	14	50.48
	2017-18	29	257.14
	कुल	53	380.22
खान मंत्रालय	2015-16	2	30.59
	2016-17	5	150.37
	2017-18	9	159.77
	कुल	16	340.73
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	2007-08 से 2010-11	6	1.33
	2015-16	1	11.53
	2017-18	0	0.00
	कुल	7	12.86
कुल जोड़		5,660	18,61,649.43

परिशिष्ट-III
(पैरा 1.6 में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जिन्होंने तीन माह से अधिक विलंब के पश्चात लेखे प्रस्तुत किए

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखाओं की प्रस्तुति की तिथि	विलंब माह में
1.	नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, नई दिल्ली	21.2.2020	20
2.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	22.8.2019	14
3.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा और संघ राज्य क्षेत्र), गुरुग्राम	6.6.2019	11
4.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	13.3.2019	9
5.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी	11.3.2019	8
6.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	20.2.2019	8
7.	काँफी बोर्ड, हैदराबाद	11.1.2019	7
8.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद	23.1.2019	7
9.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	4.1.2019	6
10.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	28.12.2018	6
11.	भारतीय पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	4.12.2018	5
12.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर	6.12.2018	5
13.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	19.11.2018	5
14.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	19.11.2018	5
15.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली	15.10.2018	4
16.	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा	5.10.2018	3
17.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	8.10.2018	3
18.	इंडियन रोड कांग्रेस, नई दिल्ली	लेखे नहीं मिले	
19.	वस्त्र समिति, मुंबई	लेखे नहीं मिले	

परिशिष्ट-IV
(पैरा 1.7 में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जिनके संदर्भ में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लिए लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम
वर्ष 2012-13 के लिए		
1.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुंबई	वित्त
वर्ष 2013-14 के लिए		
2.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्त
3.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुंबई	
वर्ष 2014-15 के लिए		
4.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्त
5.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुंबई	
वर्ष 2015-16 के लिए		
6.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्त
वर्ष 2016-17 के लिए		
7.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्त
वर्ष 2017-18 के लिए		
8.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	नागर विमानन
9.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	कोयला
10.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	वाणिज्य तथा उद्योग
11.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्त
12.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश), गुरुग्राम	विद्युत

परिशिष्ट-V
(पैरा 1.7 में संदर्भित)

संसद में स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में देरी

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में देरी
वर्ष 2012-13 के लिए			
1.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	16
वर्ष 2013-14 के लिए			
2.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर, बिहार	रसायन तथा उर्वरक	43
3.	इंडियन रोड कांग्रेस, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	39
4.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायबरेली	रसायन तथा उर्वरक	19
5.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पोत परिवहन	19
6.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	7
वर्ष 2014-15 के लिए			
7.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर, बिहार	रसायन तथा उर्वरक	31
8.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली	रसायन तथा उर्वरक	18
9.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	14
10.	डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	11
वर्ष 2015-16 के लिए			
11.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	भारी उद्योग और लोक उद्यम	31

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में देरी
12.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	कोयला	24
13.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर, बिहार	रसायन तथा उर्वरक	19
14.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी	रसायन तथा उर्वरक	15
15.	एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली	नागर विमानन	12
16.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	12
17.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	11
18.	पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त	3
वर्ष 2016-17 के लिए			
19.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी	रसायन तथा उर्वरक	19
20.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	19
21.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	भारी उद्योग और लोक उद्यम	19
22.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	12
23.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	कोयला	12
24.	एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	नागर विमानन	7
25.	पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त	7
26.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, गुड़गांव, हरियाणा	विद्युत	7
27.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पोत परिवहन	7

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में देरी
28.	वस्त्र समिति, मुंबई	वस्त्र	7
29.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	3
30.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	3
31.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	3
32.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	वस्त्र	3
33.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद	रसायन तथा उर्वरक	2
34.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली	वस्त्र	2
35.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली	रसायन तथा उर्वरक	2
36.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता	रसायन तथा उर्वरक	2
वर्ष 2017-18 के लिए			
37.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी	रसायन तथा उर्वरक	11
38.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर, बिहार	रसायन तथा उर्वरक	11
39.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली	रसायन तथा उर्वरक	11
40.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	7
41.	इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	कॉरपोरेट कार्य	7
42.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	भारी उद्योग और लोक उद्यम	7

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में देरी
43.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद	रसायन तथा उर्वरक	6
44.	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा	वाणिज्य और उद्योग	6
45.	काँफी बोर्ड, हैदराबाद	वाणिज्य और उद्योग	6
46.	पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त	6
47.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	6
48.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	6
49.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद	वस्त्र	6
50.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	वस्त्र	6
51.	एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली	नागर विमानन	1
52.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई	वित्त	1
53.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद	वित्त	1
54.	काँयर बोर्ड, कोच्चि	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	1
55.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	1
56.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पोत परिवहन	1
57.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद	वाणिज्य और उद्योग	एक महीने से कम
58.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	
59.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	
60.	नेशनल पाँवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद	विद्युत	
61.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली	वस्त्र	

परिशिष्ट-VI
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां

1. राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली

1.1 अचल परिसम्पत्तियां

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा राजघाट समाधि समिति में 31 मार्च 2019 तक पूर्ण किए गए ₹1.30 करोड़ की राशि के सिविल निर्माण को वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजीकृत नहीं किया और समाधि के रखरखाव (सिविल निर्माण) शीर्ष के तहत राजस्व व्यय के रूप में बुक किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.30 करोड़ तक अचल परिसम्पत्तियों को कम बताया गया और ₹1.30 करोड़ तक अधिशेष को कम बताया गया।

2. नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी (एनएटीआईएस), नई दिल्ली

2.1 देयताएं

2.1.1 भारत सरकार (जीओआई) से ऋण के रूप में प्राप्त किए गए ₹372.00 करोड़ की राशि को देयताएं शीर्ष के तहत परियोजना अनुदानों में शामिल किया है। केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए अनुमोदित लेखाओं के समान प्रारूप के अनुसार ₹372.00 करोड़ की राशि को परियोजना अनुदानों के रूप में बुक करने के बजाए ऋणों एवं उधारों के रूप में बुक किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप परियोजना अनुदानों को अधिक बताया गया और ऋणों एवं उधारों को ₹372.00 करोड़ तक कम बताया गया है।

2.1.2 देयताएं शीर्ष के तहत परियोजना परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास निधि में ₹87.54 करोड़ के गलत पूंजीकरण के कारण आधिक्य में बुक किए गए ₹4.37 करोड़ का मूल्यहास शामिल है और जिससे 2018-19 के दौरान आईसीएटी-मानेसर से संबंधित विनियोज्य व्यय (अप्रत्यक्ष व्यय) का अधि-मूल्यहास हुआ जो इसके ऐसे अन्य केन्द्रों के लिए जहां ऐसे विनियोज्य व्यय (अप्रत्यक्ष व्यय) को पूंजीकृत नहीं किया जा रहा है और एनएटीआईएस द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वरूप परियोजना परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास निधि और आय पर व्यय के आधिक्य को ₹4.37 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

2.1.3 देयताएं शीर्ष के तहत परियोजना परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास निधि में 2018-19 से पहले अपने अभीष्ट उद्देश्य के लिए परिसम्पत्तियां तैयार न करने के बावजूद 2017-18 तक बुक किए गए ₹1.62 करोड़ का अधिक मूल्यहास शामिल है। इसके परिणामस्वरूप परियोजना परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास निधि और आय पर व्यय के आधिक्य (पूर्व अवधि की त्रुटि का प्रभाव नहीं होने के कारण) को ₹1.62 करोड़ तक अधिक बताया गया।

2.2 परिसम्पत्तियां

2.2.1 अचल परिसम्पत्तियों शीर्ष के तहत परियोजना परिसम्पत्तियों में एनएटीआरएएक्स-इन्दौर द्वारा की गई परियोजना पर 31 मार्च 2019 तक एनएटीआईएस की माल एवं सेवा कर देयता की ₹18.59 करोड़ की राशि को शामिल नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना परिसम्पत्तियों और चालू देयताएं एवं प्रावधानों को ₹18.59 करोड़ तक कम बताया गया है।

2.2.2 अचल परिसम्पत्तियों शीर्ष के तहत परियोजना परिसम्पत्तियों में उन परियोजना परिसम्पत्तियों के लिए ₹18.08 करोड़ की राशि शामिल है जो अप्रचलित और जिसके लिए मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा समर्थन बन्द किया गया है, उन्हें 2018-19 के दौरान तकनीकी रूप से उन्नत परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों से बदला गया था। विक्रेता के अनुसार, इन परियोजना परिसंपत्तियों का वसूलीयोग्य मूल्य नगण्य था, अतः इन परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों को अधिक बताया गया और आय पर व्यय के आधिक्य को ₹18.08 करोड़ तक कम बताया गया है।

2.2.3 अचल परिसम्पत्तियों शीर्ष के तहत परियोजना परिसम्पत्तियों में एआरसी-चेन्नई में 31 मार्च 2019 तक किए गए कार्य की ₹1.41 करोड़ की राशि को शामिल नहीं किया है, जिसके लिए बिल 2019-20 के दौरान प्राप्त किए गए थे। प्रोदभवन आधार पर तैयार किए जा रहे एनएटीआईएस के लेखाओं को ध्यान में रखते हुए ₹1.41 करोड़ की राशि को 2018-19 के दौरान लेखाबद्ध किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की परिसंपत्तियां और चालू परिसंपत्तियां एवं देयताओं को ₹1.41 करोड़ तक कम बताया गया है।

2.2.4 अचल परिसंपत्तियां शीर्ष के तहत परियोजना परिसम्पत्तियों में एनएटीआरएएक्स-इन्दौर की परियोजना परिसंपत्तियों की ₹24.27 करोड़ की राशि शामिल है जो 2018-19 से पहले राज्य सरकार को वापस हस्तांतरित की गई है। इन परियोजना

परिसंपत्तियों को आय एवं व्यय लेखा के माध्यम से प्रभारित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप परियोजना लागतों को अधिक बताया गया और आय पर व्यय के आधिक्य (पूर्व अवधि की त्रुटि का प्रभाव नहीं होने के कारण) को ₹24.27 करोड़ तक कम बताया गया है।

2.3 चालू परिसंपत्तियां, जमा और अग्रिम

चालू परिसंपत्तियां, जमा एवं अग्रिम शीर्ष के तहत परियोजनाओं की परिसंपत्तियां (चालू कार्य) में यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम को अग्रिमों के प्रति प्रावधान के सृजन के कारण ₹7.33 करोड़ शामिल है। उपरोक्त प्रावधान के सृजन के लिए, परियोजना परिसंपत्तियों (चालू कार्य) को डेबिट करने के बजाय आय और व्यय लेखा में डेबिट किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना परिसंपत्तियों (चालू कार्य) को अधिक और आय पर व्यय के आधिक्य को ₹7.33 करोड़ तक कम बताया गया है।

3. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली

3.1 आय और व्यय लेखा

3.1.1 आय शीर्ष के तहत अर्जित ब्याज में वर्ष के दौरान सहायता अनुदानों पर अर्जित ब्याज के प्रति ₹39.84 लाख शामिल है। हालांकि, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार, किसी अनुदानग्राही संस्थान को जारी किए गए सहायता अनुदानों या अग्रिमों (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याजों या अन्य आय को लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरन्त बाद भारत की समेकित निधि में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, जीएफआर 2017 के अननुपालन के परिणामस्वरूप आय को अधिक बताया गया और चालू देयताओं को ₹39.84 लाख तक कम बताया गया और फलस्वरूप इसी सीमा तक अधिशेष को अधिक बताया गया है।

4. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

4.1 जारी पूंजीगत कार्य - ₹18.58 करोड़

4.1.1 परिसंपत्तियों शीर्ष के तहत जारी पूंजीगत कार्य में किदवई नगर में सीसीआई के कार्यालय स्थान के लिए आंतरिक फिट-आउट कार्य के कारण मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड को भुगतान की गई ₹17.36 करोड़ की राशि शामिल है। अधिकांश कार्य पूरा कर लिया और उपयोग में लाया जा रहा था जिसमें सीसीआई का कार्यालय अगस्त 2018 के दौरान

स्थानांतरित कर दिया गया था। उसी को पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए सहायता अनुदान को ₹10.69 करोड़ तक, सीडब्ल्यूआईपी को ₹17.36 करोड़ तक अधिक बताया और अचल परिसंपत्तियों को ₹6.34 करोड़ (निवल) (₹6.67 करोड़ - ₹0.33 करोड़ (मूल्यहास)) तक कम बताया गया है। फलस्वरूप, अधिशेष को भी ₹0.33 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

4.1.2 सीसीआई ने ₹2.01 करोड़ की लागत से नए कार्यालय परिसर, किदवई नगर, नई दिल्ली में आईटी अवसंरचनात्मक कार्य के लिए सीसीआई को आपूर्ति और कार्यान्वयन के लिए मैसर्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्न सेंटर सर्विसेज इंक (एनआईसीएसआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। सीसीआई ने ₹93.77 लाख (अर्थात् लागत का 40 प्रतिशत) की राशि का भुगतान किया और लेखा बही में सीडब्ल्यूआईपी के रूप में बुक किया गया है। आईटी अवसंरचनात्मक के अधिकांश सक्रिय घटक सितम्बर 2018 से फरवरी 2019 के दौरान प्रदान किए गए और संस्थापित किए गए हैं, जिसे सीसीआई की तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा सत्यापित भी किया गया है, लेकिन इस का पूंजीकरण नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ₹93.77 लाख तक सीडब्ल्यूआईपी को अधिक बताया गया, ₹107.26 लाख तक चालू देयताएं, ₹160.82 लाख (निवल) {(₹201.03 लाख - (₹40.21 लाख मूल्यहास)} अचल परिसंपत्तियां 'कम्प्यूटर/ फेरिफेरल्स' और ₹40.21 लाख तक मूल्यहास को कम बताया गया और इसके फलस्वरूप ₹40.21 लाख तक अधिशेष को अधिक बताया गया है।

5. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)

5.1 आय और व्यय लेखा-आय-अर्जित ब्याज - ₹8.17 करोड़

कैनरा बैंक से प्राप्त किए गए ब्याज प्रमाण-पत्र के अनुसार, ₹1.84 करोड़ (₹0.18 करोड़ के टीडीएस सहित) का ब्याज वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त/ प्रोद्भूत किया गया था। हालांकि, ब्याज आय के रूप में ₹1.84 करोड़ की बुकिंग के बजाय एपीईडीए ने ब्याज आय के रूप में ₹3.86 करोड़ बुक किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए आय को ₹2.02 करोड़ तक और चालू परिसम्पत्तियां, ऋणों, अग्रिमों आदि को ₹2.02 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

5.2 प्राप्ति एवं भुगतान लेखा- प्राप्तियां- भारत सरकार से प्राप्त किए अनुदान- ₹129.65 करोड़

5.2.1 प्राप्तियों के तहत भारत सरकार से प्राप्त किए गए अनुदानों को ₹50 करोड़ तक अधिक बताया गया है क्योंकि 2018-19 के दौरान प्राप्त किए गए अनुदानों की वास्तविक राशि केवल ₹79.65 करोड़ है। तदनुसार, चालू देयताओं (भुगतान पक्ष) में कमी को उसी राशि तक अधिक भी बताया गया है।

6. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली (एईआरए)

6.1 पूंजी निधि एवं देयताएं- चालू देयताएं और प्रावधान- ₹3.89 करोड़

चालू देयताएं और प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

क) एईआरए द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से मार्च 2018 के महीने के लिए (₹0.09 करोड़) और वर्ष 2018-19 (₹1.44 करोड़) के लिए उधार लिए गए कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिए स्थापना व्ययों (वेतन, मजदूरी और अन्य हितलाभों) के प्रति एएआई को ₹1.53 करोड़ देय है।

ख) किराया के बकायों के प्रति मैसर्स एयर इंडिया लिमिटेड को ₹0.19 करोड़ (₹0.18 करोड़ - अक्टूबर 2019 से मार्च 2018 तक और ₹0.01 करोड़ अप्रैल 18 से मार्च 2019 तक) देय है। यह मुद्दा वर्ष 2017-18 के लिए एईआरए के लेखाओं पर एसएआर में उठाया गया था, तथापि, सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

इस प्रकार, उपर्युक्त देयताओं के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹1.72 करोड़ तक चालू देयताओं और प्रावधानों को कम बताया गया और इसी राशि तक अधिशेष को अधिक बताया गया है।

7. राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (एनआईएफटी), नई दिल्ली

7.1 कैपिटल रिजर्व- सरकारी अनुदान

7.1.1 वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान- ₹31.40 करोड़

उपर्युक्त में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (जेएंडके एसआईडीसीओ) को श्रीनगर में एनआईएफटी के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए भुगतान किए गए ₹5 करोड़ का अनुदान शामिल नहीं है, फरवरी 2018 में इस तथ्य के बावजूद कि मार्च 2019 में संस्थान को जेएंडके एसआईडीसीओ

द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र में उपर्युक्त अनुदान के विवरण को शामिल किया गया है। अतः यह राशि 31 मार्च 2019 तक संस्थान के लेखाओं से बाहर रह गई है।

इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान को ₹5 करोड़ तक कम बताया गया और इसी सीमा तक जारी पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) को कम बताया गया है।

7.1.2 सरकारी अनुदान- अप्रयुक्त सरकारी अनुदान- ₹100.01 करोड़

उपर्युक्त में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त किए गए ₹30.48 करोड़ का अनुदान शामिल है और श्रीनगर में एनआईएफटी के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए जेएंडके एसआईडीसीओ को अग्रिम रूप से भुगतान किया गया है। जेएंडके एसआईडीसीओ ने मार्च 2019 में ₹35.48 करोड़ (₹5 करोड़ के राज्य सरकार के हिस्से सहित) के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। तथापि, संस्थान ने अग्रिम को समायोजित नहीं किया और उपर्युक्त सरकारी अनुदान को अब भी 31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त सरकारी अनुदान में दर्शाया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ₹30.48 करोड़ तक अप्रयुक्त सरकारी अनुदान को अधिक बताया गया तथा इसी सीमा तक वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान को कम बताया गया है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप ₹29.93 करोड़¹ तक चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को अधिक बताया गया और फलस्वरूप, इसी सीमा तक सीडब्ल्यूआईपी को कम बताया गया है।

7.2 परिसंपत्तियां- अचल परिसंपत्तियां- जारी पूंजीगत कार्य (भवन)- ₹230.77 करोड़

7.2.1 वर्ष 2017-18 के लिए संस्थान के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी सं. ए.2.1.1 देखें जिसमें यह बताया गया था कि संस्थान ने दिल्ली केन्द्र के गर्ल्स हॉस्टल व किचन ब्लॉक को पूंजीकृत नहीं किया गया था, जिसे जुलाई 2015 से उपयोग के लिए खोल दिया गया था। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने अगस्त 2018 में दिल्ली केन्द्र को सम्पूर्ण परिसर सौंप दिया है। बताए जाने के बावजूद, संस्थान ने उसे अभी तक पूंजीकृत नहीं किया है और सीडब्ल्यूआईपी के तहत ₹58.73 करोड़ के सम्पूर्ण व्यय को रखा है। इसके अलावा, जून

¹ जेएंडके एसआईडीसीओ ने वर्ष 2017-18 के लिए संस्थान को प्रस्तुत की गई यूसी के अनुसार उन्हें प्रदान की गई राशि से ₹0.55 करोड़ अधिक खर्च किया था। इसी को वर्ष 2018-19 के दौरान संस्थान द्वारा समायोजित किया गया था।

2018 में डीएसआईआईडीसी को भुगतान की गई ₹3.00 करोड़ की राशि को ठेकेदार को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

उपरोक्त भवन का पूंजीकरण न होने के परिणामस्वरूप ₹58.73 करोड़ तक सीडब्ल्यूआईपी और ₹3.00 करोड़ तक ठेकेदार के अग्रिम को अधिक बताया गया है और फलस्वरूप ₹60.73 करोड़ (₹1.00 करोड़ का मूल्यहास को प्रदान करने के बाद) तक अचल परिसंपत्तियां (भवन) को कम बताया गया है।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व आय और मूल्यहास को ₹1.00 करोड़ तक कम बताया गया है।

7.2.2 उपरोक्त में 31 मार्च 2019 तक ₹5.97 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल है जो श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में एनआईएफटी परिसर के चल रहे निर्माणकार्य के लिए जेएंडके एसआईडीसीओ को प्रदान किया गया है। श्रीनगर परिसर ने ₹5.97 करोड़ के संग्रहण अग्रिम सहित ₹35.55 करोड़ को डब्ल्यूआईपी दिखाया है। तदनुसार सीडब्ल्यूआईपी का मूल्य संस्थान द्वारा बुक किए गए ₹35.55 करोड़ के बजाय केवल ₹29.58 करोड़ (₹35.55 करोड़ - ₹5.97 करोड़) होना चाहिए और ₹5.97 करोड़ के शेष को ठेकेदार को अग्रिम के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इस मुद्दे को वर्ष 2017 के लिए संस्थान के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी सं. ए.2.1.1 (ii) के अनुसार भी उठाया गया था, हालांकि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹5.97 करोड़ तक अधिक बताया गया और फलस्वरूप उसी सीमा तक चालू परिसंपत्तियां, ऋणों और अग्रिमों को कम बताया गया है।

7.2.3 उपरोक्त में अक्टूबर 2014 में अस्थायी परिसर से स्थायी परिसर में स्थानांतरण करते हुए पटना परिसर द्वारा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए), पटना को सौंपी गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ₹0.72 करोड़ शामिल है। इन अचल परिसंपत्तियों के प्रति भुगतान के लिए किसी करार के अभाव में और संस्थान की मांग के प्रति बीआईएडीए से कोई प्रत्युत्तर नहीं आने के मद्देनजर, इन अचल परिसंपत्तियों को बड़े खाते में डालना चाहिए।

सीडब्ल्यूआईपी में उपरोक्त परिसंपत्तियों को शामिल करने के परिणामस्वरूप पूंजीगत चालू कार्यों को ₹0.72 करोड़ तक अधिक बताया गया और फलस्वरूप उसी सीमा तक अधिशेष को अधिक बताया गया है।

7.3 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि- विविध देनदार- ₹25.06 करोड़

7.3.1 उपरोक्त में छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण वेतन और भत्ते के लिए अतिरिक्त देयता के कारण वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) से वसूली योग्य दर्शायी गई ₹10 करोड़ की राशि शामिल हैं। चूँकि एमओटी ने उपरोक्त राशि जारी नहीं की थी और यह सूचित किया है कि छठे सीपीसी के कारण आगे और कोई राशि प्रदान नहीं की जाएगी, इसलिए संदिग्ध वसूली के लिए जरूरी प्रावधान बनाए जाने चाहिए, जैसाकि पहले वर्ष 2011-12 से पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पहले ही टिप्पणी की गई थी।

बार-बार संकेत किए जाने के बावजूद संस्थान ने संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान नहीं बनाए हैं। इसके परिणामस्वरूप, ₹10 करोड़ से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ-साथ अधिशेष को अधिक बताया गया है।

7.3.2 उपरोक्त में व्यापार सुविधा केन्द्र वाराणसी में विजुअल मर्केडाइजिंग, फेकेड के विजुअल संवर्धन और खुला स्थान, संबंध में संस्थान द्वारा किए गए कार्य के लिए वस्त्र मंत्रालय से वसूलने योग्य राशि ₹0.51 करोड़ शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों को ₹0.51 करोड़ तक कम बताया गया और फलस्वरूप, उसी सीमा तक आय और अधिशेष को कम बताया गया है।

7.4 प्राप्य दावें- टीडीएस एवं वसूली योग्य कर- ₹2.83 करोड़

वर्ष 2006-07 से 2018-19 के लिए भरी गई आयकर विवरणी (आईटीआर) के अनुसार, टीडीएस में कटौती की और कर विभाग को ₹2.59 करोड़ जमा किया गया और इसके प्रति कर विभाग ने मार्च 2019 तक ₹1.16 करोड़ का प्रतिदाय किया है। इस प्रकार, टीडीएस प्राप्य को ₹1.43 करोड़ के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था, हालांकि, संस्थान ने वर्ष 2006-07 से 2018-19 तक के वर्षों से संबंधित ₹1.87 करोड़ के रूप में आय कर विभाग से टीडीएस प्राप्य दर्शाया है।

इसके परिणामस्वरूप, ₹0.44 करोड़ से प्राप्य दावे को अधिक बताया गया और उसी सीमा तक अधिशेष को अधिक बताया गया है।

7.5 अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशियां नकद में या वस्तुरूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य- ₹61.76 करोड़

उपर्युक्त में फर्नीचर और फिक्स्चर की अधिप्राप्ति के लिए राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड (आरयूडीएसआईसीओ) को ₹3.10 करोड़ का किया गया भुगतान शामिल है। उपर्युक्त परिसंपत्तियां ₹4.10 करोड़ की कुल लागत पर अक्टूबर 2017 में आरयूडीआईएससीओ से संस्थान द्वारा प्राप्त की गई थी, हालांकि, संस्थान ने अभी तक इसे पूंजीकृत नहीं किया है।

इसके परिणामस्वरूप अग्रिम और अन्य वसूल योग्य राशियां नकद में या वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य को ₹3.10 करोड़ तक अधिक बताया गया और ₹4.10 करोड़ तक अचल परिसंपत्तियों को कम बताया गया और ₹1.00 करोड़ तक विविध क्रेडिटर्स को कम बताया गया है।

7.6 आय एवं व्यय लेखा- आस्थगित राजस्व आय- ₹21.78 करोड़

7.6.1 पूर्व अवधि आय- ₹32.37 करोड़

उपर्युक्त में लेखांकन मानक (एएस) 12 - सरकारी अनुदानों के लेखांकन के कार्यान्वयन के कारण आय और व्यय लेखा में बुक किए गए ₹51.14 करोड़ (चालू वर्ष के दौरान ₹21.78 करोड़ और पूर्व अवधि के लेखा पर ₹29.36 करोड़) के आस्थगित मूल्यहास शामिल है। संस्थान ने ₹698.94 करोड़ (निवल आस्थगित मूल्यहास) के रूप में सरकारी अनुदान को पूंजीकृत किया, हालांकि, सरकारी अनुदानों में से सृजित तदनु रूप निवल परिसंपत्तियों को ₹664.23 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 तक खाताबहियों में पूंजीकृत अनुदान और इससे सृजित निवल परिसंपत्तियों के बीच ₹34.71 करोड़ का अंतर है।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संकेत किए जाने के बावजूद संस्थान ने 31 मार्च 2019 तक सरकारी अनुदानों और स्वयं की निधियों में से सृजित परिसंपत्तियों के बीच अभी तक मिलान नहीं किया गया है।

8. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली (एनआईपीईआर)

8.1 देयताएं- धर्मादा/ कॉर्पस निधि परियोजना लेखा- ₹5.73 करोड़

उपरोक्त में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्रदान किए गए अनुदानों में से किए गए सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज की ₹64.43 लाख (2017-18 के लिए ₹34.71 लाख और 2018-19 के लिए ₹29.92 लाख) राशि शामिल नहीं है। चूंकि, एनआईपीईआर को परियोजना लेखाओं के तहत निधियाँ इस शर्त के साथ आवंटित की गई थी कि इस

प्रकार अर्जित ब्याज को संस्थान/ एजेंसी को किए गए क्रेडिट के रूप में माना जाएगा और अनुदान की अगली किश्त के लिए समायोजित किया जाएगा। तदनुसार, संस्थान को संबंधित परियोजना लेखा में अर्जित ब्याज को क्रेडिट करना चाहिए।

हालांकि, संस्थान ने परियोजना लेखाओं के तहत देयता के रूप में अर्जित ब्याज के ₹64.63 लाख को क्रेडिट नहीं किया और इसके बजाय इसे आय रूप में बुक किया, जिसके कारण ₹64.63 लाख से परियोजना लेखा के तहत देयता को कम बताया गया और आय (अर्जित ब्याज) को अधिक बताया गया है। इससे शून्य के बजाय ₹64.63 लाख का घाटा भी हुआ।

8.2 चालू देयताएं एवं प्रावधान- पेंशन देयताएं- ₹1.98 करोड़

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एनआईपीआईआर के वार्षिक लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी सं. ए.3.1 और वर्ष 2017-18 के लिए ए.2.1.1 के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया कि संस्थान ने पेंशन देयताओं के लिए बीमांकिक मूल्य निर्धारण नहीं किया है। संकेत किए जाने के बावजूद, संस्थान ने पेंशन देयताओं के लिए बीमांकिक मूल्य निर्धारण नहीं किया है और वर्ष 2018-19 के दौरान केवल ₹1.98 करोड़ के प्रावधान किए और 2014-15 की बीमांकिक मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2015 तक ₹26.72 करोड़ की पेंशन देयताओं के प्रति 31 मार्च 2019 तक ₹11.76 करोड़ का पेंशन कोष बनाया गया है। पेंशन देयताओं और घाटा या अधिशेष के लिए कम प्रावधान का प्रभाव 31 मार्च 2019 तक बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अभाव में परिमाणित नहीं किया जा सका है।

9. फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा (एफडीडीआई)

9.1 चालू देयताएं और प्रावधान- उपदान के लिए प्रावधान- ₹5.61 करोड़

संस्थान ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सितम्बर 2018 तक उपदान की देयता के लिए भुगतान कर दिया है क्योंकि कर्मचारियों के उपदान के लिए न्यास विलेख सितम्बर 2006 में एलआईसी के साथ किया गया था। अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए देयता का बीमांकिक मूल्य निर्धारण प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि प्रत्येक वर्ष सितम्बर में एलआईसी द्वारा बीमांकिक मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर अंशदान प्रदान किया जाता है।

बैलेंस शीट तारीख तक बीमांकिक मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अभाव में, लेखापरीक्षा में 31 मार्च 2019 तक उपदान के लिए प्रावधान की गई देयता को परिमाणित नहीं किया जा सका है।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए जाने के बावजूद संस्थान ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुरूप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

9.2 फीस/ अंशदान- ₹41.89 करोड़

उपरोक्त में अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल 2019 से जून 2019 के लिए संस्थान के कोलकाता परिसर द्वारा छात्रों से प्राप्त की गई फीस ₹0.52 करोड़ में शामिल है। इसे चालू देयताएं और प्रावधानों के तहत अग्रिम में प्राप्त की गई फीस के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप फीस/ अंशदानों को ₹0.52 करोड़ तक अधिक बताया गया और उसी सीमा तक देयताओं और घाटा को कम बताया गया है।

9.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

9.3.1 व्यय- नोट सं. 7

व्यय पर लेखांकन नीति के अनुसार, छुट्टी नकदीकरण पर व्यय को नकद के आधार पर बुक किया गया था।

उपरोक्त नीति, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के समान प्रारूप के साथ-साथ आईसीएआई द्वारा निर्धारित किए गए लेखांकन मानक-15 (कर्मचारियों के हितलाभ) में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करती है, जो बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए देयता के निर्माण का प्रावधान करता है।

बैलेंस शीट तारीख तक बीमांकिक मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अभाव में, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2019 तक छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान की गई देयता को परिमाणित नहीं कर सकी है।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए जाने के बावजूद, संस्थान ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुरूप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

9.4 अन्य टिप्पणी

संस्थान ने एफडीडीआई अधिनियम, 2017 की धारा 21 (1) की आवश्यकता के अनुसार एक निधि का गठन नहीं किया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त धन, संस्थान द्वारा प्राप्त की गई सारी फीस और अन्य प्रभार, ऋणों, अनुदानों, उपहारों, चंदा, धर्मदान, वसीयतों या हस्तांतरण के माध्यम से संस्थान द्वारा प्राप्त किया गया समस्त धन और संस्थान द्वारा किसी भी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धन जमा किया जाता है। निधि नहीं बनाने के परिणामस्वरूप एफडीडीआई अधिनियम, 2017 का उल्लंघन हुआ है।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए जाने के बावजूद संस्थान ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुरूप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली

जून 2019 में प्रस्तुत किए गए वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखाओं को पिछले वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताएं जाने के बावजूद केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित लेखाओं समान के प्रारूप में तैयार नहीं किया गया था। हालांकि, वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखा की लेखापरीक्षा के दौरान फिर से लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को बताए जाने पर, बोर्ड ने अपने लेखाओं को संशोधित किया और उन्हें समान प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया।

11. राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, राय बरेली

11.1 सहायता अनुदान

संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, इसके पास वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर पूंजीगत अनुदान का अव्ययित शेष ₹170.70 करोड़ की राशि थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, संस्थान को कोई पूंजीगत अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, इसने पूंजीगत अनुदान के अव्ययित शेष पर ₹2.28² करोड़ का ब्याज अर्जित किया और वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों/ सीडब्ल्यूआईपी के परिवर्धन के लिए ₹16.12 करोड़ का उपयोग किया। तदनुसार, पूंजीगत अनुदान का अव्ययित शेष 31 मार्च 2019 तक ₹156.86 करोड़ है। हालांकि, वित्तीय विवरणों के अनुसार, अप्रयुक्त अनुदान का अंतशेष

² संस्थान ने बैंक गारंटी के आह्वान के कारण ₹1.51 करोड़ सहित ₹3.79 करोड़ के अर्जित ब्याज को दर्शाया है। हालांकि, संस्थान ने चालू देयताओं (अनुसूची 5) के तहत बीजी के आह्वान को दर्शाया है। तदनुसार, उसी की अर्जित ब्याज से कटौती की गई थी।

₹134.31 करोड़ (पूँजीगत निधि ₹622.32 करोड़ में से सकल ब्लॉक ₹448.01 करोड़ घटा कर) है।

संस्थान ने कहा (सितम्बर 2019) कि प्रारंभ में वर्ष 2008-09 और 2009-10 में पूँजीगत अनुदान के उपयोग की गणना करते हुए राजस्व व्यय पर भी विचार किया गया था और तदनुसार, अंतर का मिलान वर्ष 2008-09 से किया जाना अपेक्षित होगा। इसके अलावा, इसने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अप्रयुक्त पूँजीगत अनुदान की राशि में अंतर का मिलान करने का आश्वासन दिया।

12. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)

12.1 निवेश- निर्धारित/ धर्मादा निधियां- ₹43,370.92 लाख

उपरोक्त में सावधि जमाओं (एक वर्ष की अवधि के लिए) के रूप में विजया बैंक में जमा ₹3,000 लाख और विभिन्न योजनाओं अर्थात् कॉर्पस निधि, पीआरजीएफईई, वीसीएफईई, एसएंडएल फीस आदि के लिए विजया बैंक के बचत एवं स्वाइप खातों में ₹35,370.92 लाख शामिल हैं, जिसे प्रत्येक योजना के लिए 'चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि के तहत अनुसूचित बैंकों के बैंक खातों' के तहत दर्शाया जाना चाहिए।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप प्रत्येक ₹38,370.92 लाख तक "निवेशों-निर्धारित/ धर्मादा निधियां" को अधिक बताया और 'चालू परिसंपत्तियां, ऋणों, अग्रिमों आदि' को कम बताया गया है।

13. जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)

13.1 निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज- ₹205.99 करोड़

नकदी और बैंक जमा शेष (बैंकों के पास टीडीआर सहित)- ₹3,328.17 करोड़

उपर्युक्त में सावधि जमा की (फरवरी 2014 में जमा) शेष राशि ₹67.59 करोड़ और 31 मार्च 2019 तक इस पर प्रोद्भूत ब्याज शामिल है जो ₹49.76 करोड़ है जिसकी प्राप्ति ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लंबित है। चूँकि जेएनपीटी के पास ₹67.59 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीद नहीं हैं और मामले की जांच सीबीआई अदालत द्वारा की जा रही हैं, इसलिए संदिग्ध निवेश और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए। संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप लाभ को ₹117.35 करोड़ तक अधिक बताया, नकदी और बैंक जमा शेष ₹67.59 करोड़ तक और

निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज को ₹49.76 करोड़ तक अधिक बताया है। इस मुद्दे को 2013-14 से लेखापरीक्षा द्वारा उठाया जा रहा है।

13.2 ठेकेदारों को अग्रिम- ₹329.64 करोड़

इसमें विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को दिया गया अग्रिम ₹234.50 करोड़ शामिल है। चूँकि आईपीआरसीएल द्वारा इन परियोजनाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और चालू खाता बिलों के माध्यम से पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों के लिए आईपीआरसीएल द्वारा ₹243.46 करोड़ की राशि का दावा किया गया है, इसलिए आईपीआरसीएल को अग्रिम के रूप में दर्शाई गई ₹234.50 करोड़ की राशि पूंजीगत चालू कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) को हस्तांतरित की जानी चाहिए। इसके अलावा, ₹8.96 करोड़ (₹243.46 करोड़ - ₹234.50 करोड़) के अंतर को चालू देयताओं के तहत दर्शाया जाना चाहिए।

उपर्युक्त चर्चा के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी के पूंजीगत कार्य पर किए गए व्यय का हस्तांतरण न करने के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹243.46 करोड़ तक कम बताया गया और चालू परिसंपत्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों को ₹234.50 करोड़ तक अधिक बताया गया और चालू देयताओं को ₹8.96 करोड़ तक कम बताया गया है।

14. मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी)

14.1 वित्त और विविध आय- ₹58.63 करोड़

निर्धारित निधियों पर अर्जित ब्याज- ₹35.00 करोड़

उपर्युक्त में निर्धारित निधियों पर अर्जित ब्याज के ₹21.94 करोड़ शामिल है। मुख्य पोर्टों (नवम्बर 2002) के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कॉमन फ्रेम वर्क के अनुसार, विशिष्ट निधियों के प्रति निर्धारित निवेश पर प्रोद्भूत आय को संबंधित निधि लेखा में क्रेडिट किया जाना चाहिए और संबंधित निधि से संबंधित व्यय को संबंधित निधि लेखा में डेबिट किया जाएगा। पोर्ट ने “वित्त और विविध आय” शीर्ष के तहत निर्धारित निधियों पर ब्याज को लेखांकित किया है। इसके परिणामस्वरूप, घाटा और निर्धारित निधियों को ₹21.94 करोड़ तक कम बताया गया है।

यद्यपि उपर्युक्त कमी को 2014-15 से लेखापरीक्षा द्वारा बताया जा रहा है, उसे पोर्ट प्रबंधन द्वारा सुधारा जाना बाकी है।

15. दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट (डीपीटी)

15.1 चालू देयताएं और प्रावधान- ₹3,517.55 करोड़

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किए गए पेंशन निधि के बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 तक पेंशन निधि के संबंध में कुल देयता ₹783.76 करोड़ है। डीपीटी ने वर्ष के लिए केवल ₹391.88 करोड़ की देयता स्वीकृत की तथा लेखा टिप्पणियों (सं. 31) में इसे बताया कि ₹391.88 करोड़ की शेष देयता आगामी वर्ष में स्वीकृत की जाएगी।

तथापि, एएस 15 (कर्मचारी हित) के अनुसार पेंशन निधि की पूर्ण व्यवस्था वर्तमान वर्ष में की जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों तथा प्रावधानित राशियों को कम बताया गया तथा लाभ को ₹391.88 करोड़ तक अधिक बताया गया।

15.2 संपदा किराया- ₹280.82 करोड़

भूमि से किराया- ₹258.42 करोड़

डीपीटी ने सुविधा प्रतिपूर्ति प्रभारों को नकद आधार पर लेखांकित किया, जो कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रोद्भवन आधार पर लेखांकन के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (सं. 2) के अनुरूप नहीं है। अतः भूमि से किराये में 31 मार्च 2019 तक पाईपलाइन डिवीजन से संबंधित सुविधा प्रतिपूर्ति प्रभारों के प्रति विभिन्न पार्टियों द्वारा वसूल किये जाने योग्य ₹19.91 करोड़ सम्मिलित नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष की आय ₹14.29 करोड़ तक, पूर्व अवधि आय ₹5.62 करोड़ तक तथा वर्तमान परिसंपत्तियां ₹19.91 करोड़ तक कम बताई गई।

यद्यपि, उपरोक्त अभ्युक्ति को 2017-18 के लिए लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की टिप्पणी सं. बी.1.2 (ii) के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था, इसे पत्तन प्रबंधन द्वारा अभी संशोधित करना शेष है।

16. मोरमुगाओं पत्तन न्यास (एमपीटी)

16.1 चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम- ₹262.23 करोड़

विविध देनदार- ₹60.36 करोड़

इसमें 2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के लिए मै. वैस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लि. (डब्ल्यूआईएसएल) से पट्टा किराया, विलंबित भुगतान पर ब्याज, डब्ल्यूआईएसएल पर

उद्ग्रहित अधिक्रमण प्रभार के प्रति ₹7.26 करोड़ की राशि शामिल है। माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 14 के अंतर्गत एक अधिस्थगन जारी किया (12 दिसंबर 2017) जिसके अंतर्गत एमपीटी को डब्ल्यूआईएसएल की किसी भी परिसंपत्ति के अंतरण, उस पर ऋण लेने, हस्तांतरित करना या निपटारा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसलिए मै. डब्ल्यूआईएसएल से ₹7.26 करोड़ की वसूली सुनिश्चित नहीं है और इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप देनदारों को बढ़ाकर तथा इसी सीमा तक प्रावधानों को कम बताया गया।

यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा इसे 2017-18 से बताया जा रहा है तथापि, इसे पत्तन प्रबंधन द्वारा अभी संशोधित किया जाना है।

17. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

17.1 कोर्पस/ पूंजीगत निधि और देयताएं

एनडॉमेंट निधि- ₹513.42 करोड़

उपरोक्त में 1964 से आगे के वर्षों में आयोग तथा नोडल बैंकों द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संस्थानों को आयोग द्वारा उपलब्ध इम्प्रेस्ट अनुदान अग्रिम का जोड़ शामिल है, जो अप्राप्ति/ प्रतिपूर्ति बिलों/ वाउचरों की प्रविष्टि न करने के कारण लेखा पुस्तकों में समायोजित नहीं किए जा सके। विवरणों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा ₹14.20 करोड़ के अग्रदाय अग्रिम के 'एनडॉमेंट निधि' शेषों की सटीकता और चुकौती को प्रमाणित करने में असमर्थ हैं।

यद्यपि यह टिप्पणी 2011-12 से एसएआर में जारी की गई थी, तथापि केवीआईसी द्वारा इतने विलंब के बावजूद भी शेष अग्रिमों का समायोजन/ मिलान किया जाना शेष है।

आयोग को क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्यक्रम निदेशालयों, खादी संस्थानों तथा ग्रामोद्योग संस्थानों आदि से ₹1,453.53 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुए हैं। ₹1,453.53 करोड़ में से ₹903.52 करोड़ वर्ष 2000-01 से 2016-17 तक से संबंधित है तथा शेष ₹550.01 करोड़ वर्ष 2017-18 से संबंधित है। इस प्रकार आयोग द्वारा जीएफआर 212(1) के साथ पठित 209(6) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। लंबित यूसी की निगरानी हेतु उचित सिस्टम की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा बुक किए गए व्यय की जाँच करने में असमर्थ रही।

टिप्पणी 2016-17 से जारी की जा रही हैं।

17.2 चालू परिसंपत्तियां तथा प्रावधान- ₹28.54 करोड़

इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों/ सीओ यूनिटों/ सहकारी बैंकों आदि के पास व्यय न की गई राशि के रूप में ₹245.50 करोड़ की राशि तथा भारत सरकार को वापिस लौटाने योग्य अव्ययित अनुदानों पर अर्जित ₹80.63 करोड़ का ब्याज (2017-18 के लिए ₹34.26 करोड़ + 2018-19 के लिए ₹51.51 करोड़ - दोनों वर्षों में आंतरिक संसाधन उत्पादन (आईआरजी) पर अर्जित ₹5.14 करोड़ का ब्याज) शामिल नहीं है। भारत सरकार को वापिस किए जाने वाले अव्ययित अनुदान (अंतिम लेखाओं के भाग बनाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के क्रम सं. 3.1 में यथा उद्धाटित), को वर्तमान परिसंपत्तियों में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों को कम तथा प्राप्यों को ₹326.13 करोड़ तक कम बताया गया।

17.3 अचल परिसंपत्तियां- ₹18.50 करोड़

जारी पूंजीगत कार्य- ₹5.92 करोड़

इसमें ₹18.95 करोड़ के कुल संविदा मूल्य के प्रति मै. एटॉस इंडिया प्रा. लि. को 2017-18 से 2018-19 के दौरान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट (एसएपी ईआरपी कार्यान्वयन तथा एसएपी लाईसेंस) के लिए किए गए आंशिक भुगतान के रूप में ₹7.57 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर विकास पर कार्य प्रगति पर है और 31 मार्च 2019 तक उसे प्रयोग में नहीं लाया गया। केवीआईसी ने ₹7.57 करोड़ की जारी पूंजीगत कार्य पर (विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति) के अंतर्गत लेखांकित करने के बजाय उस राशि को राजस्व व्यय (अनुदान और रियायत पर व्यय) के अंतर्गत लेखांकित किया।

इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप जारी पूंजीगत कार्य (विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति) को कम तथा राजस्व व्यय को ₹7.57 करोड़ तक अधिक बताया गया।

यह टिप्पणी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2017-18 में जारी की जा चुकी है तथा केवीआईसी ने वर्तमान वर्ष में भी इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

17.4 प्राप्त तथा भुगतान लेखा

पीएमईजीपी व्यय- ₹2,142.86 करोड़

अनुसूची 15 सी के अनुसार संवितरित मार्जिन राशि ₹2,100 करोड़ थी। तथापि, वर्ष 2018-19 के लिए पीएमईजीपी की निष्पादन स्थिति के अनुसार, लाभार्थियों की संवितरित मार्जिन राशि ₹2,070 करोड़ थी। अतः इसमें ₹30 करोड़ का अंतर है। इसके परिणामस्वरूप पीएमईजीपी व्यय को अधिक बताया गया तथा एंडॉमेंट निधि को ₹30 करोड़ तक कम बताया गया।

17.5 आय और व्यय लेखा

17.5.1 स्थापना व्यय- ₹361.31 करोड़

अनुसूची 14 के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी तथा कम्प्यूटेशन पर ₹184.54 करोड़ का व्यय किया गया। तथापि, लेखा निदेशालय (पेंशन) द्वारा पेंशन, ग्रेच्युटी तथा कम्प्यूटेशन पर वास्तविक व्यय ₹169.46 करोड़ था। अतः स्थापना व्यय को ₹15.08 करोड़ तक अधिक बताया गया।

17.5.2 कोर्पस/ पूंजीगत निधि- ₹18.50 करोड़

इसमें व्यय की तुलना में आय की अधिकता के रूप में ₹31.40 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है। व्यय की तुलना में आय की अधिकता होने पर समान प्रारूप के अनुसार उसे कोर्पस/ पूंजीगत निधि में शामिल किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप कोर्पस/ पूंजीगत निधि को कम करके बताया गया और आरक्षित तथा अधिशेष को ₹31.40 करोड़ तक अधिक बताया गया और भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान प्रारूप का अनुपालन नहीं किया गया।

17.5.3 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि- ₹2,215.89 करोड़

इसमें ट्रेडिंग यूनिटों द्वारा ब्याज तथा अन्य, ग्रामोद्योग पूंजी पर ब्याज, छूट और रियायतों आदि के प्रति केवीआईसी को पुर्नभुगतान योग्य कुल ₹33.66 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है। ट्रेडिंग फंड लेखा में, इसे देयता के रूप में दर्शाया गया है लेकिन मुख्य लेखा में केवीआईसी ने इसे प्राप्यों के रूप में नहीं दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप मुख्य निधि की चालू परिसंपत्तियों को ₹33.66 करोड़ तक कम बताया गया।

17.5.4 चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹28.54 करोड़

इसमें लेखा मानक 15 तथा केंद्रीय स्वायत्त निकायों (खंड 12.1 तथा 12.2) के लिए लेखों के समान प्रारूप के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आवश्यक बीमांकक मूल्यांकन आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात् ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण की देयता के लिए

प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताएं और प्रावधानों को उस सीमा तक कम बताया गया जहां तक प्रावधान नहीं किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेखाओं के समान प्रारूप के प्रावधानों का अननुपालन किया गया।

यह टिप्पणी 2017-18 की एसएआर में जारी की गई थी जिस पर आयोग ने उत्तर दिया कि विभिन्न व्यवधानों के कारण 2017-18 में लेखांकन की प्रोद्घवन प्रणाली को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, आयोग ने अनुपालन करने के प्रति आश्वासन दिया, जो अभी तक नहीं किया गया है।

18. तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी)

18.1 निवेश- अन्य- ₹3,79,871 लाख

मै. बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान न होने के कारण उक्त को ₹4,013 लाख तक अधिक बताया गया। एएस13 की आवश्यकता के अनुसार बीएलएल में ओआईडीबी द्वारा धारित निवेश के मूल्य में स्थायी और निरंतर कमी को लेखाओं में दर्ज नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, 'व्यय पर आय की अधिकता' को इसी राशि तक अधिक बताया गया।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओआईडीबी के वार्षिक लेखाओं पर अपने पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भारत के सीएजी ने भी इस पर टिप्पणी की थी। तथापि, बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

18.2 चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि- ₹7,84,639 लाख

उपरोक्त को ₹8,377 लाख तक अधिक बताया गया, जिसके कारण हैं:

i) बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए ₹1,200 लाख के ब्रिज ऋण का प्रावधान न किया जाना, यद्यपि किशतों का भुगतान आगामी नहीं था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए, यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त ऋण की वसूली हो पाएगी।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओआईडीबी के वार्षिक लेखाओं पर भारत के सीएजी ने अपने पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इस पर टिप्पणी की थी। तथापि, बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ii) बीको लॉरी लि. (बीएलएल) का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, वर्तमान कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन देय को, बैंकों से सुरक्षित ऋणों तथा आकस्मिक देनदारियों पर अपेक्षित व्यय पूर्ण करने हेतु दिए गए ₹7,177 लाख के ऋण के लिए प्रावधान न किया जाना। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी।

इसके परिणामस्वरूप, 'व्यय पर आय की अधिकता' को भी ₹8,377 लाख तक अधिक बताया गया।

18.3 सामान्य

18.3.1 हाइड्रोजन कोर्पस निधि का सृजन और उपयोगिता

जून 2003 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने ओआईडीबी तथा तेल पीएसयू के सहयोग से हाइड्रोजन कोर्पस निधि (एचसीएफ) का सृजन करने का निर्णय लिया। एचसीएफ को ₹100 करोड़ की आरंभिक कोर्पस के साथ वर्ष 2004 में स्थापित किया गया। एचसीएफ में ओआईडीबी ने ₹40 करोड़, आईओसी, ओएनजीसी तथा गेल प्रत्येक ने ₹16 करोड़ तथा बीपीसीएल और एचपीसीएल प्रत्येक ने ₹6 करोड़ का सहयोग दिया। एचसीएफ में सहभागी संगठनों के विभिन्न आरंभिक संस्थानों के माध्यम से तेल तथा गैस क्षेत्र के भीतर हाइड्रोजन अनुसंधान तथा संबंधित कार्यकलाप करने हेतु सीएचटी को नोडल एजेंसी बनाया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2019 तक, कोर्पस निधि में ₹152.36 करोड़ की राशि एकत्रित हो चुकी थी जिसे ओआईडीबी के खातों से बाहर विभिन्न बैंकों में रखा जा रहा था। एचसीएफ के वर्ष 2018-19 के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था (सितंबर 2019)। निधि के लिए कोई औपचारिक लेखापरीक्षा और जवाबदेही तंत्र नहीं था। सम्मिलित राशि के संदर्भ में, निधि के वित्तीय लेन देनों को देखने हेतु एक औपचारिक तंत्र की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि सभी परियोजनाएं सीएचटी द्वारा की जानी हैं, अतः ओआईडीबी को उचित निगरानी तथा बेहतर उपयोगिता हेतु उन्हें निधि हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए था। इसे पिछले वर्षों में प्रबंधन पत्र द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान विशेष रूप से दर्शाया गया था।

18.3.2 ओआईडीबी सूखा राहत ट्रस्ट का सृजन

अप्रैल से जून 2000 की अवधि के दौरान कुछ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में अभूतपूर्व सूखा पड़ा। माननीय पीएंडएनजी मंत्री की अपील की प्रतिक्रिया में,

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इन राज्यों में सूखा प्रभावित गांवों को पीने के पानी के परिवहन के लिए डीज़ल की लागत की प्रतिपूर्ति करने का निश्चय किया। 1 जून 2000 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट, ओआईडीबी सूखा राहत ट्रस्ट (ओआईडीबी डीआरटी) का सृजन किया गया। 29 सितंबर 2009 को आयोजित ट्रस्टी के बोर्ड की बैठक में ट्रस्ट का नाम परिवर्तित करके ओआईडीबी राहत ट्रस्ट करने का निर्णय लिया क्योंकि सूखा राहत ट्रस्ट के निर्धारित उद्देश्य पहले ही पूर्ण हो चुके थे। ओआईडीबी राहत ट्रस्ट को अंशदान के प्रति तेल पीएसयू से ₹20.60 करोड़ प्राप्त हुए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2019 तक, ट्रस्ट में ₹17.29 करोड़ की राशि एकत्रित हो चुकी थी जिसे ओआईडीबी के खातों से बाहर विभिन्न बैंकों में रखा गया था। निधि के लिए कोई औपचारिक लेखापरीक्षा और जवाबदेही तंत्र सृजित नहीं किया गया था। सम्मिलित अधिक राशि के मद्देनजर, निधि के वित्तीय लेनदेनों पर नजर रखने हेतु एक औपचारिक तंत्र की आवश्यकता है। इसे पिछले वर्षों में प्रबंधन पत्र द्वारा लेखाओं की लेखा परीक्षा में विशेष रूप से दर्शाया गया था।

19. राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद

19.1 अचल परिसंपत्तियां- ₹13,679.44 लाख

जारी पूंजीगत कार्य अचल- ₹1,190.60 लाख

उपरोक्त में अहमदाबाद में एनआईडी कैम्पस में महिला छात्रावास के अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण और एनआईडी, गांधी नगर में छात्र भोजनालय तथा मनोरंजन केंद्र के निर्माण की लागत के रूप में ₹1,190.60 लाख शामिल है। संस्थान ने दोनों भवनों का कब्जा पहले से ही ले रखा था और जुलाई 2018 में उसे अपने अधिकार में ले लिया था। नवंबर 2018 में हैंडिंग ओवर/ टैकिंग ओवर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी थी। उक्त के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को अधिक बताया गया और अचल परिसंपत्ति (भवन) को ₹1,190.60 लाख तक कम बताया गया।

19.2 चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम- ₹9,463.73 लाख

इसमें पाँच से 19 वर्ष पूर्व पूर्ण परियोजना से संबंधित 31 मार्च 2013 तक अर्जित आय ₹70.85 लाख (अन्य परियोजना प्राप्तियां: ₹63.20 लाख तथा सेवा प्रभार: ₹7.65 लाख) शामिल है। संस्थान द्वारा न तो इन पुराने प्राप्यों की वसूली की गई और न ही संदेहास्पद वसूली के लिए प्रावधान की कोई नीति बनाई गई। प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप 'चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिम' को अधिक तथा इसके अनुरूप

‘तुलन पत्र में लाई गई कमी’ को ₹70.85 लाख तक कम बताया गया। इस मामले को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए एसएआर में सम्मिलित किया गया। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लेखों में संस्थान द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

20. कोलकत्ता पत्तन ट्रस्ट (केओपीटी)

20.1 आरक्षित पूंजी में किराया अनुसूची के अनुसार अप्राधिकृत अधिग्रहण के लिए किरायदारों से प्रतिपूर्ति प्रभार के लिए केओपीटी द्वारा उद्ग्रहित ₹323.34 करोड़ सम्मिलित हैं। राशि को सीधे ही आरक्षित पूंजी में अंतरित कर दिया गया। इस प्रकार, प्रतिपूर्ति प्रभारों के पूंजीगत प्राप्तियों में लेखांकन के परिणामस्वरूप आरक्षित पूंजी को ₹323.34 करोड़ तक अधिक बताया गया तथा वर्ष के लाभ को ₹77.57 करोड़ तथा पूर्व अवधियों के लिए लाभ को ₹245.77 करोड़ तक कम बताया गया।

20.2 वर्ष 2018-19 के दौरान भूमि की बिक्री से संबंधित ₹115 करोड़ की राशि को केओपीटी की आय के स्थान पर आरक्षित पूंजी के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु फ्रेमवर्क का उल्लंघन करते हुए लेखांकित किया गया। इसके परिणामस्वरूप आय को कम तथा आरक्षित पूंजी को ₹115 करोड़ तक अधिक बताया गया और इसके परिणामस्वरूप इसी राशि तक लाभ को कम बताया गया। संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त भूमि की लागत भूमि के शेष आंकड़ों से भी नहीं घटाई गई थी और इसके परिणामस्वरूप भूमि के साथ-साथ आरक्षित तथा अधिशेष निधि को ₹115 करोड़ तक अधिक बताया गया।

20.3 हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) के जारी पूंजीगत कार्य में जिग्गरखली फ्लैट पर पूंजीगत ड्रेजिंग के लिए ₹17.32 करोड़ शामिल है, जो कि काफी लंबे समय से सीडब्ल्यूआईपी के रूप में रखा गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति के संबंध में कोई रिकॉर्ड/दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। अतः यह राशि लाभ और हानि लेखा में चार्ज ऑफ किया जाना चाहिए था। इस राशि को प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹17.32 करोड़ तक अधिक बताया गया तथा इसी राशि तक लाभ को भी अधिक बताया गया।

20.4 बीमांकिक मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च 2019 के अनुसार, पेंशन तथा वर्तमान कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के लिए देनदारियां क्रमशः ₹2,665.19 करोड़ तथा ₹374.20 करोड़ (कुल ₹3,039.39 करोड़) थी जिसके प्रति ₹2,171.53 करोड़ की कुल निधि उपलब्ध थी। यद्यपि इस तथ्य को लेखा टिप्पणियों (क्रम. स. 13) में उद्घाटित किया

गया था, तथापि लेखाओं में कम पड़ने वाली ₹867.86 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं किया था। इस प्रकार, बीमांकिक मूल्यांकन तथा उपलब्ध निधियों के बीच अंतर हेतु देयताओं का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम बताने के साथ-साथ लाभ को ₹867.86 करोड़ तक अधिक बताया गया।

20.5 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा मूल लेखांकन सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, केओपीटी ने 2018-19 में चालू वर्ष के लिए लीज़ प्रीमियम के लिए ₹110.23 करोड़ की राशि को आय के रूप में दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप पट्टाकृत भूमि पर प्रीमियम को ₹108.19 करोड़ तक अधिक बताया गया इसके साथ ही कर पूर्व निवल लाभ को भी इसी सीमा तक अधिक बताया गया।

20.6 2018-19 में केओपीटी का कर के पश्चात लाभ ₹31.63 करोड़ था तथा इसने ₹31.63 करोड़ के बजाय ₹108.19 करोड़ (अपफ्रंट प्रीमियम से संबंधित आस्थगित राजस्व आय का हस्तांतरण) का विनियोजन किया था। विनियोजन लेखा के संबंध में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त शर्तों पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार लाभ का विनियोजन, डिवीडेंड, आरक्षितों, भागीदारों के शेयरों, कर प्रावधान आदि के लिए किया जा सकता है। तथापि, केओपीटी ने लाभ राशि से अधिक का विनियोजन किया है। इसके परिणामस्वरूप विनियोजन के पश्चात घाटे तथा बैलेंस शीट के अंतर्गत लाभ तथा हानि लेखा के डेबिट शेष को ₹76.56 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसी राशि तक आस्थगित राजस्व आय को भी कम बताया गया।

21. पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी)

21.1 निवेशों में अगस्त 2009 से कार्य बंद कर चुके सेतु समुद्रम कॉरपोरेशन लि., चेन्नई के इक्विटी शेयरों में निवेश के प्रति ₹30 करोड़ की राशि सम्मिलित है। लागत पर निवेश का मूल्य निर्धारण निवेशों के लिए लेखांकन संबंधी एएस 13 के प्रतिकूल है। इसके परिणामतः निवेश को अधिक बताया गया तथा इसके साथ ही कर पूर्व निवल अधिशेष को ₹30 करोड़ अधिक बताया गया।

21.2. निवेशों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ विशेष उद्देश्य वाहन पारादीप पत्तन रोड़ कॉरपोरेशन लि. (पीजीआरसीएल) में इक्विटी शेयरों में ₹40 करोड़ का निवेश सम्मिलित है। पीजीआरसीएल की निवल कीमत का पूरा अपरदन हो गया जो 31-03-2016 को (-)₹495.52 करोड़ था। इसी बीच 18 अक्टूबर 2019 को आयोजित बैठक सं. 02/2018-19 में ट्रस्टी बोर्ड (पाराद्वीप पत्तन न्यास) मूल्यांकन किया कि एनचएआई ने एसपीवी को बंद करने का प्रस्ताव दिया है। अतः, एएस- 13 के अंतर्गत

यथा आवश्यक दीर्घावधि निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसका प्रावधान न करने के कारण ₹40 करोड़ तक निवेश को अधिक बताया गया और साथ ही कर पूर्व निवल अधिशेष को अधिक बताया गया।

21.3 मंत्रालय ने नामावली (सीएफएंडएच) पीपीटी के क्लियरिंग फारवर्डिंग और हैडेलिंग कामगारों के लिए विशेष सिवरेल पैकेज के अंतर्गत सीएफएंडएच कामगारों का वी आर एस देने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु पत्तन न्यास के प्रस्ताव (13 नवंबर 2015) को स्वीकृति (21 मार्च 2016) दे दी तथा यह भी निदेश दिए कि समस्त वित्तीय प्रभाव को वहन पत्तन की लाभकारिता तथा क्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीकरण तथा अन्य अवसंरचनाओं को विकसित करने हेतु आवश्यक निवेशों के साथ पत्तन न्यास द्वारा किया जाएगा। 31 मार्च 2019 तक प्रबंधन समिति द्वारा ₹84.80 करोड़ का संवितरण किया जा चुका था। तथापि, इन संवितरणों को लाभ और हानि लेखा में प्रभारित करने की अपेक्षा चालू परिसंपत्ती ऋणों तथा अग्रिमों के अंतर्गत दर्ज किया गया। इस प्रकार 'चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों' को अधिक बताने के साथ कर पूर्व निवल अधिशेष को ₹84.80 करोड़ अधिक बताया गया।

22. कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी)

31 मार्च 2019 को सीडीएलबी की सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए देयता ₹875.52 करोड़ दर्शायी गई थी जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई गणना में यह ₹908.52 करोड़ दर्शायी गई। इसके परिणामतः चालू देयताओं तथा प्रावधानों के साथ-साथ आय पर व्यय के आधिक्य को ₹33.00 करोड़ तक कम बताया गया।

23. राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

निर्धारित/ एन्डॉमेंट निधि में 'पटसन भवन' के निर्माण के लिए भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान के रूप में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान चरणों में प्राप्त ₹69.92 करोड़ सम्मिलित हैं जिसे निर्धारित/ एन्डॉमेंट निधि में दर्शाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामतः ₹69.92 करोड़ तक निर्धारित निधि को कम बताया गया तथा पटसन बोर्ड निधि लेखा को अधिक बताया गया। अतिरिक्त, ₹0.39 करोड़ की ऐसी अव्ययित निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज को पटसन बोर्ड निधि लेखा के स्थान पर 'पटसन भवन' के लिए निर्धारित निधि में क्रेडिट किया जाना चाहिए था। इसके कारण चालू देयताओं को कम बताया तथा आय को अधिक बताया गया।

24. टी बोर्ड

1993 से 1995 की अवधि के दौरान टी बोर्ड ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पत्र सं. क्रमशः 48021/2/93 - संयंत्र ए दिनांक 16 अगस्त 1993, टी - 39012/93 संयंत्र ए दिनांक 26 अप्रैल 1994, टी - 39012/1/93 - संयंत्र ए दिनांक 4 जुलाई 1994, टी-39012/1/93 30 मार्च 1995 तथा फैक्स दिनांक 28 अप्रैल 1995 तथा 25 अक्टूबर 1995 के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में भारतीय चाय ट्रेडिंग निगम लि. (टीटीसीआई) को ₹599 लाख का भुगतान किया।

इस ब्याज मुक्त ऋण के प्रति, 2 जून 1994 को टीटीसीआई ने टी बोर्ड को ₹25 लाख की राशि का प्रतिदाय किया था। ऋण तथा प्रतिदाय के भुगतान के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

तिथि	चैक सं.	निकासी	राशि (₹ लाख में)
01.09.1993	262896	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	350
12.05.1994	262930 262933	से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	44
01.06.1994	262934 262937	से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	12
28.07.1994	262942	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	109
31.03.1995	262992	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	55
05.05.1995	262999	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14
08.11.1995	452786	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6
07.12.1995	084410	बैंक ऑफ बडौदा	9
		कुल	599
		घटा: बैंक अंतरण द्वारा 2 जून 1994 को टीटीसीआई द्वारा प्रतिदाय।	25
		शेष	574

टीटीसीआई को भुगतान किए गए उपरोक्त ब्याज मुक्त ऋणों में से, टी बोर्ड को टीटीसीआई को किए भुगतानों के लिए भारत सरकार से ₹354 लाख के अनुदान प्राप्त हुए। इसके पश्चात, टीटीसीआई बंद करने के आदेश दिनांक 24 जून 2002 के अनुसार परिसमापन में चला गया और टी बोर्ड ₹574 लाख के उक्त ऋण की वसूली नहीं कर पाया। 2012-13 के दौरान, टी बोर्ड ने सरकार को देय ऋण में से टीटीसीआई को

भुगतान किए गए ₹220 लाख (₹574 लाख- ₹354 लाख) के ब्याज मुक्त ऋण की शेष राशि समायोजित कर दी। अतः टी बोर्ड ने ब्याज मुक्त ऋण के रूप में टीटीसीआई को प्रदत्त ₹574 लाख की कुल राशि सरकार से प्राप्त/ समायोजित की।

तथापि, बैलेंस शीट में ₹354 लाख “टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण” के रूप में परिसंपत्ति में उद्घाटित किए गए। इसी प्रकार, अन्य देयताओं में ₹354 लाख “टीटीसीआई के लिए सरकार को देय” के रूप में भी सम्मिलित है।

चूंकि टीटीसीआई अब अस्तित्व में नहीं है और टी बोर्ड ने सरकार से टीटीसीआई को भुगतान किए ऋण की कुल राशि प्राप्त/ समायोजित कर ली है; बैलेंस शीट की परिसंपत्ति की ओर “टीटीसीआई से ब्याज मुक्त ऋण” ₹354 लाख का उद्घाटन सही नहीं है तथा इसे “टीटीसीआई की ओर से सरकार को देय” के प्रति ₹354 लाख की देयता के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त का समायोजन न होने के परिणामतः “टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण” के प्रति परिसंपत्तियों को ₹354 लाख तक अधिक बताया गया तथा “अन्य देयताओं” को भी इसी राशि तक अधिक बताया गया।

25. तम्बाकू बोर्ड

चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹210.56 करोड़

ग्रेच्युटी अवकाश वेतन तथा अर्ध वैतनिक अवकाश निधि का भुगतान- ₹30 करोड़

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा यथा अनुमानित तम्बाकू बोर्ड के वे कार्मिक जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके हैं उन्हें ग्रेच्युटी और समुह अवकाश नकदीकरण के लिए किये जाने वाले भुगतान का प्रावधान न करने के कारण उपरोक्त को ₹24.35 करोड़ कम बताया गया, जिस पर भारत सरकार की स्वीकृति लंबित हैं। इस प्रकार, ₹16.41 करोड़ के अधिशेष की अपेक्षा, वर्ष के दौरान ₹7.94 करोड़ का घाटा होगा।

26. कॉफी बोर्ड

आय- ₹193.72 करोड़

लेखाकंन मानक- 12 (अनुदानों का लेखाकंन) के पैरा 14 के प्रावधानों और लेखाओं के समान प्रारूप के प्रावधानों के अंतर्गत यथा आवश्यक बोर्ड में सरकारी अनुदानों से क्रय की गई परिसंपत्तियों का लेखाकंन “आस्थगित आय” के रूप में करने की अपेक्षा

परिसंपत्ति लेखा को डेबिट और समग्र निधि को क्रेडिट करने की प्रथा रही है। इसके परिणामतः आय तथा व्यय पर आय का अधिक्य को ₹8.27 करोड़ कम बताया गया। इसका परिणामस्वरूप आस्थगित आय को कम बताया गया तथा संचित/ पूंजीगत निधि को ₹84.95 करोड़ से अधिक बताया गया। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामतः लेखा के समान प्रारूप की अनुसूची 8 की टिप्पणियों/ लेखाकंन मानक-12 के पैरा 14 में विनिर्दिष्ट रूप में सरकारी अनुदानों से क्रय की गई परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यहास विधि का अनुपालन नहीं हुआ।

27. कोचीन पत्तन ट्रस्ट

चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹747.66 करोड़

31 मार्च 2019 तक बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार वर्तमान कर्मचारियों तथा पेंशनरों के पेंशन तथा ग्रेच्युटी अंशदान के आधार पर देयता की गणना ₹2,774.26 करोड़ की गई थी, जिसके प्रति पेंशन और ग्रेच्युटी निधि में ₹178.05 करोड़ निवेश किया गया, जिसमें ₹2,596.21 करोड़ की कमी थी। इसके परिणामतः चालू देयताओं और प्रावधानों को ₹2,596.21 करोड़ कम बताया गया साथ ही लाभ को इसी सीमा तक अधिक बताया गया।

28. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

28.1 चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹211.11 करोड़

उपरोक्त को सांतवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के कारण कर्मचारियों के प्रति देयों में वृद्धि के कारण देय सांघिक देयों (ग्रेच्युटी - ₹1.22 करोड़, अवकाश नकदीकरण - ₹0.37 करोड़, सारांशीकृत पेंशन - ₹3.16 करोड़ तथा पेंशन बकाया - ₹3.82 करोड़) की अंतर राशि का प्रावधान न करने के कारण ₹8.57 करोड़ कम बताया गया। इसके परिणामतः प्रावधानों और व्यय को ₹8.57 करोड़ तक कम बताया गया।

28.2 स्थापना व्यय- ₹39.14 करोड़

बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभ के लिए देयताओं के कारण इसे ₹177.03 करोड़ कम बताया गया। प्राधिकरण ने इस देयता को आय और व्यय लेखा के माध्यम से दर्शाने की अपेक्षा बैलेंस शीट में 'विविध व्यय' में समानांतर डेबिट करने के साथ 'चालू देयताओं और प्रावधानों' में दर्शाया। इसके परिणामतः 'स्थापना

व्ययों' को ₹177.03 करोड़ कम बताया गया तथा 'विविध व्यय' को इसी सीमा तक अधिक बताया गया।

29. वी.ओ. चिदम्बरानर पत्तन न्यास

वित्तीय और विविध व्यय- ₹209.84 करोड़

एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार पेंशन और ग्रेच्युटी निधियों के लिए अंशदान में कमी के कारण उपरोक्त को ₹46.75 करोड़ कम बताया गया। इसके परिणामतः ₹46.75 करोड़ से चालू देयताओं तथा प्रावधानों को कम बताया गया तथा लाभ को अधिक बताया गया।

30. न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास

स्थायी परिसंपत्तियां- निवल ब्लॉक: ₹874.93 करोड़

'अधिक बड़े गैस कैरियर के प्रबंधन हेतु बर्थ सं.13 पर अग्निशमन सुविधा के संवर्धन', जिसे सितंबर 2017 में पूंजीकृत किया गया था, कार्य के संबंध में निवल ब्लॉक को ₹3.03 करोड़ अधिक बताया गया। कार्य पर मूल्यहास को कार्य की समयावधि 10 वर्ष की अपेक्षा 75 वर्ष के आधार पर प्रभारित किया गया था जिसके परिणामतः निवल ब्लॉक को ₹3.03 करोड़ अधिक बताया गया तथा दो वर्षों के लिए मूल्यहास को कम प्रभारित करने के कारण लाभ को भी अधिक बताया गया।

31. चेन्नई पत्तन न्यास

चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹734.69 करोड़

31.1 31 मार्च 2019 तक एलआईसी द्वारा पेंशन देयताओं हेतु किए गए बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार ₹5,539.60 करोड़ की देयताएं परिगणित की गईं। तथापि, 31 मार्च 2019 को पेंशन निधि में ₹3,360.09 करोड़ की समग्र निधि उपलब्ध थी। इसके परिणामतः चालू देयताएं तथा प्रावधान तथा हानि को ₹2,179.51 करोड़ कम बताया गया।

31.2 31 मार्च 2019 को एलआईसी द्वारा अवकाश नकदीकरण देयता के प्रति किए गए बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार ₹154.44 करोड़ की देयताएं परिगणित की गईं। तथापि, 31 मार्च 2019 तक अवकाश नकदीकरण निधि में उपलब्ध समग्र निधि

₹72.21 करोड़ थी। इसके परिणामतः चालू देयताओं और प्रावधानों और हानि को ₹82.23 करोड़ कम बताया गया।

32. रबड़ बोर्ड

चालू देयताएं और प्रावधान- ₹14.21 करोड़

32.1 लेखाकंन मानक- 15 के प्रावधानों के विपरीत, बोर्ड ने 31 मार्च 2019 तक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए बीमांकिक मूल्य निर्धारण नहीं किये। जून 2012 में अंतिम बीमांकिक मूल्य निर्धारण किया गया था, जिसके अनुसार ₹448.81 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता थी। इसके प्रति 31 मार्च 2019 तक पेंशन निधि में उपलब्ध शेष ₹73.94 करोड़ था। इसके परिणामतः 'आय पर व्यय का अधिक्य' कम बताएं जाने के साथ-साथ 'चालू देयताओं और प्रावधानों' को ₹374.87 करोड़ कम बताया गया।

32.2 बारहवीं योजना 2012-2017 के अंतर्गत किसानों को देय ₹25.94 करोड़ की आर्थिक सहायता स्वीकृति के बावजूद, 31 मार्च 2019 तक भुगतान हेतु लंबित थी। बोर्ड ने वित्तीय विवरणों में उक्त राशि उपलब्ध नहीं करायी, जिसके परिणामतः 'आय पर व्यय का अधिक्य' तथा 'चालू देयताओं और प्रावधानों' को ₹25.94 करोड़ कम बताया गया।

33. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

स्थाई परिसंपत्तियां- ₹465.63 करोड़

33.1 2017-18 के दौरान उपयोग हेतु रखी गई पांच परिसंपत्तियों का पूंजीकरण न करने के कारण सकल ब्लॉक को ₹32.59 करोड़ तक कम बताया गया। इसके परिणामतः निवल ब्लॉक (₹27.87 करोड़), पूर्वावधि मर्दे (₹1.62 करोड़), मूल्यहास (₹3.10 करोड़) को कम बताया गया तथा चालू पूंजीगत कार्य को ₹32.59 करोड़ तक अधिक बताया गया।

33.2 2018-19 के दौरान उपयोग हेतु रखी गई तीन परिसंपत्तियों का पूंजीकरण न करने के कारण सकल ब्लॉक के ₹22.77 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके परिणामतः चालू पूंजीगत कार्य को ₹22.77 करोड़ अधिक बताया तथा मूल्यहास को ₹0.78 करोड़ एवं निवल ब्लॉक को ₹21.99 करोड़ कम बताया गया।

34. कॉरर बोर्ड**चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹6.35 करोड़**

लेखांकन मानक- 15 के प्रावधानों के विपरीत, बोर्ड ने ग्रेच्युटी, पेंशन, तथा अवकाश नकदीकरण (अर्जित अवकाश) के प्रति देयताओं के लिए कोई प्रावधान इस दलील पर नहीं किया कि लेखाओं को अंतिम रूप देते समय वर्ष 2018-19 के लिए बीमांकिक मूल्य निर्धारण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड को विवेक के आधार पर, पिछले वर्ष (2017-18) ₹165.53 करोड़ की बीमांकिक मूल्य निर्धारण राशि के आधार पर व्यय के लिए प्रावधान उपलब्ध करना चाहिए था। उसके प्रावधान न किए जाने के कारण चालू देयताओं और प्रावधानों को कम बताया गया तथा 'व्यय पर आय का अधिक्य' को अधिक बताया गया।

35. स्पाईसेस बोर्ड**प्रावधान- ₹197.54 करोड़**

लेखांकन मानक- 15 के प्रावधानों के विपरीत, बोर्ड ने 31 मार्च 2019 तक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए बीमांकिक मूल्य निर्धारण नहीं किया। बोर्ड ने 2015-16 के दौरान बीमांकिक मूल्य निर्धारण किया जिसके अनुसार बीमांकिक देनदारी ₹226.23 करोड़ थी जिसके प्रति 31 मार्च 2019 को केवल ₹197.54 करोड़ का प्रावधान था।

36. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण**अर्जित ब्याज- ₹4.35 करोड़**

उपरोक्त में सरकार से अटल पेंशन योजना तथा स्वावलंबन योजना के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु चलाये जा रहे बचत बैंक जमा खातों पर अर्जित ब्याज की ₹1.85 करोड़ की राशि शामिल है। इस प्रकार अर्जित ब्याज 'निर्धारित/ एन्डॉमेंट निधि' के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रकार, इसके परिणामतः ₹1.85 करोड़ से आय को अधिक बताया गया तथा निर्धारित निधि को कम बताया गया।

37. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)**नाजुल-1****37.1 क्षतिपूर्ति से आय**

वर्ष 2017-18 के लिए डीडीए के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की एसएआर में टिप्पणी सं. ए.1.1 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें सभी क्षतिग्रस्त संपत्तियों के संबंध में अर्जित आय को दर्ज न किए जाने पर टिप्पणी की गई थी।

डीडीए ने पूर्वावधि मद के माध्यम से ₹34.90 करोड़ की क्षतिपूर्ति से हुई आय को दर्ज नहीं किया हालांकि इसे वर्ष 2017-18 के लिए सीएजी की एसएआर में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित भी किया गया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडीए ने चालू वर्ष 2018-19 के दौरान अनाधिकृत आवासियों से क्षतिपूर्ति प्रभार की वसूली हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया। परिणामतः ₹38.31 करोड़ की प्रोद्भूत आय को लेखाकंन³ की प्रोद्भवन प्रणाली के अनुसार वित्तीय विवरणों में बुक नहीं किया गया।

इसके परिणामतः वर्ष 2018-19 के लिए क्षतिपूर्ति से आय को ₹38.31 करोड़ कम बताया गया, पूर्वावधि आय को ₹34.90 करोड़ कम बताया गया तथा विविध ऋणदाताओं को ₹73.21 करोड़ कम बताया गया और परिणामस्वरूप 'व्यय पर आय का अधिक्य' को ₹73.21 करोड़ कम बताया गया।

नाजुल-II

37.2 बैलेंस शीट तथा आय और व्यय लेखा तैयार न करना

नाजुल-II का संबंध भारत सरकार की ओर से डीडीए द्वारा बड़े स्तर पर भू-अधिग्रहण, विकास तथा भूमि के निपटान कार्यकलापो से है। नाजुल-II लेखाओं के संबंध में, डीडीए ने केवल प्राप्त और भुगतान लेखा ही तैयार किया, परिणामतः नाजुल-II लेखाओं की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां और देयताएं वित्तीय विवरणों में दर्शायी नहीं गईं। मार्च 2019 के अंत तक इस लेखा में ₹7,899.31 करोड़ का निवेश था। लेखापरीक्षा में नियमित रूप से नाजुल-II के लिए बैलेंस शीट और आय तथा व्यय लेखा तैयार न किए जाने पर बार-बार टिप्पणी की गई है, ताकि इस लेखा से संबंधित सभी परिसंपत्तियां और देयताएं सही प्रकार से प्रदर्शित की जा सकें।

सामान्य विकास लेखा

37.3 ईडब्ल्यूएस हाउस रिज़र्व: ₹389.86 करोड़

³ कुल संपत्ति का क्षेत्र वर्ग गज के रूप में 9,53,050 x ₹35.50 प्रति वर्ग गज प्रति माह रिहायशी श्रेणी में न्यूनतम प्रतिपूर्ति प्रभार के रूप में

डीडीए के वित्तीय विवरणों पर वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, तथा 2017-18 के लिए भारत के सीएजी की एसएआर में क्रमशः टिप्पणी सं. 4.2(बी), 4.3(सी), 3.1 तथा सी.1.3.1(i) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, डीडीए ने विशिष्ट आवासीय योजना- ईडब्ल्यूएस आवास पर ₹448.79 करोड़ का व्यय ईडब्ल्यूएस निधि से किया, जो कि इस विशेष रूप इस उद्देश्य के लिए सृजित थी। तथापि ईडब्ल्यूएस निधि के उपयोग से सृजित परिसंपत्तियाँ कार्य प्रगति पर (डब्ल्यूआईपी) तथा ईडब्ल्यूएस घरों के तैयार स्टॉक को बैलेंस शीट की अनुसूची एफ में अलग से दर्शाया नहीं गया यद्यपि ईडब्ल्यूएस निधि के प्रति निवेश, जो कि एक और परिसंपत्ति है, को अलग से दर्शाया जा रहा था। ईडब्ल्यूएस आवास (डब्ल्यूआईपी और तैयार स्टॉक) में कुल डब्ल्यूआईपी तथा बन चुके आवासों के तैयार स्टॉक का बड़ा हिस्सा है। तथापि, पृथक शीर्ष के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासों के उद्घाटन न किये जाने के कारण, ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण में प्रयुक्त संचयी राशि की जांच नहीं की जा सकी। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में, ईडब्ल्यूएस आवासों को पृथक शीर्ष में न दर्शाया जाना पूर्ण उद्घाटन सिद्धांत के विरुद्ध है।

37.4 परिसंपत्तियां- पुराना स्टॉक- ₹2,245.04 करोड़

2017-18 के लिए डीडीए के वित्तीय विवरणों पर भारत के सीएजी की एसएआर के पैरा सं. सी 1.3.1(ii) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें एसएफएस/ एचआईजी श्रेणी के फ्लैटों के मामले में मालसूची को ₹111.94 करोड़ अधिक बताए जाने पर टिप्पणी की गई थी।

इस वर्ष भी 1,597 एसएफएस/ एचआईजी फ्लैटों के संबंध में मालसूची में ₹343.05 करोड़ शामिल है। संबंधित ज़ोन द्वारा यथा प्रस्तुत खाली फ्लैटों के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा 551 मामलों के विवरणों की नमूना जांच की गई और यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक इन ज़ोनल रिपोर्ट में 551 फ्लैटों के प्रति केवल 50 फ्लैट ही खाली दर्शाये गये थे। यह दर्शाता है कि वित्तीय विवरणों हेतु विचार किए गए 551 फ्लैटों की इस सूची को 501 एसएफएस/ एचआईजी फ्लैटों की संख्या तक अधिक बताया गया था जिसकी राशि ₹168.72 करोड़ (₹189.30 करोड़ - ₹20.58 करोड़ पूर्ण करने हेतु लागत का प्रावधान) थी। इसके परिणामतः इसी सीमा तक आय अधिक बताई गई।

चूंकि यह नमूना जांच केवल 551 एसएफएस/ एचआईजी फ्लैटों से संबंधित भी; लेखापरीक्षा में शेष एसएफएस/ एचआईजी फ्लैटों के साथ-साथ अन्य श्रेणियों नामतः एमआईजी/ जनता के अधिक बताए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी।

37.5 विविध ऋणदाता- ₹494.85 करोड़

31 मार्च 2019 को सामान्य विकास लेखा की बैलेंस शीट में डीडीए ने विविध ऋणदाताओं के रूप में ₹494.85 करोड़ की राशि दर्शायी है। प्राधिकरण ने लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 11 के अनुसार यह उद्घाटित किया कि 31 मार्च 2019 को विविध ऋणदाताओं का पार्टी वार तथा आयु वार मिलान किया विवरण अनुपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ऋणदाताओं का पार्टी वार तथा आयु-वार ब्यौरें का रखरखाव भी नहीं कर रहा है, इस प्रकार 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट में यथा प्रदर्शित ₹494.85 करोड़ मूल्य के विविध ऋणदाताओं की प्रामाणिकता, अस्तित्व तथा वसूली योग्यता पर आश्वासन प्राप्त करने में लेखापरीक्षा असमर्थ रहीं। लेखा टिप्पणियों में मात्र उद्घाटन कि ऋणदाताओं का मिलान नहीं किया गया है, पर्याप्त नहीं है।

परिशिष्ट-VII
{पैरा 1.8(ए) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2018-19 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली
2.	एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली
3.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
4.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
5.	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
6.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
7.	नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद
8.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई
9.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
10.	कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
11.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता
12.	टी बोर्ड, कोलकाता
13.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद
14.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर
15.	काँफी बोर्ड, बेंगलुरु
16.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, चेन्नई
17.	स्पाईसेस बोर्ड, कोच्चि

परिशिष्ट-VIII
{पैरा1.8(ख) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2018-19 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली
2.	कम्पटीशन कमीशन ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली
3.	एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली
4.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फैशन टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु कैंपस
5.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
6.	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा
7.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
8.	नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद
9.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई
10.	खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई
11.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा
12.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिजाइन, अहमदाबाद
13.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
14.	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप
15.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता
16.	टी बोर्ड, कोलकाता
17.	न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलौर
18.	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई
19.	वी.ओ. चिदमबर्नर पोर्ट ट्रस्ट, तुतीकोरिन
20.	स्पाईसेस बोर्ड, कोच्चि
21.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

परिशिष्ट-IX
{पैरा 1.8(ग) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2018-19 के दौरान मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
2.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
3.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा
4.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद
5.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
6.	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप
7.	टी बोर्ड, कोलकाता
8.	वी.ओ.चिदमबर्नर पोर्ट ट्रस्ट, तुतीकोरिन
9.	स्पाईसेस बोर्ड, कोच्चि
10.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

परिशिष्ट-X
{पैरा 1.8(घ) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जो प्राप्ति/ नकद आधार पर अनुदान के लिए लेखांकन कर रहे हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
2.	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद
3.	खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई

परिशिष्ट-XI
{पैरा 1.8(ड) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
2.	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद
3.	खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई
4.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
5.	कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता

परिशिष्ट-XII
{पैरा 1.8(च) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखाओं को संशोधित किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
2.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद
3.	काँफी बोर्ड, बेंगलुरु
4.	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम
5.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
6.	वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन

परिशिष्ट-XIII
(पैरा 1.9 में संदर्भित)

31 मार्च 2020 तक बकाया एटीएन की स्थिति

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन	मंत्रालय और स्वायत्त निकाय		
			बकाया	प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचार के अंतर्गत
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मार्च 2015 2016 की रिपोर्ट संख्या 11	1	-	1
2.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	मार्च 2017 2018 की रिपोर्ट संख्या 4	1	-	1
कुल			2	-	2

परिशिष्ट-XIV
(पैरा 2.1 में संदर्भित)

निर्माण कार्य, आंतरिक साज-सज्जा कार्य और फर्नीचर कार्य के प्रति विभिन्न संविदाकारों को लामबंदी अग्रिम का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यो का नाम	संविदाकार का नाम	संविदा मूल्य	लामबंदी अग्रिम
निर्माण कार्य				
1.	हैदराबाद कैंपस	भाव्या क्रिएटर्स प्रा.लि.	70.66	7.07
2.	पटना कैंपस	भाव्या क्रिएटर्स प्रा.लि.	70.23	7.02
3.	गुजरात कैंपस	गोल्डमैन डेवलपर्स लि.	67.02	6.7
4.	पंजाब कैंपस	अनुराग एंटरप्राइज	68.97	6.9
5.	छिन्द्वारा कैंपस	भाव्या क्रिएटर्स प्रा.लि.	54.38	5.44
6.	गुना कैंपस	अनुराग एंटरप्राइज	69.95	6.99
7.	नोएडा न्यू बिल्डिंग	अनुराग एंटरप्राइज	15.55	1.56
फर्नीचर कार्य				
8.	हैदराबाद कैंपस	रॉयल सेफ कंपनी	5.05	0.5
9.	गुजरात कैंपस	जेपीजी इंजिनियर्स प्रा. लिमिटेड	4.58	0.46
10.	गुना कैंपस	जेपीजी इंजिनियर्स प्रा. लिमिटेड	2.97	0.3
आंतरिक साज-सज्जा कार्य				
11.	हैदराबाद कैंपस	जेपीजी इंजिनियर्स प्रा. लिमिटेड	5.81	0.58
12.	गुजरात कैंपस	वास्तुसदन	5.75	0.58
13.	पंजाब कैंपस	मनु लाल एंड संस	5.53	0.55
14.	गुना कैंपस	जेपीजी इंजिनियर्स प्रा. लिमिटेड	4.74	0.48
कुल			451.19	45.13

परिशिष्ट-XV
(पैरा 4.1.1.2 में संदर्भित)

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि योजना के महत्वपूर्ण प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएस-1)

(अगस्त 2018 तक अद्यतन किया गया)

यह योजना 1 अगस्त 2000 से लागू हुई थी और इसमें 1 जून 2000 से प्रभावी उधारकर्ताओं के लिए ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा विस्तारित पात्र ऋण सुविधाएं शामिल थीं।

योजना के तहत पात्र ऋण सुविधाएं

ट्रस्ट ऋण सुविधा (निधि आधारित और/ या गैर-निधि आधारित) के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में एकल पात्र उधारकर्ता के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) द्वारा विस्तारित क्रेडिट सुविधाओं को कवर करेगा। (i) ₹50 लाख से अधिक नहीं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ वित्तीय संस्थाएं); (ii) ₹200 लाख से अधिक नहीं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) (iii) सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी सुविधाओं के माध्यम से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए ₹50 लाख से अधिक नहीं, ट्रस्ट के साथ एक करार में प्रवेश करने पर या उसके बाद बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/ या तीसरे पक्ष की गारंटी या ऐसी राशि जो ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती है।

बशर्ते कि महत्वपूर्ण तारीख को

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण सुविधा मानक और नियमित (एसएमए- विशेष उल्लेख वाले खाते नहीं) है
- (ii) उधारकर्ता का व्यवसाय या गतिविधि जिसके लिए ऋण सुविधा दी गई थी, वह समाप्त नहीं हुई है; और/ या
- (iii) ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना क्रेडिट सुविधा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी भी ऋण के समायोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है जो वसूली के लिए अशोध्य या संदिग्ध माने गए हैं।

सीजीटीएमएसई ने 28 फरवरी 2018 को या उसके बाद ₹10 लाख से ₹100 लाख तक के मामलों के लिए एमएलआई द्वारा नई क्रेडिट सुविधाओं के लिए एमएसई खुदरा व्यापार को अपनी सीमा में शामिल किया था।

सीजीटीएमएसई ने एक नया "हाइब्रिड सिक्योरिटी" उत्पाद भी पेश किया था (फरवरी 2018), जहाँ एमएलआई को क्रेडिट सुविधा के एक भाग के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की अनुमति है, जबकि ऋण सुविधा का शेष असुरक्षित भाग, अधिकतम ₹200 लाख तक, सीजीएस-I के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। हालाँकि, सीजीटीएमएसई के पास प्राथमिक प्रतिभूति के साथ-साथ ऋण सुविधाओं के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई संपार्श्विक प्रतिभूति पर परि-पस्सू प्रभार है। हाइब्रिड सिक्योरिटी उत्पाद के अंतर्गत, एमएलआई के लिए कानूनी दस्तावेज के माध्यम से सीजीटीएमएसई के पक्ष में प्रतिभूति/ प्रभार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक से अधिक बैंक और/ या वित्तीय संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से और/ या अलग से पात्र उधारकर्ता को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाएं, जो अलग-अलग एमएलआई की अधिकतम राशि के अधीन अधिकतम ₹200 लाख प्रति उधारकर्ता या ऐसी राशि है जो ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ)

1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद एमएसई को स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई ऋण सुविधाओं के लिए पहले वर्ष के लिए गारंटी राशि पर और शेष कार्यकाल के लिए शेष राशि पर एजीएफ का प्रभार लिया जाता है जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

क्रेडिट सुविधा	वार्षिक गारंटी फीस (एजीएफ) [प्रति वर्ष प्रतिशत]	
	महिलाएं, माइक्रो उद्यम और उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल इकाइयाँ	अन्य
₹5 लाख तक	1.00 प्रतिशत + ट्रस्ट के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रीमियम	
₹5 लाख से ऊपर और ₹50 लाख तक	1.35 प्रतिशत + ट्रस्ट के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रीमियम	1.50 प्रतिशत + ट्रस्ट के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रीमियम
₹50 लाख से ऊपर और ₹200 लाख तक	1.80 प्रतिशत + ट्रस्ट के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रीमियम	
खुदरा व्यापार (₹10 लाख से ₹100 लाख)	2.00 प्रतिशत + ट्रस्ट के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रीमियम	
पहले वर्ष के लिए गारंटी राशि पर और ऋण सुविधा के शेष कार्यकाल के लिए बकाया राशि पर एजीएफ का शुल्क लिया जाता है		

1 अप्रैल 2018 से पहले एमएलआई द्वारा स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में, ट्रस्ट ने नीचे दी गई जानकारी के अनुसार गारंटी राशि पर एसएफ/एजीएफ का प्रभार लगाया:

31 दिसंबर 2012 तक स्वीकृत गारंटी

क्रेडिट सुविधा	अग्रिम गारंटी शुल्क (प्रतिशत)		वार्षिक सेवा फीस (प्रतिशत)
	उत्तर पूर्व क्षेत्र (सिक्किम सहित)	अन्य	
₹5 लाख तक	0.75	1.00	0.50
₹5 लाख से ऊपर और ₹50 लाख तक	0.75	1.50	0.75
₹50 लाख से ऊपर और ₹100 लाख तक	1.50	1.50	0.75

1 जनवरी 2013 को या उसके बाद स्वीकृत गारंटी

क्रेडिट सुविधा	वार्षिक गारंटी शुल्क (प्रतिशत प्रति वर्ष)	
	महिलाएं, सूक्ष्म उद्यम और उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल इकाइयाँ (सिक्किम सहित)	अन्य
₹5 लाख तक	0.75	1.00
₹5 लाख से ऊपर और ₹100 लाख तक	0.85	1.00

1 अप्रैल 2016 के बाद स्वीकृत गारंटी

ऋण सुविधा	वार्षिक गारंटी शुल्क (प्रतिशत प्रति वर्ष) + जोखिम प्रीमियम (आरपी)	
	महिलाएं, सूक्ष्म उद्यम और उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल इकाइयाँ (सिक्किम सहित)	अन्य
₹5 लाख तक	0.75 + आरपी	1.00 + आरपी
₹5 लाख से ऊपर और ₹100 लाख तक	0.85 + आरपी	1.00 + आरपी

विभिन्न दरों पर वार्षिक सेवा शुल्क (एसएफ)/ एजीएफ का शुल्क एनपीए स्तर/ एमएलआई के दावे के भुगतान के अनुपात पर निर्भर

ट्रस्ट ने पहले सीजीटीएमएसई पोर्टल पर एमएलआई द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए के स्तर के संदर्भ के बिना एसएफ/ एजीएफ शुल्क में गैर-विवेकाधीन दृष्टिकोण अपनाया था। एमएलआई को भुगतान किए गए दावों के संदर्भ के बिना उन्हें जारी की गई गारंटियों की तुलना में गारंटी शुल्क और एमएलआई से प्राप्तियां। कुछ एमएलआई द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए के बहुत उच्च स्तर को देखते हुए, और कुछ एमएलआई के काफी बड़ी राशि के दावों के निपटान को देखते हुए ट्रस्ट ने 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद स्वीकृत मामलों के लिए जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण संरचना की पहल की जिसे नीचे दी गई तालिका में विस्तृत रूप में दर्शाया गया है:

गारंटीकृत पोर्टफोलियो में एनपीए पर जोखिम प्रीमियम		दावा भुगतान अनुपात पर जोखिम प्रीमियम	
एनपीए प्रतिशत	जोखिम प्रीमियम	दावा भुगतान प्रतिशत	जोखिम प्रीमियम
0-5	मानक दर (एसआर)	0-5	मानक दर (एसआर)
>5-10	एसआर का 10 प्रतिशत	>5-10	एसआर का 10 प्रतिशत
>10-15	एसआर का 15 प्रतिशत	>10-15	एसआर का 15 प्रतिशत
>15-20	एसआर का 20 प्रतिशत	>15-20	एसआर का 20 प्रतिशत
>20	एसआर का 25 प्रतिशत	>20	एसआर का 25 प्रतिशत

एजीएफ का भुगतान

एमएलआई को क्रेडिट सुविधा के पहले संवितरण (कार्यशील पूंजी के लिए लागू नहीं) की तारीख से 30 दिनों के भीतर या ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट गारंटी फीस की डिमांड एडवाइस (सीजीडीएन) की तारीख से 30 दिन बाद, जो भी बाद में हो, या वह तारीख जो ट्रस्ट द्वारा निर्धारित की जाए, पर ट्रस्ट को पहली बार वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। बाद की अवधि के लिए एजीएफ को पहले और अंतिम वर्ष के लिए प्रो-राटा के आधार पर और बीच के वर्षों के लिए निर्दिष्ट दर पर लिया जाता है और यह हर वर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह तक प्रभारित होता है। मांग की गई एजीएफ को हर वर्ष 15 अप्रैल को या उससे पहले या सीजीटीएमएसई द्वारा किसी अन्य निर्दिष्ट तारीख को एमएलआई द्वारा भुगतान किया जाएगा।

गारंटी कवरेज की सीमा

ट्रस्ट नीचे दिए अनुसार गारंटी कवरेज प्रदान करता है:

वर्ग	गारंटी की अधिकतम सीमा जहां क्रेडिट सुविधा है		
	₹5 लाख तक	₹5 लाख से ऊपर और ₹50 लाख तक	₹50 लाख से ऊपर और ₹200 लाख तक
सूक्ष्म उद्योग	चूक की राशि का 85 प्रतिशत अधिकतम ₹4.25 लाख के अध्यक्षीन	चूक की राशि का 75 प्रतिशत अधिकतम ₹37.50 लाख के अध्यक्षीन	चूक की राशि का 75 प्रतिशत अधिकतम ₹150 लाख के अध्यक्षीन
महिला उद्यमी/ पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित इकाइयां (सिक्किम सहित) (सूक्ष्म उद्यमों को ₹5 लाख तक की क्रेडिट सुविधा के अतिरिक्त)	चूक की राशि का 80 प्रतिशत अधिकतम ₹40 लाख के अध्यक्षीन		
एमएसई खुदरा व्यापार (₹10 लाख से ₹100 लाख तक)	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹50 लाख के अध्यक्षीन		
उधारकर्ता की अन्य सभी पात्र श्रेणी	चूक की राशि का 75 प्रतिशत अधिकतम ₹150 लाख के अध्यक्षीन		

₹50 लाख से ऊपर और ₹200 लाख तक की क्रेडिट सुविधाओं के लिए गारंटी के अनुमोदन के सभी प्रस्तावों को आंतरिक रूप से एमएलआई द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यह निवेश ग्रेड का होना चाहिए। 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद एमएलआई द्वारा संस्वीकृत प्रस्तावों के लिए निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा एमएसई इकाइयों को विस्तारित स्कीम के तहत प्रति उधारकर्ता की पात्र ऋण सीमा ₹100 लाख से ₹200 लाख तक की वृद्धि हुई है। कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में मौजूदा गारंटी कवर में ₹100 लाख से अधिक की वृद्धि, जहां ऐसी वृद्धि 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद अनुमोदित की गई है, ₹200 लाख तक के

विस्तारित राशि के लिए भी पात्र होगी, बशर्ते कि प्रस्ताव योजना के दिशानिर्देशों को पूरा करता हो।

गारंटी कवर गारंटी प्रारंभ होने की तारीख से शुरू होगा और सावधि ऋण/ समग्र ऋण के संबंध में सावधि क्रेडिट के सहमत कार्यकाल के माध्यम से चलेगा। जहाँ सिर्फ कार्यशील पूंजी पात्र उधारकर्ता को प्रदान की जाए, वहां गारंटी कवर 5 वर्ष की अवधि के लिए या 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए होगा, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष की गारंटी कवर की अवधि या ऐसी अवधि के लिए जो ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट की जाए, मानी जाएगी।

गारंटी का आह्वान

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को उस तारीख को सूचित करने की आवश्यकता होती है जिस पर एक विशेष कैलेंडर तिमाही में ऑनलाइन प्रणाली में निम्नलिखित विकल्प का उपयोग करके बाद की तिमाही के अंत तक खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

अगर एनपीए की तारीख 15 मार्च 2018 को या उसके बाद हो तो ऋण देने वाली संस्था एनपीए की तारीख से 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के अंदर या लॉक-इन अवधि, जो भी बाद में हो, तक ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी का आह्वान कर सकती है।

(i) 15 मार्च 2018 से पहले एनपीए के लिए, क्लेम दायर करने के लिए समय अवधि 1 जनवरी 2013 से पहले मंजूर किए गए मामलों के लिए 1 वर्ष और 1 जनवरी 2013 के बाद स्वीकृत मामलों के लिए 2 वर्ष होगी, यदि निम्नलिखित स्थितियां संतुष्ट हैं:

(क) एनपीए बनते समय उस ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी लागू थी।

(ख) ऋण लेने वाले को ऋण की अंतिम संवितरण की दिनांक या उधारकर्ता को ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी शुरू करने की दिनांक, जो भी बाद में है, से 18 महीने की लॉक-इन अवधि समाप्त हो गई है।

(ग) ऋण सुविधा के संबंध में ऋण देने वाली संस्था को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है और बकाया राशि को ऋण देने वाली संस्था द्वारा गैर-निष्पादित सम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बशर्ते कि ऋण देने वाली संस्था उक्त ऋण सुविधा के संबंध में ट्रस्ट पर कोई दावा करने या करने के लिए हकदार नहीं होगी, यदि उक्त ऋण सुविधा के संबंध में

नुकसान ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के विपरीत या विरोधी कार्रवाईयों/ निर्णयों के कारण हुआ हो।

- (घ) ऋण सुविधा वापस ले ली गई है और कानून की उचित प्रक्रिया के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है। एसएआरएफएडएसआई अधिनियम 2002 के तहत महज़ वापसी सूचना जारी करने को सीजीएस के तहत दावे को दर्ज करने के उद्देश्य से कानूनी कार्यवाही के आरंभ के रूप में नहीं माना जा सकता है। एमएलआई को एसएआरएफएडएसआई अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) में निहित आगे की कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है, जिसमें एक सुरक्षित लेनदार किसी भी एक या अधिक वसूली उपायों में से एक ले सकता है, जिसमें पहले गारंटी राशि की किश्त के दावे प्रस्तुत करने से पहले संकेत दिए गए चार उपायों में से एक है। यदि एमएलआई उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) में इंगित कार्रवाई में से कोई भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं हैं, तो वे किसी अन्य लागू कानून के तहत नए सिरे से वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं और ट्रस्ट से पहली किश्त के लिए दावा मांग सकते हैं।
- (ङ.) हालांकि, 14 मार्च 2018 को या उसके बाद दर्ज किए गए दावों के मामले में, गारंटी के आह्वान के लिए पूर्व शर्त के रूप में कानूनी कार्यवाही शुरू करना उन ऋण सुविधाओं के लिए माफ किया जाएगा, जो कुल मिलाकर ₹50,000/- तक बकाया है। ऐसी सभी स्थितियों के लिए, जहाँ कानूनी कार्यवाही के दायर करने को माफ कर दिया जाता है, एक सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) की समिति की अध्यक्षता में एक अधिकारी जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक के रैंक से कम नहीं होती है, को ऐसे सभी खातों की जाँच करनी चाहिए और कानूनी पहल नहीं करने का निर्णय लेना चाहिए, और योजना के तहत दावा दायर करने के लिए।
- (च) संबंधित एमएलआई के दावों को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रेषित की गई वसूली सहित शुल्क के दो गुना की सीमा तक निपटाया जाएगा। कुल शुल्क के दो गुना से अधिक प्राप्त/ प्राप्त किए गए किसी भी दावे को एमएलआई द्वारा पुनर्प्राप्त की गई वसूली सहित निलंबित किया जाएगा, जब तक कि इस स्थिति को समाप्त नहीं किया जाता है यानी भुगतान की उच्चतम सीमा के भीतर भुगतान लाया जाता है।
- (ii) ऋण संस्थान द्वारा दावे को उस प्रकार और उतने समय में दर्ज किया जाना चाहिए जैसे ट्रस्ट की ओर से निर्दिष्ट किया गया हो।

- (iii) ट्रस्ट ऋणदात्री संस्था द्वारा पात्र दावे को दर्ज करने पर 30 दिनों के अंदर 75 प्रतिशत की गारंटी राशि का भुगतान करेगा, यदि दावा अन्यथा सभी प्रकार से उपयुक्त पाया जाए। ट्रस्ट 30 दिनों से अधिक की देरी के लिए प्रचलित बैंक दर पर पात्र दावा राशि पर ऋण संस्था के ब्याज का भुगतान करेगा। गारंटीकृत राशि का 25 प्रतिशत शेष वसूली कार्यवाही के समापन पर या जब तक निर्णय समय बाधित हो जाए, तब भुगतान किया जाएगा। सीजीटीएमएसई परिपत्र संख्या 62 और 135 के अनुसार, 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद मंजूर किए गए ऋणों के लिए, गारंटी राशि के 25 प्रतिशत का भुगतान ऋण संस्था द्वारा वसूली कार्यवाही के समापन पर या वसूली के निर्णय के तीन वर्ष के बाद किया जाएगा, जो भी पहले हो। भुगतान किए जा रहे दावे पर, ट्रस्ट को संबंधित उधारकर्ता के संबंध में गारंटी के आधार पर उसकी सभी देनदारियों से छुट्टी दे दी गई समझा जाएगा। हालाँकि, एमएलआई को सीजीटीएमएसई द्वारा पूर्ण गारंटीकृत राशि के भुगतान के बाद इकाई से प्राप्त किसी भी राशि को वापस करने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए।
- (iv) चूक की स्थिति में, ऋणदात्री संस्था अपने अधिकारों, यदि कोई हो, का प्रयोग करेगी, और उधारकर्ताओं की संपत्ति पर कब्जा करेगी और ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री से वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, ट्रस्ट को गारंटी राशि के शेष 25 प्रतिशत का दावा करने से पहले, पूरी तरह से जमा कर दी जाएगी।
- (v) ट्रस्ट द्वारा भुगतान किए गए दावे को वापस करने के लिए ऋणदात्री संस्था उत्तरदायी होगी, जो प्रचलित बैंक दर से 4 प्रतिशत की दर से दंडनीय ब्याज के साथ होगी, यदि वापसी की मांग ट्रस्ट द्वारा गंभीर कमियों की मौजूदगी में की जाती है, जैसे ऋण सुविधा के मूल्यांकन/ नवीकरण/ अनुवर्ती/ आचरण के मामले में या जहां दावा एक से अधिक बार दर्ज किया गया था या जहां दावों के निपटान के लिए ऋण संस्थानों की ओर से किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का दमन मौजूद था। ऋणदात्री संस्था ट्रस्ट द्वारा दावे की प्रारंभिक निर्गम दिनांक से वापसी की दिनांक तक ट्रस्ट द्वारा मांगे जाने पर इस तरह के दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगी।
- (vi) एमएलआई, सीजीटीएमएसई पोर्टल में दावे की पहली किश्त के बाद प्राप्त राशि/ ओटीएस राशि को अद्यतन कर सकते हैं।
- (vii) पहले दावे के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण के दौरान, एमएलआई को घोषणा और वचन (डीएंड्यू) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रणाली में प्रदर्शित जाँच सूची के साथ जमा करना होता है।
- (viii) एमएलआई के संबंधित परिचालन कार्यालयों के अलावा अन्य शाखाओं या कार्यालयों से सीधे प्राप्त किए गए गारंटी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट-XVI
(पैरा 4.1.1.2 में संदर्भित)

सीजीएस-I और सीजीएस-II के बीच अंतर के प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विवरण	सीजीएस-I			सीजीएस-II	
1.	गारंटी का प्रकार	लेन-देन की गारंटी (व्यक्तिगत खाता वार)			पोर्टफोलियो गारंटी	
2.	पात्र खातों के लिए उच्चतम सीमा ब्याज दर (गारंटी की लागत सहित)	14 प्रतिशत प्रति वर्ष			कोई उच्चतम सीमा नहीं	
3.	व्यक्तिगत खातों के लिए गारंटी सुरक्षा की सीमा	वर्ग	₹5 लाख तक का ऋण	₹5 लाख से ऊपर और 50 लाख तक का ऋण	₹50 लाख से ऊपर का ऋण	पोर्टफोलियो में शामिल व्यक्तिगत खातों के बकाया राशि के 75 प्रतिशत तक (एमएलआई द्वारा चयन किया गया) की अधिकतम गारंटी सुरक्षा (या समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे अन्य प्रतिशत)।
		सूक्ष्म उद्यम	चूक की राशि	चूक की राशि का	चूक की	

क्र. सं.	विवरण	सीजीएस-I			सीजीएस-II
		का 85 प्रतिशत (अधिकतम ₹4.25 लाख)	75 प्रतिशत (अधिकतम ₹37.50 लाख)	राशि का 75 प्रतिशत	
		महिला उद्यमी/ उ.पू में इकाइयाँ/ ₹5 लाख से ऊपर की सुविधा	चूक की राशि का 80 प्रतिशत (अधिकतम ₹40 लाख)		
		उधारकर्ताओं के अन्य सभी वर्ग	चूक की राशि का 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹37.50लाख)		
4.	ऋण जोखिम सीमा की स्वीकृति	सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के रूप में पंजीकरण के समय ऋण जोखिम सीमा बैंकों/ आरआरबी/ एफआई को स्वीकृति नहीं की जाती है			वित्तीय वर्ष के लिए एनबीएफसी को ऋण जोखिम की सीमा विस्तृत मूल्यांकन के बाद स्वीकृत की जाएगी।
5.	भुगतान की उच्चतम सीमा	पिछले वित्त वर्ष में एमएलआई द्वारा भुगतान किया गया शुल्क का 2 गुना उच्चतम सीमा भुगतान निर्धारित है			एनबीएफसी को दी गई प्रत्येक ऋण जोखिम सीमा के लिए भुगतान की उच्चतम सीमा निश्चित की जाएगी।
6.	गारंटी सुरक्षा के लिए खातों का प्रस्तुतिकरण	एमएलआई को आगामी तिमाही अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च से पहले अर्थात क्रमशः जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर, जनवरी-मार्च और अप्रैल-जून की तिमाही में स्वीकृत ऋण प्रस्तावों के संबंध में गारंटी कवर के लिए आवेदन करना होगा।			बैंच अपलोड की त्रैमासिक प्रस्तुति

क्र. सं.	विवरण	सीजीएस-I	सीजीएस-II
7.	गारंटी शुल्क का भुगतान	ऋण सुविधा (डब्ल्यूसी सुविधा के अलावा) के लिए पहली बार वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान पहले भुगतान के 30 दिनों के अंदर या गारंटी फीस की मांग सलाह (सीजीडीएएन) की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर किया जाना आवश्यक है। डब्ल्यूसी सुविधा के लिए, एजीएफ को सीजीडीएएन की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना है। आगे के वर्षों के लिए, एजीएफ को सीजीडीएमएसई द्वारा मांग की दिनांक से 60 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना आवश्यक है।	पोर्टफोलियो के प्रत्येक बैच पर निर्दिष्ट दर पर गारंटी शुल्क का भुगतान ट्रस्ट को संस्था द्वारा किया जाएगा, जो प्रत्येक बैच के जमा करने की दिनांक से 30 दिनों के अंदर या गारंटी शुल्क की मांग सलाह (सीजीडीएएन) की दिनांक से 30 दिनों के अंदर जो भी पहले या ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट दिनांक है। हालांकि, गारंटी सुरक्षा ऐसे भुगतान की प्राप्ति की दिनांक से शुरू होगा।
8.	लॉक-इन अवधि और दावों का प्रस्तुतीकरण/गारंटी का आह्वान	प्रत्येक खाते के लिए, सीजीएस के अंतर्गत 18 महीने की लॉक-इन अवधि है। यह 18 महीने की लॉक-इन अवधि खाते के अंतर्गत अंतिम संवितरण की दिनांक या गारंटी कवर की शुरुआत जो भी बाद में है की दिनांक से है। एमएलआई लॉक-इन अवधि या एनपीए चालू करने की दिनांक से 2 वर्ष के अन्दर खाते के संबंध में गारंटी का आह्वान कर सकता है, जो भी बाद में हो। दावा केवल डीआरटी/ राजस्व वसूली प्राधिकरण/लोक अदालत/ सिविल	एमएलआई के प्रत्येक पोर्टफोलियो को प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप दिया जाएगा जिसमें पोर्टफोलियो का निर्माण किया गया है। एनपीए खातों के लिए

क्र. सं.	विवरण	सीजीएस-I	सीजीएस-II
		<p>कोर्ट/ एसएआरएफइएसआई आदि के साथ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के बाद दर्ज किया जा सकता है। एसएआरएफइएसआई के मामले में, एमएलआई को प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार सुरक्षित संपत्ति पर अधिग्रहण सुनिश्चित करना है।</p>	<p>दावे दर्ज किए जा सकते हैं और जिसके लिए कानूनी कार्यवाही (एसएआरएफइएसआई अधिनियम, धारा 38, मध्यस्थता कार्यवाही, प्रत्यागमन और संपत्ति की बिक्री आदि), अपरिवर्तनीय मांग सूचना ऋण वापसी सूचना जारी करने के बाद शुरू किया गया है। एसएआरएफइएसआई के मामले में, एमएलआई को प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार सुरक्षित संपत्ति पर अधिग्रहण सुनिश्चित करना है।</p>

परिशिष्ट-XVII
(पैरा 4.1.2.2 में संदर्भित)

दूसरे (एशियाई) देशों के गारंटी संस्थानों के साथ सीजीटीएमएसई की तुलना दर्शाने वाला विवरण

मापदंड	केओडीआईटी	जेएफसी	जेएफजी	सीजीसीएम	पीयूजेकेआई	सीजीटीएमएस
कॉर्पस योगदान	सरकार और बैंक	सरकार	केंद्र/ राज्य सरकार	सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया	सरकार	सरकार और सिडबी
प्राधिकरण	केओडीआईटी एक्ट	जेएफसी एक्ट	क्रेडिट गारंटी निगम कानून अधिनियम	सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया	सरकार	एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
गारंटी प्रकार	उद्यम के लिए प्रत्यक्ष/ उधारदाताओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष	विक्रेताओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष (अन्य क्रेडिट गारंटी निगमों (सीजीसी) के माध्यम से)	प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	उधारदाताओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष
क्रेडिट निर्धारण	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार	1. क्रेडिट गारंटी सेवा 2. क्रेडिट बीमा सेवा 3. अवसरचना क्रेडिट सेवा 4. एसएमई के लिए केओडीआईटी प्रबंधन परामर्श	1. क्रेडिट बीमा सेवा	1. क्रेडिट गारंटी सेवा (अन्य 51 सीजीसी के माध्यम से)	1. परम्परागत योजना 2. इस्लामिक योजनाएँ 3. सरकारी वित्त पोषित योजनाएं 4. रिबेट तंत्र 5. सीजीसी विकास कार्यक्रम	1. एसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी सेवा (सूक्ष्म क्रेडिट कार्यक्रम) 2. खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा के लिए ऋण मवेशी प्रजनन के लिए ऋण	1. बैंकों, वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसीके लिए सीजीएस-I और II 2. हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत गारंटी सेवा 3. खुदरा व्यापारियों के लिए योजना (सभी

मापदंड	केओडीआईटी	जेएफसी	जेएफजी	सीजीसीएम	पीयूजेकेआई	सीजीटीएमएस
						एमएलआईके माध्यम से)
लेनदारों के प्रकार	1. बैंक 2. एनबीएफसी 3. सरकारी संस्थाए	1. बैंक 2. वित्तीय संस्थाए	1. वित्तीय संस्थाए	1. वित्तीय संस्थाए	1. बैंक 2. एनबीएफसी	1. एसएफबी सहित बैंक 2. वित्तीय संस्थाए 3. एनबीएफसी
कवरेज का प्रतिशत	आवश्यकता अनुसार	80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत	एसएमई के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर 30 प्रतिशत से 90 प्रतिशत		बैंकों के लिए 75 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 85 प्रतिशत (उधारकर्ता के प्रकार के आधार पर) एनबीएफसी के लिए 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत
कवर किए गए उद्यमों के प्रकार	एसएमई	एसएमई (विदेशी एसएमई सहित)	एसएमई	एसएमई	एसएमई	एमएसई
गारंटी फीस	0.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत	1. गारंटी 0.45 प्रतिशत- 1.90 प्रतिशत 2. बीमा 0.25 प्रतिशत- 1.69 प्रतिशत	प्रदान की गई गारंटी के प्रकार पर 0.39 प्रतिशत से 2.20 प्रतिशत	योजना के आधार पर अलग-अलग दरें	-	1 प्रतिशत, 1.35 प्रतिशत, 1.50 प्रतिशत 1.8 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तक (उधारकर्ता / संस्था के प्रकार के आधार पर)

मापदंड	केओडीआईटी	जेएफसी	जेएफजी	सीजीसीएम	पीयूजेकेआई	सीजीटीएमएस
कार्यालयों की सं.	117	154	186	2600	56	1
कर्मचारियों की सं.	2381	7364	6211	सूचना उपलब्ध नहीं है		45
निधि का आकार (यूएस \$)	\$4.1 बिलियन	\$16.37 बिलियन	\$16.69 बिलियन			\$1.5 बिलियन

परिशिष्ट-XVIII
(पैरा 4.1.3.1 में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सीजीटीएमएसई की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आय का स्रोत					
निवेश पर ब्याज	439.53	438.28	427.25	523.87	688.55
म्यूच्युअल फण्ड से आय ¹	0.00	0.00	3.75	13.31	13.79
गारंटी शुल्क	166.83	159.67	174.06	178.49	207.79
वार्षिक गारंटी शुल्क	84.27	228.35	344.35	441.07	508.69
वार्षिक सेवा शुल्क	213.74	151.35	84.02	32.98	9.63
दावा भुगतान किए गए खाते पर एमएलआई द्वारा वसूली	31.50	57.93	125.50	177.94	209.63
अन्य ²	0.09	0.13	0.38	0.30	62.88
कुल आय	935.96	1,035.71	1,159.31	1,367.96	1,700.96
व्यय					
संचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय	6.86	6.87	6.72	7.70	9.79
गारंटी दावों का प्रावधान	1,108.03	1,020.73	1,126.11	1,314.84	1,607.58
अन्य ³	0.15	0.26	0.20	0.22	0.23
कुल व्यय	1,115.04	1,027.86	1,133.03	1,322.76	1,617.60
व्यय से अधिक आय	(179.08)	7.85	26.28	45.20	83.36

स्रोत: वर्ष 2018-19 के लिए ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा किये गये वित्तीय विवरण

नोट:

- गारंटी फीस नए गारंटी कवर को प्राप्त करने के लिए एमएलआईद्वारा देय एक बार की फीस है, जबकि वार्षिक सेवा फीस (एसएफ) गारंटी कवर को जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष एमएलआई द्वारा देय है।
- ट्रस्ट ने सीजीएस-I को संशोधित किया (अक्टूबर 2012) और एक समग्र गारंटी शुल्क अर्थात् वार्षिक गारंटी फीस (एजीएफ) 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं के लिए एमएलआई द्वारा देय था। एसएफ 1 जनवरी 2013 से पहले स्वीकृत ऋण सुविधाओं के लिए लागू रहा।

¹ ट्रस्ट ने ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष योजना-विकास के साथ जमा निधि में निवेश किया।

² अन्य आय में विविध आय, दंड ब्याज आय और मूल्यहास वापस लिखा गया और आयकर की वापसी पर ब्याज शामिल है।

³ अन्य व्यय में सेवा कर पर ब्याज, बैंक शुल्क और मूल्यहास शामिल है।

परिशिष्ट-XIX
(पैरा 4.1.4.5 में संदर्भित)

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में देरी और अन्य विसंगतियों को दर्शाने वाला विवरण
आवेदन पत्र जहां गारंटी कवर के लिए एमएलआई द्वारा आवेदन जमा करने की दिनांक अनुमोदन की दिनांक से पहले थी

सीजीपीएन	गारंटी राशि	आवेदन स्वीकृति की तारीख	आवेदन जमा करने की तारीख	अंतर (दिनों में)
सीजी20160302371टीसी	30,00,000	28-03-2026	14-06-2016	3,573
सीजी20150197462टीसी	1,70,000	09-07-2015	06-07-2015	2
सीजी20150231251टीसी	25,000	09-07-2018	13-08-2015	1,060
सीजी20160186422टीसी	7,50,000	04-12-2016	22-03-2016	257
सीजी20150068920टीसी	3,00,000	12-01-2020	27-02-2015	1,779
सीजी20160229087टीसी	19,00,000	25-05-2016	04-05-2016	20
सीजी20150167093टीसी	2,79,150	01-07-2015	15-06-2015	15
सीजी20160350126टीसी	3,64,000	18-07-2016	16-07-2016	1
सीजी20150126047टीसी	15,00,000	25-04-2016	05-05-2015	355
सीजी20150050094टीसी	6,00,000	28-03-2015	04-03-2015	24
सीजी20150223743टीसी	5,00,000	06-07-2022	04-08-2015	2,528
सीजी20150263526टीसी	1,78,000	17-09-2015	15-09-2015	1
सीजी20170072844टीसी	1,45,000	23-04-2017	27-03-2017	26
सीजी20160104496टीसी	2,60,000	02-12-2016	05-03-2016	271
सीजी20160304361टीसी	16,30,000	26-06-2016	22-06-2016	3
सीजी20170011596टीसी	11,44,000	29-12-2017	13-01-2017	349
सीजी20180077781टीसी	3,63,750	14-07-2018	19-05-2018	55

एमएलआई द्वारा गारंटी कवर के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी

क्र.सं.	एमएलआई के प्रकार	विलंब से प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या	कुल विलंबित प्रस्तावों का प्रतिशत	गारंटी सुरक्षा की राशि (₹ करोड़ में)
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	35,692	90.46	1,202.54
2.	निजी क्षेत्र के बैंक	1337	3.39	27.58
3.	विदेशी बैंक	7	0.02	2.60
4.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2,412	6.11	25.78
5.	अन्य ऋण संस्थान	8	0.02	2.42
कुल		39,456	100	1,260.92

गारंटी कवर के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में एमएलआई-वार विलंब दर्शाने वाला विवरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	एमएलआई का नाम	गारंटी कवर की सं.	गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिन)
1.	इलाहाबाद बैंक	880	34.32	181-273
2.	आन्ध्र बैंक	424	13.09	181-272
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	1360	62.37	181-1871
4.	बैंक ऑफ इंडिया	5347	223.35	181-1848
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	369	29.76	181-1176
6.	कैनरा बैंक	11876	306.39	181-374
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	445	18.95	181-2033
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	705	39.43	181-3809
9.	देना बैंक	205	12.47	181-366
10.	आईडीबीआई बैंक लि.	20	3.00	181-372
11.	इंडियन बैंक	480	20.52	181-269
12.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	1278	39.28	181-1749
13.	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	143	7.95	181-258

क्र.सं.	एमएलआई का नाम	गारंटी कवर की सं.	गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिन)
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	64	1.46	181-251
15.	पंजाब नेशनल बैंक	4223	118.81	181-2012
16.	स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर	1	0.03	208
17.	स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद	3	0.01	190-197
18.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	3015	122.60	181-2309
19.	स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर	10	0.30	181-259
20.	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला	1	0.65	252
21.	स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर	4	0.04	181-1907
22.	सिंडिकेट बैंक	1852	73.19	181-302
23.	यूको बैंक	172	4.68	181-367
24.	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	2685	59.19	181-1072
25.	यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया	64	5.42	181-235
26.	विजया बैंक	66	5.25	181-300
कुल		35,692	1,202.54	

निजी क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	एमएलआई का नाम	गारंटी कवर की सं.	गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिन)
1.	एक्सिस बैंक लिमिटेड	21	0.71	182-266
2.	एचडीएफसी बैंक लि.	17	3.37	184-267
3.	आईसीआईसीआई बैंक	1	0.03	255
4.	कर्नाटका बैंक लिमिटेड	13	1.57	183-215
5.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	1	0.19	210
6.	लक्ष्मी विलास बैंक	2	0.26	196-198
7.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक	26	1.15	182-242

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

8.	दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1246	19.47	181-273
9.	दि नैनीताल बैंक लि.	1	0.02	183
10.	दि साउथ इंडियन बैंक लि.	8	0.31	182-243
11.	यस बैंक लिमिटेड	1	0.50	190
कुल		1,337	27.58	

विदेशी बैंक

क्र.सं.	एमएलआई का नाम	गारंटी कवर की सं.	गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिन)
1.	इयूश बैंक	7	2.60	181-370
कुल		7	2.60	-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्र.सं.	एमएलआई का नाम	गारंटी कवर की सं.	गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिन)
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	366	2.42	181-271
2.	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	111	1.82	181-272
3.	बरोडा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	3	0.03	182-297
4.	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	181	0.69	181-265
5.	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	5	0.11	187-253
6.	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	6	0.22	194-251
7.	कावेरी ग्रामीण बैंक	2	0.06	192-212
8.	केरला ग्रामीण बैंक	57	1.27	181-1784
9.	लान्गपी देहान्गी रूरल बैंक	2	0.08	188-263
10.	पल्लवन ग्राम बैंक	14	0.09	181-229
11.	पांडयन ग्राम बैंक	1397	15.43	181-888
12.	प्रगती कृष्णा बैंक	81	1.51	181-246
13.	सर्वा हरयाणा बैंक	7	0.10	187-245
14.	सर्वा यू.पी. ग्रामीण बैंक	87	1.27	181-261
15.	सतलज बैंक	3	0.01	181-270

16.	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	82	0.51	183-260
17.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	8	0.16	182-235
कुल		2,412	25.78	

अन्य ऋण संस्थाएं

क्र. सं.	एमएलआई का नाम	गारंटी कवर की सं.	गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिन)
1.	आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन	4	1.19	186-462
2.	जम्मू एंड कश्मीर डवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन	1	0.30	227
3.	स्माल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया	3	0.93	196-305
कुल		8	2.42	

परिशिष्ट-XX

(पैरा 5.1.4.1 का उप-पैरा (क) में संदर्भित)

पूर्व में वसूली किए गए अधूरे न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की अनुमानित लागत और नए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित लागत

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	भागीदारी हिस्सों के साथ भाग लेने के हित वाले संघीय साझेदार (प्रतिशत)	पूर्व में वसूल की गयी अनंतिम राशि (यूएसडी मिलियन में)	संशोधित राशि (अनंतिम) (यूएसडी मिलियन में)	संघ द्वारा भुगतान/ भुगतान की जाने वाली अंतर राशि (यूएसडी मिलियन में)
			ए	बी	सी=बी-ए
ओएनजीसी ब्लाक					
1.	एमबी-डीडब्लूएन-2000/1	ओएनजीसी (85), आईओसी (15)	11.63	17.83	6.20
2.	जीएस-डीडब्लूएन-2000/1	ओएनजीसी (100)	3.93	5.46	1.53
3.	जीएस-डीडब्लूएन-2000/2	ओएनजीसी (85), जीएआईएल (15)	7.37	10.92	3.55
4.	एमबी-डीडब्लूएन-2000/2	ओएनजीसी (50), जीएआईएल (15), आईओसी (15), ओआईएल (10), जीएसपीसी (10)	5.68	9.51	3.83
5.	केके-डीडब्लूएन-2000/4	ओएनजीसी (100)	2.54	6.53	4.00
6.	एमबी-ओएसएन-97/4	ओएनजीसी (70), आईओसी (30)	2.73	3.29	0.57

		कुल	33.88	53.56	19.68
आरआईएलब्लॉक					
1.	केजी-ओएसएन-97/3	आरआईएल (100)	7.28	10.83	3.56
2.	केजी-ओएसएन-97/4		2.65	4.38	1.74
3.	जीके-ओएसएन-97/1		2.90	5.43	2.52
4.	एमबी-ओएसएन-97/3		6.98	7.76	0.77
		कुल	19.81	28.40	8.59

परिशिष्ट-XXI

(पैरा 5.1.4.1 का उप-पैरा (ख) में संदर्भित)

33 ब्लॉक के संबंध में सरकारी और निजी कंपनियों से द्वारा अधूरे न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की गैर-वसूली लागत
(एनइएलपी राउंड I से VII तक)

क्र.सं.	ब्लॉक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (प्रतिशत)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)			एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)			एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)			बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)		शेष (यूएसडी एमएन में)		कंपनियों से बकाया वसूली (यूएसडी एमएन में)	
				दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज	दिनांक	सरकारी	निजी					
1.	सीवाई-पीआर-डीडब्लूएन-2004/1 ओएनजीसी	ओएनजीसी-70, जीएसपीसी-10, एचपीसीएल-10, जीआईएल-10	14.11.2012	13.01.2013	0	28.09.2017	19.18	20.08.2018	19.82	0	0	0	-	19.82	19.82	0				
2.	जीएस-ओएसएन-2001/1 ओएनजीसी	ओएनजीसी-100	11.03.2008	10.05.2008	0	25.08.2009	13.45	05.09.2014	13.45	0	0	0	-	13.45	13.45	0				

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (प्रतिशत)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए अनुमोदित डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली (यूएसडी एमएन में)			
				दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज				दिनांक	सरकारी	निजी	
3.	एमएन-ओएसएन-97/3ओएनजीसी	ओएनजीसी-85, जीआईएल-15	14.09.2007	14.11.2007	0	15.04.2010	7.41	11.06.2010	7.41	0	0	0	-	7.41	7.41	0
4.	एएन-डीडब्लूएन-2003/1ओएनजीसी	ओएनजीसी-100	04.12.2012	03.02.2013	0	10.09.2013	7.45	29.12.2014	7.45	0	0	0	-	7.45	7.45	0
5.	एमबी-ओएसएन-2000/1ओएनजीसी	ओएनजीसी-75, आईओसी-15, जीएसपीसी-15	15.05.2008	14.07.2008	0	08.02.2010	2.18	09.11.2012	2.18	0	0.45	0	02.12.2015 तथा 09.02.2016	1.74	1.74	0
6.	एमएन-ओएसएन-2000/1ओएनजीसी	ओएनजीसी-100	15.02.2007	14.04.2007	0	15.09.2009	2.68	03.11.2009	2.68	0	0.86	0	02.03.2015	1.82	1.82	0
7.	सीवाई-	ओएनजीसी-	21.11.2012	20.01.2013	0	28.05.2019	19.61	08.08.2019	19.61	0	0	0	-	19.61	19.61	0

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

क्र.सं.	ब्लॉक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (प्रतिशत)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली (यूएसडी एमएन में)			
				दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज				दिनांक	सरकारी	निजी	
	डीडब्लूएन-2004/3ओएनजी सी	70, जीएसपीसी-10, एचपीसीएल-10, जीएआईएल-10														
8.	एनइसी-डीडब्लूएन-2002/2ओएनजी सी	ओएनजीसी-100	17.09.2014	17.11.2014	0	09.10.2017	11.82	16.01.2019	11.82	0	10.52	0	14.05.2020	1.30	1.30	0
9.	एए-ओएनएन-2002/3 ओआईएल	ओआईएल-30, ओएनजीसी-70	24.09.2014	23.11.2014	0	20.03.2017	0.55	03.08.2018	0.55	0	0.43	0	04.01.2016, 08.01.2016 & 08.10.2018	0.12	0.12	0
10.	एए-ओएनएन-	ओआईएल-	29.05.2010	28.07.2010	0	07.11.2013	7.85	19.02.2015	7.85	0	4.27	0	अप्रैल/मई	3.58	3.58	0

क्र.सं.	ब्लॉक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (प्रतिशत)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली (यूएसडी एमएन में)			
				दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज				दिनांक	सरकारी	निजी	
	2003/3 ओआईएल	85, एचपीसीएल-15										2013				
11.	आरजे-ओएनएन-2004/3 ओआईएल	ओआईएल-60, जीइओ ग्लोबल-25, एचपीसीएल-15	21.01.2012	20.03.2012	0	07.11.2013	10.23	17.03.2015	10.23	3.51	5.07	0	24.05.2012, 26.07.2020, 16.02.2017	1.66	0	1.66
12.	आरजे-ओएनएन-2005/2 ओआईएल	ओआईएल-60, एचओइसी-20, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी-20	24.12.2015	22.02.2016	0	10.05.2018	9.14	07.08.2019	9.14	0	4.18	0	23.03.2016	4.96	1.30	3.66
13.	आरजे-ओएनएन-2005/3	जीएसपीसी-60,	29.12.2014	27.02.2015	0	09.12.2016	9.35	22.05.2018	9.35	0	4.49	0	18.12.2015, 15.03.2016	4.87	4.87	0

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

क्र.सं.	ब्लॉक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (प्रतिशत)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली (यूएसडी एमएन में)			
				दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज				दिनांक	सरकारी	निजी	
	जीएसपीसी	ओएनजीसी-40														
14.	आरजे-ओएनएन-2004/1जीएसपीसी & जीएआईएल	जीएसपीसी-22.225, जीएआईएल-22.225, एचपीसीएल-22.22, एचएएलएलड ब्लूओआरटीए चवाई-11.11, एनआईटीआई एनएफआईआरडू-11.11, बीपीसीएल-11.11	05.05.2013	04.06.2013	0	07.11.2013	2.24	31.10.2014	2.24	0.35	1.81	0	मार्च 2014 - सितम्बर 2019	0.08	0	0.08

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (प्रतिशत)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)		शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली (यूएसडी एमएन में)		
				दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज		दिनांक	सरकारी		निजी		
15.	एसआर-ओएसएन-97/1 आरआईएल	आरआईएल-100	29.10.2006	28.12.2006	0	07.07.2014	15.70	10.03.2015	15.70	0	0	0	-	15.70	0	15.70
16.	केजी-ओएसएन-2001/1 आरआईएल	आरआईएल-100	17.03.2018	16.05.2008	0	11.12.2012	3.46	23.09.2013	3.46	0	0	0	-	3.46	0	3.46
17.	केजी-डीडब्लूएन-98/1 आरआईएल	आरआईएल-70, बीपीइएल-30	31.12.2010	27.02.2011	0	27.01.2015	78.75	25.05.2018	78.75	0	0	0	-	78.75	0	78.75
18.	एमएन-डीडब्लूएन-2003/1 आरआईएल	आरआईएल-55, एनआईकेओ-15, बीपीइएल-30	04.06.2013	03.08.2013	0	07.11.2013	61.31	04.06.2015	61.31	0	18.00	11.47	20.06.2012	43.31	0	43.31
19.	एमएन-डीडब्लूएन-	आरआईएल-70,	14.11.2012	13.01.2013	0	07.11.2013	19.83	28.08.2014	19.83	0	6.00	0	12.07.2013	13.83	0	13.83

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

क्र.सं.	ब्लॉक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (प्रतिशत)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए अनुमोदित डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली (यूएसडी एमएन में)			
				दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज				दिनांक	सरकारी	निजी	
	2004/1 आरआईएल	बीपीइएएल-30														
20.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/2 आरआईएल	आरआईएल-70, बीपीइएएल-30	14.11.2012	13.01.2013	0	07.11.2013	19.83	13.01.2015	19.83	0	6.00	0	12.07.2013	13.83	0	13.83
21.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/3 आरआईएल	आरआईएल-70, बीपीइएएल-30	14.11.2012	13.01.2013	0	07.11.2013	19.83	05.03.2015	19.83	0	6.00	0	11.01.2013	13.83	0	13.83
22.	केजी-डीडब्लूएन-2004/4 आरआईएल	आरआईएल-70, बीपीइएएल-30	20.11.2012	19.01.2013	0	07.11.2013	20.19	17.11.2014	20.19	0	6.00	0	18.07.2013	14.19	0	14.19
23.	केजी-डीडब्लूएन-2004/7 आरआईएल	आरआईएल-70, बीपीइएएल-30	22.11.2012	21.01.2013	0	07.11.2013	20.19	12.11.2014	20.19	0	6.00	0	18.01.2013	14.19	0	14.19

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (प्रतिशत)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली (यूएसडी एमएन में)			
				दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज				दिनांक	सरकारी	निजी	
24.	केजी-डीडब्लूएन-2001/1 आरआईएल	आरआईएल-60, बीपीइएल-30, एचडपीआई-10	22.01.2012	22.03.2012	0	07.11.2013	24.50	18.02.2015	24.50	0	6.00	3.83	22.06.2012	18.50	0	18.50
25.	एमएन-डीडब्लूएन-98/2 आरआईएल	आरआईएल-100	06.03.2011	05.05.2011	0	24.03.2014	44.92	27.04.2015	44.92	0	0	0	*	44.92	0	44.92
26.	केके-डीडब्लूएन-2001/2 आरआईएल	आरआईएल-70, बीपीइएल-30	22.01.2012	22.03.2012	0	07.11.2013	13.43	09.03.2015	13.43	0	6.00	3.84	27.06.2012	7.43	0	7.43
27.	केके-डीडब्लूएन-2001/1 आरआईएल	आरआईएल-70, बीपीइएल-30	22.01.2012	22.03.2012	0	07.11.2013	13.43	09.03.2015	13.43	0	6.00	3.84	27.06.2012	7.43	0	7.43
28.	एमएन-	आरआईएल-	20.11.2012	19.01.2013	0	07.11.2013	19.83	05.03.2015	19.83	0	6.00	0	18.01.2013	13.83	0	13.83

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

क्र.सं.	ब्लॉक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (प्रतिशत)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली (यूएसडी एमएन में)			
				दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज				दिनांक	सरकारी	निजी	
	डीडब्लूएन-2004/4 आरआईएल	70, बीपीइएएल-30														
29.	एए-ओएनएन-2003/2 जिओ पेट्रोल	जीपीआई30 एनटीपीसी 40, सीआरएल 15, ब्राउनस्टोन 15	08.04.2010	07.06.2010	0	16.08.2010	18.79	14.01.2011	18.79	4.74	0	0	11.05.2010 तथा 17.05.2010	14.05	7.52	6.54
30.	सीबी-ओएनएन-2005/8 वसुंधरा	वसुंधरा-100	16.01.2012	18.03.2012	0	21.10.2013	20.62	08.05.2014	20.62	0.23	0	0	13.05.2014	20.40	0	20.40
31.	एमजेड-ओएनएन-2004/2	एनएफटीओ जीएजेड-10, आरएलआरएन	10.01.2013	12.03.2013	0	17.06.2013	15.07	06.01.2015	15.07	1.57	0	0	मार्च-13	13.51	0	13.51

क्र.सं.	ब्लॉक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (प्रतिशत)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए अनुमोदित डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली (यूएसडी एमएन में)			
				दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज				दिनांक	सरकारी	निजी	
	एनएफटीओजीए जेड	10, जीएन पेट्रो 10, आरइएल 70														
32.	एए-ओएनएन-2004/4 एनएफटीओजीए जेड	एइएल 35, एआईएसपीएल 20, डब्लूपीपीएल3 5 एनएफटीओ जीएजेड- 10	10.01.2013	10.03.2013	0	03.07.2013	10.58	07.01.2016	9.85	1.86	0	0	22.01.2013/ 28.03.2013	7.99	0	7.99
33.	सीवाई-ओएनएन-2003/1 एनआईकेओ	एनआईकेओ- 100	21.03.2011	20.05.2011	0	29.11.2012	1.84	11.11.2014	1.84	0	0	0	-	1.84	0	1.84
									565.16	12.25	104.06			448.85	89.99	358.86

परिशिष्ट-XXII

(पैरा 5.1.4.1 के उप-पैरा (ख) और (ग) में संदर्भित)

समाप्त न हुए न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की लागत की गणना और अनुमोदन में विलंब

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
एनइएलपी राउंड I से VII									
1.	आरजे-ओएनएन-2005/3	29-12-2014	27-02-2015	09-12-2016	711	23.70	22-05-2018	529	17.63
2.	सीवाई-पीआर-डीडब्लूएन-2004/1	14-11-2012	13-01-2013	28-09-2017	1779	59.30	20-08-2018	326	10.87
3.	जीएस-ओएसएन-2001/1	11-03-2008	12-05-2008	25-08-2009	532	17.73	05-09-2014	1837	61.23
4.	सीबी-ओएनएन-2005/8	16-01-2012	18-03-2012	21-10-2013	644	21.47	08-05-2014	199	6.63

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
5.	एमएन-ओएसएन-97/3	15-09-2007	15-11-2007	15-04-2010	943	31.43	11-06-2010	57	1.90
6.	एमजेड-ओएनएन-2004/2	10-01-2013	12-03-2013	17-06-2013	158	5.27	06-01-2015	568	18.93
7.	एए-ओएनएन-2002/3	24-09-2014	23-11-2014	20-03-2017	908	30.27	03-08-2018	501	16.70
8.	सीवाई-ओएनएन-2003/1	21-03-2011	20-05-2011	29-11-2012	619	20.63	11-11-2014	712	23.73
9.	एएन-डीडब्लूएन-2003/1	04-12-2012	03-02-2013	10-09-2013	280	9.33	29-12-2014	475	15.83
10.	एसआर-ओएसएन-97/1	29-10-2006	28-12-2006	07-07-2014	2808	93.60	10-03-2015	246	8.20

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

क्र.सं.	ब्लॉक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
11.	केजी-ओएसएन-2001/1	17-03-2008	16.05.2008	11-12-2012	1730	57.67	23-09-2013	286	9.53
12.	एए-ओएनएन-2004/4	10-01-2013	10-03-2013	03-07-2013	174	5.80	07-01-2016	918	30.60
13.	एए-ओएनएन-2003/3	29-05-2010	28-07-2010	07-11-2013	1258	41.93	19-02-2015	469	15.63
14.	एए-ओएनएन-2003/2	08-04-2010	07-06-2010	16-08-2010	130	4.33	14-01-2011	151	5.03
15.	केजी-डीडब्लूएन-98/1	31-12-2010	27-02-2011	27-01-2015	1488	49.60	25-05-2018	1214	40.47
16.	एमबी-ओएसएन-2000/1	15-05-2008	14-07-2008	08-02-2010	634	21.13	09-11-2012	1005	33.50
17.	एमएन-डीडब्लूएन-	04-06-2013	03-08-2013	07-11-2013	156	5.20	04-06-2015	574	19.13

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
	2003/1								
18.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/1	14-11-2012	13-01-2013	07-11-2013	358	11.93	28-08-2014	294	9.80
19.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/2	14-11-2012	13-01-2013	07-11-2013	358	11.93	13-01-2015	432	14.40
20.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/3	14-11-2012	13-01-2013	07-11-2013	358	11.93	05-03-2015	483	16.10
21.	केजी-डीडब्लूएन-2004/4	20-11-2012	19-01-2013	07-11-2013	352	11.73	17-11-2014	375	12.50
22.	केजी-डीडब्लूएन-2004/7	22-11-2012	21-01-2013	07-11-2013	350	11.67	12-11-2014	370	12.33

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
23.	एमएन-ओएसएन-2000/1	15-02-2007	14-04-2007	15-09-2009	943	31.43	03-11-2009	49	1.63
24.	आरजे-ओएनएन-2004/3	21-01-2012	20-03-2012	07-11-2013	656	21.87	17-03-2015	495	16.50
25.	केजी-डीडब्लूएन-2001/1	22-01-2012	22-03-2012	07-11-2013	655	21.83	18-02-2015	468	15.60
26.	एमएन-डीडब्लूएन-98/2	06-03-2011	05-05-2011	24-03-2014	1114	37.13	27-04-2015	399	13.30
27.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/4	20-11-2012	19-01-2013	07-11-2013	352	11.73	05-03-2015	483	16.10
28.	केके-डीडब्लूएन-2001/2	22-01-2012	22-03-2012	07-11-2013	655	21.83	09-03-2015	487	16.23

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
29.	केके- डीडब्लूएन- 2001/1	22-01-2012	22-03-2012	07-11-2013	655	21.83	09-03-2015	487	16.23
30.	आरजे- ओएनएन- 2004/1	05-05-2013	04-06-2013	07-11-2013	186	6.20	31-10-2014	358	11.93
31.	सीवाई- डीडब्लूएन- 2004/3	21-11-2012	20-01-2013	28-05-2019	2379	79.3	08-08-2019	72	2.4
32.	एनइसी- डीडब्लूएन- 2002/2	17-09-2014	17-11-2014	09-10-2017	1118	37.27	16-01-2019	464	15.47
33.	आरजे- ओएनएन- 2005/2	24-12-2015	22-02-2016	10-05-2018	868	28.93	07-08-2019	454	15.13

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

क्र.सं.	ब्लॉक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
एनइएलपी राउंड VIII और IX									
34.	एए-ओएनएन-2010/1	15-10-2013	15-12-2013	30-10-2013	15	0.50	31-12-2013	62	2.07
35.	सीवाई-ओएसएन-2009/1	01-08-2014	30-09-2014	08-07-2014	0	0	29-04-2016	661	22.03
36.	सीबी-ओएनएन-2009/1	14-04-2015	13-06-2015	15-05-2017	762	25.40	01-09-2017	109	3.63
37.	सीबी-ओएनएन-2009/2	03-07-2015	02-09-2015	13-04-2017	650	21.67	01-09-2017	141	4.70
38.	सीबी-ओएनएन-2010/10	29-08-2018	28-10-2018	03-08-2017	0	0	08-11-2018	462	15.40
39.	सीबी-ओएनएन-2010/4	15-10-2018	14-12-2018	15-11-2018	31	1.03	10-12-2018	25	0.83

परिशिष्ट-XXIII

(पैरा 5.1.4.1 के उप-पैरा (ग) में संदर्भित)

छ: ब्लॉक के संबंध में निजी कंपनियों से अधूरा न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की गैर-वसूली लागत
(एनइएलपी राउंड VIII और IX)

क्र. सं.	ब्लॉक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (राशि यूएसडी मिलियन में)			एमओपीएनजी के अनुमोदन के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (राशि यूएसडी मिलियन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (राशि यूएसडी मिलियन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (राशि यूएसडी मिलियन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (राशि यूएसडी मिलियन में)			शेष (राशि यूएसडी मिलियन में)
			दिनांक	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि		राशि	सीओयूएमडब्लूपी	ब्याज	
								ए	बी	सी				डी=ए-बी-सी
1.	एए-ओएनएन-2010/1	15-10-2013	15-12-2013	0	30-10-2013	9.01	31-12-2013	9.01	0.00	0.00	0	-	9.01	
2.	सीवाई-ओएसएन-2009/1	01-08-2014	30-09-2014	0	08-07-2014	0.43	29-04-2016	0.34	0.00	0.15	0	03.12.14	0.19	
3.	सीबी-ओएनएन-2009/1	14-04-2015	13-06-2015	0	15-05-2017	11.22	01-09-2017	11.22	1.99	0.00	0	28.12.17	9.22	
4.	सीबी-ओएनएन-2009/2	03-07-2015	02-09-2015	0	13-04-2017	11.18	01-09-2017	11.18	1.55	0.00	0	27.08.19	9.63	

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

5.	सीबी- ओएनएन - 2010/10	29-08-2018	28-10-2018	0	03-08-2017	8.91	08-11-2018	8.91	0.00	0.00	0	-	8.91
6.	सीबी- ओएनएन -2010/4	15-10-2018	14-12-2018	0	15-11-2018	5.31	10-12-2018	5.31	0.00	0.00	0	-	5.31
								45.95	3.54	0.15			42.26

परिशिष्ट-XXIV
(पैरा 5.1.4.2 में संदर्भित)

सात निस्तारित/ समाप्त ब्लॉक के संबंध में अधूरे न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की लागत की स्वीकृति में विलंब

क्र.सं.	ब्लॉक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर भुगतान की नियत तारीख		एमओपीएनजी के अनुमोदन के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (राशि यूएसडी मिलियन में)		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	एमओपीएनजी के अनुमोदन के लिए सीओयूएमडब्लूपी की गणना में डीजीएच द्वारा लिया गया समय	30 सितंबर 2019 तक डीजीएच द्वारा निर्धारित तारीख के बीच में बीता समय			
			दिनांक	दिनांक	दिनांक	राशि				दिनांक	दिन	दिन
			ए	बी	सी					डी	इ=सी-ए	एफ=30.09.2019-सी
1.	वीएन-ओएनएन-2004/1	21-10-2016	20-12-2016	24-09-2019	1.30	अभी अनुमोदित किया जाना है	1,068	6				
2.	केजी-ओएनएन-2004/2	10-02-2013	09-04-2013	01-11-2013	2.83		264	2,159				
3.	डब्लूबी-ओएसएन-2000/1	28-02-2008	27-04-2008	11-07-2018	25.63		3,786	446				
4.	सीबी-ओएनएन-2004/5	10-01-2013	11-03-2013	17-10-2013	10.32		280	2,174				
5.	जीवी-ओएनएन-2002/1	07-12-2008	05-02-2009	24-08-2018	2.35		3,547	402				
6.	सीवाई-डीडब्लूएन-2001/2	14-09-2014	13-09-2014	03-04-2018	23.81		1,297	545				
7.	डीएस-ओएनएन-2004/1	30-08-2018	29-10-2018	18-06-2019	2.54		292	104				
कुल					68.78							

परिशिष्ट-XXV
(पैरा 5.1.4.2 में संदर्भित)

दो निस्तारित/समाप्त ब्लॉक के संबंध में अधूरे न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की लागत की गणना में विलंब

क्र.सं.	ब्लॉक	अन्वेषण चरण का अंत/ संविदा की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर भुगतान की नियत तारीख	एमओपीएनजी के अनुमोदनके लिए डीजीएचद्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (राशि यूएसडी मिलियन में)		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	एमओपीएनजी के अनुमोदन के लिए सीओयूएमडब्लूपी की गणना में डीजीएच द्वारा लिया गया समय	30 सितंबर 2019 तक डीजीएच द्वारा निर्धारित तारीख के बीच में बीता समय
		दिनांक	दिनांक	दिनांक	राशि	दिनांक	दिन	दिन
		ए	बी	सी		डी	इ=सी-ए	एफ=30.09.2019-ए
1.	केके-ओएसएन-2001/2	12-03-2007	11-05-2007	अभी निर्धारित किया जाना है	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	4,585
2.	केके-ओएसएन-2001/3	12-03-2007	11-05-2007	अभी निर्धारित किया जाना है	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	4,585

परिशिष्ट-XXVI
(पैरा 6.1.4.1 में संदर्भित)

गहराई में कमी के कारण राजस्व का नुकसान दर्शाने वाला विवरण

अवधि	डीडब्ल्यूटी (टन में)	कार्गो ने संभाला (टन में)	औसत पार्सल लोड (प्रतिशत में)	जहाजों की संख्या	औसत पार्सल लोड में कमी (प्रतिशत में) (आधार के रूप में 48.54 लेना)	औसत पार्सल लोड में कमी के कारण कार्गो की हानि (टन में)	प्रति टन राजस्व (₹)	औसत पार्सल लोड में कमी के कारण राजस्व हानि (₹ करोडों में)
ए	बी	सी	डी=सी/बी x 100	इ	एफ=48.54 -डी	जी= बी x एफ/ 100	एच	आई= जी x एच
2002-03	5,85,97,050	2,84,45,508	48.54	1,659	0.00			
2013-14	6,91,27,540	2,71,50,867	39.28	1,956	9.26	64,03,641	298.70	191.28
2014-15	7,53,75,051	2,90,40,358	38.53	1,900	10.01	75,46,692	318.26	240.18
2015-16	7,84,09,129	3,02,95,504	38.64	2,026	9.90	77,64,287	298.83	232.02
2016-17	8,22,98,638	3,21,48,637	39.06	2,075	9.48	77,99,122	320.22	249.74
2017-18	9,52,02,174	3,80,12,711	39.93	2,315	8.61	81,98,424	326.18	267.42
2018-19	9,82,19,896	4,01,15,996	40.84	2,262	7.70	75,59,942	316.22	239.06
							कुल	1,419.70

परिशिष्ट-XXVII

(पैरा 6.1.4.2 में संदर्भित)

हॉपर क्षमता के कम उपयोग का विवरण

अवधि	लोड की सं.	उपयोग करने की क्षमता	क्षमता का वास्तविक उपयोग	क्षमता का कम उपयोग	कम उपयोग का प्रतिशत	भुगतान की गयी राशि (₹ करोडो में)	कम-उपयोग के कारण भुगतान की गई राशि अप्रभावी हो गई (₹ करोडो में)
ए	बी	सी	डी	इ = सी-डी	एफ=इ/सी X 100	जी	एच= जी X एफ
(क) ड्रेज XXI (क्षमता 5500 घन मीटर)							
2014-15	2,260	1,24,30,000	1,08,94,640	15,35,360	12.35	93.24	11.52
2015-16	3,837	86,68,000	79,99,793	6,68,207	7.71	77.52	5.97
2016-17	5,011	64,51,500	55,50,696	9,00,804	13.96	20.79	2.90
कुल	11,108	2,75,49,500	2,44,45,129	31,04,371	11.27	191.55	20.39
(ख) ड्रेज XX (क्षमता 5500 घन मीटर)							
2014-15	2,141	1,17,75,500	1,02,35,347	15,40,153	13.08	104.04	13.61
2015-16	794	43,67,000	41,06,419	2,60,581	5.97	51.03	3.05
2016-17	632	34,76,000	31,57,496	3,18,504	9.16	60.72	5.56
कुल	3,567	1,96,18,500	1,74,99,262	21,19,238	10.80	215.79	22.22
(ग) ड्रेज XIX (क्षमता 5500 घन मीटर)							
2014-15	2,180	1,19,90,000	1,04,74,754	15,15,246	12.64	104.94	13.26
2015-16	1,332	73,26,000	69,61,135	3,64,865	4.98	58.67	2.92
2016-17	208	11,44,000	10,53,035	90,965	7.95	18.04	1.44
कुल	3,720	2,04,60,000	1,84,88,924	19,71,076	9.63	181.65	17.62
(घ) ड्रेज XVII (क्षमता 7400 घन मीटर)							
2014-15	0	0	0	0	-	0	0
2015-16	825	61,05,000	45,03,050	16,01,950	26.24	39.58	10.39

अवधि	लोड की सं.	उपयोग करने की क्षमता	क्षमता का वास्तविक उपयोग	क्षमता का कम उपयोग	कम उपयोग का प्रतिशत	भुगतान की गयी राशि (₹ करोडो में)	कम-उपयोग के कारण भुगतान की गई राशि अप्रभावी हो गई (₹ करोडो में)
ए	बी	सी	डी	इ = सी-डी	एफ=इ/सी X 100	जी	एच= जी X एफ
2016-17	0	0	0		-	0	0
कुल	825	61,05,000	45,03,050	16,01,950	26.24	39.58	10.39
(इ) ड्रेज XVI (क्षमता 7400 घन मीटर)							
2014-15	130	9,62,000	6,33,699	3,28,301	34.13	15.94	5.44
2015-16	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0	0
कुल	130	9,62,000	6,33,699	3,28,301	-	15.94	5.44
(च) ड्रेज XIV (क्षमता 4500 घन मीटर)							
2014-15	1,275	57,37,500	56,60,659	76,841	1.34	39.59	0.53
2015-16	1,787	80,41,500	77,81,360	2,60,140	3.23	59.48	1.92
2016-17	550	24,75,000	21,77,569	2,97,431	12.02	28.93	3.48
कुल	3,612	1,62,54,000	1,56,19,588	6,34,412	-	128.00	5.93
(छ) ड्रेज XII (क्षमता 4500 घन मीटर)							
2014-15	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	1,195	53,77,500	53,44,212	33,288	0.62	37.94	0.23
2016-17	1,927	18,76,500	16,92,948	1,83,552	9.78	16.31	1.60
कुल	3,122	72,54,000	70,37,160	2,16,840	-	54.25	1.83
सभी ड्रेज के संबंध में कुलराशि का भुगतान कम उपयोग के कारण अप्रभावी हो गया (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ) = ₹83.82 करोड़							

परिशिष्ट-XXVIII
(पैरा 6.1.4.3 में संदर्भित)

तलकषण संविदा को अंतिम रूप देने में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय विवरण

महिना	ऑकलैंड			ईडन			जेल्लिंगम और हल्दिया एंकरेज		
	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर(₹)	राशि (₹)	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर (₹)	राशि (₹)	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर (₹)	राशि (₹)
ए	बी	सी	डी = बी X सी	इ	एफ	जी = इ X एफ	एच	आई	जे = एचX आई
अप्रैल-14	13,47,962.65	234.59	31,62,18,557.99	0.00	209.53	0.00	1,74,350.10	259.47	4,52,38,620.94
मई-14	15,71,503.18	234.59	36,86,58,930.61	0.00	209.53	0.00	2,97,823.58	259.47	7,72,76,284.20
जून-14	11,54,604.31	234.59	27,08,58,624.08	0.00	209.53	0.00	2,03,457.73	259.47	5,27,91,177.85
जुलाई-14	11,26,519.70	234.59	26,42,70,256.57	0.00	209.53	0.00	2,86,557.03	259.47	7,43,52,951.40
अगस्त-14	14,05,587.17	234.59	32,97,36,694.67	0.00	209.53	0.00	3,75,686.87	259.47	9,74,79,471.18
सितम्बर-14	10,81,061.79	234.59	25,36,06,285.27	0.00	209.53	0.00	3,36,864.85	259.47	8,74,06,323.54
अक्टूबर-14	9,11,559.72	234.59	21,38,42,794.66	0.00	209.53	0.00	2,92,877.47	259.47	7,59,92,917.49
नवम्बर-14	8,21,245.77	234.59	19,26,56,045.35	0.00	209.53	0.00	2,75,023.13	259.47	7,13,60,250.86
दिसम्बर-14	8,52,418.89	234.59	19,99,68,947.81	0.00	209.53	0.00	2,81,330.74	259.47	7,29,96,886.81
जनवरी-15	9,42,743.33	234.59	22,11,58,158.07	0.00	209.53	0.00	2,47,768.93	259.47	6,42,88,604.25
फरवरी-15	6,89,045.90	234.59	16,16,43,278.73	0.00	209.53	0.00	3,27,390.77	259.47	8,49,48,083.27
मार्च-15	7,64,441.63	234.59	17,93,30,362.12	0.00	209.53	0.00	4,61,940.97	259.47	11,98,59,823.01
अप्रैल-15	7,36,734.96	234.59	17,28,30,653.19	0.00	209.53	0.00	5,57,816.19	259.47	14,47,36,567.10
मई-15	13,41,347.58	234.59	31,46,66,728.70	0.00	209.53	0.00	4,81,871.15	259.47	12,50,31,106.38
जून-15	10,34,964.92	234.59	24,27,92,421.42	0.00	209.53	0.00	4,64,661.69	259.47	12,05,65,767.56
जुलाई-15	10,01,457.62	234.59	23,49,31,944.06	0.00	209.53	0.00	4,56,411.42	259.47	11,84,25,071.25
अगस्त-15	8,58,505.01	234.59	20,13,96,690.94	0.00	209.53	0.00	4,49,329.03	259.47	11,65,87,403.89
सितम्बर-15	8,64,619.41	234.59	20,28,31,066.84	5,080.50	209.53	10,64,516.50	4,76,765.97	259.47	12,37,06,467.41
अक्टूबर-15	873221.54	234.59	20,48,49,041.40	0.00	209.53	0.00	4,94,487.60	259.47	12,83,04,697.24
नवम्बर-15	7,41,289.83	234.59	17,38,99,180.76	0.00	209.53	0.00	3,54,061.83	259.47	9,18,68,422.52

महिना	ऑकलैंड			ईडन			जेल्लिंगम और हल्दिया एंकरेज		
	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर(₹)	राशि (₹)	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर (₹)	राशि (₹)	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर (₹)	राशि (₹)
ए	बी	सी	डी = बी X सी	इ	एफ	जी = इ X एफ	एच	आई	जे = एचX आई
दिसम्बर-15	6,63,604.75	234.59	15,56,75,038.68	0.00	209.53	0.00	3,75,235.30	259.47	9,73,62,303.13
जनवरी-16	6,61,330.82	234.59	15,51,41,595.96	0.00	209.53	0.00	3,20,488.08	259.47	8,31,57,041.19
फरवरी-16	2,34,214.95	234.59	5,49,44,484.90	33306.27	209.53	69,78,663.57	2,32,049.15	259.47	6,02,09,793.69
मार्च-16	0.00	234.59	0.00	210784.82	209.53	4,41,65,742.35	2,02,600.52	259.47	5,25,68,755.87
अप्रैल-16	53,616.96	234.59	1,25,78,001.57	153855.38	209.53	3,22,37,318.23	2,49,129.18	259.47	6,46,41,549.56
मई-16	1,66,558.54	234.59	3,90,72,968.23	50572.55	209.53	1,05,96,467.27	2,55,690.78	259.47	6,63,44,085.93
जून-16	2,32,198.81	234.59	5,44,71,518.58	0.00	209.53	0.00	2,71,968.57	259.47	7,05,67,685.70
जुलाई-16	2,25,537.21	234.59	5,29,08,774.14	0.00	209.53	0.00	2,56,189.85	259.47	6,64,73,581.29
अगस्त-16	1,48,426.34	234.59	3,48,19,336.03	14610.54	209.53	30,61,346.74	2,87,899.08	259.47	7,47,01,175.01
सितम्बर-16	1,34,280.71	234.59	3,15,00,912.55	0.00	209.53	0.00	2,36,460.38	259.47	6,13,54,373.71
अक्टूबर-16	1,85,613.29	234.59	4,35,43,022.40	0.00	209.53	0.00	3,87,458.96	259.47	10,05,33,975.16
नवम्बर-16	4,02,251.27	234.59	9,43,64,126.34	0.00	209.53	0.00	4,38,286.06	259.47	11,37,22,084.95
दिसम्बर-16	5,17,869.30	234.59	12,14,86,958.94	0.00	209.53	0.00	4,40,191.54	259.47	11,42,16,499.25
कुल	2,37,46,337.87		5,57,06,53,401.54	4,68,210.06		9,81,04,054.65	1,12,50,124.49		2,91,90,69,802.59
अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2016 के दौरान तलकर्षण की कुल मात्रा= (2,37,46,337.87+ 4,68,210.06 + 1,12,50,124.49) = 3,54,67,484.21 घन मीटर									
कुल तलकर्षण व्यय दैनिक किराया दर के आधार पर किया जाता है = ₹9,78,26,89,118									
कुल तलकर्षण व्यय का मूल्यांकन मात्रा दर के आधार पर किया गया होगा = ₹(5,57,06,53,401+9,81,04,055+2,91,90,69,803) = ₹8,58,78,27,259									
तलकर्षण अनुबंध को अंतिम रूप देने में देरी के कारण अत्यधिक व्यय = ₹(9,78,26,89,118 - 8,58,78,27,259) = ₹1,19,48,61,859 अर्थात ₹119.49 करोड़									
नोट: तलकर्षण मात्रा को 1.79 ग्राम/ घन मीटर के थोक घनत्व के साथ पुनर्गणना किया गया है।									

परिशिष्ट-XXIX
(पैरा 6.1.4.4 में संदर्भित)

जेल्लिंगम में तलकर्षण पर किए गए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण

अवधि	वास्तविक गहराई (मीटर)		जेल्लिंगम पर ईडन की गहराई में अंतर (मीटर)	जेल्लिंगम और ईडन के बीच गहराई में कम अंतर के कारण जेल्लिंगम की गहराई का कम-उपयोग (मीटर)	जेल्लिंगम की कम-उपयोग वाली गहराई के लिए अतिरिक्त तलकर्षण मात्रा (एमएम ³)	जेल्लिंगम के लिए तलकर्षण की इकाई लागत (₹)	जेल्लिंगम की कम-उपयोग की गई गहराई के लिए अतिरिक्त मात्रा पर व्यय (₹ करोड़ में)
	जेल्लिंगम	ईडन					
ए	बी	सी	डी=सी-बी	इ=बी-(सी-0.5)	एफ=इx 0.15 एमएम ³ /0.1	जी	एच=जी x एफ
जनवरी-17	4.20	4.60	0.40	0.10			
फरवरी-17	4.40	4.60	0.20	0.30			
मार्च-17	4.50	4.40	-0.10	0.60			
अप्रैल-17	4.50	4.60	0.10	0.40			
मई-17	4.50	4.60	0.10	0.40			
जून-17	4.70	4.60	-0.10	0.60			
जुलाई-17	4.70	4.60	-0.10	0.60			
अगस्त-17	4.80	4.60	-0.20	0.70			
सितम्बर-17	4.70	4.60	-0.10	0.60			
अक्टूबर-17	4.80	4.60	-0.20	0.70			
नवम्बर-17	4.80	4.80	0.00	0.50			
दिसम्बर-17	4.90	5.10	0.20	0.30			
औसत			0.48	0.73	259.47	18.81	
जनवरी-18	4.90	5.10	0.20	0.30			
फरवरी-18	5.00	5.10	0.10	0.40			
मार्च-18	5.00	4.90	-0.10	0.60			

अवधि	वास्तविक गहराई (मीटर)		जेल्लिंगम पर ईडन की गहराई में अंतर (मीटर)	जेल्लिंगम और ईडन के बीच गहराई में कम अंतर के कारण जेल्लिंगम की गहराई का कम-उपयोग (मीटर)	जेल्लिंगम की कम-उपयोग वाली गहराई के लिए अतिरिक्त तलकर्षण मात्रा (एमएम ³)	जेल्लिंगम के लिए तलकर्षण की इकाई लागत (₹)	जेल्लिंगम की कम-उपयोग की गई गहराई के लिए अतिरिक्त मात्रा पर व्यय (करोड़ में)
	जेल्लिंगम	ईडन					
ए	बी	सी	डी=सी-बी	इ=बी-(सी-0.5)	एफ=इx 0.15 एमएम ³ / 0.1	जी	एच=जी x एफ
अप्रैल-18	5.10	4.90	-0.20	0.70			
मई-18	5.30	5.00	-0.30	0.80			
जून-18	5.10	4.90	-0.20	0.70			
जुलाई-18	5.10	5.00	-0.10	0.60			
अगस्त-18	5.30	5.10	-0.20	0.70			
सितम्बर-18	5.10	5.10	0.00	0.50			
अक्टूबर-18	4.90	5.10	0.20	0.30			
नवम्बर-18	5.00	5.00	0.00	0.50			
दिसम्बर-18	5.10	5.30	0.20	0.30			
औसत				0.53	0.80	259.47	20.76
जनवरी-19	5.10	5.30	0.20	0.30			
फरवरी-19	5.10	5.50	0.40	0.10			
मार्च-19	5.10	5.50	0.40	0.10			
औसत				0.17	0.06	259.47	1.62
						कुल	41.19
नोट: नए तलकर्षण अनुबंध की निविदा विनिर्देश के अनुसार, आगामी प्रत्येक बाद की 0.1 मीटर गहराई में वृद्धि के लिए, मात्रा के मानदंड में 0.15 एमएम ³ की वृद्धि होगी							

परिशिष्ट-XXX

(पैरा 6.1.4.5 में संदर्भित)

केओपीटी में जहाज के औसत टर्न राउंड टाइम को दर्शाने वाला विवरण

अवधि	कोलकाता डॉक सिस्टम		हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स	
	जहाज की टीआरटी ने एंकरेज और डॉक में काम किया	जहाज की कुल टीआरटी	जहाज की टीआरटी ने एंकरेज और डॉक में काम किया	जहाज की कुल टीआरटी
	(दिनों में आंकड़े)			
2013-14	10.5	4.63	16.82	5.97
2014-15	10.78	4.68	21.48	8.01
2015-16	9.33	4.34	18.84	8.48
2016-17	9.82	4.83	15.93	6.4
2017-18	12.02	5.1	19.36	7.17
2018-19	6.62	4.83	13.59	6.45

नोट: टीआरटीकी गणना के लिए, लेखापरीक्षा ने उन जहाजों को बाहर रखा जहां चौड़ाई संबंधित डॉक के लॉक गेट की चौड़ाई से बड़ी थी

परिशिष्ट-XXXI
(पैरा 6.1.4.6 में संदर्भित)

संविदा के सीमा में संशोधन में विलंब के कारण अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	अनुबंध मूल्य में वृद्धि (प्रतिशत में)	अनुबंध मूल्य (₹)	अवधि (महीने)	वार्षिक अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ों में)
2017	-	37,00,000	12	4.44
2018	5	38,85,000	6	2.33
			कुल भुगतान	6.77
अतिरिक्त व्यय (भुगतान राशि का 40 प्रतिशत)				2.71

परिशिष्ट-XXXII
{पैरा 6.1.5.1(क) में संदर्भित}

पुनरावर्तित तलकर्षण सामग्री पर किए गए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	तलकर्षण मात्रा (मिलियन क्यूबिक मीटर)	तलकर्षण व्यय (₹ करोडो में)	चैनल @ 15 प्रतिशत में तलकर्षण सामग्री का पुनः संचलन (मिलियन क्यूबिक मीटर)	पुनः परिचालित तलकर्षण सामग्री पर किए गए खर्च में कटौती (₹करोडो में)
ए	बी	सी	डी = बी X 15 प्रतिशत	इ = सी x 15 प्रतिशत
2013-14	19.6	349.14	2.94	52.37
2014-15	18.11	394.16	2.72	59.12
2015-16	16.24	343.17	2.44	51.48
2016-17	7.68	244.75	1.15	36.71
2017-18	9.98	253.57	1.50	38.04
2018-19	9.21	272.58	1.38	40.89
कुल	80.82	1,857.37	12.12	278.61

परिशिष्ट-XXXIII

{पैरा 6.1.5.2(क) में संदर्भित}

संविदा में साइड कास्टिंग के लिए दरों को शामिल नहीं करने के कारण परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

तलकर्षण	महीने	जेल्लिंगम				लोअर ऑकलेंड बार (ऊपर)			
		मात्रा (एम ³)	तलकर्षण व्यय@ ₹259.47 प्रति क्यूब मीटर (₹)	तलकर्षण की अनुमानित लागत@ ₹156 प्रति क्यूब मीटर (₹)	अतिरिक्त व्यय (₹)	मात्रा (एम ³)	तलकर्षण व्यय@ ₹259.47 प्रति क्यूब मीटर (₹)	तलकर्षण की अनुमानित लागत@ ₹156 प्रति क्यूब मीटर (₹)	अतिरिक्त व्यय(₹)
ए	बी	सी	डी=सी X 259.47	इ=सी X 156	एफ =डी - इ	जी	एच=जीX224.59	आई=जीX 156	जे = एच-आई
XX	जनवरी-17	67,439.85	1,74,98,618	1,05,20,617	69,78,001				
XX	फरवरी-17	79,504	2,06,28,903	1,24,02,624	82,26,279				
XX	मार्च-17	62,693.35	1,62,67,044	97,80,163	64,86,881	43,311.81	97,27,399.40	67,56,642.40	29,70,757.10
XII	मार्च-17	0	0	0	0	15,782.59	35,44,611.90	24,62,084	10,82,527.90
XX	मई-17	27,292.37	70,81,551	42,57,610	28,23,942	4,944.27	11,10,433.60	7,71,306.12	3,39,127.48
XX	जून-17	25,710.21	66,71,028	40,10,793	26,60,235				
XX	जुलाई-17	52,804.81	1,37,01,264	82,37,550	54,63,714				
XXI	जुलाई-17	38,367.54	99,55,226	59,85,336	39,69,889				
XX	अगस्त-17	1,187	3,07,991	1,85,172	1,22,819				
XXI	अगस्त-17	36,588	94,93,488	57,07,728	37,85,760				
XX	सितम्बर-17	37,774.23	98,01,279	58,92,780	39,08,500				
XXI	सितम्बर-17	4,746.50	12,31,574	7,40,454	4,91,120				
XX	अक्टूबर-17	62,100.04	1,61,13,097	96,87,606	64,25,491				

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

XXI	अक्टूबर-17	4,944.27	12,82,890	7,71,306	5,11,584				
XXI	नवम्बर-17	80,294.78	2,08,34,087	1,25,25,986	83,08,101				
XX	दिसम्बर-17	2,373.25	6,15,787	3,70,227	2,45,560				
XXI	दिसम्बर-17	52,607.04	1,36,49,949	82,06,698	54,43,250				
XX	जनवरी-18	21,359.25	55,42,085	33,32,043	22,10,042				
XXI	जनवरी-18	26,896.83	69,78,920	41,95,905	27,83,015				
XXI	फरवरी-18	695	1,80,332	1,08,420	71,912				
XXI	मार्च-18	23,732.5	61,57,872	37,02,270	24,55,602				
XXI	अप्रैल-18	18,986	49,29,297	29,61,816	19,67,481				
XXI	मई-18	10,877.40	28,22,359	16,96,874	11,25,485				
XX	जून-18	8,701.91	22,57,885	13,57,498	9,00,387				
XXI	जून-18	2,768.79	7,18,418	4,31,931	2,86,487				
XX	जुलाई-18	14,437.27	37,46,038	22,52,214	14,93,824				
XXI	जुलाई-18	7,119.75	18,47,362	11,10,681	7,36,681				
XXI	अगस्त-18	34,412.13	89,28,914	53,68,292	35,60,622				
XIX	सितम्बर-18	34,609.90	89,80,231	53,99,144	35,81,086				
XX	अक्टूबर-18	37,972	98,52,595	59,23,632	39,28,963				
XX	नवम्बर-18	46,278.38	1,20,07,851	72,19,427	47,88,424				
XX	दिसम्बर-18	14,239.50	36,94,723	22,21,362	14,73,361				
XX	जनवरी-19	3,559.88	9,23,682	5,55,341	3,68,341				
कुल		9,43,073.73	24,47,02,339	14,71,19,502	9,75,82,839	64,038.67	1,43,82,445	99,90,033	43,92,412
कुल मात्रा = (9,43,073.73 + 64,038.67) क्यूब मीटर = 10,07,112.4 क्यूब मीटर									
कुल अतिरिक्त व्यय = (₹9,75,82,839 + ₹43,92,412) = ₹10,19,75,251 या ₹10.19 करोड़									

परिशिष्ट-XXXIV
{पैरा 6.1.5.2(क) में संदर्भित}

संविदा की शेष अवधि के दौरान व्यय को बचाने के लिए अवसर की हानि दर्शाने वाला विवरण

विवरण	फार्मूला	राशि (₹ में)
27 महीनों में साइड कास्टिंग के माध्यम से तलकर्षण की कुलमात्रा (घन मीटर में) (परिशिष्ट-XXXIII का सन्दर्भ लें)	ए	10,07,112.40
मासिक औसत मात्रा (घन मीटर)	बी=ए/27 महीने	37,300.46
शेष अवधि के अनुबंध अर्थात् 33 महीने के दौरान रेज मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिए (अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2021) (घन मीटर)	सी=बी X 33 महीने	12,30,915.16
ईडन पर प्रति घन मीटर की दर (₹ प्रति घन मीटर)	डी	259.47
केओपीटी द्वारा अनुमानित दर (₹ प्रति घन मीटर)	इ	156.00
दर में अंतर (₹ प्रति घन मीटर)	एफ=डी-इ	103.47
		कुल हानि (₹ करोड़ों में)
	जी=(सी x एफ)/10 ⁷	12.74

परिशिष्ट-XXXV
(पैरा 6.4 में संदर्भित)

टिपलिंग प्रभारों की कम वसूली के कारण नुकसान की गणना

अवधि	टिपलिंग शुल्क लगाया (₹ प्रति मीट्रिक टन)	टिपलिंग शुल्क की गणना (₹ प्रति मीट्रिक टन)	टिपलिंग शुल्क की कम वसूली (₹ प्रति मीट्रिक टन)	टिप्पल की गयी मात्रा (मीट्रिक टन)	हानि (₹ करोडो में)
जून 2016 से जुलाई 2018	20.40	47.05	26.65	29,52,748	7.87
अगस्त 2018 से मार्च 2019	21.10	48.67*	27.57	11,93,502	3.29
कुल				41,46,250	11.16

*टीएमपी द्वारा 2018-19 के लिए संशोधित वार्षिक इंडेक्सेशन फैक्टर 3.45 प्रतिशत तय किया गया था। तदनुसार, 1 अगस्त 2018 से आईओएचपी पर थर्मल कोयले की हैंडलिंग के लिए संशोधित टिपलिंग शुल्क (₹47.05 X 103.45 प्रतिशत) = ₹48.67 प्रति मीट्रिक टन

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in